नेपा NEPA

आज़ादी का अमृत महोत्सव

G20 भारत 2023 INDIA

NEPA LIMITED

(A Govt. of India Undertaking)

नेपा लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

78th Annual Report

78वाँ वार्षिक प्रतिवेदन

2024 - 2025

Leadership at NEPA LIMITED

BOARD OF DIRECTORS

CMDE ARVIND VADHERA, VSM
Chairman-cum-Managing Director
कमोडोर अरविंद वडेरा, वीएसएम
(अध्यक्ष - सह - प्रबंध निदेशक)

वीएसएम

Dr. RENUKA MISHRA
Economic Advisor, MHI (Director)
डॉ. रेणुका मिश्रा
आर्थिक सलाहकार, भारी उद्योग मंत्रालय
(निदेशक)

SHRI ATUL KUMAR MISHRA
Secretary Forest (Director)
श्री अतुल कुमार मिश्रा
सचिव वन (निदेशक)

CA MILIND S. KANADE
Independent Director
सी.ए. मिलिंद एस. कनाड़े
(स्वतंत्र निदेशक)

SHRI PRADEEP KUMAR NAIK
Director (Finance)
श्री प्रदीप कुमार नाईक
निदेशक(वित्त)

Leadership at NEPA LIMITED

KEY MANAGERIAL PERSONNEL

SMT. NIDHI MISHRA
Company Secretary
श्रीमती निधि मिश्रा
(कम्पनी सचिव)

SHRI VIKAS REDDY
Chief Financial Officer
श्री विकास रेड्डी
(मुख्य वित्तीय अधिकारी)

KEY EXECUTIVES

SHRI VINIT KUMAR, I.R.S.
Chief Vigilance Officer
श्री विनीत कुमार, आई. आर. एस.
(मुख्य सतर्कता अधिकारी)

SHRI RAM ALAGESAN
Chief General Manager(Technical)
श्री राम अलागेसन
मुख्य महाप्रबंधक(तकनीकी)

SHRI SURENDRA KUMAR MEHTA
Deputy General Manager(Works & Commercial)
श्री सुरेन्द्र कुमार मेहता
उप महाप्रबंधक(कार्य एवं वाणिज्य)

अध्यक्ष की ओर से

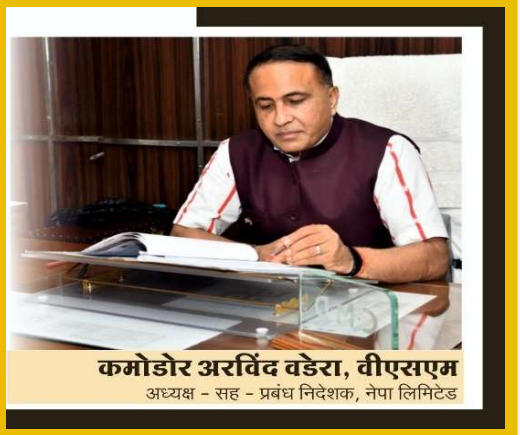
कमोडोर अरविंद वडेरा, वीएसएम
अध्यक्ष - सह - प्रबंध निदेशक, नेपा लिमिटेड

प्रिय सदस्यों,

नेपा लिमिटेड की 78वीं वार्षिक साधारण सभा में हमारे साथ सम्मिलित होने के लिये आपका स्वागत करना मेरे लिये सौभाग्य की बात है। आज यहाँ आपकी उपस्थिति स्थिति-स्थापन, नवाचार एवं हितधारक मूल्य के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

शासकीय सहायता एवं हमारी पुनरुद्धार एवं मिल विकास योजना के क्रियान्वयन के साथ, नेपा लिमिटेड ने पिछले दशक के दौरान आधुनिकीकरण किया है तथा पर्यावरण के प्रति जागरूक रहते हुये कागज उत्पादक के रूप में उभर रहा है।

कमजोर वित्तीय स्थिति, सीमित कार्यशील पूँजी एवं जनशक्ति की कमी जैसी चुनौतियों के बावजूद, हम पुनरुद्धार पथ पर आगे बढ़ने पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं। इस संदर्भ में, हमें राजस्व सृजन बढ़ाने एवं दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये की जा रही प्रमुख पहलों की जानकारी देते हुये प्रसन्नता हो रही है।

राजस्व सृजन पहल

नेपा प्रचालन दक्षता पर निरंतर चलने की योग्यता एवं इसके परिणामस्वरूप लगातार राजस्व सृजन सुनिश्चित करने के लिये **अनुबंध विनिर्माण** को लागू करने की संभावना तलाश रही है। कम्पनी सरकारी विभागों को लेखन एवं मुद्रण कागज की आपूर्ति के लिये **ओ.ई.एम. के साथ मूल्य समझौते** करने की प्रक्रिया में भी है, जिससे विश्वसनीय बाज़ारों तक पहुँच का विस्तार हो सके।

राजस्व में विविधता लाने के लिये नेपा ने प्रतिदिन लगभग 10 लाख बोतलों की आपूर्ति के लिये लोक निजी साझेदारी के तहत एक **बॉटलिंग संयंत्र** स्थापित करने की योजना बनाई है।

जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने एवं जलवायु परिवर्तन को कम करने के राष्ट्रीय उद्देश्य के साथ संरेखित हरित ऊर्जा परिवर्तन में नेपा बायोमास रूपान्तरण संयंत्र के लिये **बी.ए.आर.सी.** के साथ काम कर रही है तथा बिजली की लागत एवं पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भरता को कम करने के लिये **आउटसोर्सिंग मॉडल के माध्यम से सौर संयंत्र के प्रावधान** का अनुसंधान कर रही है।

इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने युवाओं की रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने एवं समावेशी विकास के प्रति अपनी सामाजिक प्रतिबद्धता को मजबूत करने एवं स्थानीय जनसाधारण के लिये **कौशल विकास केन्द्र** स्थापित करने हेतु अल्पसंख्यक मंत्रालय के साथ स्वयं को पंजीकृत किया है।

कर्मचारी नियोजन

विविधतापूर्ण एवं समावेशी कार्यस्थल के निर्माण की दिशा में हमारी सतत प्रतिबद्धता के एक भाग के रूप में हमने नेपा कर्मचारियों के लिये निगमित वेतन पैकेज के कार्यान्वयन के लिये भारतीय स्टेट बैंक एवं बैंक ऑफ इण्डिया के साथ साझेदारी की है, जिसमें आर्थिक लाभ जैसे व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, स्थायी विकलांगता प्रबंधन, मृत्यु बीमा, बालिका विवाह लाभ एवं बाल शिक्षा लाभ आदि शामिल हैं। नेपा कर्मचारियों के लिये सी.जी.एच.एस. दरों के क्रियान्वयन के संबंध में, विद्यमान उच्च बाजार दरों के मुक़ाबले मितव्ययी चिकित्सा एवं दंत चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिये बुरहानपुर में दो प्रतिष्ठित बहु-विशेषज्ञ चिकित्सालयों एवं एक दंत कॉलेज के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गये हैं।

बहु-विशेषज्ञ चिकित्सालयों एवं दंत कॉलेज के सहयोग से नेपा चिकित्सालय में कर्मचारियों/पूर्व कर्मचारियों तथा उनके परिवारों के लिये समय-समय पर निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच शिविर लगाये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाने एवं प्रोत्साहन के लिये नियमित रूप से महीने में तीन बार अर्थात 7, 14 एवं 25 तारीख को शिविर लगाये जा रहे हैं।

महिलाओं के लिये कार्यस्थल सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के भाग के रूप में कम्पनी द्वारा यौन उत्पीड़न रोकथाम सप्ताह का भी आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त, महिला कर्मचारी कल्याण के लिये कम्पनी परिसर में एक वेंडिंग मशीन स्थापित की गई।

भविष्य के लिये रणनीतिक दृष्टिकोण

जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम अपने कागज उत्पाद संविभाग में विविधता लाने पर ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं, ताकि मैप लिथो एवं उच्च चमक वाले डबल्यूपीपी जैसे उच्च मांग वाले उत्पाद शामिल किये जा सकें, साथ ही अखबारी कागज खण्ड में अपनी अग्रणी स्थिति बनाये रख सकें। हम परिचालन दक्षता पर भी ध्यान केन्द्रित कर रहे हैं, जिससे भाप, बिजली, रसायनों एवं पानी की प्रति इकाई खपत कम हो सके।

निगमित शासन

नेपा लिमिटेड एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सी.पी.एस.ई.) के रूप में, कम्पनी अधिनियम, 2013 एवं लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी निगमित शासन दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करती है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति से नई अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई है तथा निर्णय लेने में पारदर्शिता, नैतिक व्यवहार एवं निष्पक्षता को बल मिला है।

सामाजिक प्रतिबद्धता

नेपा मध्यप्रदेश के आदिवासी निमाड़ क्षेत्र में न केवल रोजगार प्रदान कर रहा है, अपितु सामुदायिक विकास में भी सक्रिय योगदान देकर एक महत्वपूर्ण संस्थान के रूप में अपनी सेवायें प्रदान करता रहा है। हमने स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान अभियान, योग कार्यशालायें एवं सांस्कृतिक एवं सामाजिक जागरूकता कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किये हैं, जो स्वास्थ्य तथा सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देते हैं।

निष्कर्ष

हमारा मानना है कि नेपा लिमिटेड उभरते बाजार की माँगों को पूर्ण करने एवं सभी हितधारकों के लिये मूल्य संवर्धन हेतु अच्छी स्थिति में है। विविध रणनीति, मजबूत प्रशासन, पर्यावरण संरक्षण एवं गहन सामाजिक ज़िम्मेदारी के साथ हम आत्मविश्वास से एक मजबूत तथा उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं।

मैं, हमारे सभी हितधारकों, कर्मचारियों, अंशधारकों, ग्राहकों, सरकारी अधिकारियों एवं स्थानीय समुदाय को हमारे सफर में उनके निरंतर समर्थन तथा विश्वास के लिये हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

आइये हम सब मिलकर पहले से भी अधिक मजबूत एवं दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ें।

धन्यवाद।

भवदीय

(कमोडोर अरविंद वढेरा, वी.एस.एम.)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

कम्पनी की संक्षिप्त पार्श्विका

अखबारी कागज निर्माण में भारत की अग्रणी कम्पनी नेपा लिमिटेड, मध्यप्रदेश के नेपानगर, जिला बुरहानपुर में स्थित है। इसका प्रशासनिक, साथ ही साथ पंजीकृत कार्यालय नेपानगर (म.प्र.) में स्थित है। कम्पनी मूलत: **"दि नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स लिमिटेड"** के नाम से अखबारी कागज उत्पादन करने के लिये दिनांक 25 जनवरी 1947 को स्थापित हुई और वर्ष 1981 तक यह देश की अखबारी कागज उत्पादन करने वाली एकमात्र इकाई थी। कालांतर में अक्टूबर 1949 में कम्पनी का प्रबंधन उस समय की मध्य प्रांत एवं बरार राज्य (वर्तमान में मध्यप्रदेश) के द्वारा निजी प्रवर्तकों से अपने अधिकार में लिया गया। तदुपरांत वर्ष 1958 में भारत सरकार ने इसका नियंत्रण अपने हाथों में लिया। 21 फरवरी 1989 को कम्पनी का आधिकारिक तौर पर नाम बदलकर **"नेपा लिमिटेड"** कर दिया गया। कम्पनी का प्रशासनिक एवं पंजीकृत कार्यालय नेपानगर, मध्यप्रदेश में स्थित है।

आर्थिक उदारीकरण एवं बढ़ते कागज आयात के कारण वर्ष 1998 में बी.आई.एफ.आर. को संदर्भित किये जाने के उपरांत नेपा ने महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करते हुये एक परिवर्तनकारी यात्रा की है, जिससे वित्तीय चुनौतियाँ उत्पन्न हुईं। वर्ष 1995 से वर्ष 2003 के मध्य कई असफल विनिवेश प्रयासों का सामना करने के बावजूद वर्ष 2007 में नेपा लिमिटेड - स्वामित्व विनिवेश विधेयक की शुरुआत के साथ एक महत्वपूर्ण क्षण आया।

संसद ने विनिवेश को अस्वीकार कर दिया एवं पुनरुद्धार के विकल्प तलाशने के लिये मामले को डी.आर.पी.एस.सी. (विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समिति) तथा बी.आर.पी.एस.ई. (सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पुनर्निर्माण मण्डल) को भेज दिया। सितम्बर 2011 में पुनरुद्धार पैकेज के लिये बी.आर.पी.एस.ई. की अनुशंसा के पश्चात, भारत सरकार ने सितम्बर 2012 में नेपा लिये पुनरुद्धार एवं मिल विकास योजना (आर.एम.डी.पी.) को स्वीकृति दे दी।

बी.आई.एफ.आर. की स्वीकृति एवं पर्यावरण निर्बाधन के पश्चात आर.एम.डी.पी. को वर्ष 2016 से वर्ष 2022 तक निष्पादित किया गया था, जिसके पश्चात कम्पनी की उत्पादन क्षमता 1,00,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष (टी.पी.ए.) तक बढ़ गई है। इस योजना का लक्ष्य अखबारी कागज तथा लेखन एवं मुद्रण कागज दोनों का निर्माण करना था। अक्टूबर 2022 से वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ हुआ, जो कम्पनी के लिये एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कम्पनी को कार्यशील पूँजी, महत्वपूर्ण मरम्मत एवं पुर्जों के लिये धन एवं कुशल जनशक्ति की कमी के कारण वित्तीय बाधाओं के चलते महत्वपूर्ण प्रचालन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिससे हमारे विनिर्माण संयंत्र में उत्पादन स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। उपलब्ध संसाधनों का अनुकूलन करने एवं लागत को नियंत्रित करने के प्रबंधन के prआयासों के बावजूद, इन वित्तीय कठिनाईयों ने कम्पनी की इष्टतम क्षमता पर प्रचालन करने की क्षमता को सीमित कर दिया।

इन वित्तीय चुनौतियों का समाधान करने के लिये, कम्पनी ने कार्यशील पूँजी, महत्वपूर्ण मरम्मत एवं अधिकतम क्षमता पर संयंत्र प्रचालन को निरंतर बनाये रखने हेतु पुर्जों के लिये धन की माँग की है। यह राजस्व सृजन के लिये मुख्य प्रचालनों का अनुबंध विनिर्माण, नामांकन के आधार पर सरकारी संस्थानों को डब्ल्यू.पी.पी. आपूर्ति, एक बॉटलिंग संयंत्र तथा एक आत्मनिर्भर व्यवसाय मॉडल के लिये अनुपयोगी वस्तुओं एवं स्क्रैप का निपटान जैसे विकल्प भी तलाश रहा है।

यह यात्रा उद्योग की चुनौतियों से निपटने में नेपा के लचीलेपन एवं रणनीतिक दूरदर्शिता को रेखांकित करती है, जिससे भारत के कागज विनिर्माण क्षेत्र की आधारशिला के रूप में इसकी स्थिति मजबूत होती है।

संकल्पना	लक्ष्य
भारतीय कागज उद्योग में एक प्रमुख योगदानकर्ता और अग्रणी बनना तथा कम्पनी को व्यवहार्य और आत्मनिर्भर बनाना।	सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पादों, नवाचार और एकीकरण के माध्यम से ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा करना।

निगमित जानकारी

निदेशक मण्डल

नाम	विवरण
कमोडोर अरविंद वढेरा, वी.एस.एम.	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डॉ. रेणुका मिश्रा	अंशकालीन कार्यालीन निदेशक
श्री पी.के. नाईक	निदेशक (वित्त)
श्री अतुल कुमार मिश्रा	अंशकालीन कार्यालीन निदेशक
श्री मिलिंद शरदचंद्र कनाड़े	स्वतंत्र निदेशक

अंकेक्षण समिति

नाम	विवरण
श्री मिलिंद शरदचंद्र कनाड़े	स्वतंत्र निदेशक अध्यक्ष के रुप में
श्री अतुल कुमार मिश्रा	अंशकालीन कार्यालीन निदेशक सदस्य के रूप में
श्री पी.के. नाईक	निदेशक (वित्त) सदस्य के रूप में

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

नाम	विवरण
श्री मिलिंद शरदचंद्र कनाड़े	स्वतंत्र निदेशक अध्यक्ष के रुप में
श्री अतुल कुमार मिश्रा	अंशकालीन कार्यालीन निदेशक सदस्य के रूप में
श्री पी.के. नाईक	निदेशक (वित्त) सदस्य के रूप में

स्टेकहोल्डर्स संबंध समिति

नाम	विवरण
श्री मिलिंद शरदचंद्र कनाड़े	स्वतंत्र निदेशक अध्यक्ष के रुप में
श्री अतुल कुमार मिश्रा	अंशकालीन कार्यालीन निदेशक सदस्य के रूप में
कमोडोर अरविंद वढेरा, वी.एस.एम.	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक सदस्य के रूप में
श्री पी.के. नाईक	निदेशक (वित्त) सदस्य के रूप में

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

नाम	विवरण
श्रीमती निधि मिश्रा	कम्पनी सचिव
श्री विकास रेड्डी	मुख्य वित्तीय अधिकारी

कार्यालय

पंजीकृत कार्यालय	अन्य कार्यालय
नेपानगर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश - 450 221	**दिल्ली कार्यालय : डी.-165, डिफेन्स कॉलोनी, नई दिल्ली-110024** श्री ज्ञानेश्वर खैरनार, वरिष्ठ प्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन) ई.-मेल : nepadelhi@nepamills.nic.in फोन : 011-24615894

अंकेक्षक	वैधानिक अंकेक्षक : मेसर्स सुभास चंद जैन अनुराग एवं एसोसिएटस, सनदी लेखापाल, इंदौर सचिवीय अंकेक्षक : मयूरी हल्दर एवं एसोसिएटस, कम्पनी सचिव, सारणी लागत अंकेक्षक : मेसर्स प्रभा शर्मा एवं एसोसिएटस, लागत लेखापाल, भोपाल
बैंकर्स	भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इण्डिया

सेवा में,
सदस्यगण,
नेपा लिमिटेड

एतद द्वारा **सूचित** किया जाता है कि **नेपा लिमिटेड** के सदस्यों की 78वीं वार्षिक साधारण सभा, कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय नेपानगर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश-450221 पर शनिवार दिनांक 30.08.2025 को अपरान्ह 5.00 बजे ऑनलाईन माध्यम से निम्नलिखित कार्य सम्पन्न करने हेतु आयोजित की जायेगी :-

साधारण कार्य के रुप में

1. दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिये तुलन पत्र एवं अंकेक्षित वित्तीय विवरण एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के साथ निदेशकों और वैधानिक अंकेक्षकों का प्रतिवेदन पर विचार-विमर्श करना तथा स्वीकार करना।

विशेष व्यवसाय के रूप में:

2. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उचित हो तो संशोधन सहित या बिना संशोधन के पारित करना, जैसा कि साधारण संकल्प में है

   “संकल्प लिया गया कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 तथा अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियम, 2014 (इसमें किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित, जो वर्तमान में लागू है) के साथ पठित है, 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिये कम्पनी के लागत अभिलेखों की लेखापरीक्षा करने के लिये कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त लागत लेखापरीक्षकों का पारिश्रमिक, जैसा कि इस बैठक को बुलाने की सूचना के साथ संलग्न विवरण में निर्धारित किया गया है, कम्पनी के शेयरधारकों द्वारा अनुमोदित किया जाता है।”

   "इसके अतिरिक्त यह भी संकल्प लिया गया कि कम्पनी के निदेशक मंडल को ऐसे सभी कार्य, कर्म और चीजें करने के लिये अधिकृत किया जाता है जो इस संकल्प को प्रभावी बनाने के लिये आवश्यक, उचित या समीचीन हो।"

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
वास्ते नेपा लिमिटेड
(निधि मिश्रा)
कम्पनी सचिव
एम.क्र. ए53762

दिनांक : 08.08.2025
स्थान : नेपानगर

महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ :-

1. जैसा कि आप जानते हैं कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर, कम्पनियों की साधारण सभा निगमित मामलों के मंत्रालय (एम.सी.ए.) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार आयोजित की जायेगी, जो दिनांक 08.04.2020 के परिपत्र क्र. 14/2020 दिनांक 13.04.2020 के परिपत्र क्र.17/2020 एवं 05.05.2020 के परिपत्र क्र.20/2020 हैं। आगामी वार्षिक साधारण सभा/अतिरिक्त साधारण सभा वीडियो कॉन्फ्रेंस (वी.सी.)/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यम ('ओ.ए.वी.एम.') के माध्यम से आयोजित की जायेगी। अतः सदस्य आगामी वार्षिक साधारण सभा/अतिरिक्त साधारण सभा में वी.सी./ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से उपस्थित होकर हिस्सा ले सकते हैं।

2. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 20 तथा एम.सी.ए. परिपत्र दिनांक 08.04.2020, 13.04.2020 एवं 05.05.2020 कम्पनी ई.जी.एम./ए.जी.एम. में किये जाने वाले व्यवसाय के संबंध में अपने सदस्यों को रिमोट ई-मतदान की सुविधा प्रदान कर रही है। इस प्रयोजन के लिये, कम्पनी ने अधिकृत ई-मतदान एजेंसी के रूप में विद्युतीय माध्यम से मतदान की सुविधा के लिये पूर्वा शेयरजिस्ट्री (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड (पूर्वा) के साथ एक समझौता किया है। ई.जी.एम./ए.जी.एम. की तिथि पर दूरस्थ ई-मतदान के साथ-साथ ई-मतदान प्रणाली का उपयोग करके सदस्य द्वारा वोट डालने की सुविधा पूर्वा द्वारा प्रदान की जावेगी।

3. सदस्यगण ई.जी.एम./ए.जी.एम. को वी.सी./ओ.ए.वी.एम. माध्यम से सूचना में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुये सभा प्रारम्भ होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले और बाद में भाग ले सकते हैं। वी.सी./ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से ए.जी.एम. में भागीदारी की सुविधा 1000 सदस्यों के लिये पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध रहेगी। इसमें बड़े अंशधारक (2% या अधिक हिस्सेदारी वाले अंशधारक), प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक, अंकेक्षक समिति के अध्यक्ष, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति तथा स्टेकहोल्डर्स संबंध समिति, अंकेक्षक आदि शामिल नहीं होंगे। ये सभी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रतिबंध के बिना ए.जी.एम. में भाग लेंगे।

4. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कार्यसाधक संख्या सुनिश्चित करने के उद्देश्य से वी.सी./ ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से ए.जी.एम./ ई.जी.एम. में भाग लेने वाले सदस्यों की उपस्थिति की गणना की जावेगी।

5. एम.सी.ए. परिपत्र क्रमांक 14/2020 दिनांक 08.04.2020 के अनुसार, इस ए.जी.एम./ई.जी.एम. में भाग लेने एवं सदस्यों को वोट देने के लिये प्रतिनिधि नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। तथापि, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 112 एवं धारा 113 के अनुसरण में, सदस्यों के प्रतिनिधि जैसे भारत के राष्ट्रपति या किसी राज्य या निगमित निकाय के राज्यपाल वी.सी./ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से ए.जी.एम./ ई.जी.एम. में भाग ले सकते हैं एवं ई-मतदान के माध्यम से अपना मतदान कर सकते हैं।

6. निगमित मामलों के मंत्रालय (एम.सी.ए.) के परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13.04.2020 के अनुसार ए.जी.एम./ई.जी.एम. को आहूत करने वाली सूचना को कम्पनी की वेबसाइट www.nepamills.nic.in पर अपलोड किया गया है। ए.जी.एम./ई.जी.एम. सूचना पूर्वा (दूरस्थ ई-मतदान सुविधा एवं ई-मतदान प्रणाली प्रदान करने वाली एजेंसी) की वेबसाइट अर्थात् www.evoting.purvashare.com पर भी प्रसारित की जाती है।

7. ए.जी.एम./ई.जी.एम. का आयोजन कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों के अनुपालन में वी.सी./ ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से किया गया है, जिसे एम.सी.ए. परिपत्र क्र.14/2020 दिनांक 08.04.2020 एवं एम.सी.ए. परिपत्र क्र.17/2020 दिनांक 13.04.2020 तथा एम.सी.ए. परिपत्र क्र.20/2020 दिनांक 05.05.2020 के साथ पढ़ा गया है।

8. इस मंत्रालय के दिनांक 05.05.2020 के सामान्य परिपत्र क्र. 20/2020 के क्रम में एवं उचित जाँच के पश्चात, यह निर्णय लिया गया है कि जिन कम्पनियों की वार्षिक साधारण सभा (ए.जी.एम.) वर्ष 2020 में होने वाली थी, या वर्ष 2021 में होने वाली है, उन्हें दिनांक 13.01.2021 के एम.सी.ए. परिपत्र क्र. 02/2021 के अनुसार सामान्य परिपत्र क्र. 20/2020 के पैराग्राफ 3 एवं 4 में प्रदान की गई आवश्यकताओं के अनुसार, दिनांक 31.12.2021 को या उससे पहले अपनी ए.जी.एम. आयोजित करने की अनुमति दी जाये।

ए.जी.एम./ई.जी.एम. के दौरान दूरस्थ ई-मतदान एवं ई-मतदान तथा वी.सी./ओ.ए.वी.एम. के माध्यम से सभा में शामिल होने के लिये अंशधारकों के निर्देश इस प्रकार है :-

(i) मतदान दिनांक 28.08.2025 को प्रात: 9.00 बजे से प्रारम्भ होगा एवं दिनांक 29.08.2025 को शाम 5.00 बजे समाप्त होगा। इस अवधि के दौरान कम्पनी के अंशधारक, जिनके पास कट-ऑफ (दर्ज तिथि) दिनांक 23.08.2025 तक भौतिक रूप में या अभौतिक रूप में अंश है, विद्युतीय रूप से अपना मतदान कर सकते हैं। इसके पश्चात् पूर्वा द्वारा दूरस्थ मतदान प्रणाली उपयोग कर दी जावेगी।

(ii) जो अंशधारक सभा की तिथि से पहले ही मतदान कर चुके हैं, वे सभा स्थल पर मतदान करने के हकदार नहीं होंगे।

(iii) **अभौतिक रूप में हिस्सेदारी रखने वाले व्यक्तिगत अंशधारकों एवं भौतिक अंशधारकों के अलावा अन्य अंशधारकों** के लिये ई-मतदान एवं वास्तविक सभा में शामिल होने के लिये लॉगिन विधि।

(1) अंशधारकों को ई-मतदान वेबसाइट https://evoting.purvashare.com पर लॉग ऑन करना चाहिये।

(2) "शेयरहोल्डर/मेम्बर" मॉड्यूल पर क्लिक करें।

(3) अब अपना उपयोगकर्ता आई.डी. दर्ज करें।
भौतिक रूप में अंशधारी सदस्यों के लिये EVENT क्रमांक एवं उसके पश्चात कम्पनी के साथ पंजीकृत फोलियो नंबर दर्ज करें। उदाहरण के लिये यदि फोलियो संख्या 001*** एवं 124 EVENT है, तब उपयोगकर्ता आई.डी. 124001*** है।

(4) यदि आप पहली बार उपयोगकर्ता हैं तो नीचे दिये गये चरणों का पालन करें :-

	व्यक्तिगत एवं भौतिक रूप के अलावा अभौतिक रूप में अंश रखने वाले अंशधारकों के लिये
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 अंकीय अक्षरांकीय *पैन दर्ज करें (अभौतिक अंशधारकों के साथ-साथ भौतिक अंशधारकों दोनों के लिये लागू) * जिन अंशधारकों ने कम्पनी/आर.टी.ए. के साथ अपना पैन अद्यतित नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे कम्पनी/आर.टी.ए. द्वारा भेजे गये अनुक्रम संख्या का उपयोग करें या कम्पनी/आर.टी.ए. से संपर्क करें।

(iv) इन विवरणों को उचित रूप से दर्ज करने के पश्चात "SUBMIT" बटन पर क्लिक करें।

(v) भौतिक रूप में अंश रखने वाले अंशधारक सीधे कम्पनी चयन स्क्रीन पर पहुँच जावेंगे।

(vi) भौतिक रूप में अंश रखने वाले अंशधारकों के लिये विवरण का उपयोग केवल इस सूचना में शामिल प्रस्तावों पर ई-मतदान के लिये किया जा सकता है।

(vii) उस संबंधित नेपा लिमिटेड के लिये EVENT क्रमांक पर क्लिक करें, जिस पर आप मतदान करना चुनते हैं।

(viii) मतदान पेज पर आपको "RESOLUTION DESCRIPTION" दिखेगा एवं उसी के सामने मतदान के लिये "YES/NO/ABSTAIN" का विकल्प दिखेगा। इच्छानुसार YES या NO या ABSTAIN विकल्प का चयन करें। विकल्प YES का अर्थ है कि आप प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करते हैं, विकल्प NO का अर्थ है कि आप प्रस्ताव पर असहमति जताते हैं एवं ABSTAIN का अर्थ है कि आप प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में मतदान नहीं कर रहे हैं।

(ix) यदि आप सूचना देखना चाहते हैं तो "NOTICE FILE LINK" पर क्लिक करें।

(x) जिस संकल्प पर आपने मतदान करने का निर्णय लिया है, उसका चयन करने के पश्चात "SUBMIT" पर क्लिक करें। एक पुष्टीकरण बॉक्स प्रदर्शित किया जायेगा। यदि आप अपने मत की पुष्टि करना चाहते हैं, तो "OK" पर क्लिक करें, अन्यथा अपना मत बदलने के लिये "CANCEL" पर क्लिक करें और तदनुसार अपना मत संशोधित करें।

(xi) एक बार जब आप संकल्प पर अपने मत की "CONFERM" कर लेते हैं, तो आपको अपना मत संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(xii) गैर-व्यक्तिगत अंशधारकों एवं अभिरक्षकों के लिये सुविधा - दूरस्थ मतदान

* गैर-व्यक्तिगत अंशधारकों (अर्थात व्यक्तिगत, HUF, NRI आदि के अतिरिक्त) एवं अभिरक्षकों को https://evoting.purvashare.com पर लॉग इन करना होगा एवं स्वयं को "Custodians/Mutual Fund" मॉड्यूल पर पंजीकृत करना होगा।
* इकाई की मोहर एवं हस्ताक्षर वाली पंजीकरण प्रपत्र की स्कैन की गई प्रति evoting@purvashare.com पर ईमेल की जानी चाहिये।
* लॉगिन विवरण प्राप्त करने के पश्चात एडमिन लॉगिन एवं पासवर्ड का उपयोग करके एक अनुपालन उपयोगकर्ता बनाया जाना चाहिये। अनुपालन उपयोगकर्ता उस खाते को लिंक करने में सक्षम होंगे, जिसके लिये वे मत करना चाहते हैं।
* मण्डल के संकल्प एवं पावर ऑफ अटॉर्नी (पी.ओ.ए.) की एक स्कैन की गई कॉपी, जो उन्होंने संरक्षक के पक्ष में जारी की है, यदि कोई हो, तो उसे जाँचकर्ता द्वारा सत्यापित करने के लिये सिस्टम में pdf प्रारूप में अपलोड किया जाना चाहिये।
* वैकल्पिक रूप से, गैर-व्यक्तिगत अंशधारकों को मत देने के लिये अधिकृत विधिवत अधिकृत हस्ताक्षरकरता के प्रमाणित नमूना हस्ताक्षर के साथ संबंधित मण्डल संकल्प/प्राधिकरण पत्र आदि को संवीक्षक एवं कम्पनी को ई-मेल secretary@nepamills.nic.in पर प्रेषित करना आवश्यक है, यदि उन्होंने व्यक्तिगत टैब से मतदान किया है एवं उसे सत्यापित करने के लिये पूर्वा ई-मतदान प्रणाली में अपलोड नहीं किया है।

बैठक के दौरान वी.सी./ओ.ए.वी.एम. एवं ई-मतदान के माध्यम से ए.जी.एम./ई.जी.एम. में उपस्थिती हेतु अंशधारकों के लिये निर्देश निम्नानुसार है :-

1. ए.जी.एम./ई.जी.एम. के दिन ई-मतदान प्रक्रिया वैसी ही होगी जैसा कि दूरस्थ ई-मतदान के लिये उपर दर्शाया गया है।
2. बैठक में भाग लेने के लिये वी.सी./ओ.ए.वी.एम. का लिंक वहाँ उपलब्ध होगा जहाँ EVENT क्रमांक होगा। दूरस्थ ई-मतदान के लिये ऊपर उल्लिखित निर्देशों के अनुसार सफल लॉगिन के पश्चात कम्पनी का नाम प्रदर्शित किया जायेगा।
3. जिन अंशधारकों ने दूरस्थ ई-मतदान के माध्यम से मतदान किया है, वे बैठक में भाग लेने के लिये पात्र होंगे। तथापि, वे ए.जी.एम./ई.जी.एम. में मतदान के लिये पात्र होंगे।
4. अंशधारकों को बेहतर अनुभव के लिये लैपटॉप/IPads के माध्यम से सभा में सम्मिलित होने के लिये प्रोत्साहित किया जाता है।
5. इसके अतिरिक्त, अंशधारकों को बैठक के दौरान किसी भी गड़बड़ी से बचने के लिये कैमरा की अनुमति देने और अच्छी गति के साथ इंटरनेट का उपयोग करने की आवश्यकता होगी।
6. कृपया ध्यान दें, मोबाइल उपकरणों या टैबलेटों से या लैपटॉप द्वारा या मोबाइल हॉटस्पॉट के माध्यम से जुड़ने वाले प्रतिभागियों को अपने संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो में बाधा उत्पन्न होने का अनुभव हो सकता है। इसलिये किसी भी प्रकार के पूर्वोक्त गड़बड़ी को कम करने के लिये स्थिर वाई-फाई या लैन संयोजन का उपयोग करने की सिफारिश की जाती है।
7. जो अंशधारक बैठक के दौरान अपने विचार व्यक्त करना/प्रश्न पूछना चाहते हैं, वे **बैठक से कम से कम 03 दिन पहले** अपने प्रश्न को अग्रिम रूप से उल्लेखित कर उनके नाम, फोलियो संख्या, ई-मेल आई.डी., मोबाईल नंबर अपना अनुरोध प्रेषित कर (कम्पनी ई-मेल आई.डी.) पर वक्ता के रूप में स्वयं को पंजीकृत कर सकते हैं। जो अंशधारक बैठक के दौरान बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनके पास प्रश्न हैं, वे **बैठक से कम से कम 05 दिन पहले** अपना नाम, फोलियो संख्या, ई-मेल आई.डी., मोबाईल नंबर (कम्पनी ई-मेल आई.डी.) पर अपना प्रश्न प्रेषित कर सकते हैं। कम्पनी द्वारा इन प्रश्नों का उत्तर उपयुक्त रूप से ई-मेल द्वारा दिया जायेगा।

8. जिन अंशधारकों ने स्वयं को एक वक्ता के रूप में पंजीकृत किया है, उन्हें केवल सभा के दौरान अपने विचार व्यक्त करने/प्रश्न पूछने की अनुमति होगी।

9. केवल वे अंशधारक, जो वी.सी./ओ.ए.वी.एम. सुविधा के माध्यम से ए.जी.एम./ई.जी.एम. में उपस्थित होते हैं एवं दूरस्थ ई-मतदान के माध्यम से संकल्पों पर अपना मत नहीं दिया है तथा अन्यथा ऐसा करने से रोक नहीं है, ए.जी.एम./ई.जी.एम. में ई-मतदान प्रणाली के द्वारा मत देने के लिये पात्र होंगे।

10. यदि ए.जी.एम./ई.जी.एम. के दौरान उपलब्ध ई-मतदान के माध्यम से अंशधारकों द्वारा को मत दिया जाता है और यदि उन्हीं अंशधारकों ने वी.सी./ओ.ए.वी.एम. सुविधा के माध्यम से बैठक में भाग नहीं लिया है, तो ऐसे अंशधारकों द्वारा डाले गये मत को अमान्य माना जायेगा क्योंकि बैठक के दौरान ई-मतदान की सुविधा केवल बैठक में भाग लेने वाले अंशधारकों के लिये उपलाभ है।

उन अंशधारकों के लिये प्रक्रिया, जिनका ई-मेल/मोबाइल नम्बर कम्पनी/आर.टी.ए. के पास पंजीकृत नहीं हैं।

प्रत्यक्ष अंशधारकों के लिये - कृपया आवश्यक जानकारी जैसे फोलियो नंबर, अंशधारक का नाम, अंश प्रमाण पत्र की स्कैन प्रति (आगे और पीछे), पैन (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन्ड प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन्ड प्रति) ई-मेल के द्वारा support@purvashare.com पर प्रदान करें।

अन्य निर्देश

1. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 107 के प्रावधानों के तारतम्य में, कम्पनी अंशधारकों को ई-मतदान की सुविधा प्रदान कर रही है। वहाँ वार्षिक साधारण सभा में हाथ उठाने के द्वारा कोई मतदान नहीं होगा।

2. अंशधारक मतदान के लिये दोनों माध्यमों दूरस्थ ई-मतदान एवं ई-मतदान में से केवल एक माध्यम को ही चुन सकते हैं। दोनों माध्यमों से किये गये मतदान में से दूरस्थ ई-मतदान को ही अंतिम रुप से मान्य माना जायेगा।

3. ई-मतदान और बैठक में प्रत्यक्ष मतदान के लिये सदस्यों के मतदान अधिकार 23.08.2025 तक कम्पनी की चुकता साम्य अंश पूँजी के अंश के अनुपात में होंगे।

4. संकल्प के विषय में परिणाम दिनांक 02.09.2025 को कार्य के समय के पूर्व घोषित किये जायेंगे एवं कम्पनी की वेबसाईट पर उपलब्ध होंगे। संकल्प वार्षिक साधारण सभा की तिथि पर पारित होना माना जायेगा, बशर्ते संकल्पों के पक्ष में आवश्यक मतदान प्राप्त हुये हों।

5. वह व्यक्ति जिसका नाम कटऑफ दिनांक को सदस्य के पंजी में दर्ज है अथवा जमाकर्त्ता द्वारा लाभप्रद स्वामित्व के रजिस्टर में दर्ज है, वह दूरस्थ ई-मतदान की सुविधा के साथ-साथ वार्षिक साधारण सभा में मतदान स्थल पर भी मतपत्र के माध्यम से मतदान का हकदार होगा।

6. जाँचकर्त्ता, वार्षिक साधारण सभा में मतदान की समाप्ति पर पहले बैठक में हुये मतदान की गणना करेंगे और उसके पश्चात दो गवाहों, जो कम्पनी के रोजगार में नहीं है, की उपस्थिति में दूरस्थ ई-मतदान के माध्यम से मतदान करने को निर्विरोध करेंगे और अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को लिखित में पक्ष अथवा विपक्ष में पड़े कूल मतों की समेकित जाँचकर्त्ताओं की रिपोर्ट वार्षिक साधारण सभा की समाप्ति के 48 घंटे के भीतर तैयार करेंगे जो उस पर प्रति हस्ताक्षर करते हुये तत्काल मतदान का परिणाम घोषित करेंगे।

7. परिणाम घोषित होने के पश्चात् अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा लिखित में किये गये अधिकृत व्यक्ति द्वारा जाँचकर्त्ता की रिपोर्ट के साथ घोषित किये गये परिणाम, कम्पनी की वेबसाईट www.nepamills.co.in पर तुरंत डालेंगे।

यदि आपके पास पूर्वा ई-मतदान प्रणाली से ए.जी.एम. एवं ई-मतदान में भाग लेने के संबंध में कोई प्रश्न या समस्या है, तो आप evoting@purvashare.com पर ई-मेल लिख सकते हैं या 022-49614132 एवं 022-49700138 पर संपर्क कर सकते हैं।

विद्युतानी माध्यम से मतदान की सुविधा से संबंधित शिकायतें सुश्री दीपाली धुरी, अनुपालन अधिकारी पूर्वा शेयरजिस्ट्री (इण्डिया) प्रायवेट लिमिटेड, इकाई क्रमांक 9, शिवशक्ति इण्डस्ट्रियल ईस्टेट, जे.आर. बोरिचा मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुम्बई, 400011 को संबोधित की जा सकती हैं अथवा evoting@purvashare.com पर ई-मेल भेजें अथवा 022-49614132 एवं 022-35220056 पर संपर्क करें।

व्याख्यात्मक विवरण

(बैठक की सूचना में निहित मद संख्या 3 के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के अनुसरण में)

मद क्रमांक 02

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 148, को कम्पनी (अंकेक्षण एवं अंकेक्षक) नियम, 2014 के साथ पढ़ने पर यह अपेक्षित होता है कि लागत अंकेक्षकों के पारिश्रमिक को मण्डल द्वारा अनुमोदित किया जायेगा, जिसे बाद में अंशधारकों द्वारा अनुमोदित किया जायेगा।

लेखापरीक्षा समिति की सिफारिश के आधार पर, निदेशक मंडल ने सभी करों, शुल्कों और अन्य सभी खर्चों सहित कुल रुपये 36000/- के पारिश्रमिक पर नियुक्ति के लिये मेसर्स प्रभा शर्मा एंड एसोसिएट्स, भोपाल फर्मों के नाम को स्वीकृति दे दी है।

तदनुसार, सदस्यों से अनुरोध है कि वे दिनांक 31.03.2026 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिये लागत लेखापरीक्षकों को देय पारिश्रमिक की पुष्टि करें।

कम्पनी के किसी भी निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदारों का वित्तीय या अन्य रूप से इन प्रस्तावों से कोई सरोकार या रुचि नहीं है।

निदेशक मंडल शेयरधारकों के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव की अनुशंसा करता है।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
वास्ते नेपा लिमिटेड
(निधि मिश्रा)
कम्पनी सचिव
एम.क्र. ए53762

दिनांक : 08.08.2025
स्थान : नेपानगर

पंचवर्षीय आँकड़ें					(रुपये लाख में)
विवरण	**2024-2025**	**2023-2024**	**2022-2023**	**2021-2022**	**2020-2021**
उत्पादन	6788	23356	6526	0	0
प्रचालन से राजस्व	4636.10	12458.61	2717.17	2069.90	1736.63
ब्याज एवं मूल्यह्रास के पूर्व लाभ	(3602.04)	(5540.48)	(4547.69)	(1513.20)	(1604.00)
ब्याज	5647.93	5257.47	4867.48	4394.14	3703.08
रोकड़ आधिक्य/(कमी)	(9249.97)	(10797.94)	(9415.17)	(5907.34)	(5307.09)
मूल्यह्रास	1888.53	1878.19	1164.43	82.55	83.08
पूर्वावधि मदों के पूर्व शुध्द लाभ/(हानि)	(11138.50)	**(12676.13)**	(10135.97)	(5989.89)	(5390.17)
साम्य अंश पूँजी	61778.78	61778.78	61778.78	53937.78	53937.78
ऋण (ब्याज छोड़कर)					
दीर्घावधि	3930.40	6594.60	9258.80	11923.00	10157.00
अल्पावधि	24181.32	19735.49	15421.20	12757.00	400.40
शुध्द स्थायी परिसम्पतियाँ (प्रकियाधीन पूँजी को छोड़कर)	35359.32	37162.61	38607.31	1426.88	1499.31
चल परिसम्पतियाँ	15093.39	16337.71	21253.78	29309.81	25206.43
चल देयताएँ(ऋण पर अदेय ब्याज सहित)	68780.73	57922.09	47233.93	40555.23	36196.41
कार्यशील पूँजी	(53687.34)	(41584.38)	(25980.15)	(11245.42)	(10989.98)
निवेशित पूँजी	(18492.43)	(3799.94)	12627.16	(9818.54)	(9490.67)
शुध्द सम्पन्नता	(25422.83)	(14284.27)	(1608.08)**	11971.56	10120.50
विक्रय से अर्जन (शुध्द लाभ)(%)	(2.40)	(1.01)	(3.89)	(2.89)	(3.10)
कर्मचारियों की संख्या	**444***	**504***	**536***	**431***	**300**

* संविदागत कर्मचारी सम्मिलित है।

** आवंटन के लिये लंबित अंश आवेदन राशि को छोडकर शुद्ध संपन्नता

रोजगार लागत सारांश						(रुपये लाख में)
क्र.	**विवरण**	**2024-2025**	**2023-2024**	**2022-23**	**2021-22**	**2020-21**
(ए)	वेतन एवं मजदूरी **योग (ए)**	1867.38	1905.33	1941.66	1539.59	1557.19
(बी)	कर्मचारियों के हितलाभ					
	भविष्य निधि एवं अन्य	204.06	230.13	230.26	186.19	192.88
	उपादान**	101.40	(1233.48)	461.64	79.80	707.98
	नगरीय	63.70	68.58	88.02	100.69	96.34
	शिक्षा	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	चिकित्सा	60.90	73.02	79.23	85.57	93.52
	अवकाश यात्रा रियायत, सांस्कृतिक गतिविधियों सहित अन्य हितलाभ	107.37	236.75	296.90*	66.01	48.11
	योग (बी)	**537.43**	**(625.01)**	**1156.05**	**518.25**	**1138.83**
(सी)	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारियों का भुगतान और गत वर्ष के व्यय पूर्व वर्ष में नहीं दर्शाये गये					
	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी.आर.एस.)		0.00	0.00	0.00	0
	उपादान	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	अवकाश नकदीकरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0
	योग (सी)	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**
	योग (ए+बी+सी)	**2404.81**	**1280.32**	**3097.71**	**2057.84**	**2696.02**
	कर्मचारियों की संख्या	**444**	**504**	**536**	**431**	**300**
	औसत वेतन, भृतियाँ इत्यादि प्रति कर्मचारी प्रतिवर्ष (रुपये)	**420581**	**378041**	**362250**	**357213**	**519063**
	कर्मचारी सुविधा पर औसत लागत प्रति कर्मचारी प्रतिवर्ष (रुपये)	**121042**	**(124009)**	**215681**	**120243**	**379610**
	औसत रोजगार लागत प्रति कर्मचारी प्रतिवर्ष (रुपये)	**541623**	**25403**	**577931**	**477457**	**898673**

* चालू वर्ष के अवकाश नकदीकरण व्यय सम्मिलित है।

** पिछले वर्षों के अतिरिक्त प्रावधान को वापस लेने के कारण नकारात्मक आंकड़ा।

अंशधारियों को निदेशकों का प्रतिवेदन

सेवा में,

अंशधारीगण,

नेपा लिमिटेड

आपकी कम्पनी के निदेशकों को दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये अंकेक्षित वित्तीय विवरण एवं अंकेक्षकों के प्रतिवेदन के साथ कम्पनी का 78वाँ वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है।

1. वित्तीय परिणाम एवं कम्पनी के मामलों की स्थिति

आपकी कम्पनी के गत वर्ष के लिये अनुरुपी आंकड़ों के साथ वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान वित्तीय कार्य निष्पादन की मुख्य घटनायें निम्नानुसार है :-

(रुपये लाख में)

विवरण	2024-2025	2023-2024
आय		
अखबारी कागज का विक्रय	3161.80	10854.96
पेट्रोल/डीजल/स्नेहक का विक्रय	1281.96	1391.38
अन्य प्रचालन आय	192.34	212.27
कुल आय	**4636.10**	**12458.61**
व्यय		
कच्चा माल	1833.39	7769.37
उत्पादन व्यय	2216.79	4908.73
पेट्रोल/डीजल/स्नेहक का क्रय	1269.43	1372.55
निर्मित माल/स्टॉक की मालसूचियों में परिवर्तन	580.61	1124.53
कर्मचारियों के पारिश्रमिक एवं हित लाभ	2404.81	1280.32
प्रशासन, नगर, सामाजिक उपरिव्यय तथा विक्रय एवं वितरण व्यय पर व्यय	854.61*	2456.16*
कुल व्यय	**9159.64**	**18911.66**
प्रचालन लाभ/(हानि)	**(4523.54)**	**(6453.05)**
घटायें :ब्याज आय/(व्यय) - शुध्द	(5647.93)	(5257.48)
घटायें : मूल्यह्रास	(1888.53)	(1878.19)
जोड़े : अन्य आय	921.50	912.57
मूल्यह्रास एवं ब्याज के पश्चात लाभ/(हानि)	**(11138.50)**	**(12676.13)**
असाधारण मदें (पूर्वावधि समायोजन)	0	0
शुध्द लाभ/(हानि)	**(11138.50)**	**(12676.13)**
संचित लाभ/(हानि)	**(94855.61)**	**(83717.05)**
***इसमें वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान शामिल है**		

2. उत्पादन एवं विक्रय

वर्ष के दौरान, अखबारी कागज का उत्पादन 6788 मीट्रिक टन, जो पिछले वर्ष 2003-2024 के दौरान प्राप्त 21,607 मीट्रिक टन अखबारी कागज और 1,749 मीट्रिक टन डब्ल्यूपीपी से काफी कम है। उत्पादन मुख्य रूप से सीमित कुशल जनशक्ति और कार्यशील पूंजी की कमी, महत्वपूर्ण पुर्जों की कमी के कारण हुआ, जिससे प्रचालन पूर्णरूपेण प्रारंभ नहीं हो सका। धन की उनुपलब्धता के कारण रासायनिक रसायनो की कमी हो रही है और कोयला खदानों से कोयले की आवक मे विलंब हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप संयंत्र एवं मशीनरी का कार्य रुक गया है।

आने वाले समय में सुचारु एवं अधिक सुसंगत प्रचालन सुनिश्चित करने के लिये इन मुद्दों को कम करने के प्रयास जारी हैं।

वर्ष 2024-25 के दौरान कुल विक्रय 7803.886 मीट्रिक टन था तथा शेष निर्मित अखबारी कागज एवं लेखन-मुद्रण कागज 2305.003 मीट्रिक टन हैं।

3. प्रचालन

नेपा पुनरुद्धार एवं मिल विकास योजना (आर.एम.डी.पी.) को बाध्य परिस्थितियों मे भी काफी हद तक पूर्ण कर लिया गया है। महत्वपूर्ण तकनीकी एवं वित्तीय चुनौतियों के बावजूद, संयंत्र को प्रारम्भ कर दिया गया है तथा कई समस्याओं का क्रमिक रूप से समाधान किया गया है। पावर हाउस, डी-इंकिंग प्लान्ट एवं स्लज प्रबंधन प्रणाली युक्त ई.टी. प्लान्ट को स्थायित्व प्रदान कर दिया गया है। पेपर मशीनों की उत्पादन क्षमता में उत्तरोत्तर सुधार हुआ है एवं उत्पाद की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। नेपा ने पूर्व निर्धारित कच्चे माल तथा रसायनो का उपयोग करके उच्च गुणवत्ता वाले अखबारी कागज का सफलता पूर्वक निर्माण किया है। तथापि, कई गंभीर चुनौतियों ने पूर्ण पैमाने पर प्रचालन मे बाधा उत्पन्न की है :-

(ए) एक बड़ी बाधा नव-स्थापित एवं आधुनिकीकृत प्रणालियों, जिनमें पवार हाउस, डी-इंकिंग प्लान्ट तथा पेपर मशिन शामिल है, को संचालित करने के लिये आवश्यक प्रशिक्षित कर्मियों की कमी रही है, जो डी.सी.एस. (वितरित नियंत्रण प्रणाली), क्यू.सी.एस. (गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली) तथा पी.एल.सी. (क्रमादेशित तार्किक नियंत्रण) आधारित प्रणालियों से सुसज्जित हैं। यद्यपि, नेपा प्रबंधन ने स्थानीय स्तर पर भर्ती करने एवं खुले बाज़ार से कुशल कर्मियों को आउटसोर्स करने के प्रयास किये, फिर भी इस कमी का असर प्रचालन पर पड़ रह है।

(बी) विक्रेता उत्पादन मे अक्षमताओं को देखते हुए, लंबित निष्पादन जाँचो के कारण प्रचालन उपकरण स्थायित्व में विलंब हुआ है। इन विलंब के कारण बार-बार प्रचालन संबंधी व्यवधान और बेकडाउन हुए, जिससे उत्पादन और भी बाधित हुआ।

(सी) कम्पनी एक वर्ष से भी अधिक समय से गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रही है। इसका सीधा असर आवश्यक मरम्मत, कच्चे माल का क्रय एवं संयंत्र के सुचारु प्रचालन के लिये आवश्यक कार्यशील पूँजी की उपलब्धता पर पड़ा है।

(डी) उत्पादन पुनः आरंभ करना कोयले और अन्य आवश्यक कच्चे माल के क्रय पर अत्यधिक निर्भर है, इन इनपुट के बिना, संयंत्र संचालन को पुनः आरंभ करना और बनाये रखना अव्यवहारिक है।

इन चुनौतियों के बावजूद, नेपा ने 42 जी.एस.एम. उच्च गुणवत्ता वाले अखबारी कागज का निर्माण किया है, जो समान रील आकार पर अधिक लंबाई एवं माइलेज प्रदान करता है। यह विशिष्ट क्षमता घरेलू कागज निर्माण क्षेत्र में नेपा के रणनीतिक महत्व को रेखांकित करती है।

4. व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन, यदि कोई हो

वर्ष के दौरान, कम्पनी ने अपने व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन नहीं किया है।

5. आरक्षित का हस्तांतरण

वर्ष के दौरान, कम्पनी ने किसी भी आरक्षित निधि को कोई राशि हस्तांतरित नहीं की है

6. लाभांश

हानि के कारण, आपके निदेशक दिनांक 31.03.2025 को समीक्षाधीन समाप्त वर्ष के लिये किसी भी लाभांश की अनुशंसा नहीं करते हैं।

7. संकल्पना एवं लक्ष्य

संकल्पना

भारतीय कागज उद्योग में एक प्रमुख योगदानकर्ता और अग्रणी बनना तथा कम्पनी को व्यवहार्य और आत्मनिर्भर बनाना।

लक्ष्य

सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पादों, नवाचार और एकीकरण के माध्यम से ग्राहकों की आवश्यकता को पूरा करना।

8. पर्यावरण प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण

नेपा लिमिटेड ने उच्च गुणवत्ता वाले अखबारी कागज एवं लेखन/मुद्रण कागज का निर्माण करते समय प्रदूषण को कम करने एवं पर्यावरण की सुरक्षा के लिये व्यापक उपाय अपनायें हैं। कम्पनी पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिये पुराने समाचार पत्रों एवं प्रयुक्त कार्यालय स्टेशनरी (श्वेत पत्र) जैसे पुनर्नवीनीकृत कच्चे माल का उपयोग करके पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी का उपयोग करती है।

विनिर्माण प्रक्रिया क्लोरीन मुक्त, लागत प्रभावी एवं प्रक्रिया अनुकूलन के लिये न्यूनतम रासायनिक इनपुट का उपयोग करती है। परिणामस्वरूप, प्रचालन को प्रदूषण-मुक्त एवं स्थायित्व प्रदान किया गया है। प्रदूषण निवारण सुनिश्चित करने के लिये पुनरुद्धार एवं मिल विकास योजना (आर.एम.डी.पी.) के अंतर्गत निम्नलिखित पहलों को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया है :-

(ए) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

- 140 मीट्रिक टन (50% नमी पर) की क्षमता वाला एक आधुनिक स्लज प्रबंधन प्रणाली (एस.एच.एस.) स्थापित किया गया है।
- यह प्रणाली अपशिष्ट जल से उपयोगी फाइबर को पुनः प्राप्त करती है तथा उपचार प्रक्रिया के तहत अपशिष्ट जल में ठोस अपशिष्ट की मात्रा को न्यूनतम करती है।
- प्राप्त स्लज को पावर हाउस बायलर मे जला दिया जाता है, जिससे कोयले की खपत कम होती है एवं मृदा प्रदूषण रुकता है।
- एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ई.टी.पी.) से अतिरिक्त अपशिष्ट को कार्डबोर्ड निर्माताओ को बेचा जाता है, जिससे अपशिष्ट के चक्रीय उपयोग को बढ़ावा मिलता है।

(बी) जल प्रदूषण नियंत्रण

- 12,000 घन मीटर/दिन की उपचार क्षमता वाला एक पूर्णतः क्रियाशील एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ई.टी.पी.) अपशिष्ट जल का पूर्ण उपचार सुनिश्चित करता है।
- उपचरित जल को प्रक्रिया उपयोग के लिए पुनःचक्रित किया जाता है, जिससे शून्य तरल निर्वहन (जेड.एल.डी.) की स्थिति प्राप्त होती है तथा संयंत्र के बाहर कोई औद्योगिक जल निर्वहन नहीं होता है।

(सी) वायु प्रदूषण उपचयन

- SO_2, NO_x, CO, CO_2, एवं कणिका तत्व के उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिये पावर हाउस मे नये चार फील्ड इलेक्ट्रो स्टैटिक प्रीसिपिटेटर (ई.एस.पी.) स्थापित किया गया है।
- 80 मीटर ऊची चिमनी निर्धारित पर्यावरणीय मानदंडों को पूर्ण करने के पश्चात फ्लू गेसों के सुरक्षित फैलाव को सुनिश्चित करती है।
- कोयला हैंडिलिंग संयंत्र मे धूल दमन प्रणाली (पानी के छिड़काव के साथ) का उपयोग किया जाता है और भगोड़ा धूल उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए राख़ प्रबंधन संयंत्र मे बेग फिल्टर लगाये जाते हैं।
- सल्फर उत्सर्जन को रोकने के लिए बॉयलर मे चुना भरण व्यवस्था कार्यरत है।

(डी) पर्यावरण निगरानी प्रणाली

- ऑनलाइन अपशिष्ट निगरानी प्रणाली (ओ.सी.ई.एम.एस.) ई.टी.पी. मापदंडो की निरंतर निगरानी करती है।
- सतत स्टैक उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (सी.एस.ई.एम.एस.) वास्तविक समय मे वायु प्रदूषण मापदंडो की निगरानी करती है।
- परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली (सी.ए.ए.क्यू.एम.एस.) निरंतर आसपास की वायु गुणवत्ता को मापती है ।
- सभी निगरानी डेटा वास्तविक समय मे क्लाउड आधारित प्रणाली के माध्यम से केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (सी.पी.सी.बी.) एवं मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (एम.पी.पी.सी.बी.) को प्रेषित किये जाते हैं।

(ई) खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन

- सयंत्र से निकले अपशिष्ट तेल का निपटान अधिकृत तेल पुनर्प्रसंस्करणकर्ताओ के माध्यम से सुरक्षित रूप से किया जा सकता है ।
- खतरनाक अपशिष्ट के रूप मे वर्गीकृत एनयनिक एवं कैटायनिक रेजिन का निपटान मध्यप्रदेश अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना, पीठमपुर (एम.पी.) के माध्यम से पी.सी.बी. दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है।

(एफ़) हरित पहल

- पर्यावरण दिवस और अन्य विशेष अवसरों पर, नेपा टाउनशिप मे एवं उसके आसपास व्यापक वृक्षारोपण किया गया है।
- इन प्रयासों का उद्देश्य स्वच्छ, हरित एवं स्वस्थ वातावरण बनाये रखना है तथा नेपा लिमिटेड की स्थिरता एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता को मजबूत करना है।

यह व्यापक दृष्टिकोण स्थायी औद्योगिक कार्य एवं जिम्मेदार पर्यावरण प्रबंधन के प्रति नेपा लिमिटेड के समर्पण को दर्शाता है, जो कागज उद्योग मे पर्यावरण के प्रति जागरूकता विनिर्माण के लिये एक मजबूत उदाहरण स्थापित करता है।

9. अनुसंधान एवं विकास तथा गुणवत्ता एवं प्रोद्योगिकी

नेपा लिमिटेड मे, हमारा गुणवत्ता नियंत्रण तथा अनुसंधान एवं विकास केन्द्र अत्याधुनिक डिजिटल परीक्षण उपकरणों से सुसज्जित है। गुणवत्ता नियंत्रण (क्यू.सी.) टीम यह सुनिश्चित करने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि सभी कच्चे माल, रसायनों एवं आने वाले पदार्थो का स्थापित गुणवत्ता विनिर्देशों के अनुरूप कठोरता से परीक्षण किया जाये।

पुनरुदधार एवं मिल विकास योजना (आर.एम.डी.पी.) के कार्यान्वयन के पश्चात मिल ने कागज के अपशिष्ट पदार्थो के पुनर्चक्रण से उच्च-चमक एवं उच्च-मजबूती वाले अखबारी कागज का उत्पादन सफलतापूर्वक जारी रखा है। अखबारी कागज तथा लेखन एवं मुद्रण कागज के वांछित गुणों को बनाये रखने के लिये, कच्चे माल के मूल्यांकन, लुगदी उत्पादन से लेकर मानक विनिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये अंतिम कागज परीक्षण तक, हर चरण पर सख्त निरीक्षण नवाचार का पालन किया जाता है।

तैयार उत्पादों के गुणवत्ता की निगरानी समर्पित पाली कर्मचारियों द्वारा चोबीसों घंटे की जाती है। गुणवत्ता एवं प्रोद्योगिकी विभाग यह सुनिश्चित्त करता है कि हमारे मूल्यवान ग्राहकों को केवल सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद ही प्रेषित किये जाये, जिसका लक्ष्य शून्य ग्राहक शिकायतें है।

(ए) जल और प्रवाह परीक्षण

हमारी प्रयोगशाला विभिन्न जल मापदण्डों की निगरानी एवं विश्लेषण करने के लिये सुसज्जित है, जिनमें शामिल है :-

- एफ्लुएंट
- सर्विस वॉटर
- डी-मिनरलाइज़्ड़ (डीएम) वॉटर

इसके अतिरिक्त, जल उपचार रसायनों की उचित मात्रा की पुष्टि के लिये पीने योग्य जल की गुणवत्ता का समय-समय पर विश्लेषण किया जाता है, जिससे नेपा टाउनशिप के लिए सुरक्षित और स्वच्छ जल सुनिश्चित होता है।

(बी) अनुसंधान एवं विकास केन्द्र

नेपा लिमिटेड का अनुसंधान एवं विकास केन्द्र भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डी.एस.आई.आर.) मे पंजीकृत है। यह निम्नलिखित मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है :-

- प्रक्रिया अनुकूलन
- उत्पादन विविधीकरण
- नई तकनीक को अपनाना
- गुणवत्ता सुधार पहल

केन्द्र ने उच्च गुणवत्ता वाले लेखन एवं मुद्रण तथा संशोधित अखबारी कागज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जो प्रायः विनिर्माण प्रक्रियाओं एवं सामग्री संयोजननों में नवाचारों के माध्यम से किया गया है।

उत्पादन लागत को कम करने के लिये अनुसंधान एवं विकास टीम ने सफलतापूर्वक निम्नलिखित कार्य किये हैं :-

- लागत प्रभावी रासायनिक विकल्पों की पहचान की गई।
- इष्टतम रासायनिक एवं कच्चे माल का संयोजन विकसित किया।
- विभिन्न मापदण्डों के तहत परीक्षण आयोजित किये गये।

प्रयोगशाला स्तर पर सफल परीक्षणों के पश्चात, इन नवाचारों को व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन के लिये संयंत्र में क्रियान्वित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, अनुसंधान एवं विकास टीम नियमित रूप से विभिन्न निर्माताओं के विभिन्न कागज श्रेणी के नमूनों का अध्ययन एवं मूल्यांकन करती है, ताकि नेपा के उत्पाद प्रस्तावों को मानकीकृत तथा बेहतर बनाया जा सके।

(सी) अनुसंधान एवं विकास केन्द्र मी चल रहा अनुसंधान, अपशिष्ट एवं फ्लाई ऐश के उपयोग पर भी केन्द्रित है, जिसका उद्देश्य नवीन पुनः उपयोग रणनीतियों के माध्यम से स्थायित्व को बढ़ाना एवं पर्यावरणीय प्रभाव को काम करना है।

10. मानव संसाधन विकास

कम्पनी ने आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण प्रदान करते हुये मानव संसाधन विकास को अत्यधिक महत्व दिया है। यह विकास कर्मचारियों की मूल क्षमता को विकसित करेगा, जो उन्हें उत्तम एवं दक्ष दिशा एवं परिवर्तन के अनुकूल कार्य निष्पादन में समर्थ बनायेगा।

कम्पनी आई.टी.आई./स्नातक/तकनीशियन प्रशिक्षुओं के कौशल विकास एवं उनकी रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिये उन्हें नियुक्त करती है।

इस संबंध में इन छात्रों के लिये कार्यस्थल स्तर पर कौशल विकास कार्यक्रम प्रारंभ करने की योजना बनाई जा रही है, ताकि उन्हें नौकरी के दौरान कौशल से लैस किया जा सके, जिससे उन्हें अपना आजीविका पथ बनाने में सहायता मिलेगी।

कर्मचारियों के विकास एवं उन्नति की आवश्यकताओं को कम्पनी की एच.आर.एम. नीतियों के संबंध में सकारात्मक असर बताया गया है।

दिनांक 31.03.2025 को कम्पनी के कर्मचारियों की संख्या 168 (99 अधिकारी, 32 कर्मचारी एवं 37 अस्थाई श्रमिक समाविष्ट) है।

11. औद्योगिक संबंध एवं कर्मचारी कल्याण उपाय

पूर्व वर्षों के अनुसार इस वर्ष भी कम्पनी लगातार सामंजस्यपूर्ण औद्योगिक संबंध कायम रखने में सफल रही। मान्यता प्राप्त संघ एवं उसके प्रतिनिधियों के साथ लगातार अन्योन्य क्रिया के माध्यम से कम्पनी के भाग लेने वाली कार्य संस्कृति ने स्वस्थ औद्योगिक संबंध सुगम बनाया तथा परिणामस्वरुप वर्ष के दौरान हड़ताल/तालाबंदी के खाते में एक भी दिन खराब नहीं हुआ। वर्ष के दौरान कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को प्रदत्त विभिन्न कल्याण उपाय जारी रहे।

12. प्रबंधन में कर्मचारी सहभागिता

श्रमिक संबंधों में सुधार एवं विभागों की प्रचालन क्षमता हेतु विभिन्न शॉप-फ्लोर एवं स्टॉफ कल्याण समितियों का गठन किया गया। विभिन्न समितियों में मान्यता प्राप्त संघ के प्रतिनिधियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया, ताकि कम्पनी के कार्य एवं सामाजिक वातावरण तथा अच्छी समझ-बुझ बनाने में सकारात्मक वृध्दि को सहायता मिल सके। कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर और बल दिया जा रहा है।

13. कर्मचारियों का विवरण

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3), जिसे कम्पनी (कर्मचारियों के विवरण) संशोधन नियम, 2011 के साथ पढ़ा जाये, के अनुपालन में पूरे वर्ष अथवा वर्ष के भाग के लिये ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है, जिसने रुपये 60 लाख प्रति वर्ष या रुपये 5 लाख प्रति माह सामूहिक पारिश्रमिक प्राप्त किया है।

14. एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. इत्यादि सदस्यों की रोजगार की स्थिति

दिनांक 31.03.2025 को अनुसूचित जाति (एस.सी.)/अनुसूचित जनजाति (एस.टी.)/अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ.बी.सी.)/ भूतपूर्व सैनिकों और शारीरिक विकलांग (पी.डब्ल्यू.डी.) के सदस्यों के रोजगार की स्थिति **अनुलग्नक I** में दर्शाई गई है।

15. महिला कर्मचारियों की स्थिति

कम्पनी में दिनांक 31.03.2025 को महिला कर्मचारियों का विवरण **अनुलग्नक II** में दर्शाया गया है।

16. राजभाषा के उपयोग को प्रोत्साहन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने राजभाषा अधिनियम, 1963 एवं उसके तहत बनी नियमावली के प्रावधानों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने का सतत प्रयास किया है। कथित अधिनियम की धारा 3 (3) के प्रावधानों के अनुपालन में दस्तावेज या तो राजभाषा हिन्दी में अथवा द्विभाषी जारी किये जा रहे हैं।

इसके भाग के रुप में सभी श्रेणियों के कर्मचारियों/अधिकारियों के लिये गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम, राजभाषा मास एवं उच्च स्तरीय राजभाषा कार्यशाला तथा हिन्दी कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रमों सहित समय-समय पर कार्यशाला आयोजित की गई। हिन्दी में प्रतियोगिता आयोजित की गई तथा विजेताओं को उपयुक्त पुरुस्कार प्रदान किये गये। कम्पनी में दिनांक 14.09.2024 से दिनांक 21.09.2024 तक "हिन्दी सप्ताह" का आयोजन किया गया।

हिन्दी के प्रयोग के प्रोत्साहन के लिये सरकारी विभागों, शालाओं और बैंकों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुये नगर राजभाषा कार्यांवयन समिति की छमाही बैठक नियमित रुप से आयोजित की जा रही है।

विभिन्न विभागों में मल्टीयूज़र सॉफ्टवेअर मंगल एवं कृति देव यूनीकोड का प्रयोग किया जा रहा है। कम्पनी, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम के उचित एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिये श्रेष्ठ प्रयास कर रही है।

17. यौन उत्पीड़न के निषेध के लिये नीति

कम्पनी में रोकथाम, निषेध एवं निवारण अधिनियम, 2013 की आवश्यकता के क्रम में यौन उत्पीड़न के निषेध के लिये नीति प्रचलित है। यौन उत्पीड़न के संबंध में शिकायतें सुनने हेतु एक आंतरिक शिकायत समिति बनाई गई है। समस्त कर्मचारी (स्थायी, संविदागत, अस्थायी एवं प्रशिक्षु) इस नीति के अंतर्गत शामिल है।

18. कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण

कम्पनी का लक्ष्य हमेशा से प्रत्येक कर्मचारी के लिये एक खुला एवं सुरक्षित कार्यस्थल बनाना रहा है, ताकि वे लिंग, यौन वरीयताओं तथा अन्य कारकों से पड़े, सशक्त महसूस कर सकें एवं अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं के साथ योगदान कर सकें। कार्यस्थल को सुरक्षित वातावरण बनाने के लिये कम्पनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 ("पी.ओ.एस.एच. अधिनियम") की आवश्यकताओं के अनुरूप यौन उत्पीड़न की रोकथाम पर एक नीति स्थापित की है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने यौन उत्पीड़न विरोधी नीति बनाने एवं आंतरिक समिति के गठन से संबंधित पी.ओ.एस.एच. अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन किया है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न सहित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

19. मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के तहत कम्पनी द्वारा प्रदान किया गया मातृत्व लाभ

कम्पनी घोषणा करती है कि उसने मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के प्रावधानों का विधिवत अनुपालन किया है। सभी पात्र महिला कर्मचारियों को अधिनियम के तहत निर्धारित वैधानिक लाभ प्रदान किये गये है, जिनमें सवेतन मातृत्व अवकाश, अवकाश अवधि के दौरान वेतन और सेवा की निरंतरता, तथा मातृत्व के बाद की सहायता जैसे नर्सिंग अवकाश, जैसा भी लागू हो, शामिल है। कम्पनी एक समावेशी एवं सहायक कार्य वातावरण को बढ़ावा देने के लिये प्रतिबद्ध है जो लागू कानूनों के अनुसार अपनी महिला कर्मचारियों के अधिकारों तथा कल्याण को बनाये रखता है।

20. निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों के तहत तीन त्वरित पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान कम्पनी के औसत शुध्द लाभ का कम से कम 2% से समानांतर राशि सी.एस.आर. गतिविधियों पर कम्पनी द्वारा व्यय करने की आवश्यकता है। चूंकि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के दौरान से कम्पनी केवल हानि वहन कर रही है। समीक्षाधीन वर्ष के लिये कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं थे।

तथापि, कम्पनी लंबे समय से नेपानगर के निवासियों एवं पड़ोसी समुदायों को स्वास्थ्य देखभाल सुविधायें प्रदान करना जारी रखे हुये है। कम्पनी ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी चलाये। कम्पनी नेपानगर टाउनशिप में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं खेल गतिविधियों के संचालन के लिये विभिन्न सामाजिक संगठनों को पूरा सहयोग देती है।

21. सहायक/एसोसिएट्स/संयुक्त उद्यम के वित्तीय निष्पादन/वित्तीय स्थिति के संबंध में जानकारी।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कम्पनी की कोई सहयोगी, संयुक्त उद्यम एवं सहायक कम्पनी नहीं थी।

22. वार्षिक प्रतिवेदन का उध्दरण/वेब पता

अधिनियम की धारा 92 (3) एवं इसके तहत बने नियमों की आवश्यकताओं के अनुसार निर्धारित प्रपत्र एम.जी.टी. 9 में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये वार्षिक प्रतिवेदन का उध्दरण www.nepamills.co.in पर उपलब्ध है।

23. जोखिम प्रबंधन नीति

नेपा लिमिटेड के पास एक संरचित एवं व्यापक उद्यम जोखिम प्रबंधन प्रणाली को लागू करने के लिये मण्डल द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति है। नीति का उद्देश्य जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, प्रतिकृया, निगरानी एवं रिपोर्टिंग के लिये एक सामान्य समझ, भाषा तथा कार्यप्रणाली स्थापित करना एवं प्रबंधन को आश्वासन देना है कि कम्पनी में प्रमुख जोखिमों की ठीक से पहचान की जा रही है एवं प्रभावी ढंग से प्रबंधित किया जा रहा है।

24. ऊर्जा संरक्षण

- कोयले की खपत को कम करने के लिये बॉयलर में जलाने के लिये अपशिष्ट को कोयले के साथ मिलाया जाता है।
- विद्यमान वैक्यूम पंप एवं प्रोसेस पंप को नये ऊर्जा कुशल वैक्यूम पंप एवं प्रोसेस पंप से बदल दिया गया है।
- प्रक्रिया की आवश्यकता के अनुसार विद्यमान सामान्य एम.सी.सी./स्टार्टर को वी.एफ.डी. (परिवर्तनीय आवृत्ति ड्राइव) से बदल दिया गया है।
- विद्यमान पारंपरिक लाइटिंग को एलईडी लाइटिंग से बदला जा रहा है, जिससे 70% से अधिक ऊर्जा की बचत होगी।
- ऊर्जा घटक में सुधार 0.95 से 0.99 के बीच बनाये रखा गया।

25. निदेशकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक के भुगतान एवं उनके कर्तव्यों के निर्वहन से संबंधित कम्पनी की नीति

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 197, जिसे कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पढ़ा जाये, के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक सूचीबध्द कम्पनी को चाहिये कि निदेशक का प्रतिवेदन में निदेशकों आदि के पारिश्रमिक की पूर्ण जानकारी प्रसारित करें। तथापि, निगमित संबंधी सार्वजनिक मामलों के मंत्रालय के द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसार, सरकारी कम्पनियों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधानों के पालन से छूट प्राप्त है।

नेपा लिमिटेड एक सरकारी कम्पनी होने के कारण मण्डल सदस्य की नियुक्ति भारत सरकार के नियंत्रण में है, इसलिये यथा वर्णित ऐसे विवरण निदेशक के प्रतिवेदन के भाग के रुप में सम्मिलित नहीं है।

26. सतर्कता

सतर्कता विभाग का नेतृत्व वर्तमान में मुख्य सतर्कता अधिकारी करते हैं एवं प्रबंधक (सतर्कता) उनकी सहायता करते हैं। सतर्कता विभाग कम्पनी के भीतर एक स्वतंत्र निकाय के रूप में कार्य करता है, जो प्रक्रियागत कमियों, कदाचारों ओर भ्रष्टाचारों के संभावित क्षेत्रों की पहचान करके पारदर्शिता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पूर्व के योगदान के क्रम में, दिनांक 31.03.2025 तक 07 सी.टी.ई. प्रकार की परीक्षायें, 12 औचक निरीक्षण, 30 वार्षिक संपत्ति विवरणी की जाँच के साथ-साथ 11 से अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये। केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) के निर्देशानुसार, नेपा लिमिटेड में 16.08.2024 से 15.11.2024 तक "राष्ट्र की समृद्धि के लिये अखंडता की संस्कृति" विषय पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वी.ए.डब्ल्यू.) मनाया गया। तीन माह में विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की गईं।

ए. क्षमता निर्माण कार्यक्रम :

नैतिकता और शासन, आचरण नियम, प्रणाली एवं संगठनात्मक प्रक्रियायें, क्रय, साइबर स्वच्छता तथा सुरक्षा आदि पर प्रशिक्षण सी.वी.ओ. द्वारा आयोजित किये गये।

बी. व्यवस्थित सुधार उपायों की पहचान एवं कार्यान्वयन :

विभिन्न आकस्मिक/आवधिक सी.टी.ई. निरीक्षणों के माध्यम से व्यवस्थित सुधार सुनिश्चित किये गये हैं।

सी. परिपत्र/दिशनिर्देश/मैनुअल का अद्यतन :

अद्यतन सी.डी.ए. मैनुअल लागू किया गया ।

डी. शिकायतों का निपटान :

प्रत्येक शिकायत का निपटान निर्धारित समय सीमा में किया गया।

सतर्कता विभाग मण्डल स्तर से नीचे के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायतों को निपटाता है, सतर्कता मामलों के संबंध में सूचना के प्रवाह को सुव्यवस्थित करने के लिये सी.वी.सी., सी.बी.आई. एवं एम.एच.आई. के सी.वी.ओ. के साथ एक अंतराफलक के रूप में कार्य करता है। सहमत सूची एवं ओ.डी.आई. सूचियाँ तैयार की जाती हैं, सतर्कता स्वीकृति दी जाती है एवं त्रैमासिक प्रगति एवं निष्पादन रिपोर्ट केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) को प्रस्तुत की जाती है।

निवारक सतर्कता गतिविधियाँ

सतर्कता विभाग ने पूरे वर्ष कर्मचारी जागरूकता और क्षमता निर्माण में सक्रिय रूप से योगदान दिया है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान, कर्मचारियों को नैतिक व्यवहार, क्रय संबंधी मुद्दों, प्रक्रियाओं एवं संगठनात्मक नितियों के अनुपालन जैसे विषयों पर शिक्षित करने के लिये ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालायें तथा जागरूकता सत्र आयोजित किये गये।

27. मण्डल की समिति

मण्डल की समिति से संबंधित विवरण **अनुलग्नक IV** में संलग्न है।

28. निगमित शासन

निगमित शासन पर प्रतिवेदन **अनुलग्नक IV** पर संलग्न है।

(i) निगमित शासन पर डी.पी.ई. निर्देशानुसार निगमित शासन (सी.जी.) पर प्रारूप प्रमाण पत्र।

(ii) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) के तहत सचिवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन।

स्वतंत्र निदेशकों ने मण्डल को अपने खुलासे प्रस्तुत किए हैं कि वे कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (6) में निर्धारित सभी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं, ताकि स्वयं को कम्पनी अधिनियम, 2013 एवं प्रासंगिक नियमों के प्रावधानों के तहत एक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जा सके।

29. निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण

दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिये वार्षिक लेखा की तैयारी हेतु निदेशक मण्डल कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के प्रावधानों के अनुसार उत्तरदायित्व एवं अनुपालन सुनिश्चित करते है तथा कथन करते है कि :-

(ए) वार्षिक खाते बनाते समय सैध्दांतिक बदलाव से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ प्रभावी खतौनी मानकों का पूरा अनुपालन किया गया है;

(बी) निदेशकों ने इन खतौनी सिध्दांतों का चुनाव किया था तथा इसे दृढ़ता से लागू किया एवं निर्णय किया और अनुमान लगाया कि यह उचित एवं दूरदर्शी हैं जिससे कि वे वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पनी के मामलों के संबंध में यथा अवधि लाभ एवं हानि के संबंध में सत्य और निष्पक्ष दृष्टिकोण से विचार दें;

(सी) निदेशकगणों ने कम्पनी की परिसम्पत्ति को सुरक्षित रखने और धोखाधड़ी को रोकने एवं उसका पता लगाने तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने के लिये इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत खतौनी के उचित एवं पर्याप्त अनुरक्षण के लिये आवश्यक एवं समुचित ध्यान रखा गया है;

(डी) वार्षिक खातों को सतत व्यापार अवधारणा पर तैयार किया है;

(ई) कम्पनी के अनुपालन द्वारा निदेशकों के पास तैयार किया आंतरिक वित्तीय नियंत्रित हो और यथा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण सटीक एवं प्रभावी प्रचालन हो।

(एफ) सभी लागू नियमों के प्रावधानों के पालन सुनिश्चित हेतु समुचित व्यवस्था की सोच निदेशकों के पास है तथा यथा व्यवस्थायें सटीक एवं प्रभावी प्रचालन है।

30. प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण पर एक रिपोर्ट **अनुलग्नक V** पर है।

31. अंकेक्षक

वैधानिक अंकेक्षक : मेसर्स सुभास चंद जैन अनुराग एण्ड एसोसिएटस, सनदी लेखापाल, इंदौर, को वर्ष 2024-25 के लिये पत्र क्रमांक सी.ए.वी./सी.ओ.वाई./केन्द्रीय सरकार, नेपा (1)/1465 दिनांक 22.09.2023 के द्वारा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वैधानिक अंकेक्षक नियुक्त किया गया था।

आंतरिक अंकेक्षक : समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी के आंतरिक अंकेक्षक के रूप में कार्य करने के लिये मेसर्स पी.सी. छाजेड एण्ड कम्पनी, सनदी लेखापाल नियुक्त किये गये थे।

सचिवीय अंकेक्षक : कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204, जिसे कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं अर्हता) नियम, 2014 के साथ पढ़ा जाये, के प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये कम्पनी के सचिवीय अंकेक्षण करने हेतु मेसर्स मयूरी हल्डर एण्ड एसोसिएट्स, पेशेवर कम्पनी सचिव को नियुक्त किया है।

लागत अंकेक्षक : समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी के लागत अंकेक्षक के रूप में कार्य करने के लिये मेसर्स प्रभा शर्मा एण्ड एसोसिएटस, भोपाल लेखापाल नियुक्त किये गये थे।

32. अंकेक्षक प्रतिवेदन

अंकेक्षक के प्रतिवेदन में योग्यतापरक टिप्पणी है। अंकेक्षक की टिप्पणी प्रकृति में स्व-व्याख्यात्मक है तथा इसलिये मण्डल के प्रतिवेदन में किसी भी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है।

33. अंकेक्षक प्रतिवेदन के अनुसार धोखाधड़ी का विवरण

दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान कम्पनी में कोई धोखाधड़ी नहीं हुई है। कम्पनी के अंकेक्षकों के प्रतिवेदन का भी समर्थन किया जा रहा है क्योंकि दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वितिय वर्ष के लिये उनके अंकेक्षण प्रतिवेदन में कोई धोखाधड़ी नहीं हुई है।

34. संबंधित पार्टी लेन-देन

वर्ष के दौरान, संबंधित पार्टियों के साथ कोई भी लेन-देन अधिनियम की धारा 188 (1) के दायरे में नहीं आता है। इसलिये, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान प्रपत्र ए.ओ.सी.-2 कम्पनी पर लागू नहीं होता है।

35. सतर्कता तंत्र की स्थापना

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के प्रावधानों के अनुसार, कम्पनी के लिये अपने निदेशकों और कर्मचारियों हेतु एक सतर्कता तंत्र स्थापित करना आवश्यक नहीं है।

36. किसी भी नियामक प्राधिकरण/ट्रिब्यूनल/न्यायालय द्वारा पारित आदेश

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान भविष्य में चल रही चिंता की स्थिति एवं कम्पनी प्रचालन को प्रभावित करने वाले किसी भी नियामक प्राधिकरण या न्यायालयों या ट्रिब्यूनल्स द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया।

37. सचिवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन

सचिवीय अकेक्षक द्वारा दिये गये सचिवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन इस प्रतिवेदन के निगमित शासन प्रतिवेदन में **अनुलग्नक IV** में संलग्न है। सचिवीय अंकेक्षक की टिप्पणी प्रकृति में स्व-व्याख्यात्मक है।

38. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

कम्पनी ने समुचित आंतरिक नियंत्रण परिमाण बनाया है। यह प्रबंधन आच्छादि समस्त समीक्षात्मक और आवश्यक गतिविधियों द्वारा प्रणाली और विभिन्न मैनुअलों के फार्म में हैं। ये मैनुअल और प्रणाली समय-समय पर अद्यतित होती हैं और इसका सख्ती से पालन किया जाता है, जो आंतरिक अंकेक्षण द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। आंतरिक अंकेक्षण विभाग विभिन्न नीतियों एवं प्रणालियों के अनुपालन में आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था की प्रभावीयता तथा पर्याप्तता, समीक्षा एवं जाँच करता है। आंतरिक अंकेक्षण की कार्य प्रणाली और आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था की पर्याप्तता की समीक्षा मण्डल स्तर की अंकेक्षण समिति द्वारा की जाती है।

39. सामग्री परिवर्तन और वचनबध्दता, यदि कोई, कम्पनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करता है

कम्पनी में कोई सामग्री परिवर्तित नहीं है और वचनबध्दता कम्पनी के वित्तीय वर्ष के बंद होने के लिये निरंतर प्रकट हुई है, जिससे तुलन पत्र और प्रतिवेदन की तिथि से संबंधित, स्वीकृत योजना के अनुसार आर.एम.डी.पी. के क्रियांवयन के लिये, को छोड़कर कम्पनी की वास्तविक स्थिति को प्रभावित कर सकती है।

40. ऋण, गारंटी अथवा निवेश का विवरण

वित्तीय विवरण के नोट में दिये गये ऋण, गारंटी और निवेश कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के तहत अपना लिया गया है।

41. जमा

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 एवं कम्पनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 की सीमा में कम्पनी ने लोगों से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।

42. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिये कम्पनी के खातों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां प्रबंधन के साथ प्राप्त होने के पश्चात अद्यतन की जायेगी।

43. मण्डल सभायें

वर्ष के दौरान आपकी कम्पनी के निदेशक मण्डल ने चार सभायें आयोजित की।

क्रमांक	1	2	3	4	5	6
दिनांक	03.05.2024	07.08.2024	18.10.2024	14.11.2024	08.01.2025	13.02.2025
उपस्थित निदेशकों की संख्या	5	4	4	4	5	5

44. अंकेक्षण समिति

वर्ष के दौरान अंकेक्षण समिति ने चार सभायें आयोजित की।

क्रमांक	**1**	**2**	**3**
दिनांक	07.08.2024	14.11.2024	08.01.2025
उपस्थित सदस्यों की संख्या	2	2	3

वर्ष के दौरान स्टैकहोल्डर संबंध समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

44. निदेशक मण्डल एवं के.एम.पी. का गठन

मण्डल का गठन इस प्रकार है :-

क्र.	**नाम**	**विवरण**	**वर्ष के दौरान परिवर्तन**
1.	डॉ. रेणुका मिश्रा	अंशकालिक कार्यालीन निदेशक	दिनांक 22.07.2024 से नियुक्त
2.	श्री राकेश कुमार चोखानी	दिनांक 26.03.2024 से अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	दिनांक 16.04.2025 को कार्यकाल समाप्त
3.	कमोडोर अरविंद वढेरा, वी.एस.एम.	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	दिनांक 16.04.2025 से नियुक्त
5.	श्री पी.के. नाईक	दिनांक 02.05.2019 से निदेशक (वित्त)	निदेशक (वित्त) (अतिरिक्त प्रभार) के रूप में नियुक्त किया गया है तथा दिनांक 02.05.2025 से एक वर्ष का और विस्तार किया गया है।
6.	श्री मिलिंद शरदचंद्र कनाड़े	दिनांक 05.06.2023 से स्वतंत्र निदेशक	लागू नहीं
7.	श्री अतुल कुमार मिश्रा	दिनांक 03.03.2023 से अंशकालिक कार्यालीन निदेशक	लागू नहीं

के.एम.पी. की जानकारी इस प्रकार है :-

क्र.	नाम	विवरण	वर्ष के दौरान परिवर्तन
1.	श्री विकास रेड्डी	दिनांक 15.01.2024 से सी.एफ.ओ.	लागू नहीं
2.	श्रीमती निधि मिश्रा	दिनांक 15.01.2024 से कम्पनी सचिव	लागू नहीं

45. अखबारी कागज एवं लेखन मुद्रण कागज के विपणन की स्थिति

भारतीय अखबारी कागज एवं लेखन मुद्रण कागज उद्योग का अवलोकन तथा नेपा के लिये भविष्य की संभावनायें

- **भारतीय कागज एवं पल्प बाजार का मूल्य**

  भारत में समाचार पत्र एवं पत्रिका बाजार में राजस्व वर्ष 2025 में 3.01 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है। राजस्व में 1.50% की वार्षिक वृद्धि दर (सी.ए.जी.आर. 2025-2030) प्रदर्शित होने का अनुमान है, जिससे 2030 तक अनुमानित बाजार मात्रा 3.24 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जायेगी। (स्त्रोत : स्टेटिस्टा मार्केट फोरकास्ट)।

- **भारत में अखबारी कागज उद्योग का भविष्य क्या है?**

  भारतीय समाचार पत्र और पत्रिका बाजार 2025 में 4.14 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जिसमें 2025 और 2030 के बीच 2.02% वार्षिक वृद्धि दर होगी, जिससे 2030 तक अनुमानित बाजार मात्रा 4.57 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगी। प्रिंट समाचार पत्र और पत्रिकायें सबसे बड़ा खंड होने की उम्मीद हैं, जिसका बाजार आकार 2025 में 3.01 बिलियन अमेरिकी डॉलर होगा। (स्त्रोत : स्टेटिस्टा मार्केट फोरकास्ट)।

- **भारत में कागज उद्योग के विकास का भविष्य क्या है?**

  भारतीय कागज उद्योग आने वाले वर्षों में मजबूत वृद्धि के लिये तैयार है, जो बड़ती साक्षरता, संगठित खुदरा व्यापक और टिकाऊ पैकेजिंग की माँग से प्रेरित है। पेपरेक्स इंडिया- फ्यूचर ग्रोथ आउटलुक के अनुसार, अनुमान 6-7% वार्षिक वृद्धि दर्शाते हैं और 2030 तक खपत 35 मिलीओन टन तक पहुँचने की उम्मीद है, जबकि वर्तमान अनुमानित स्तर लगभग 24 मिलीओन टन हैं।

- **कागज उत्पादन का भविष्य क्या है?**

  पैकेजिंग, शैक्षणिक सामग्री और स्वच्छता उत्पादों की बड़ती माँग के कारण आने वाले वर्षों में मजबूत वृद्धि की उम्मीद के साथ, भारत में कागज उत्पादन का भविष्य आशाजनक दिख रहा है। बड़ती साक्षरता दर, संगठित खुदरा विकास और तेजी से बड़ते ई -कॉमर्स क्षेत्र जैसे कारकों के कारण, इस उद्योग के 2030 तक 35 मिलियन टन तक पहुँचने का अनुमान है। (स्त्रोत : स्टेटिस्टा मार्केट फोरकास्ट)।

- **क्या भारत में प्रिंट मीडिया जीवित रहेगा?**

  फिक्की-ई.वाई. रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्रिंट मीडिया विज्ञापन राजस्व 2024 में 3.3% बड़ा। (स्त्रोत : फिक्की)

- **अखबारी कागज खण्ड**

  अखबारी कागज खण्ड में भारतीय पेपर उद्योग का लगभग ~15% हिस्सा शामिल है एवं साक्षरता में सुधार तथा स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों के बढ़ते प्रसार के कारण वित्तीय वर्ष 2008-17 के दौरान 3.5% की सी.ए.जी.आर. से बढ़कर 2.6 मिलियन मीट्रिक टन हो गया है। अखबारी कागज खण्ड की संभावना मुख्य रूप से प्रिंट मीडिया उद्योग द्वारा इसकी खपत पर निर्भर करती है। (स्त्रोत : वैल्यू पिकर फोरम)।

- **लेखन कागज खण्ड**

  डाटा ब्रिज मार्केट रिसर्च का विश्लेषण है कि लेखन एवं मुद्रण तथा विशेष कागज बाजार का मूल्य 2021 में 2660.00 मिलियन अमेरिकी डॉलर था और वर्ष 2029 तक 4502.48 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुँचने की उम्मीद है, जो वर्ष 2022 से वर्ष 2029 की अनुमानित अवधि के दौरान 6.80% की सी.ए.जी.आर. दर्ज करेगा।

- **उत्पाद मिश्रण और कच्चे माल के उपयोग में बदलाव**

  उद्योग में कच्चे माल का उपयोग: 71% पुनर्नवीनीकृत रेशा, 21% लकड़ी/बाँस, और 8% कृषि अवशेष-एक मजबूत वृत्ताकार अर्थव्यवस्था मॉडल को दर्शाता है। भारतीय कागज मिलों में उत्पाद उत्पादन: पैकेजिंग बोर्ड (65%), लेखन एवं मुद्रण (23%), अखबारी कागज (5%), टिशू/सुरक्षा कागज (4%), अन्य (3%)। (स्त्रोत्र: आई.पी.एम.ए-2023-24)

- **वैश्विक स्थिति और विकास क्षमता**

  भारत लगभग 5% की हिस्सेदारी और लगभग 22 मिलियन टन प्रति वर्ष के वार्षिक उत्पादन के साथ, विश्व स्तर पर पाँचवाँ सबसे बड़ा कागज उत्पादक है। भारत में प्रति व्यक्ति कागज की खपत 16 किलोग्राम है (वैश्विक औसत 57 किलोग्राम की तुलना में), जो साक्षरता एवं खुदरा पहुँच में वृद्धि के साथ महत्वपूर्ण विकास क्षमता को दर्शाता है। (स्रोत: आई.पी.एम.ए.-2023-24)।

- **नेपा लिमिटेड के लिये क्रियान्वयन**
  - नेपा लिमिटेड 42 जी.एस.एम. अखबारी कागज एवं डब्ल्यू.पी.पी. (56-75 जी.एस.एम.) में अपनी क्षमता के साथ विशिष्ट स्थिति रखती है।
  - निविदाओं एवं शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से डब्ल्यू.पी.पी. की घरेलू मांग को रणनीतिक रूप से लक्षित किया जा सकता है।
  - कैपेक्स (जैसे साइज प्रेस) के साथ चमक, आकार एवं पूर्णता में सुधार करने से नेपा उत्पाद अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे।
  - मूल्य-प्रतिस्पर्धी घरेलू उत्पादन के माध्यम से आयातित अखबारी कागज को प्रतिस्थापित करने का अवसर विद्यमान है।

नेपा लिमिटेड के लिये दृष्टिकोण

- **वर्तमान परिदृष्य**

  वर्ष 2024-25 में, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति एवं भर्ती पर प्रतिबंध के कारण श्रम शक्ति की कमी तथा कार्यशील पूंजी की कमी के कारण उपानुकूलतं उपकरण भार की वजह से कच्चे माल एवं कोयले की खपत में वृद्धि दर्ज की गई।

  (ए) परिचालन कार्यनिष्पादन

  इन चुनौतियों के बावजूद, नेपा लिमिटेड ने आंतरिक अंकेक्षण, ऑपरेटरों का पुनर्प्रशिक्षण, प्रक्रिया अनुकूलन, बॉयलर और टर्बाइन दक्षता में सुधार एवं रणनीतिक क्रय व्यवहारों सहित कई सुधारात्मक उपाय किये हैं। इन पहलों से कोयला, रसायन और बिजली की विशिष्ट खपत में कमी दिखाई देने लगी है।

  पुरानी मशीनों को स्थिर करने की आवश्यकता एवं साइज प्रेस जैसी महत्वपूर्ण बुनियादी संरचना के अभाव के कारण, नेपा लिमिटेड ने अखबारी कागज का उत्पादन जारी रखा, जिससे सतह आकार के डब्ल्यू.पी.पी. श्रेणी का तत्काल व्यवसायिक उत्पादन सीमित हो गया। टी.ई.वी. की सिफारिश के अनुसार, 60% डब्ल्यू.पी.पी. मिश्रण के साथ, लेखन एवं मुद्रण कागज की एक परीक्षण मात्रा का उत्पादन करने के बावजूद, तकनीकी बाधाओं तथा बाजार में प्रवेश की चुनौतियों के कारण एक सतर्क, चरणबद्ध दृष्टिकोण की आवश्यकता पड़ी।

  फिर भी, नेपा ने अपनी पहली गुणवत्ता वाली अखबारी कागज की मालसूची विक्रय कर दी है। कंपनी 60:40 डब्ल्यू.पी.पी.-एन.पी. उत्पादन अनुपात की ओर बढ़ने की प्रक्रिया में हैं, जो आर.एम.डी.पी. के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

  (बी) कार्यशील पूंजी संकट और प्रबंधन प्रयास

  नेपा लिमिटेड लगातार गंभीर कार्यशील पूँजी संकट से जूझ रहा है, जिसका कच्चे माल के क्रय, उपयोगिताओं के रखरखाव एवं नियमित प्रचालन पर गहरा असर पड़ा है। सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए, प्रबंधन सक्रिय रूप से कई उपाय कर रहा है, जिनमें क्रेताओं से अग्रिम राशि प्राप्त करना, परिचालन व्यय को अनुकूलित करना तथा आवश्यक वित्तीय सहायता के लिये प्रशासनिक मंत्रालय के साथ निरंतर संपर्क बनाये रखना शामिल है। रणनीतिक नकदी प्रवाह प्रबंधन, कम मालसूची व्यवहारों तथा वैधानिक एवं पर्यावरणीय दायित्वों के पालन की दिशा में केन्द्रित प्रयास किये जा रहे हैं।

(सी) जनशक्ति संकट एवं प्रबंधन प्रयास

नेपा लिमिटेड वर्तमान में वर्षों से लंबे समय तक भर्ती न होने के कारण कर्मचारियों की भारी कमी का सामना कर रहा हैं। लगभग 4,200 कर्मचारियों की अधिकतम क्षमता से, मार्च 2025 तक कर्मचारियों की संख्या में भारी गिरावट आई है और वित्त वर्ष 2027-28 तक सेवानिवृति के कारण यह संख्या और घटकर 83 रह जाने की उम्मीद है। इससे विद्यमान कर्मचारियों पर काफी दबाव पड़ा है, जो मुख्य कार्यों को जारी रखने के लिये महत्वपूर्ण कार्यों में कमजोर हैं।

स्थिति की गंभीरता को समझते हुए और सरकारी निर्देशों के अनुरूप, प्रबंधन ने एक नियमित जनशक्ति भर्ती समिति का गठन किया है और चयनात्मक भर्ती के लिये आवश्यक पदों की पहचान की हैं। साथ ही, संसाधनों के पुनर्नियोजन, कौशल अनुकूलन एवं नियामक मानदंडों का कड़ाई से पालन जैसें आंतरिक उपाय भी किये जा रहे हैं।

(डी) बुनियादी ढांचे की बाधाएं और मंत्रालय को प्रस्ताव

आर.एम.डी.पी. में पर्याप्त कार्य पूर्ण होने के पश्चात, कुछ महत्वपूर्ण मरम्मत कार्य एवं पुर्जों की कमी ने संयंत्र के निरंतर प्रचालन में बाधायें उत्पन्न की हैं। विद्यमान टीम के अथक प्रयासों के बावजूद, महत्वपूर्ण पुर्जों और वार्षिक रखरखाव अनुबंधों (ए.एम.सी.) के लिये निर्धारित धनराशि के अभाव ने उत्पादन स्थिरता को गंभीर रूप से प्रभावित किया हैं। इस समस्या के समाधान के लिये, भारी उद्योग मंत्रालय को रुपये 248 करोड़ का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं, वित्तीय देनदारियों की पूर्ति, आवश्यक मरम्मत तथा महत्वपूर्ण पुर्जों के प्रावधान, दोनों को सम्मिलित किया गया है। इस बीच, प्रबंधन संयंत्र की सुरक्षा बनाये रखने एवं आंशिक प्रचालन को बनाये रखने के लिये सीमित आंतरिक संसाधनों का उपयोग करते हुए चुनिंदा मरम्मत को प्राथमिकता दे रहा है।

इन बाधाओं के तहत, नेपा प्रबंधन वैकल्पिक विकल्पों की भी तलाश कर रहा है, जैसे कि सक्षम साझेदारों को दीर्घकालीन पट्टे के आधार पर अनुबंध विनिर्माण करना, मौजूदा बुनियादी ढ़ाचे और विनिर्माण सुविधाओ का प्रभावी प्रकार से उपयोग कर सके, ताकि जनजातीय आबादी के रोजगार की सुरक्षा के लिये संयंत्र को चालू रखने की सामाजिक जिम्मेदारी के साथ निर्बाध परिचालन एवं पारंपरिक मूल्य सृजन सुनिश्चित किया जा सके।

निष्कर्ष

वैश्विक बाजारों में नरमी के बावजूद, भारत में अखबारी कागज तथा लेखन एवं मुद्रण कागज का परिद्रश्य आशावादी बना हुआ है। नेपा लिमिटेड संस्थागत और स्थानीय मीडिया की जरूरतों को पूर्ण करने के लिये पूरी तरह तैयार है। मूल्यावर्धित डब्लू.पी.पी. श्रेणी तथा अखबारी कागज के आयात प्रतिस्थापन पर ध्यान केन्द्रित करके, नेपा स्थायी विकास और लाभप्रदता हासिल कर सकती है।

बाजार विस्तार की धीमी गति के बावजूद, नेपा लिमिटेड का वर्तमान प्रबंधन परिचालनों को पुनर्जीवित करने एवं कम्पनी को एक आत्मनिर्भर, भविष्य-तैयार उद्यम के रूप में स्थापित करने लिये प्रतिबद्ध है। गुणवत्ता सुधार, परिचालन दक्षता और रणनीतिक क्रय में केन्द्रित निवेश पहले से ही चल रहा है। एकीकृत लुगदी एवं कागज निर्माताओ के साथ सक्रिय जुड़ाव, टिकाऊ कच्चे माल की रणनीतियों को अपनाने तथा निरंतर वित्तीय अनुशासन के माध्यम से, कम्पनी आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होने के लिये तैयार हैं।

हितधारकों को आश्वस्त किया जा सकता है कि लागू किया जा रहा रोडमैप दीर्घकालीय लाभप्रदता एवं लचीलेपन के अनुरूप है। नेपा लिमिटेड की आधुनिकीकरण पहल, इसकी विरासत विशेषज्ञता तथा सरकारी समर्थन के साथ मिलकर, बदलती बाजार परिस्थितियों में फलने-फूलने की इसकी क्षमता में विश्वास को मजबूत करती है।

47. लागत अभिलेखों का अनुरक्षण

विनिर्दिष्ट खाते निर्मित एवं अनुरक्षित किये गये हैं।

48. मण्डल के निष्पादन का मूल्यांकन

निगमित संबंधी सार्वजनिक मामलों के मंत्रालय के द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसार, सरकारी कम्पनियों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (पी) के प्रावधानों के पालन से छूट प्राप्त है।

चूँकि नेपा लिमिटेड एक सरकारी कम्पनी है, इसलिये यथा वर्णित निदेशक के प्रतिवेदन के भाग के रुप में सम्मिलित नहीं है।

49. पूँजी संरचना

कम्पनी की अधिकृत एवं चुकता पूँजी क्रमशः रुपये 800 करोड़ तथा रुपये 694.32 करोड़ है।

50. ई-प्रोक्योरमेंट/इंटीग्रिटी पैक्ट

संगठन में ई-प्रोक्योरमेंट सुविधा विद्यमान है। मेसर्स एन.आई.सी. (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र), नई दिल्ली ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल के लिये सेवा प्रदाता है। सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट/GeM पोर्टल के माध्यम से ई-निविदायें आमंत्रित की जा रही हैं। इंटीग्रिटी पैक्ट लागू किया गया है। रुपये 2 करोड़ से अधिक की सभी निविदाओं के लिये इंटीग्रिटी पैक्ट के कार्यान्वयन की निगरानी के लिये आई.ई.एम. (स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर्स) को नियुक्त किया गया है।

51. पारिश्रमिक नीति

नेपा लिमिटेड में, अधिकारियों के लिये वेतन एवं अन्य लाभ भारत सरकार के भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रपति के निर्देशों पर आधारित है। दिनांक 01.01.1997 से प्रभावी अंतिम वेतन पुनरीक्षण मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 7(8)/2009-पी.ई. VII दिनांक 25.09.2012 के अनुसार किया गया था एवं नेपा लिमिटेड में इसे 29.03.2013 को लागू किया गया है। सी.पी.एस.ई. के मण्डल स्तर एवं उससे नीचे के अधिकारियों एवं नॉन-यूनियनाईज्ड सुपरवायजरों के वेतन पुनरीक्षण के लिये एम.एच.आई. ने वेतन पुनरीक्षण लागू करने के लिये राष्ट्रपति के निर्देश जारी किये हैं। किन्तु दिनांक 01.01.2007 एवं दिनांक 01.01.2017 से प्रभावी वेतन पुनरीक्षण का कार्यान्वयन अभी भी लंबित है।

52. अंकेक्षकों एवं पी.सी.एस. द्वारा अपने प्रतिवेदन में योग्यता, आरक्षण या प्रतिकूल टिप्पणियों या अस्वीकरण पर स्पष्टीकरण या टिप्पणियाँ

वैधानिक अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं सचिवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन पर प्रबंधन का उत्तर निदेशकों का प्रतिवेदन का हिस्सा है।

53. डिजिटलीकरण, कम्पनी की वेबसाइट से लिंक, ई.आर.पी., विडियो कॉन्फ्रेंसिंग, बिल मार्गन इत्यादि।

(ए) **नेपा में डिजिटलीकरण :** भारत सरकार की "डिजिटल इंडिया" पहल के अनुरूप एवं पारदर्शिता बढ़ाने, कम्पनी के प्रचालन की दक्षता में सुधार करने के लिये पिछले कुछ वर्षों में कई प्रमुख पहल लागू की गई हैं, जिनमें कुछ नाम हैं, वस्तुओं एवं सेवाओं, ई.आर.पी. एवं कारखाने के लिये ई-प्रोक्योरमेंट शामिल है। कम्पनी अपने अंशधारकों के साथ अपना वार्षिक प्रतिवेदन, साधारण सभा एवं वेबसाइट द्वारा प्रकटीकरण के माध्यम से संवाद करती है, जिसे नेपा की आधिकारिक वेबसाइट www.nepamills.nic.in पर देखा जा सकता है। जानकारी एवं नवीनतम अपडेट एवं कम्पनी द्वारा की गई घोषणायें कम्पनी की वेबसाइट www.nepamills.nic.in पर देखी जा सकती हैं, जिसमें कम्पनी पार्श्विका/नेपा का संगठनात्मक इतिहास, संकल्पना एवं लक्ष्य, वार्षिक प्रतिवेदन, प्रबंधन के संदेश, नवीनतम निविदायें, फोटो गैलेरी, संयंत्र इत्यादि शामिल हैं।

(बी) विडियो कॉन्फ्रेंसिंग : विडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग नेपा में दिन-प्रतिदिन के कामकाज, गतिविधियों की निगरानी, संयंत्र/विभागों के निष्पादन की समीक्षा, मण्डल बैठकें आयोजित करने, कर्मचारियों को प्रशिक्षण आदि के लिये किया जाता है। विडियो कॉन्फ्रेंसिंग उत्पादकता बढ़ाने, समय बचाने, यात्रा व्यय को कम करने में महत्वपूर्ण कारक रही है।

54. आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

आपकी कम्पनी में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन किया जाता है। आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अनुसार, एक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी (सी.पी.आई.ओ.) एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफ.ए.ए.) को नामित किया गया है। वांछित जानकारी निर्धारित समय के भीतर प्रदान की जाती है।

55. प्रशिक्षण एवं विकास

आज का व्यावसायिक परिवेश बेहद अप्रत्याशित है। इस परिवेश में फलने-फूलने के लिये निरंतर प्रशिक्षण एवं विकास से कर्मचारियों को किसी भी उद्योग में विभिन्न भूमिकाओं एवं जिम्मेदारियों में बदलाव में सहायता मिलती है। मानव संसाधन विकास के भाग के रूप में कम्पनी ने सदैव विभिन्न स्तरों पर निरंतर प्रशिक्षण एवं विकास की संस्कृति को बढ़ावा दिया है एवं कम्पनी के मानव संसाधन पेशेवरों ने ऐसे कार्यस्थलों को आकार दिया है, जो व्यक्तियों को आगे बढ़ाने के लिये सशक्त बनाते हैं, जिससे व्यक्तिगत उत्थान एवं संगठनात्मक समृद्धि दोनों होती है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, कम्पनी ने जी.एफ.आर., क्षमता निर्माण के अंतर्गत क्रय, आचरण नियम, नैतिकता एवं शासन (सतर्कता जागरूकता अभियान के अंतर्गत), क्रय एवं नेपा लिमिटेड सी.डी.ए. नियम, 1979 पर प्रस्तुति पर 11 आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये हैं, जिनमें 295 कर्मचारियों ने भाग लिया। कम्पनी "प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना" के साथ-साथ "स्वच्छ भारत अभियान" को भी आगे बढ़ा रही है।

कर्मचारियों को उनके कार्य के संबंधित क्षेत्रों में संगोष्ठी एवं सम्मेलनों में भाग लेने के अवसर भी दिये जाते हैं। दिन-प्रतिदिन के प्रशिक्षणों के अतिरिक्त, कम्पनी ने ज्ञान साझाकरण सत्र भी आयोजित किये हैं, जिसमें सभी इकाइयों एवं कार्यालयों के कर्मचारियों ने भाग लिया। ये सत्र सामूहिक ज्ञान को बढ़ाते है तथा कर्मचारी बहुमूल्य जानकारी तक पहुँच प्राप्त कर सकते हैं एवं बेहतर उत्पादकता प्रदान कर सकते हैं।

56. आभार

भारी उद्योग मंत्रालय, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय, भारत सरकार तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर दी गई सहायता एवं सतत सहायता के लिये मण्डल हृदय से आभार व्यक्त करता है। पी.एस.यू. के पूरे स्पेक्ट्रम में से, आपकी कम्पनी एकमात्र है जिसे पुनरुद्धार पैकेज स्वीकृत किया गया है। निदेशक मण्डल इस समर्थन के लिये आभारी है। निदेशकगण, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, वैधानिक अंकेक्षकों एवं सचिवीय अंकेक्षकों को भी उनके मूल्यवान सुझावों और मार्गदर्शन के लिये आभार व्यक्त करते है। निदेशकगण ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं, एवं बैंकर्स का भी उनके द्वारा प्रदत्त लगातार संरक्षण एवं सहायता के लिये आभार ज्ञापित करते हैं। मण्डल अपने अंशधारियों का भी धन्यवाद ज्ञापित करता है, जिन्होंने पिछले कई वर्षों से आज तक कोई लाभ न मिलने के बावजूद अपना धैर्य बनाये रखा। उनकी सहायता ने कम्पनी को अपने कठिनाई भरे वर्षों में अपरिमित शक्ति प्रदान की।

निदेशक मण्डल कर्मचारियों द्वारा सभी स्तरों पर कम्पनी के प्रचालन के सुगम संचालन और आधुनिकीकरण परियोजना के लिये उनके गम्भीर प्रयासों और योगदानों के लिये सराहना व्यक्त करता है।

निदेशक मण्डल उन सभी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कम्पनियों की सराहना करता है, जो कम्पनी के आधुनिकीकरण परियोजना में योगदान दे रही है।

निदेशक मण्डल की ओर से तथा उनके लिये

हस्ता./-
कमोडोर अरविंद वढेरा (सेवानिवृत्त), वी.एस.एम.)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डी.आई.एन. : 1104498

हस्ता./-
प्रदीप कुमार नाईक
निदेशक (वित्त)
(अतिरिक्त प्रभार)
डी.आई.एन. : 08676709

दिनांक : 07.08.2025
स्थान : नई दिल्ली

निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक-I

दिनांक 31.03.2025 को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/भूतपूर्व सैनिकों/अ.पि.व. इत्यादि के संबंध में रोजगार की स्थिति

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व

समूह	कुल कर्मचारियों की संख्या	अनुसूचित जाति की संख्या	%	अनुसूचित जनजाति की संख्या	%	अन्य पिछड़े वर्ग की संख्या	%
ए.	35	3	8.57	0	0.00	11	**31.43**
बी.	91	7	7.69	3	3.30	13	**14.29**
सी.	-	-	-	-	-	-	**-**
डी.	**5**	**5**	**100**	**-**	**-**	**-**	**-**

2. भूतपूर्व सैनिकों का प्रतिनिधित्व

समूह	कुल कर्मचारियों की संख्या	विकलांग भूतपूर्व सैनिक	%	युध्द में मारे गये भूतपूर्व सैनिक के आश्रित	%	अन्य भूतपूर्व सैनिक	%
ए.	35	-	-	-	-	-	**-**
बी.	91	-	-	-	-	-	**-**
सी.	-	-	-	-	-	-	**-**
डी.	**5**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

3. शारीरिक विकलांग व्यक्तियों (पी.डब्ल्यू.डी.) का प्रतिनिधित्व

समूह	कुल कर्मचारियों की संख्या	शारीरिक विकलांग की संख्या	शारीरिक विकलांगों की श्रेणी
ए.	35	0	**-**
बी.	91	0	**-**
सी. एवं डी.	**5**	**0**	**-**

निदेशकों के प्रतिवेदन का अनुलग्नक-II

दिनांक 31.03.2025 को महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व

	वेतनमान (रुपये)	कर्मचारियों की संख्या	महिला कर्मचारियों की संख्या	%
ए.	**अधिकारी**			
	22500-27300	0	0	**0**
	20500-25000	1	0	**0**
	18500-23900	1	0	**0**
	17500-22300	3	0	**0**
	16000-20800	7	0	**0**
	14500-18700	3	0	**0**
	13000-18250	11	1	**9.09**
	10750-16750	8	0	**0**
	8600-14600	1	0	**0**
	6550-11350	29	4	**13.79**
योग ए		**64**	**5**	**7.81**
बी.	**नॉन-यूनियनाइज्ड सुपरवायजर्स**			
	6000-9040	35	1	2.86
योग बी		**35**	**1**	**2.86**
सी.	**कर्मचारी**			
	5900-8845	0	0	**0**
	5800-8760	32	2	**6.25**
	5650-8680	0	0	**0**
	5350-8350	0	0	**0**
	5250-8060	0	0	**0**
	4850-7600	0	0	**0**
	4650-7200	0	0	**0**
	4450-6800	0	0	**0**
	4300-6450	0	0	**0**
	4200-6150	0	0	**0**
योग सी		**32**	**2**	**6.25**
कुल योग (ए+बी+सी)		**131**	**8**	**6.11**

अनुलग्नक-III

प्रपत्र "ए"

(ऊर्जा संरक्षण के संदर्भ में विवरणों के खुलासे के लिये प्रपत्र)

क्र.	विवरण	इकाई	2024-25	2023-24
I	**अखबारी कागज**			
	विद्युत और ईंधन का उपभोग			
	1. विद्युत			
	(ए) क्रय की गई इकाई (म.प्र.वि.म. ग्रिड)	के.डब्ल्यू.एच.	8781650	9835450
	कुल राशि	रुपये लाख	809.94	884.52
	लागत/इकाई	रुपये	9.22	9.00
	(बी) निजी उत्पादन इकाई			
	(i) पावर हाउस	के.डब्ल्यू.एच.	9575300	30135100
	(ii) डी.जी. सेट	के.डब्ल्यू.एच.	300	1363
	(सी) कुल इकाई (ए + बी)		18357250	39971913
	2. पावर हाउस में प्रयुक्त कोयला			
	मात्रा	मी.टन	16292	49925
	कुल लागत	रुपये लाख	996.75	3089.20
	औसत दर	रुपये/मी.टन	6118.10	6187.68
	3. ईंधन तेल : डीजल			
	मात्रा	कि.ली.	1.20	2.10
	कुल राशि	रुपये लाख	1.12	2.02
	औसत दर	रुपये/कि.ली.	93.40	96.40
	4. अन्य/आंतरिक उत्पादन		निरंक	निरंक
	उत्पादन की प्रति इकाई खपत			
	अखबारी कागज उत्पादन	मी.टन	6788	21607
	लेखन एवं मुद्रण कागज उत्पादन	मी.टन	निरंक	1749
	बिजली (क्रय की गई)	के.डब्ल्यू.एच./टन	1293.70	421.11
	बिजली (निजी उत्पादन)	के.डब्ल्यू.एच./टन	1410.66	1290.30
	कागज को कोयला प्रति टन	(किलोग्राम/टन)	2.40	2.13
	ईंधन तेल	(लीटर/टन)	निरंक	निरंक

प्रपत्र "बी"

(प्रौद्योगिकी आत्मसातीकरण के संदर्भ में विवरणों के खुलासे के लिये प्रपत्र)

(ए)	**अनुसंधान एवं विकास (आर. एण्ड डी.) गतिविधियाँ**	
1.	विशिष्ठ क्षेत्र, जिनमें अनुसंधान व विकास किया जाना हैं।	**उत्पादन की गुणवत्ता में वृद्धि :** (ए) प्रक्रिया अनुकूलन के माध्यम से रसायनों के उपयोग को न्यूनतम करना। (बी) विनिर्माण प्रक्रियाओं को उन्नत करने के लिये पिछले वर्ष के दौरान खरीदे गये आधुनिक प्रयोगशाला उपकरणों का लाभ उठाना। (सी) उत्पादन के प्रदर्शन से समझौता किये बिना पर्यावरण-अनुकूलन उत्पादन तकनीकों पर जोर देना।
2.	उपरोक्त अनुसंधान एवं विकास के परिणामस्वरुप प्राप्त लाभ।	(ए) पुनर्चक्रित कच्चे माल का उपयोग : • उत्पादन में लागत क्षमता सुधार। • पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ विनिर्माण प्रथाओ को बड़ावा। (बी) मौलिक क्लोरीन मुक्त (ई.सी.एफ.) विरंजन प्रकियाओं को अपनाना: • विरंजन के लिए सोडियम हाइड्रोसल्फाइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग। • हानिकारक अपशिष्टों में उल्लेखनीय कमी, जिससे हरित संचालन में योगदान मिलता है।

3.	भविष्य की कार्य योजना	(ए) बी.ए.आर.सी. के साथ प्रारम्भिक परियोजना प्रगति पर है • बायोगैस उत्पादन के लिये केले के पेड़ से बचे हुये अवशेष का उपयोग। • बायोमास से ऊर्जा रूपांतरण के लिये प्रौद्योगिकी एवं सहयोग की संभावनाओ का पता लगाना। • बायोमास परियोजना के तहत सतत ऊर्जा उत्पादन क्षमता की पहचान करना। (बी) निम्नलिखित पर निरंतर शोध : • कच्चे माल एवं रासायनिक इनपुट के विभिन्न संयोजकों का परीक्षण। • उन्नत संयंत्र अवसंरचना के अंतर्गत प्रभावी एवं किफायती प्रसंस्करण के लिये रासायनिक उपयोग का अनुकूलन - जिसमें नव स्थापित डी-इंकिंग प्लांट तथा पुननिर्मित पेपर मशीन है। (सी) स्थायित्व लक्ष्य : • उत्पादित कागज के प्रति टन पानी की खपत में कमी लाने का लक्ष्य। • प्रचलित उद्योग मानकों के अनुसार अपशिस्ट उपचार संयंत्र (इ.टी.पी.) में शून्य द्रव निर्वहन (जेड.एल.डी.) मानदंडों के अनुपालन का समर्थन करना।
4.	अनुसंधान व विकास का व्यय	(ए) पूँजी - शून्य (बी) आवर्ती - शून्य (सी) कुल - शून्य
(बी)	प्रौद्योगिकी आत्मसातीकरण, अनुकुलन एवं नवीनीकरण	(ए) संयंत्र ने चमक एवं अन्य प्रमुख मानकों के वांछित मानकों को पूर्ण करने के पश्चात, बेहतर गुणवत्ता वाले अखबारी कागज का उत्पादन सफलतापूर्वक प्रारंभ कर दिया है। (बी) भविष्य में, नेपा लिमिटेड, बाजार की उभरती मांगों को पूर्ण करने के लिये लेखन एवं मुद्रण श्रेणी कागज का उत्पादन प्रारंभ करके अपने उत्पादन विभाग में विविधता लाने की योजना बना रहा हैं।
(सी)	विदेशी मुद्रा अर्जन एवं निर्गमन	कम्पनी ने अपने उत्पादों एवं सेवाओं के लिये बाजारों की अन्वेषण सहित निर्यात को बढ़ावा देने के लिये रणनीतिक पहल की है। इस रणनीति के अनुरूप, नेपा लिमिटेड ने भारत सरकार की ई.पी.सी.जी. (निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तुयें) योजना के अंतर्गत उन्नत संयंत्र एवं मशीनरी का आयात किया है। रुपये 26 करोड़ मूल्य के ई.पी.सी.जी. लाईसेंस प्राप्त किये गये हैं, जिनसे लाइसेंस मूल्य का छह गुना निर्यात दायित्व बनता है। इस निर्यात दायित्व को पूर्ण करने के लिये, कम्पनी ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों एवं बाजार की प्राथमिकताओं के अनुरूप गुणवत्ता में और सुधार के पश्चात, अखबारी कागज तथा लेखन एवं मुद्रण कागज सहित तैयार कागज उत्पादो का निर्यात करने की योजना बनाई है।
(डी)	कुल विदेशी मुद्रा अर्जन एवं निर्गमन	(i) अर्जन - शून्य (ii) उपयोग (ओ.आई.एन. की अधिप्राप्ति) - शून्य

निदेशक मण्डल की ओर से तथा उनके लिये

हस्ता./-
कमोडोर अरविंद वढेरा (सेवानिवृत्त), वी.एस.एम.)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डी.आई.एन. : 1104498

हस्ता./-
प्रदीप कुमार नाईक
निदेशक (वित्त)
(अतिरिक्त प्रभार)
डी.आई.एन. : 08676709

दिनांक : 07.08.2025
स्थान : नई दिल्ली

अनुलग्नक-IV

निगमित शासन

आपकी कम्पनी निगमित शासन की सर्वोत्तम वैश्विक प्रणाली को अपनाने के लिये वचनबध्द है। कम्पनी के कार्यों में स्पष्ट की गई निगमित शासन की अपने सम्पूर्ण अंशधारियों के मूल्य और हितों को प्राप्त करने की है।

कम्पनी के निदेशक मण्डल ने केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के लिये सार्वजनिक उपक्रम विभाग द्वारा लागू की गई निगमित शासन की निर्देशिका को विकसित एवं अपना लिया है। मण्डल ने यह सुनिश्चित किया है कि कम्पनी के पास आवश्यक नियामक साधन हो ताकि वित्तीय स्थिति, कार्य निष्पादन, स्वामित्व एवं कम्पनी की शासन से संबंधित सूचनायें समय एवं यथार्थता के साथ प्रकट की जा सके।

केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के लिये निगमित शासन पर आवश्यक दिशा-निर्देशों के अनुसार निगमित शासन पर प्रतिवेदन नीचे दिया गया है :-

1. कम्पनी की दार्शनिक प्रणाली

निगमित शासन पर नेपा लिमिटेड की दार्शनिक प्रणाली, इसके समस्त संचालन में पारदर्शिता, ईमानदारी एवं सुनीति के उच्चतम स्तर प्राप्त करने का प्रयास है। कम्पनी को विश्वास है कि अनुकूल निगमित शासन दीर्घावधि निगमित लक्ष्य और ग्राहकों का प्रति मूल्य पाने के लिये आवश्यक है। कम्पनी का व्यावसायिक लक्ष्य उत्पादन एवं इसके उत्पाद का विपणन इस प्रकार करना है ताकि प्रभावोत्पादकता का सृजन हो जिससे अंशधारियों, कर्मचारियों, ग्राहकों, सरकार एवं ऋणदाता सहित स्टेकहोल्डरों पर दीर्घावधि प्रभाव कायम रखा जा सके।

2. निदेशक मण्डल

(i) निदेशकों का संयोजन एवं संवर्ग

मण्डल का आकार

नेपा लिमिटेड धारा 2 (45) एवं कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत एक सरकारी कम्पनी है। कम्पनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुसार, निदेशकों की नियुक्ति का अधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है। तदनुसार, नेपा लिमिटेड के समस्त निदेशकगण भारी उद्योग मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किये जाते हैं।

कम्पनी के अनुच्छेद के अनुसार, कम्पनी के निदेशकों की संख्या 3 से कम नहीं होंगी।

3. **मण्डल का संयोजन**

दिनांक 31.03.2025 को नेपा लिमिटेड के निदेशक मण्डल में 5 निदेशक सम्मिलित हैं, उनमें से अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं निदेशक (वित्त) सहित 2 पूर्णकालिक निदेशक हैं एवं दो (2) सरकार द्वारा नामित निदेशक (एक भारत सरकार द्वारा नामित एवं दूसरे मध्यप्रदेश शासन द्वारा नामित) एवं एक स्वतंत्र निदेशक है।

मण्डल की बैठकें

वर्ष 2024-25 के दौरान, मण्डल ने 6 बैठकें, दिनांक 03.05.2024, 07.08.2024, 18.10.2024, 14.11.2024, 08.01.2025 एवं 13.02.2025 को आयोजित की।

वर्ष 2024-25 के लिये निदेशक मंडल की बैठक एवं वार्षिक साधारण सभा में निदेशकों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है :-

निदेशकगणों का नाम	श्रेणी	मण्डल बैठक आयोजित	मण्डल की बैठक में सहभागिता का अधिकार	मण्डल बैठक में सहभागिता	पिछली ए.जी.एम. में उपस्थिति
श्री राकेश कुमार चोखानी	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	6	6	6	हाँ
डॉ. रेणुका मिश्रा	अंशकालिक कार्यालीन निदेशक	6	6	6	नहीं
श्री पी.के. नाईक	निदेशक (वित्त)	6	6	6	हाँ
श्री अतुल कुमार मिश्रा	अंशकालिक कार्यालीन निदेशक	6	6	3	नहीं
श्री मिलिंद शरदचन्द्र कनाड़े	स्वतंत्र निदेशक	6	6	6	हाँ

अन्य सार्वजनिक कम्पनियों में उनके निदेशक एवं अध्यक्ष/मण्डल समितियों की सदस्यता का विवरण, जिसमें वे दिनांक 31.03.2025 को निदेशक हैं, स्थिति दर्शाने वाला विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	निदेशकगणों का नाम	अन्य सार्वजनिक कम्पनियों में निदेशकत्व	समिति के पदों पर कायम	
1.	[1]श्री राकेश कुमार चोखानी	निरंक	-	-
2.	[2]कमोडोर अरविंद वढेरा	निरंक	-	-
3.	[3]डॉ. रेणुका मिश्रा	1. एच.एम.टी. मशीन टूल्स लिमिटेड 2. एच.एम.टी. लिमिटेड 3. एच.एम.टी. (इंटरनेशनल) लिमिटेड 4. एच.एम.टी. वाचेस लिमिटेड 5. नेपा लिमिटेड 6. सीमेंट कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया 7. राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स & इन्स्ट्रूमेंट्स लिमिटेड 8. ब्रिज & रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड 9. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड 10. स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड	-	-
5.	श्री मिलिंद शरदचन्द्र कनाड़े	निरंक	-	-
6.	श्री अतुल कुमार मिश्रा	मध्यप्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड		
7.	[4]श्री पी.के. नाईक	वर्तमान में ए.जी.एम. (वित्त) बी.एच.ई.एल., भोपाल के रूप में पदनामित	-	-

[1]दिनांक 16.04.2025 को कार्यकाल समाप्त।

[2]दिनांक 16.04.2025 को अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किये गये।

[3]दिनांक 22.07.2024 से नेपा लिमिटेड में अंशकालिक कार्यालीन निदेशक के रूप में नियुक्त।

[4]दिनांक 02.05.2025 से और एक वर्ष का विस्तार किया गया है।

4. निदेशक मण्डल की समितियाँ

मण्डल ने मण्डल की निम्नलिखित समिति का गठन किया है :-

1. अंकेक्षण समिति
2. स्टेकहोल्डर्स संबंध समिति
3. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

अंकेक्षण समिति संयोजन

परिच्छेद 292ए के अनुसरण में, कम्पनी ने दिनांक 18.08.2003 से अपने निदेशक मण्डल में से अंकेक्षण समिति का गठन किया है। अंकेक्षण समिति का समय-समय पर पुनर्गठन किया जाता है, ताकि निगमित शासन के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में स्वतंत्र निदेशकों को सम्मिलित किया जा सके। अंकेक्षण समिति कम्पनी के लेखा, अंकेक्षण एवं प्रतिवेदित व्यवहारों की गुणवत्ता तथा प्रामाणिकता की निगरानी के लिये और वैधानिक एवं नियामक आवश्यकताओं के साथ इनके अनुपालन के लिये मण्डल की जवाबदारी में सहायता करती है। समिति का उद्देश्य कम्पनी की लेखा एवं वित्तीय प्रतिवेदनों की प्रक्रिया, कम्पनी के अंकेक्षण, वित्तीय विवरणों, स्वतंत्रता, वैधानिक अंकेक्षकों का कार्य निष्पादन एवं पारिश्रमिक, आंतरिक अंकेक्षकों का कार्यनिष्पादन, कम्पनी की जोखिम प्रबंधन नीतियों इत्यादि की देखरेख करना है।

अंकेक्षण समिति की संरचना एवं सदस्यों द्वारा भाग लेने वाली बैठकों की संख्या निम्नानुसार है :-

1.	श्री मिलिंद शरदचन्द्र कनाड़े	अध्यक्ष
2.	श्री अतुल कुमार मिश्रा	सदस्य
3.	श्री पी.के. नाईक	सदस्य

1. श्री अतुल कुमार मिश्रा, दिनांक 20.04.2023 से सदस्य के रूप में (दिनांक 20.04.2023 से दिनांक 28.08.2023 तक अध्यक्ष के रूप में)
2. श्री मिलिंद शरदचन्द्र कनाड़े, दिनांक 28.08.2023 से अध्यक्ष के रूप में
3. श्री पी.के. नाईक, दिनांक 25.09.2020 से सदस्य के रूप में

वर्ष 2024-25 के दौरान, मण्डल ने 3, दिनांक 07.08.2024, 14.11.2024 एवं 08.01.2025 को बैठकें आयोजित की।

सदस्यों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार हैं :-

निदेशक का नाम	श्रेणी	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठक में सहभागिता का अधिकार	बैठकों में भागीदारी की संख्या
श्री मिलिंद शरदचन्द्र कनाड़े	स्वतंत्र निदेशक (अध्यक्ष)	3	3	3
श्री अतुल कुमार मिश्रा	नामित निदेशक (सदस्य)	3	3	1
श्री पी.के. नाईक	निदेशक (वित्त) (सदस्य)	3	3	3

स्टेकहोल्डर्स संबंध समिति

स्टेकहोल्डर्स संबंध समिति अंशों के हस्तांतरण एवं पंजीयन के संबंध में अंश हस्तांतरण/पारगमन, अवास्तविक अंश प्रमाण पत्रों के निर्गमन, विभाजन एवं समेकन अनुरोध तथा अन्य मामलों के अनुमोदन का व्यवहार करती है।

स्टेकहोल्डर्स संबंध समिति का संयोजन निम्नानुसार है :-

1.	श्री मिलिंद शरदचन्द्र कनाड़े	अध्यक्ष
2.	श्री अतुल कुमार मिश्रा	सदस्य
3.	श्री पी.के. नाईक	सदस्य

1. श्री अतुल कुमार मिश्रा, दिनांक 20.04.2023 से सदस्य के रूप में (दिनांक 20.04.2023 से दिनांक 28.08.2023 तक अध्यक्ष के रूप में)
2. श्री मिलिंद शरदचन्द्र कनाड़े, दिनांक 28.08.2023 से अध्यक्ष के रूप में
3. श्री पी.के. नाईक, दिनांक 20.04.2023 से सदस्य के रूप में

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कोई बैठक आयोजित नहीं की गई थी।

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, जिसमें कम्पनी के गैर-अधिशासी निदेशकगण सम्मिलित है। समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों के नाम निम्नानुसार हैं :-

1.	श्री मिलिंद शरदचन्द्र कनाड़े	अध्यक्ष
2.	श्री अतुल कुमार मिश्रा	सदस्य
3.	श्री पी.के. नाईक	सदस्य

1. श्री अतुल कुमार मिश्रा, दिनांक 20.04.2023 से सदस्य के रूप में (दिनांक 20.04.2023 से दिनांक 28.08.2023 तक अध्यक्ष के रूप में)
2. श्री मिलिंद शरदचन्द्र कनाड़े, दिनांक 28.08.2023 से अध्यक्ष के रूप में
3. श्री पी.के. नाईक, दिनांक 25.09.2020 से सदस्य के रूप में

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान एक बैठक दिनांक 07.08.2025 को आयोजित की गई है। सदस्यों की उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार हैं :-

निदेशक का नाम	**श्रेणी**	**आयोजित बैठकों की संख्या**	**बैठक में सहभागिता का अधिकार**	**बैठकों में भागीदारी की संख्या**
श्री मिलिंद शरदचन्द्र कनाड़े	स्वतंत्र निदेशक (अध्यक्ष)	1	1	1
श्री अतुल कुमार मिश्रा	नामित निदेशक (सदस्य)	1	1	0
श्री पी.के. नाईक	निदेशक (वित्त) (सदस्य)	1	1	1

5. साधारण सभा की बैठक

वर्ष	**दिनांक**	**समय**	**अवस्थिति**	**विशेष संकल्प पारित**
2019-20	30.12.2020	अपराह्न 4.00 बजे	नेपा लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय, नेपानगर - 450221 (म.प्र.)	**हाँ**
2020-21	30.12.2021 तक बढ़ाई गई सभा का आयोजन 14.03.2022 को किया गया	अपराह्न 4.00 बजे	नेपा लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय, नेपानगर - 450221 (म.प्र.)	**नहीं**
2021-22	21.12.2022	अपराह्न 4.00 बजे	नेपा लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय, नेपानगर - 450221 (म.प्र.)	**हाँ**
2022-23	24.11.2023	अपराह्न 4.00 बजे	नेपा लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय, नेपानगर - 450221 (म.प्र.)	**नहीं**
2023-24	**26.10.2024**	**अपराह्न 5.00 बजे**	**नेपा लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय, नेपानगर - 450221 (म.प्र.)**	**नहीं**

पिछले तीन वर्षों में वार्षिक साधारण सभा में पारित विशेष संकल्प का विवरण

वित्तीय वर्ष	दिनांक एवं समय	स्थान	विशेष संकल्प पारित
2021-22	21.12.2022 अपराह्न 4.00 बजे	नेपा लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय, नेपानगर - 450221 (म.प्र.)	1. कम्पनी के संघ के ज्ञापन के नये खण्ड को अपनाना 2. साम्य अंशों का निर्गमन एवं आवंटन
2022-23	24.11.2023, अपराह्न 4.00 बजे	नेपा लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय, नेपानगर - 450221 (म.प्र.)	लागू नहीं
2023-24	**26.10.2024, अपराह्न 5.00 बजे**	**नेपा लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय, नेपानगर - 450221 (म.प्र.)**	लागू नहीं

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये वार्षिक साधारण सभा :

दिनांक एवं दिवस	शनिवार, 30.08.2025
माध्यम	ऑनलाइन माध्यम
समय	अपराह्न 5:00 बजे
स्थान	नेपा लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय, नेपानगर 450221 (म.प्र.)

6. प्रकटन

(i) वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कार्यकारी निदेशकों का पारिश्रमिक का भुगतान का विवरण निम्नानुसार है :-

(राशि रुपये में)

क्रमांक	**विवरण**	**अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री राकेश कुमार चोखानी**	**निदेशक (वित्त) श्री प्रदीप कुमार नाईक**
ए.	वेतन एवं भत्ते	निरंक	निरंक
बी.	पी.एफ. में अंशदान	निरंक	निरंक
सी.	अन्य हितलाभ	निरंक	निरंक
	योग	**निरंक**	**निरंक**

अंशकालीक गैर-आधिकारिक (स्वतंत्र) निदेशक

अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशकों के पास कोई आर्थिक माल संबंधी अथवा कम्पनी तथा इसके प्रबंधन के साथ कोई व्यवहार नहीं है। उन्होंने अधिवेशन फीस के अलावा कोई पारिश्रमिक/कमेशन प्राप्त नहीं किया है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कुल अधिवेशन फीस का भुगतान रुपये 26,000/- है।

(ii) पार्टी के व्यवहार से संबंधित कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य, जिसका बड़े पैमाने पर कम्पनी के हित में कोई सम्भावित विरोध हो, का खुलासा :

वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी में ऐसा कोई व्यवहार नहीं हुआ है।

(iii) विगत तीन वर्षों के दौरान कम्पनी द्वारा अपालन, शास्ति, सरकार द्वारा जारी कोई दिशा-निर्देशों से संबंधित किसी विषय पर कोई वैधानिक प्राधिकारी द्वारा कम्पनी पर आक्षेप लगाना इत्यादि का विवरण :

निरंक

(iv) व्हिसील ब्लोवर नीति और अभिपुष्टि ऐसी हो कि कोई भी कार्मिक अंकेक्षण समिति में सम्मिलित होने के लिये मना नहीं करें :

वर्ष के दौरान कम्पनी को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई और किसी भी व्यक्ति को अंकेक्षण समिति तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया।

7. संसूचना का साधन

कम्पनी ने अपने अंशधारियों को वार्षिक प्रतिवेदन, साधारण सभा और वेबसाइट द्वारा प्रकटीकरण के माध्यम से सूचित किया है। कम्पनी के संबंध में सूचना एवं नवीनतम अद्यतन जानकारी के लिये कम्पनी की वेबसाइट www.nepamills.nic.in पर सम्पर्क साध सकते हैं।

8. आचार संहिता

सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डी.पी.ई.) द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों के लिये जारी निगमित शासन पर दिशा-निर्देशों के अनुपालन में "नेपा लिमिटेड के वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों एवं मण्डल के सदस्यों के लिये व्यापार आचरण एवं नैतिक संहिता" निर्मित कर दिनांक 06.08.2013 से प्रभावी की जा चुकी है। इस संहिता को अधिकारियों के लिये आचरण, अनुशासन एवं अपील नियमावली के साथ संयोजन कर पढ़ा जाये। इस संहिता का प्रयोजन कम्पनी के मामलों के प्रबंध में पारदर्शी प्रक्रिया और नैतिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देना है। यह आचार संहिता निम्नलिखित पर लागू है :

(ए) समस्त पूर्णकालिक निदेशकगण

(बी) विधि के प्रावधानों के तहत स्वतंत्र निदेशकगण के साथ समस्त अंशकालिक निदेशकगण एवं

(सी) वरिष्ठ प्रबंधन (विभागाध्यक्ष)

निदेशक मण्डल की ओर से तथा उनके लिये

हस्ता./-
कमोडोर अरविंद वढेरा (सेवानिवृत्त), वी.एस.एम.)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डी.आई.एन. : 1104498

हस्ता./-
प्रदीप कुमार नाईक
निदेशक (वित्त)
(अतिरिक्त प्रभार)
डी.आई.एन. : 08676709

दिनांक : 07.08.2025
स्थान : नई दिल्ली

अंकुर चौकसे & एसोशिएट्स
कम्पनी सचिव

निगमित शासन अनुपालन प्रमाण पत्र

सेवा में,
सदस्यगण,
नेपा लिमिटेड,
सी.आई.एन. U21012MP1947GOI000636
नेपानगर, जिला बुरहानपुर
मध्यप्रदेश, भारत 450 221

मैंने दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिये नेपा लिमिटेड (सी.आई.एन.: U21012MP1947GOI000636) (कम्पनी) द्वारा भारत सरकार (डी.पी.ई. दिशा-निर्देश), सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डी.पी.ई.) द्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (सी.पी.एस.ई.) के लिये निगमित शासन पर जारी दिशा-निर्देशों में यथा निर्दिष्ट निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन का परीक्षण किया।

निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबंधन की है। मेरा परीक्षण भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान (आई.सी.एस.आई.) द्वारा जारी निगमित शासन प्रमाणन संबंधी मार्गदर्शन नोट के अनुसार की गई थी एवं यह उपरोक्त दिशा-निर्देशों में निर्धारित निगमित शासन की शर्तों के साथ अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये कम्पनी द्वारा अपनायी गयी कार्यप्रणाली एवं क्रियान्वयन की समीक्षा तक सीमित हो गया है। यह कम्पनी के वित्तीय विवरण पर न तो अंकेक्षण है और न ही विचारों की अभिव्यक्ति है।

मेरे मतानुसार एवं मेरी अधिकतम जानकारी और मुझे दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार तथा प्रबंधन द्वारा किये गये अभ्यावेदनों के आधार पर मैं प्रमाणित करता हूँ कि निम्नलिखित के संबंध में प्रावधान को छोड़कर कम्पनी ने सी.पी. एस. ई. के लिये निम्नलिखित को छोड़कर निगमित शासन दिशा-निर्देश, 2010 में निर्धारित निगमित शासन की लागू शर्तों का अनुपालन किया है :-

1. कम्पनी के पास दिशा-निर्देशों के तहत निर्धारित स्वतंत्र निदेशकों की संख्या के संबंध में मण्डल की इष्टतम संरचना नहीं है।
2. अंकेक्षण समिति तथा नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया, तथापि, उनकी संरचना डी.पी.ई. दिशा-निर्देशों की आवश्यकताओं के पूर्ण अनुरूप नहीं थी।
3. मण्डल में केवल एक स्वतंत्र निदेशक की उपस्थिति के कारण वर्ष के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की अलग से बैठक आयोजित नहीं की गई।

उपर्युक्त के अधीन, कम्पनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निगमित शासन दिशा-निर्देशों के लागू प्रावधानों का व्यापक रूप से अनुपालन किया है।

यह प्रमाण पत्र कम्पनी के अनुरोध पर प्रशासनिक मंत्रालय, वैधानिक प्राधिकारियों को प्रस्तुत करने तथा आवश्यकतानुसार वार्षिक प्रतिवेदन में शामिल करने के लिये जारी किया जाता है।

कृते अंकुर चौकसे एण्ड एसोशिएट्स
कम्पनी सचिव
हस्ता./-
(सी.एस. अंकुर चौकसे)
(प्रॅप्राईटर)
ए.सी.एस. : 55330 सी.ओ.पी. क्र. : 25486
फर्म पंजीकरण क्र. : S2022MP866400
सहकर्मी समीक्षा क्र. : 5342/2023
यू.डी.आई.एन. : A055330G000899140

दिनांक : 30.07.2025
स्थान : भोपाल (म.प्र.)

CS MAYUREE HALDER & ASSOCIATES
Company Secretaries
FRN: S2020MP746700
Add: 62/1 HALDER SADAN, SARNI DIST. BETUL, M.P. 460447 INDIA
7879382134
csmayuree07@gmail.com

प्रपत्र क्र. एम.आर.-3

सचिवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन

दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये

[कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 204 (1) एवं कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 9 के अनुसार]

सेवा में,

सदस्यगण,
नेपा लिमिटेड,
सी.आई.एन. : U21012MP1947GOI000636
नेपानगर, जिला बुरहानपुर,
मध्यप्रदेश, भारत 450 221

मैं, मेसर्स **नेपा लिमिटेड (सी.आई.एन. : U21012MP1947GOI000636)** (इसके आगे कम्पनी कहा गया) द्वारा कुशल निगमित अभ्यास के अनुपालन हेतु अनुकूल सांविधिक प्रावधान की सम्मति से सचिवीय अंकेक्षण संचालित कर चुका हूँ। सचिवीय अंकेक्षण इस रुप में संचालित किया गया था कि मुझे निगमित, व्यवहार/ सांविधिक समाप्ति और मेरे अभिमत की अभिव्यक्ति के लिये उचित आधार प्रदान किया जाये।

कम्पनी द्वारा रखी गई कम्पनी की पुस्तकें, कागज़ात, कार्यवृत्त पुस्तकें, प्रपत्र एवं दायर विवरणियाँ तथा अन्य दस्तावेज़ और कम्पनी द्वारा प्रदान की गई सूचना की मेरी पुष्टि पर आधारित, इनके अधिकारी, एजेंट्स और प्रमाणित प्रतिनिधि सचिवीय अंकेक्षण आयोजित करने के दौरान मेरा/हमारा इस प्रकार प्रतिवेदन है कि हमारे अभिमत में, कम्पनी के पास, अंकेक्षण समय दिनांक 31.03.2025 (अंकेक्षण अवधि) को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान यहाँ नीचे सूचीबद्ध वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन किया गया है एवं कम्पनी के पास पर्याप्त मण्डल प्रक्रियायें एवं अनुपालन तंत्र स्थापित हो; इसके पश्चात किये गये प्रतिवेदन की सीमा तक, तरीके से एवं उसके अधीन बना है।

हम दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिये कम्पनी द्वारा रखी गई पुस्तकें, कागज़ात, कार्यवृत्त पुस्तकें, प्रपत्र एवं दायर विवरणियाँ और अन्य की निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार जाँच कर चुके हैं :-

(i) कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) और इसके तहत बने नियमों के अंतर्गत;

(ii) सुरक्षा ठेका (विनियम) अधिनियम, 1956 (एस.सी.आर.ए.) और इसके तहत बने नियमों के अंतर्गत; **(लागू नहीं क्योंकि कम्पनी किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं है।)**

(iii) जमाकर्त्ता अधिनियम, 1996 एवं विनियम और इसके तहत बनाये गये बायलॉज के अंतर्गत;

(iv) विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 और विदेश प्रत्यक्ष निवेश, स्वदेशी प्रत्यक्ष निवेश एवं बाह्य वाणिज्यिक ऋणी की सीमा के अंतर्गत नियम एवं विनियम बनाये गये; **(लागू नहीं क्योंकि कम्पनी ने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया है।)**

(v) सुरक्षा एवं भारतीय विनिमय मण्डल अधिनियम, 1992 (एस.ई.बी.आई. अधिनियम) के अंतर्गत विनियम और नियत निर्देश निम्नलिखित है :-

(ए) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय मण्डल (अंशों और कब्जा का वास्तविक उपार्जन) विनियम, 2011 **(अंकेक्षण अवधि के दौरान कम्पनी पर लागू नहीं)**

(बी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय मण्डल (अंत: व्यापार का प्रतिबंध) विनियम, 2015 **(अंकेक्षण अवधि के दौरान कम्पनी पर लागू नहीं)**

(सी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय मण्डल (पूँजी और आवश्यक खुलासे का निर्गमन) विनियम, 2018 **(अंकेक्षण अवधि के दौरान कम्पनी पर लागू नहीं)**

(डी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय मण्डल (अंश आधारित कर्मचारी हितलाभ) विनियम, 2021 **(अंकेक्षण अवधि के दौरान कम्पनी पर लागू नहीं)**

(ई) कम्पनी अधिनियम एवं उपभोक्ता के साथ व्यवहार के संबंध में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय मण्डल (निर्गमन एवं अंश हस्तांतरण एजेंटों के पंजीयक) विनियम, 1993 **(अंकेक्षण अवधि के दौरान कम्पनी पर लागू नहीं)**

(एफ) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय मण्डल (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियम, 2015 **(अंकेक्षण अवधि के दौरान कम्पनी पर लागू नहीं)**

(जी) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय मण्डल (अपरिवर्तनीय सुरक्षा का निर्गमन एवं सूचीबध्दता) विनियम, 2021 **(अंकेक्षण अवधि के दौरान कम्पनी पर लागू नहीं)**

(एच) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय मण्डल (अंश आधारित कर्मचारी हितलाभ) विनियम, 2014 **(अंकेक्षण अवधि के दौरान कम्पनी पर लागू नहीं)**

(आई) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय मण्डल (साम्य अंशों की असूचीबध्दता) विनियम, 2021 **(अंकेक्षण अवधि के दौरान कम्पनी पर लागू नहीं)**

(जे) भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय मण्डल (प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद) विनियम, 2018 **(अंकेक्षण अवधि के दौरान कम्पनी पर लागू नहीं)**

(vi) कम्पनी के लिये अन्य श्रम, पर्यावरण एवं विशिष्ट लागू अधिनियम/कानून जिनके लिये सचिवीय अंकेक्षण एक अवलोकन अंकेक्षण के रूप में आयोजित की गई थी तथा आम तौर पर मुझे प्रदान किये गये दस्तावेजों एवं कम्पनी के प्रबंधन द्वारा प्रदान किये गये प्रबंधन पुष्टिकरण प्रमाण पत्र तथा अन्य अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं अन्य पेशेवरों द्वारा दिये गये प्रमाण पत्रों पर आधारित/विश्वास किया गया था, कम्पनी ने अंकेक्षण अवधि के दौरान कम्पनी पर लागू निम्नलिखित अधिनियमों/कानूनों का अनुपालन किया है :-

(ए) कारखाना अधिनियम, 1948;

(बी) ठेका श्रमिक (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम;

(सी) बाल श्रमिक (वर्जन एवं विनियम) अधिनियम, 1986;

(डी) प्रशिक्षु अधिनियम;

(ई) मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961;

(एफ) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948;

(जी) कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013, जिसे कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) नियम 2013 के साथ पढ़ा जाए।

(एच) घातक दुर्घटना अधिनियम;

(आई) औद्योगिक विवाद अधिनियम;

(जे) औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम;

(के) भारतीय संविदा अधिनियम; 1872

(एल) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

(एम) भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय (लोक उद्यम विभाग), भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिये निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पर दिशा-निर्देश - मार्च 2010।

(एन) सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 तथा इसके तहत बनाये गये नियम;

(ओ) पर्यावरण स्वास्थ्य एवं संरक्षा कानून;

- वायु (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981;
- जल (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974;
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986;

मैंने भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानदंड के लागू धारा के अनुपालन की भी जांच की है;

मैं आगे प्रतिवेदित करता हूँ कि, कम्पनी द्वारा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर कानूनों जैसे लागू वित्तीय कानूनों के अनुपालन तथा वित्तीय रिकॉर्ड और खातों की पुस्तकों के रखरखाव की इस अंकेक्षण में समीक्षा नहीं की गई है क्योंकि यह वैधानिक वित्तीय अंकेक्षकों, कर अंकेक्षकों और अन्य नामित पेशेवरों द्वारा समीक्षा के अधीन है।

मैं आगे प्रतिवेदित करता हूँ कि, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कम्पनी ने निम्नलिखित टिप्पणियों के अधीन ऊपर उल्लिखित अधिनियमों, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन किया है:-

- कम्पनी के निदेशक मंडल में समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कार्यात्मक, नामित और स्वतंत्र निदेशकों का इष्टतम संयोजन नहीं है, जैसा कि दिनांक 14 मई, 2010 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 18(8)/2005-जीएम के तहत कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग (डी.पी.ई.) द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशा-निर्देशों के तहत आवश्यक है।
- कम्पनी ने एक अंकेक्षण समिति का गठन किया है; तथापि, समिति की संरचना कम्पनी अधिनियम, 2013 एवं उपरोक्त डी.पी.ई. दिशा-निर्देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। परिणामस्वरूप, समीक्षाधीन अवधि के दौरान अंकेक्षण समिति की बैठकों के लिए कार्यसाधक संख्या वैध रूप से गठित नहीं की गई थी।
- कम्पनी ने एक नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति का भी गठन किया है; हालाँकि, इसकी संरचना कम्पनी अधिनियम, 2013 एवं डी.पी.ई. दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। परिणामस्वरूप, वर्ष के दौरान उक्त समिति की बैठकों के लिए कार्यसाधक संख्या पर्याप्त नहीं थी।

- वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान स्वतंत्र निदेशकों की कोई बैठक आयोजित नहीं की गई, क्योंकि इस अवधि के दौरान भारी उद्योग मंत्रालय (एम.एच.आई.) द्वारा बोर्ड में केवल एक स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया गया था। चूँकि स्वतंत्र निदेशकों की बैठक एक सदस्य के साथ नहीं हो सकती, इसलिए ऐसी बैठक नहीं बुलाई गई। कम्पनी ने समय-समय पर एम.एच.आई. को मण्डल में स्वतंत्र निदेशकों की रिक्तियों के बारे में सूचित किया है।

मैं आगे प्रतिवेदित करता हूँ कि

कम्पनी ने निदेशक मंडल के गठन के संबंध में कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सी.पी.एस.ई.) के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशा-निर्देश, 2010 का ऊपर दिये गये अवलोकनों में बताई गई सीमा के अतिरिक्त व्यापक रूप से अनुपालन किया है, जिससे कार्यकारी, गैर-कार्यकारी और स्वतंत्र निदेशकों का उचित संतुलन सुनिश्चित होता है।

इसके अतिरिक्त, समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में किये गये तथा बाद की मण्डल बैठकों के कार्यवृत्त में विधिवत नोट किये गये।

मण्डल की बैठकें बुलाने के लिये सभी निदेशकों को पर्याप्त सूचना दी गई थी। कार्यसूची एवं उस पर विस्तृत टिप्पणियाँ आम तौर पर कम से कम सात दिन पहले प्रसारित की जाती थी। कम्पनी में बैठकों से पहले कार्यसूची मदों पर अतिरिक्त जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त करने तथा प्रदान करने के लिये एक स्थापित प्रणाली विद्यमान है, जिससे निदेशकों की सूचित और सार्थक भागीदारी को सुगम बनाया जा सके।

अध्यक्ष द्वारा संधारित एवं हस्ताक्षरित बैठकों के कार्यवृत्त के अनुसार, सभी निर्णय अपेक्षित बहुमत से लिये गये। जहाँ लागू हो, असहमति रखने वाले सदस्यों के विचार, यदि कोई हों, कार्यवृत्त में विधिवत दर्ज किये गये।

मैं आगे प्रतिवेदित करता हूँ कि, उपलब्ध कराई गई सूचना एवं कम्पनी द्वारा किये गये अभ्यावेदन तथा कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा रिकार्ड में लिये गये अनुपालन प्रमाणपत्रों/रिपोर्टों की समीक्षा के आधार पर, मेरे अभिमत में कम्पनी में लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशा-निर्देशों के अनुपालन की निगरानी तथा सुनिश्चित करने के लिये कम्पनी के आकार एवं प्रचालन के अनुरूप पर्याप्त प्रणालियाँ तथा प्रक्रियायें मौजूद हैं।

मैं आगे प्रतिवेदित करता हूँ कि, समीक्षाधीन अवधि के दौरान, उपर्युक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशा-निर्देशों आदि के अनुसरण में कोई विशिष्ट घटनायें/कार्रवाई नहीं हुई, जिनका कम्पनी के मामलों पर बड़ा प्रभाव पड़ा हो।

कृते मयूरी हल्दर एवं एसोसिएटस
कम्पनी सचिव
हस्ता./-
(मयूरी हल्दर)
(प्रॅप्राईटर)
सी.पी. क्र. : 23472
सहकर्मी समीक्षा प्रमाणन क्र. : 4087/2022
यू.डी.आई.एन. : A060791G000870919

स्थान : बैतूल
दिनांक : 26.07.2025

यह रिपोर्ट हमारे इस तिथि के पत्र के साथ पढ़ी जाये, जो अनुलग्नक 'ए' के रूप में संलग्न है तथा इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

अनुलग्नक - I

सेवा में,
सदस्यगण,
नेपा लिमिटेड,
पंजीकृत कार्यालय : नेपानगर,
जिला बुरहानपुर - 450 221 (म.प्र.)
सी.आई.एन. : U21012MP1947GOI000636

इस तिथि के मेरे सचिवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन को इस पत्र के साथ पढ़ा जाना है।

1. सचिवीय अभिलेखों का रखरखाव कम्पनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी मेरे अंकेक्षण के आधार पर इन सचिवीय अभिलेखों पर अभिमत व्यक्त करना है।

2. मैंने कम्पनी के वित्तीय अभिलेखों एवं लेखा पुस्तकों की सत्यता तथा उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।

3. मैंने अंकेक्षण व्यवहारों एवं प्रक्रियाओं का पालन किया है, जो सचिवीय अभिलेखों की सामग्री की शुद्धता के संबंध में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिये उपयुक्त थे। यह सुनिश्चित करने के लिये परीक्षण के आधार पर सत्यापन किया गया था कि सचिवीय अभिलेखों में शुध्द तथ्य परिलक्षित हों। मैं मानता हूँ कि प्रक्रियाओं एवं व्यवहारों, हमने अपने अभिमत के लिये एक उचित आधार प्रदान किया।

4. निगमित एवं अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों इत्यादि के प्रावधानों इत्यादि का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। मेरी जाँच परीक्षण के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित थी।

5. जहाँ कभी आवश्यक हो, हमने लागू कानूनों, नियमों एवं विनियमों तथा घटनाओं के होने आदि के अनुपालन के संबंध में प्रबंधन प्रतिवेदन/प्रमाण पत्र/आंकड़े/जानकारी प्राप्त किया है।

6. सचिवीय अंकेक्षण रिपोर्ट न तो कम्पनी की भविष्य की व्यवहार्यता के लिये एक आश्वासन है और न ही प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के साथ, जिसके लिये प्रबंधन ने कम्पनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते मयूरी हल्दर एवं एसोसिएटस
कम्पनी सचिव
हस्ता./-
(मयूरी हल्दर)
(प्रॅप्राईटर)
सी.पी. क्र. : 23472
सहकर्मी समीक्षा प्रमाणन क्र. : 4087/2022
यू.डी.आई.एन. : A060791G000870919

स्थान : बैतूल
दिनांक : 26.07.2025

अनुलग्नक V

प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

1. वैश्विक एवं भारतीय बाजार अवलोकन

वैश्विक बाजार अंतर्दृष्टि

- वैश्विक लेखन एवं मुद्रण कागज बाजार विकसित अर्थव्यवस्थाओं में माध्यम संकुचन का सामना कर रहा है, लेकिन उभरते बाजारों में स्थिर बना हुआ है या बढ़ रहा है। वर्ष 2024 में वैश्विक माँग लगभग 85 मिलियन टन थी तथा डिजिटल प्रतिस्थापन के कारण अगले 5 वर्षों में इसके स्थिर रहने या थोड़ी गिरावट की उम्मीद है। (स्त्रोत : स्टेटिस्टा मार्केट फोरकास्ट)।
- वैश्विक अखबारी कागज बाजार, जिसका मूल्य 2024 में 12.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर होगा, वैश्विक स्तर पर धीरे-धीरे गिरावट का अनुभव कर रहा है, लेकिन क्षेत्रीय भाषाई समाचार पत्रों की वृद्धि एवं ग्रामीण मीडिया उपयोग के कारण भारत तथा एशिया के कुछ हिस्सों में प्रासंगिक बना हुआ है। (स्त्रोत : स्टेटिस्टा मार्केट फोरकास्ट)।
- डिजिटल अपनाने एवं कागज रहित प्रवृत्तियाँ ओ.ई.सी.डी. देशों में पारंपरिक कागज की खपत को प्रभावित कर रही है, किन्तु विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में ई-लर्निंग, परीक्षा आधारित शिक्षा प्रणाली तथा अनुपालन आधारित दस्तावेजीकरण में वृद्धि माँग का समर्थन कर रही है।
- बढ़ती पर्यावरणीय चिंतायें तथा संचार एवं दस्तावेजीकरण के लिये प्लास्टिक से कागज की ओर परिवर्तनशील, वैश्विक स्तर पर आलेखी कागज खण्ड में गिरावट की दर को थोड़ा काम कर रहा है।
- वैश्विक कागज बाजार में वर्ष 2024 में 1035 बिलियन अमरीकी डॉलर से वर्ष 2029 तक 1456 बिलियन अमरीकी डॉलर तक स्थिर वृद्धि का अनुमान है, जो लगभग 7% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सी.ए.जी.आर.) को दर्शाता है। (स्त्रोत : स्टेटिस्टा मार्केट फोरकास्ट)। यह बढ़ती प्रवृत्ति पैकेजिंग, स्वच्छता एवं पुनर्नवीनीकृत कागज क्षेत्रों में, विशेष रूप से उभरते बाजारों में, निरंतर माँग से प्रेरित है। पारंपरिक मुद्रण में डिजिटल व्यवधानों के बावजूद, उद्योग नवाचार, स्थिरता एवं विकसित होती उपभोक्ता प्राथमिकताओं के माध्यम से गति प्राप्त कर रहा है।

2. भारतीय बाजार का एक दृश्य

- भारत ने वर्ष 2024 में लगभग 2.6 मिलियन टन लेखन एवं मुद्रण कागज का उत्पादन किया। शिक्षा, प्रकाशन एवं आधिकारिक दस्तावेजी आवश्यकताओं के कारण, इस क्षेत्र के वर्ष 2030 तक 3.5-4.5% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सी.ए.जी.आर.) से बढ़ाने का अनुमान है। (स्त्रोत : वैल्यू पिकर फोरम)।
- भारतीय अखबारी कागज की माँग 1.5 मिलियन टन अनुमानित है, जो कि बड़े पैमाने पर आयात के माध्यम से पूर्ण की जाती है। (स्त्रोत : वैल्यू पिकर फोरम)। तथापि, बढ़ती हुई लॉजिस्टिक्स लागत एवं मेक इन इण्डिया पहल से घरेलू प्रतिस्थापन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
- भारत में प्रति व्यक्ति कागज की खपत (~15 किग्रा) वैश्विक औसत (~55 किग्रा) से काफी कम है, जो दीर्घकालिक संरचनात्मक विकास क्षमता का संकेत देता है। (स्त्रोत : वैल्यू पिकर फोरम)।
- कई राज्य शिक्षा मण्डल एवं सार्वजनिक संस्थान कोविड के पश्चात भौतिक दस्तावेजीकरण की ओर लौट रहे हैं, जिससे माध्यम लेकिन लगातार माँग का दृष्टिकोण बना हुआ है।

3. बदलते उपयोग प्रतिमानों एवं नियामक प्रभावों के चलते कागज उद्योग निरंतर विकसित हो रहा है। सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों तथा प्रकाशन क्षेत्र में इसके व्यापक उपयोग के कारण लेखण एवं मुद्रण कागज भारत के घरेलू उत्पादन का मुख्य आधार बना हुआ है। इस बीच, अखबारी कागज की वैश्विक माँग में कमी देखी जा रही है, किन्तु भारत एवं दक्षिण-पूर्व एशियाई बाजारों में स्थानीय अखबारों के प्रसार तथा ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँच बढ़ाने की पहलों के कारण स्थिर माँग बनी हुई है। निम्नलिखित तालिका प्रमुख बाजार खण्डों के अनुमानों का सारांश प्रस्तुत करती है, जो विकास के अवसरों एवं माँग अभिविन्यास पर प्रकाश डालती है :-

भारत कागज उद्योग खण्डवार सी.ए.जी.आर.

खण्ड	2025 पूर्वानुमान मूल्य (बिलियन अमेरिकी डॉलर में)	सी.ए.जी.आर. (2023-2030)	प्रमुख घटक
लेखन एवं मुद्रण कागज	29.2	3.5%–5.0%	शिक्षा, परीक्षा, सरकारी उपयोग
अखबारी कागज	12.1	2.0%–3.0%	साक्षरता वृद्धि (भारत), प्रकाशन

स्त्रोत : PwC इण्डिया पेपर मार्केट आउटलुक, 2024 एवं IPMA इंडस्ट्री स्नैप्शाट

4. प्रमुख उद्योग प्रवृत्ति

मुद्रण खण्ड में तन्यकता

- डिजिटल अपनाने के बावजूद, भारत में सरकारी कार्यालयों, न्यायालयों तथा शालाओं में लेखन एवं मुद्रण कागज की माँग बनी हुई है।
- क्षेत्रीय एवं स्थानीय समाचार पत्रों की खपत भारत में अखबारी कागज की माँग को प्रासंगिक बनाये हुये है।
- सार्वजनिक संस्थानों में परीक्षायें, प्रतियोगी मूल्यांकन एवं प्रवेश परीक्षायें भौतिक कागज प्रारूपों पर निर्भर रहती हैं।
- ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँच एवं क्षेत्रीय भाषाओं में सरकारी विज्ञापनों के लिये मुद्रण माध्यम एक पसंदीदा संचार चैनल बना हुआ है।

5. पुनर्चक्रित निविष्टियों की ओर बदलाव

- भारत में लेखन एवं मुद्रण कागज का उत्पादन लकड़ी की लुगदी की लागत और पर्यावरणीय अनिवार्यताओं के कारण तेजी से पुनर्नवीनीकृत फाइबर की ओर स्थानांतरित हो रहा है

6. अखबारी कागज के लिये आयात निर्भरता

- भारतीय अखबारी कागज की लगभग 60% माँग आयात से पूर्ण होती है। प्रमुखतः रूस एवं कनाडा से। (स्त्रोत : स्टेटिस्टा मार्केट फोरकास्ट)। रुपये के अवमूल्यन एवं मालभाड़े में वृद्धि से घरेलू प्रतिस्थापन की संभावना बढ़ रही है।

कागज की कीमतों की तन्यकता (2023-2025) : सरकारी क्रय एवं संस्थागत क्रेताओं की माँग के कारण, भारतीय बाजार में प्रमुख कागण श्रेणियों के मूल्य तन्यकता 2025 के प्रारंभ में अपेक्षाकृत स्थिर रहे हैं। वैश्विक पल्प मूल्य अस्थिरता एवं रसद चुनौतियों के कारण निविष्टि लागत में उतार-चढ़ाव आया है, किन्तु कागज निर्माता आपूर्ति युक्तिकरण तथा पुनर्चक्रित फाईबार अनुकूलन के माध्यम से उपांत स्थिरता बनाये रखने में सफल रहे हैं। निम्नलिखित तालिका अखबारी कागज तथा लेखन एवं मुद्रण कागज के प्रचलित औसत मूल्यों का अवलोकन प्रस्तुत करती है :

उत्पाद	औसत मूल्य क्यू.1 2025	वर्ष-दर-वर्ष बदलाव
अखबारी कागज (घरेलू)	आई.एन.आर. 39-44/किलोग्राम	स्थायी
लेखन एवं मुद्रण कागज–मैपलिथो 70 जी.एस.एम.	आई.एन.आर. 55-58/किलोग्राम	+6%
लेखन एवं मुद्रण कागज–कॉपीयर 75 जी.एस.एम.	आई.एन.आर. 62-65/किलोग्राम	+4.5%

स्त्रोत : विपणन विभाग द्वारा किया गया विपणन सर्वेक्षण (दिनांक 26.04.2025 को वी.सी. के माध्यम से ग्राहक बैठक)

7. आर.एम.डी.पी. के पश्चात परिदृश्य

आर.एम.डी.पी. के प्रारंभ होने के पश्चात, कच्चे माल एवं कोयले की खपत में वृद्धि देखी गई, जिसका मुख्य कारण पुराना ओ. एन. पी. स्टॉक, उप-इष्टतम लोड, पुरानी तथा नई प्रणालियों के बीच एकीकरण की चुनौतियाँ एवं वी.आर.एस. एवं भर्ती रोक के कारण कुशल जनशक्ति की कमी थी।

कोविड-19 से उत्पन्न व्यवधानों, विक्रेता सहायता में विलंब एवं कार्यशील पूँजी की कमी ने कार्यकुशलता को और प्रभावित किया। इन चुनौतियों के बावजूद, नेपा लिमिटेड ने कई सुधारात्मक उपाय किये हैं, जिनमें आंतरिक अंकेक्षण, ऑपरेटर पुनर्प्रशिक्षण, डी.आई.पी. अनुकूलन, बॉयलर तथा टर्बाइन दक्षता में सुधार एवं रणनीतिक क्रय प्रक्रियायें शामिल हैं।

इन पहलों से कोयला, रसायन एवं बिजली की विशिष्ट खपत में कमी दिखाई देने लगी है। आर.एम.डी.पी. में पर्याप्त कार्य पूर्ण होने के पश्चात कुछ महत्वपूर्ण कार्य शेष रह गये हैं तथा धन की कमी के कारण पुर्जों की उपलब्धता ने संयंत्र के निरंतर प्रचालन में बाधायें उत्पन्न की हैं। इस समस्या के समाधान के लिये भारी उद्योग मंत्रालय को रुपये 248 करोड़ का एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसमें वित्तीय देनदारियों को पूर्ण करने के लिये कार्यशील पूँजी की आवश्यकता एवं महत्वपूर्ण मरम्मत/पुर्जों के प्रावधान शामिल हैं।

आर.एम.डी.पी. के पश्चात, नेपा लिमिटेड ने पुरानी मशीनों को स्थिर करने की आवश्यकता एवं साइज प्रेस जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे के अभाव के कारण अखबारी कागज का उत्पादन जारी रखा, जिससे सतह-आकार के लेखन एवं मुद्रण श्रेणी का तत्काल व्यावसायिक उत्पादन सीमित हो गया। टी.ई.वी. द्वारा 60% लेखन एवं मुद्रण मिश्रण की सिफारिश के बावजूद, तकनीकी बाधाओं, बाजार में प्रवेश की चुनौती तथा कोविड संबंधी व्यवधानों के कारण एक सतर्क, चरणबद्ध दृष्टिकोण की आवश्यकता पड़ी।

फिर भी, नेपा ने अपनी पहली गुणवत्ता वाली अखबारी कागज की पूर्ण मालसूची विक्रय कर दी है। कम्पनी 60:40 डब्ल्यू.पी.पी.-एन.पी. उत्पादन अनुपात की ओर बढ़ने की प्रक्रिया में है, जो आर.एम.डी.पी. के तहत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

8. नेपा लिमिटेड पर प्रभाव

(ए) नेपा लिमिटेड 42 जी.एस.एम. अखबारी कागज तथा लेखन एवं मुद्रण (56-75 जी.एस.एम.) में अपनी क्षमता के साथ एक विशिष्ट महत्व रखती है।

(बी) निविदाओं एवं शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से लेखन एवं मुद्रण कागज की घरेलू माँग को रणनीतिक रूप से लक्षित किया जा सकता है।

(सी) कैपेक्स (जैसे साइज प्रेस) के साथ चमक, आकार एवं समापन में सुधार करने से नेपा उत्पाद अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे।

(डी) मूल्य-प्रतिस्पर्धी घरेलू उत्पादन के माध्यम से आयातित अखबारी कागज को प्रतिस्थापित करने का अवसर विद्यमान है।

9. रणनीतिक अनुशंसा

(ए) कच्चे माल के मिश्रण को अनुकूलित करें : पुनर्नवीनीकृत फाइबर को बढ़ायें एवं आयातित लुगदी का विवेकपूर्ण प्रबंधन करें।

(बी) लक्षित संस्थागत क्रेता : केन्द्र एवं राज्य शिक्षा मण्डल एवं मुद्रणालय।

(सी) फिनिशिंग क्षमताओं को बढ़ाना : आकार प्रेस स्थापित करें एवं कैलेंडरिंग को अद्यतन करें।

(डी) नकदी प्रवाह चक्र में सुधार : केन्द्रीय/राज्य सरकार संस्थानों से अग्रिम आदेशों पर ध्यान केन्द्रित करें।

(ई) घरेलू विपणन को मजबूत करना : भारत सरकार के प्रमुख मिशन "आत्मनिर्भर भारत" एवं "वोकल फॉर लोकल" के तहत कम कार्बन तथा भारतीय मूल के उत्पादों को उजागर करना।

निष्कर्ष

वैश्विक बाजारों में नरमी के बावजूद, भारत में अखबारी कागज तथा लेखन एवं मुद्रण कागज का परिदृश्य आशावादी बना हुआ है। नेपा लिमिटेड संस्थागत और स्थानीय मीडिया की जरूरतों को पूर्ण करने के लिये पूरी तरह तैयार है। मूल्यावर्धित डब्लू.पी.पी. श्रेणी तथा अखबारी कागज के आयात प्रतिस्थापन पर ध्यान केन्द्रित करके, नेपा स्थायी विकास और लाभप्रदता हासिल कर सकती है।

बाजार विस्तार की धीमी गति के बावजूद, नेपा लिमिटेड का वर्तमान प्रबंधन परिचालनों को पुनर्जीवित करने एवं कम्पनी को एक आत्मनिर्भर, भविष्य-तैयार उद्यम के रूप में स्थापित करने लिये प्रतिबद्ध है। गुणवत्ता सुधार, परिचालन दक्षता और रणनीतिक क्रय में केन्द्रित निवेश पहले से ही चल रहा है। एकीकृत लुगदी एवं कागज निर्माताओ के साथ सक्रिय जुड़ाव, टिकाऊ कच्चे माल की रणनीतियों को अपनाने तथा निरंतर वित्तीय अनुशासन के माध्यम से, कम्पनी आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होने के लिये तैयार हैं।

हितधारकों को आश्वस्त किया जा सकता है कि लागू किया जा रहा रोडमैप दीर्घकालीय लाभप्रदता एवं लचीलेपन के अनुरूप है। नेपा लिमिटेड की आधुनिकीकरण पहल, इसकी विरासत विशेषज्ञता तथा सरकारी समर्थन के साथ मिलकर, बदलती बाजार परिस्थितियों में फलने-फूलने की इसकी क्षमता में विश्वास को मजबूत करती है।

निदेशक मण्डल की ओर से तथा उनके लिये

	हस्ता./-	**हस्ता./-**
	कमोडोर अरविंद वढेरा (सेवानिवृत्त), वी.एस.एम.)	**प्रदीप कुमार नाईक**
दिनांक : 07.08.2025	**अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक**	**निदेशक (वित्त)**
स्थान : नई दिल्ली	**डी.आई.एन. : 1104498**	**(अतिरिक्त प्रभार)**
		डी.आई.एन. : 08676709

निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन का अनुलग्नक

प्रपत्र क्र. एम.जी.टी.-9 वार्षिक विवरणी का उध्दरण

दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष पर

[कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) एवं कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 (1) के अनुसार]

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण

i.	सी.आई.एन.	U21012MP1947GOI000636
ii.	पंजीकरण तिथि	25.01.1947
iii.	कम्पनी का नाम	नेपा लिमिटेड
iv.	कम्पनी की श्रेणी/उप-श्रेणी	पब्लिक कम्पनी/सरकारी कम्पनी/अंशों द्वारा लिमिटेड
v.	पंजीकृत कार्यालय का पता एवं सम्पर्क विवरण	नेपानगर, जिला बुरहानपुर, म.प्र.-450 221
vi.	क्या सूचीबध्द कम्पनी है	नहीं
vii.	पंजीयक एवं अंतरण अभिकर्त्ता का नाम, पता एवं सम्पर्क विवरण	पूर्वा शेयरजिस्ट्री (आई) प्रायवेट लिमिटेड, 9, शिवशक्ति इण्डस्ट्रियल ईस्टेट, जे.आर. बोरिचा मार्ग, लोअर परेल (ई), मुम्बई, 400011

II. कम्पनी की मुख्य व्यावसायिक गतिविधियाँ

कम्पनी के कुल सकल विक्रय का समस्त व्यापार गतिविधियाँ में 10% अथवा अधिक अंशदान दर्शाया गया है:-

क्र.	मुख्य उत्पाद/सेवाओं का नाम एवं विवरण	उत्पाद/सेवा का एन.आई.सी. कोड	कम्पनी के कुल सकल बिक्री का %
1.	अखबारी कागज	4801	68.20%
2.	पेट्रोल एवं डीजल का विक्रय	47300	27.65%

III. धारित, अधीनस्थ एवं सहायक कम्पनियों के विवरण

क्र.	कम्पनी का नाम एवं पता	सी.आई.एन./जी.एल.एन.	धारित, अधिनस्थ एवं सहायक	अंशों का %	लागू प्रभाग
1.	अधीनस्थ एवं सहायक कम्पनियाँ नहीं हैं।				

IV. अंशधारिता पैटर्न (साम्य अंश पूँजी कुल साम्य प्रतिशत पर ब्रेकअप)

अंशधारकों की श्रेणी	वर्ष के आरम्भ में अंशों की संख्या				वर्ष के अंत में अंशों की संख्या				वर्ष के
	अप्रत्यक्ष	प्रत्यक्ष	योग	कुल अंशों का %	अप्रत्यक्ष	प्रत्यक्ष	योग	कुल अंशों का %	दौरान % परिवर्तन
ए. प्रवर्तक									
(1) भारतीय									
ए) व्यक्तिगत/ एच.यू.एफ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बी) केन्द्र सरकार	-	1204297344	1204297344	97.47	-	1204297344	1204297344	97.47	-
सी) राज्य शासन	-	30537290	30537290	2.47	-	30537290	30537290	2.47	-
डी) निकाय निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ई) बैंकें/वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
एफ) कोई अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप योग (ए) (1)	-	1234834634	1234834634	99.94	-	1234834634	1234834634	99.94	-
(2) विदेश									-
ए) एन.आर.आई.- व्यक्तिगत	-	-	-	-		-	-	-	-
बी) अन्य-व्यक्तिगत	-	-	-	-		-	-	-	-
सी) निकाय निगम	-	-	-	-		-	-	-	-
डी)बैंकें/वित्तीय संस्थान	-	-	-	-		-	-	-	-
ई) कोई अन्य	-	-	-	-		-	-	-	-
उप योग (ए) (2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
प्रवर्तक की कुल अंशधारिता (ए)=(ए)(1) + (ए)(2)	-	1234834634	1234834634	99.94	-	1234834634	1234834634	99.94	-
बी.(1) पब्लिक अंशधारिता									
ए) म्युचुअल फण्ड/ बैंकें/वित्तीय संस्थान	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बी) केन्द्रीय सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सी) राज्य सरकार	-	-	-	-	-	-	-	-	-
डी) उद्यमी पूँजीगत कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ई) बीमा कम्पनियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
एफ) कोई अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जी) एफ.आई.आई.एस	-	-	-	-	-	-	-	-	-
एच) विदेश उद्यमी पूँजी कोष	-	-	-	-	-	-	-	-	-
आई) अन्य (स्पष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
उप योग (बी) (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) गैर-संस्थान	-								
ए) निकाय निगम	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i) भारतीय	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii) विदेशी	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बी) व्यक्तिगत	-	-	-	-	-	-	-	-	-
व्यक्तिगत अंशधारियों द्वारा धारित रुपये 1 लाख तक की नाममात्र की अंशपूँजी	-	654930	654930	0.05	-	654930	654930	0.05	-
i) वर्गानुसार अंशधारिता : i) व्यक्तिगत अंशधारियों द्वारा धारित रुपये 1 लाख से अधिक की नाममात्र की अंशपूँजी									
सी) अन्य, हिन्दु अविभाजित परिवार									
डी) एन.आर.आई.									
उप योग (बी) (2)	-	654930	654930	0.05	-	654930	654930	0.05	-
कुल सार्वजनिक अंशधारिता (बी)=(बी)(1)+(बी)(2)	-	654930	654930	0.05	-	654930	654930	0.05	-
सी. जी.डी.आर. एवं ए.डी. आर. के लिये अभिरक्षक द्वारा धारित अंश									
कुल योग (ए+बी+सी)	-	1235489564	1235489564	100	-	1235489564	1235489564	100	-

(ii) प्रवर्तकों की अंशधारिता

क्र.	अंशधारक का नाम	वर्ष के आरम्भ में अंशधारिता			वर्ष के अंत में अंशधारिता			अंश में % परिवर्तन
		अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का %	कुल अंशों के रेहन/ऋणग्रस्त अंशों का %	अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का %	कुल अंशों के रेहन/ऋणग्रस्त अंशों का %	
1.	भारत के राष्ट्रपति	1204297344	97.47	-	1204297344	97.47	-	-
2.	मध्यप्रदेश के राज्यपाल	30537290	2.47	-	30537290	2.47	-	-
	योग	1234834634	99.94	-	1234834634	99.94	-	-

(iii) प्रवर्तकों की अंशधारिता में परिवर्तन (कृपया स्पष्ट करें, यदि वहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हो)

क्र.	अंशधारक का नाम	वर्ष के आरम्भ/अंत में अंशधारिता		वर्ष के दौरान परिवर्तन	कारण	वर्ष के दौरान संचित अंशधारिता	
		अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का %	बढोत्तरी/ कमी		अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का %
1.	भारत के राष्ट्रपति	1204297344	97.47%	वर्ष के दौरान कोई परिवर्तन नहीं		1204297344	**97.47%**
2.	मध्यप्रदेश के राज्यपाल	30537290	2.47%	वर्ष के दौरान कोई परिवर्तन नहीं		30537290	2.47%

(iv) प्रमुख दस अंशधारकों की अंशधारिता पैटर्न (निदेशकों, प्रसारकों और जी.डी.आर. एवं ए.डी.आर. के धारकों के अलावा)

क्र.	प्रमुख दस अंशधारकों के नाम	वर्ष के आरम्भ में अंशधारिता		वर्ष के दौरान परिवर्तन			वर्ष के दौरान संचित अंशधारिता	
		अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का %	दिनांक	बढोत्तरी/ कमी	कारण	अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का %
1.	कौशिक एस. भट्ट	11000	0.00		-		11000	0.00
2.	अम्मर अयाज़	5000	0.00		-		5000	0.00
3.	राजू भंडारी	5000	0.00		-		5000	0.00
4.	महाराजा प्रविणचन्द्र भांजडे	4000	0.00		-		4000	0.00
5.	नरिन्द्र कौर सचदेवा	2500	0.00		-		2500	0.00
6.	गोविन्द प्रसाद के. पोद्दार	2200	0.00		-		2200	0.00
7.	हाईनेस एम.के. मोदिनी देवी	2000	0.00		-		2000	0.00
8.	अमीत आर. सुचदे	2000	0.00		-		2000	0.00
9.	यशपाल खन्ना	1850	0.00		-		1850	0.00
10.	चुन्नीलाल गगलदास शाह	1580	0.00		-		1580	0.00

(v) निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक की अंशधारिता : निरंक

क्र.	निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक के नाम (सर्वश्री)	वर्ष के आरम्भ में अंशधारिता			वर्ष के दौरान परिवर्तन			वर्ष के दौरान संचित अंशधारिता	
		दिनांक	अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का %	दिनांक	बढोत्तरी/ कमी	कारण	अंशों की संख्या	कम्पनी के कुल अंशों का %
निरंक									

V. ऋणग्रस्तता

कम्पनी की ऋणग्रस्तता, जिसमें ब्याज अदत्त/अर्जित लेकिन भुगतान के लिये देय नहीं

(रुपये लाख में)

	रक्षित ऋण जमा छोड़कर	अरक्षित ऋण	जमा*	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के आरम्भ में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	1650.09	24680.00	-	**26330.09**
ii) ब्याज देय किंतु प्रदत्त नहीं	-	30633.29	-	**30633.29**
iii) ब्याज जमा किंतु देय नहीं	-	853.44	-	**853.44**
योग (i+ii+iii)	**1650.09**	**56166.73**	**-**	**57816.82**
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
जोड़ना	1781.64	-	-	**1781.64**
कम करना	-	-	-	**-**
शुद्ध परिवर्तन	1781.64	-	-	**1781.64**
वित्तीय वर्ष के अंत में				
i) मूल राशि	3431.73	24680.00	-	**28111.73**
ii) ब्याज देय किंतु प्रदत्त नहीं	-	36051.64	-	**36051.64**
iii) ब्याज जमा किंतु देय नहीं	-	926.81	-	**926.81**
योग (i+ii+iii)	**3431.73**	**61658.45**	**-**	**65090.18**

VI निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का पारिश्रमिक (रुपये में)

(ए). प्रबंध निदेशक, पूर्ण कालिक निदेशकों और/अथवा प्रबंधक का पारिश्रमिक

(रुपये लाख में)

क्र.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक का नाम (सर्वश्री)		कुल राशि
		कमोडोर सौरभ देब	**-**	
1.	सकल वेतन	-	-	-
	ए) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में समाहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	-	-	-
	बी) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत् परिलब्धियों का मूल्य	-	-	-
	सी) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत् वेतन के स्थान पर लाभ	-	-	-
2.	स्टॉक विकल्प	-	-	-
3.	स्वेट साम्य	-	-	-
4.	कमीशन - लाभ के अनुसार % - अन्य, उल्लेख करें	 - -	 - -	 - -
5.	अन्य, कृपया उल्लेख करें (अधिवेशन शुल्क)	-	-	-
योग (ए)		-	-	-
अधिनियम के अनुसार सीमा		लागू नहीं		

बी. अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक (रुपये में)

क्र.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों का नाम (सर्वश्री)	कुल राशि
1.	स्वतंत्र निदेशक	श्री मिलिंद शरदचन्द्र कनाड़े	-
	मण्डल/समिति बैठकों में शामिल होने के लिये शुल्क	26000	**26000**
	कमीशन	-	**0**
	अन्य, कृपया उल्लेख करें	-	**0**
	योग (1)	-	**0**
2.	अन्य गैर-अधिशाषी निदेशकगण	लागू नहीं	**लागू नहीं**
	मण्डल/समिति बैठकें अटेन्ड करने के लिये फीस	-	-
	कमीशन	-	-
	अन्य, कृपया उल्लेख करें	-	-
	योग (2)	-	-
	योग (बी) = (1+2)	-	-
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक	लागू नहीं	**लागू नहीं**
	अधिनियम के अनुसार समग्र सीमान्त	स्वतंत्र निदेशकों को चुकता की गई अधिवेशन शुल्क कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुसार समग्र सीमान्त के अन्दर है।	

सी. प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/पूर्णकालिक निदेशक के अलावा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक का पारिश्रमिक

(रुपये लाख में)

क्र.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक			कुल राशि
		सी.ई.ओ.	कम्पनी सचिव	सी.एफ.ओ.	
			सुश्री निधि मिश्रा	श्री विकास रेड्डी	
1.	सकल वेतन	निरंक	6.38	7.79	**14.17**
	ए) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17 (1) में समाहित प्रावधानों के अनुसार वेतन		-	-	-
	बी) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत् परिलब्धियों का मूल्य		-	-	-
	सी) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के तहत् वेतन के स्थान पर लाभ		-	-	-
2.	स्टॉक विकल्प		-	-	-
3.	स्वीट साम्य		-	-	-
4.	कमीशन - लाभ के अनुसार % - अन्य, उल्लेख करें		-	-	-
5.	अन्य, कृपया उल्लेख करें		-	-	-
	योग (सी)		6.38	7.79	**14.17**

VII. शास्ति/दण्ड/संयोजित का उल्लंघन

प्रकार	कम्पनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाए गए शास्ति/दण्ड/ संयोजित शुल्क विवरण	प्राधिकृत (आर.डी./ एन.सी.एल.टी/ अदालत	की गई अपील, यदि कोई (विवरण दें)
ए. कम्पनी					
शास्ति					
दण्ड					
संयोजित					
बी. निदेशकगण					
शास्ति					
दण्ड			निरंक		
संयोजित					
सी. अन्य दोषी अधिकारी					
शास्ति					
दण्ड					
संयोजित					

सुभाष चंद जैन अनुराग एडं एसोसिएटस
सनदी लेखापाल
104, अर्चना अपार्टमेंट, 8-बी, रतलाम कोठी, इंदौर - 452001 (म.प्र.)
फोन : 2519439, 2527682
मोबाईल : +91-93021-23882
मेल : scjainca2004@yahool.com

स्वतंत्र अंकेक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में,
सदस्यगण,
नेपा लिमिटेड,
नेपानगर (म.प्र.)

वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण पर प्रतिवेदन

I. योग्य अभिमत

हमने नेपा लिमिटेड (कम्पनी) के स्वप्रमाणित वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षण कर लिया है, जिसमें दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष का तुलन-पत्र, तब समाप्त वर्ष के लिये लाभ एवं हानि लेखों का विवरण और रोकड़ प्रवाह विवरण एवं वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी सहित महत्वपूर्ण लेखा विधि की नीतियाँ और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी सम्मिलित है।

हमारे विचार में एवं हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार, नीचे दिये गये योग्य हमारे प्रतिवेदन के योग्य अभिमत अनुभाग के लिये आधार में वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर, उपरोक्त वित्तीय विवरण कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा आवश्यक जानकारी प्रदान करते हैं एवं भारत में आम तौर पर स्वीकार्य लेखांकन सिध्दांतों की अनुरुपता में सत्य एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं।

- तुलन पत्र के संबंध में, दिनांक 31.03.2025 तक कम्पनी की स्थिति;
- लाभ एवं हानि विवरण के संबंध में, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिये हानि;
- रोकड़ प्रवाह विवरण के संबंध में, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिये रोकड़ प्रवाह;

II. योग्य अभिमत के लिये आधार

1. अधिमान्य अंश आवंटन

कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर रुपये 3000 लाख (गत वर्ष रुपये 3000 लाख) की लंबित अधिमान्य अंश आवेदन राशि का आवंटन नहीं किया है। प्रबंधन द्वारा प्रदत्त जानकारी के अनुसार कम्पनी अधिमान्य अंश के आंशिक आवंटन की प्रक्रिया में है। यह निधि विशेष रूप से कर्मचारियों को वी.आर.एस. देने के लिये आवंटित की गई थी तथा रुपये 1100 लाख (गत वर्ष रुपये 3000 लाख) की राशि का उपयोग किया जाना बाकी है।

2. सम्पत्ति, संयत्र तथा उपकरण

कम्पनी ने नये संयंत्र एवं मशीनरी स्थापित करने की प्रक्रिया में कुछ परिसंपत्तियों को नष्ट कर दिया। लेखा मानक (ए.एस.) 10 - संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के पैराग्राफ 41 के अनुसार, प्रतिस्थापित परिसंपत्तियों की अग्रणीत राशि को मान्यता समाप्ति प्रावधानों के अनुसार मान्यता समाप्ति की आवश्यकता होती है। तथापि, रुपये 96.21 लाख (गत वर्ष रुपये 96.21 लाख) के शुद्ध वहन मूल्य वाली परिसंपत्तियां, जिन्हें त्याग दिया गया है, लेकिन तुलन पत्र में संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के अंतर्गत जारी है, जिसके विरुद्ध उनकी वहन राशि के लिये प्रावधान बनाया गया है। इन परिसंपत्तियों को बट्टे खाते में डालने का कार्य सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन के लिये लंबित है। भौतिक सत्यापन के अभाव में, हम इन परिसंपत्तियों के अस्तित्व की संपूर्णता में पुष्टि करने में असमर्थ हैं। इसके अतिरिक्त, इनमें से कुछ त्यागी गई परिसंपत्तियाँ अब अस्तित्व में नहीं हैं एवं उन्हें बट्टे खाते में डाल दिया जाना चाहिये था।

3. आंतरिक वित्तीय नियंत्रण

हमने वित्तीय प्रतिवेदन पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रचना में कमियाँ देखी हैं, विशेष रूप से बैंक समाधान प्रक्रियाओं के क्षेत्र में, साथ ही आंतरिक नियंत्रण में अन्य कमियाँ भी हैं, जैसा कि अलग से संलग्न स्वतंत्र अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुलग्नक-सी में दर्शाया गया है।

इसके अतिरिक्त, बैंक समाधान की प्रक्रिया वर्तमान में मैन्युअल है, जिसके परिणामस्वरूप इसके समय पर पूर्ण होने में विलंब होता है। यद्यपि, अधिकांश लेनदेन बैंकिंग चैनलों के माध्यम से संसाधित होते हैं, फिर भी कुछ लेनदेन चैक के माध्यम से ही होते हैं। ये चैक-आधारित लेनदेन कुछ समय तक खुले एवं असमाधानित रहते हैं, जो समाधान प्रक्रिया एवं समग्र नकदी प्रबंधन दोनों में संभावित कमियों को दर्शाता है।

ये नियंत्रित कमियाँ आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को मजबूत करने तथा सटीक एवं समय पर वित्तीय प्रतिवेदन सुनिश्चित करने के लिये तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता को उजागत करती हैं। एकीकृत ई.आर.पी. प्रणाली के कार्यान्वयन की अनुशंसा की जाती है, क्योंकि इससे प्रक्रिया, दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी तथा संबंधित जोखिमों को कम करने में सहायता मिलेगी।

4. व्यापार प्राप्य

रुपये 204.87 लाख (गत वर्ष रुपये 305.01 लाख) की व्यावसायिक प्राप्तियों को असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसे अच्छा माना गया है एवं रुपये 274.19 लाख (गत वर्ष रुपये 274.19 लाख) को संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसके विरुद्ध रुपये 274.19 लाख (गत वर्ष रुपये 274.19 लाख) का प्रावधान किया गया है। तथापि, व्यवसाय प्राप्य को रुपये 13.31 लाख की राशि के ऋण शेष के निवल रूप में प्रस्तुत किया गया है, अर्थात व्यवसाय प्राप्य से अग्रिम, जो लंबी अवधि के लिये प्रदर्शित हो रहा है। परिणामस्वरूप, प्रावधान की गणना पूर्व प्रथा के अनुसार सकल विकलन शेष की अपेक्षा इन विकलन शेष को घटाकर की गई है। परिणामस्वरूप, संदिग्ध ऋणों के लिये प्रावधान काम करके दिखाया जाता है तथा प्रतिवेदित किये गये लाभ को अप्रावधानित राशि की सीमा तक बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया जाता है।

5. अन्य प्राप्य

नेपा नगरपालिका से वसूलनीय जल आपूर्ति शुल्क रुपये 767.91 लाख (गत वर्ष रुपये 604.59 लाख) है। इन प्राप्य राशियों के लिये रुपये 233.81 लाख (गत वर्ष रुपये 233.81 लाख) का प्रावधान किया गया है। प्राप्त राशि वर्ष दर वर्ष बढ़ रही है, लेकिन नेपा नगरपालिका से कोई धनराशि नहीं आ रही है। इस स्थिति में अनुवर्ती कार्रवाई एवं वसूली की कार्रवाई बढ़ाना आवश्यक है।

नगरीय किराये की बकाया वसूली रुपये 302.65 लाख (गत वर्ष रुपये 315.44 लाख) है, जिसके विरुद्ध नगरीय किराये की संदिग्ध वसूली के लिये रुपये 20.92 लाख (गत वर्ष रुपये 20.92 लाख) का प्रावधान किया गया है। ऐसे किराये की वसूली न होने की अवधि को देखते हुये यह प्रावधान अपर्याप्त है। परिणामस्वरूप, संदिग्ध वसूली के लिये प्रावधान कम करके दिखाया गया है एवं प्रतिवेदित लाभ को अप्राप्य राशि तक बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया है।

6. व्यवसाय लेनदार एवं व्यवसाय देयतायें

कम्पनी के पास व्यवसाय देय एवं सुरक्षा जमा के लिये शेष राशि की पुष्टि प्राप्त करने की मानक प्रक्रिया है। व्यवसाय देय राशि को चालू एवं गैर-चालू के अंतर्गत वर्गीकृत करना, ऐसे वर्गीकरण के अभाव में संभव नहीं है। इसलिये सभी को चालू माना जाता है।

समस्त लेनदारों से रुपये 1101.74 लाख की राशि के लिये बाह्य पुष्टिकरण मांगे गये। कुछ से पुष्टिकरण प्राप्त हुआ, कम्पनी को शेष राशि की पुष्टि प्रक्रिया को मजबूत करने और विक्रेताओं द्वारा प्रदान की गई शेष राशि का खाताबही शेष राशि के साथ मिलान सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

7. मण्डल संरचना - कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 का अनुपालन न करना

कम्पनी के निदेशक मण्डल का गठन कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (4) के प्रावधानों के अनुसार नहीं किया गया था, जो सार्वजनिक कम्पनियों के कुछ वर्गों के लिये न्यूनतम दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को अनिवार्य बनाता है। दिनांक 31.03.2025 तक कम्पनी के मण्डल में केवल एक स्वतंत्र निदेशक था, जो वैधानिक आवश्यकता के अनुरूप नहीं है।

जैसा कि हमें सूचित किया गया है, कम्पनी ने संबंधित प्रशासनिक प्राधिकरण, भारी उद्योग मंत्रालय (एम.एच.आई.) को मण्डल में स्वतंत्र निदेशकों के पद रिक्त होने की सूचना दे दी है। तथापि, इस प्रतिवेदन की तिथि तक, मण्डल में अधिनियम के तहत आवश्यक कार्यात्मक, नामित और स्वतंत्र निदेशकों का इष्टतम संयोजन नहीं है।

हमने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार अपना लेखापरीक्षण किया। उन मानकों के तहत हमारी ज़िम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण के लिये लेखापरीक्षक की ज़िम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कम्पनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षण के लिये प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के अनुसार भी हम स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आई.सी.ए.आई. की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक ज़िम्मेदारियों को पूर्ण किया है।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी योग्य अभिमत के लिये आधार प्रदान करने के लिये पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

III. विषयवस्तु का महत्व

1. हम नोट क्रमांक 07.02 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं: एफडीआर के विरुद्ध प्रभार-ओडी का सृजन न करना: कम्पनी ने बैंक ऑफ इंडिया से रुपये 3431.73 लाख (गत वर्ष रुपये 1650.09 लाख) की अधिविकर्ष सुविधा का लाभ उठाया है, जो कम्पनी की अपनी सावधि जमा के विरुद्ध सुरक्षित है। तथापि, कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 77 एवं कम्पनी (प्रभारों का पंजीकरण) नियम, 2014 के नियम 3 के प्रावधानों का पालन नहीं किया है, जिसके अनुसार निर्धारित समय सीमा के भीतर कम्पनी पंजीयक के पास प्रभार का सृजन और पंजीकरण कराना आवश्यक है। परिणामस्वरूप, उक्त प्रभार को कम्पनी पंजीयक के पास पंजीकृत नहीं कराया गया है, जैसा कि उपरोक्त प्रावधानों के तहत आवश्यक है।

2. हम नोट क्रमांक 08.03 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं: एम.एस.एम.ई.डी. अधिनियम, 2006 का गैर-अनुपालन:

   कम्पनी ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एम.एस.एम.ई.डी.) अधिनियम, 2006 के तहत पंजीकृत अपने आपूर्तिकर्ताओं की पहचान ऐसे आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त पुष्टि एवं जानकारी के आधार पर की है। कुछ एम.एस.एम.ई. ऋणदाताओं को भुगतान में अधिनियम के तहत निर्धारित समय-सीमा से अधिक विलंब हुआ है। जैसा कि बताया गया है, यह विलंब मुख्यतः धन की उपलब्धता में कमी के कारण हुई।

   कम्पनी ने एम.एस.एम.ई. विक्रेताओं को रुपये 362.41 की राशि पर रुपये 25.33 लाख के ब्याज का भुगतान किया, जो 15/45 दिनों से अधिक समय से बकाया है, पर आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत टी.डी.एस. नहीं काटा है।

3. हम नोट क्रमांक 09.09 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं: कम्पनी को माल एवं सेवाओं की आपूर्ति के बदले ग्राहकों से रुपये 12.06 लाख की अग्रिम राशि प्राप्त हुई है, जो दिनांक 31.03.2025 तक 365 दिनों से अधिक समय तक बकाया रही है।

   कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 के साथ पठित कम्पनी (जमा स्वीकार करना) नियम, 2014 के नियम 2(1)(xii)(A) के अनुसार, ऐसी राशियों को प्राप्ति की तिथि से 365 दिनों के भीतर माल या सेवाओं की आपूर्ति के विरुद्ध समायोजित किया जाना है। कम्पनी ने उक्त निर्धारित समयावधि के भीतर ऐसी राशियों का समायोजन या वापसी नहीं की है, जिसे उपरोक्त प्रावधानों का गैर-अनुपालन माना जा सकता है तथा परिणामस्वरूप, राशि को जमा माना जाएगा।

   कम्पनी ने उपरोक्त राशि के संबंध में जमा स्वीकार करने के लिए लागू प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।

4. **हम नोट क्रमांक 15.02 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:** कम्पनी को माल एवं सेवाओं की आपूर्ति के बदले ग्राहकों से रुपये 13.31 लाख की अग्रिम राशि प्राप्त हुई है, जो दिनांक 31.03.2025 तक 365 दिनों से अधिक समय तक बकाया रही है।

   कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 के साथ पठित कम्पनी (जमा स्वीकार करना) नियम, 2014 के नियम 2(1)(xii)(A) के अनुसार, ऐसी राशियों को प्राप्ति की तिथि से 365 दिनों के भीतर माल या सेवाओं की आपूर्ति के विरुद्ध समायोजित किया जाना है। कम्पनी ने उक्त निर्धारित समयावधि के भीतर ऐसी राशियों का समायोजन या वापसी नहीं की है, जिसे उपरोक्त प्रावधानों का गैर-अनुपालन माना जा सकता है और परिणामस्वरूप, राशि को जमा माना जाएगा।

   कम्पनी ने उपरोक्त राशि के संबंध में जमा स्वीकार करने के लिए लागू प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है।

5. **हम नोट क्रमांक 17.01 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं:** प्राप्य दावों में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा पूर्व वर्षों में ई.पी.एफ.ओ. द्वारा लगाये गये जुर्माने के कारण चुकाये गये हानि के लिये देय रुपये 726.73 लाख शामिल हैं एवं इसे वसूली योग्य दिखाया गया है क्योंकि कम्पनी का मानना है कि इसके लिये बी.आई.एफ.आर. द्वारा राहत दी जायेगी एवं रुपये 386.09 लाख के लिये अदालती मामला चल रहा है तथा रूपये 340.64 लाख का प्रावधान किया गया है और शेष राशि रुपये 386.09 लाख का प्रावधान नहीं किया गया है। इस कारण, प्राप्य हानि को कम दिखाया गया है और अशोध्य एवं संदिग्ध दावों के साथ-साथ अन्य व्यय (नोट संख्या 26) को रुपये 386.09 लाख कम दिखाया गया है।

6. **हम नोट क्रमांक 39.2 (ए)(सी)(IX) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं :** कम्पनी को पिछले वर्ष दिनांक 01.04.2017 से प्रभावी संपत्ति कर के लिये रुपये 1469.62 लाख का डिमांड नोट प्राप्त हुआ था। लेकिन चालू वर्ष में लेखा-पुस्तकों में एएस-29 के अनुसार ऐसी राशि का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, क्योंकि कम्पनी ने नगर पालिका परिषद प्राधिकरण के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है, जिस पर उप कलेक्टर को कर निर्धारण को अंतिम रूप देने हेतु बैठक बुलाने का आश्वासन दिया गया है।

7. **हम नोट क्रमांक 46 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं :** कम्पनी के जी.एस.टी. रिकॉर्ड का लेखा-बही में दर्शाये गये शेष राशि से मिलान नहीं किया गया है। जी.एस.टी. पोर्टल के अनुसार जी.एस.टी. शेष रुपये 3148.27 लाख है एवं लेखा-बही के अनुसार शेष रुपये 3371.04 लाख है, अर्थात रुपये 222.77 लाख का अंतर है। इस अंतर का कोई मिलान नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, कम्पनी के वैट रिकॉर्ड का लेखा-बही में दर्शाये गये शेष राशि से मिलान नहीं किया गया है।

IV. चालू व्यापार से संबंधित सामग्री अनिश्चितता

हम वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 40 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो दर्शाता है कि कम्पनी की शुद्ध संपत्ति पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और इसने रुपये 69432.78 लाख की शेयर पूंजी के मुकाबले रुपये 94855.61 लाख की संचित हानि दर्ज की है। शुद्ध चालू देयता इसकी वर्तमान परिसंपत्तियों से रुपये 53687.34 लाख अधिक है और कोई सकारात्मक कार्यशील पूंजी निधि नहीं है।

कम्पनी के वित्तीय विवरण एक वर्तमान व्यवसाय अवधारणा के आधार पर तैयार किये गये हैं, क्योंकि कम्पनी ने बी.आई.एफ.आर. द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार आर.एम.डी.पी. के रूप में ज्ञातव्य पुनरुद्धार योजना के पश्चात पहले ही वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है। कम्पनी का व्यवसाय केवल एवं पूर्णरूपेण सरकार के बकाया के निपटान/माफी एवं सफल प्रचालन पर निर्भर है।

इस मामले के संबंध में हमारी राय में कोई बदलाव नहीं किया गया है, क्योंकि प्रबंधन के साथ चर्चा के बाद हमें उम्मीद है कि परिचालन को सफलतापूर्वक पटरी पर लाया जा सकेगा।

V. वित्तीय विवरण एवं लेखा परीक्षक के प्रतिवेदन के अलावा अन्य जानकारी

अन्य जानकारी के लिये कम्पनी का निदेशक मण्डल ही उत्तरदायी है। वार्षिक प्रतिवेदन में अन्य जानकारी सहित जानकारी सम्मिलित है, किन्तु वित्तीय विवरण एवं हमारे लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन सम्मिलित नहीं है। इस अंकेक्षक के प्रतिवेदन की तिथि के पश्चात कम्पनी के अंकेक्षक प्रतिवेदन हमें उपलब्ध कराये जाने की उम्मीद है।

स्वप्रमाणित वित्तीय विवरणों पर हमारा अभिमत अन्य जानकारी को सम्मिलित नहीं करता है एवं हम आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रुप को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारे अंकेक्षण के संबंध में हमारी जिम्मेदारी है कि ऊपर दी गई अन्य जानकारी के उपलब्ध होने पर उसे पढ़ें एवं ऐसा करने में, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी स्वप्रमाणित वित्तीय विवरणों या अंकेक्षण में प्राप्त हमारी जानकारी के साथ असंगत है, या अन्यथा भौतिक रूप से गलत बताया गया प्रतीत होता है। जब हम कम्पनी का वार्षिक प्रतिवेदन पढ़ते हैं, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी का कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है, तो हमें उन्हें, जो शासन के प्रति जिम्मेदार है, इस मामले को बताना होगा।

VI. वित्तीय विवरणों के लिये शासन के साथ अधिरोपित एवं प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कम्पनी का निदेशक मण्डल कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में शामिल धारा 134 (5) के मामलों के लिये उत्तरदायी है। इसमें स्वप्रमाणित वित्तीय विवरणों की तैयारी जिससे वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन तथा रोकड़ प्रवाह पर सत्य एवं स्पष्ट विचार प्रदान किये हैं, जो कम्पनी के लेखा विधि स्तर में अधिनियम की धारा 133 में लेखा विधि सिध्दांत सामान्यत: भारत में स्वीकार्य सम्मिलित है। इस उत्तरदायित्व में पर्याप्त लेखा विधि दस्तावेज शामिल है, जो कम्पनी की सुरक्षा की धारा की सुविधानुसार कम्पनी की सम्पत्ति और धोखों को रोकने और उस पर नजर रखने तथा अन्य अनियमित एवं चुनाव, उचित लेखा विधि नीति के आवेदन, निर्णय लेने, जो कि उचित रुप रेखा, क्रियांवयन और सटीक आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के रखरखाव, जो कि लेखा विधि दस्तावेजों की पूर्णता सही रुप से संचालित था। इस जवाबदारी में वित्तीय विवरणों की तैयारी एवं प्रस्तुतिकरण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की रुपरेखा, कार्यांवयन एवं रखरखाव सम्मिलित है, जिन्होंने सत्य एवं स्पष्ट विचार प्रदाय किये और सारयुक्त यथार्थ विवरण से स्वतंत्र हैं, चाहे धोखे या गलती के कारण आया हो।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, निदेशक मंडल कम्पनी की क्षमता का आकलन करने के लिये वर्तमान समुत्थान के रूप में जारी रखने, खुलासा करने, जो लागू हो, वर्तमान समुत्थान से संबंधित मामलों और लेखांकन के लिये वर्तमान समुत्थान के आधार का उपयोग करने के लिये उत्तरदायी है, जब तक कि निदेशक मण्डल या तो इरादा नहीं करता है कि कम्पनी को परिसमापन करना या संचालन को बंद करना या ऐसा करने के लिये कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल कम्पनी की वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रिया की देखरेख के लिये जिम्मेदार है। साथ ही, लेखापरीक्षा अनुपालन मुख्य रूप से प्रबंधन की जिम्मेदारी है।

VII. वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के लिये अंकेक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण सामग्री के गलत अनुमान से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण एवं अंकेक्षक के प्रतिवेदन जारी करने के लिये जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एस.ए. के अनुसार किया गया एक अंकेक्षण सदैव अस्तित्व में होने पर किसी सामग्री के गलत होने का पता लगाएगा। धोखाधड़ी या त्रुटि से गलत अनुमान उत्पन्न हो सकता है और माना जाता है कि सामग्री, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, वे यथोचित रूप से इन वित्तीय विवरणों पर आधारित लिये गये उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की अपेक्षा कर सकते हैं।

एस.ए.एस. के अनुसार एक अंकेक्षण के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं एवं पूर्ण अंकेक्षण में पेशेवर संदेह को बनाये रखते हैं। हम भी :-

- स्वप्रमाणित वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिमों को पहचानें एवं उनका आकलन करें, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण, उन जोखिमों के लिये उत्तरदायी प्रक्रियाओं को बनावट तथा निष्पादित करें, एवं अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारे अभिमत के लिये आधार प्रदान करने के लिये पर्याप्त तथा उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण की अवहेलना सम्मिलित हो सकती है।
- अंकेक्षण प्रक्रियाओं की रचना करने के लिये अंकेक्षण से संबंधित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना जो परिस्थितियों में उपयुक्त हों। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस पर अपना अभिमत व्यक्त करने के लिये भी जिम्मेदार हैं कि कम्पनी के पास स्वप्रमाणित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और इस तरह के नियंत्रणों का संचालन प्रभावशीलता है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता एवं प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों तथा संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करें।
- लेखांकन के चल रहे चिंता के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकाला है, एवं प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य के आधार पर, क्या एक घटना या शर्तों से संबंधित सामग्री अनिश्चितता मौजूद है जो कम्पनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है जो एक चिंता का विषय है। यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुचते हैं कि किसी सामग्री में अनिश्चितता विद्यमान है, तो हमें अपने अंकेक्षक के प्रतिवेदन में स्वप्रमाणित वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है, या यदि इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं, तब हम हमारे अभिमत को संशोधित करते हैं। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक के की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित हैं। तथापि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों से कम्पनी को चिंता का विषय बना रह सकता है।
- खुलासे सहित स्वप्रमाणित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं सामग्री का मूल्यांकन करें, तथा क्या स्वप्रमाणित वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।

हम अन्य विषयों में, अंकेक्षण की योजनाबध्द विस्तार एवं समय तथा महत्वपूर्ण अंकेक्षण निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को सम्मिलित करते हैं, जिसे हम अपने अंकेक्षण के दौरान पहचानते हैं।

हम शासन के साथ ऐसा कथन करते हुये उन्हें भी सहायता मुहैया कराते हैं, जो स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं तथा उनके साथ समस्त सम्बन्धों तथा आँय मामलों, जो हमारी स्वतंत्रता के लिये उचित माने गए हैं, एवं जहाँ संबंधित सुरक्षा उपाय लागू हो, का अनुपालन करते हैं।

VIII. अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन

1. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप धारा (11) शर्त में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी यथावश्यक कम्पनियों (लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन) आदेश 2020 (आदेश), के साथ हमने इस आदेश के परिच्छेद 3 एवं 4 में सीमा तक लागू विनिर्दिष्ट मामलों पर विवरण **"अनुलग्नक ए"** में दिया है।
2. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के तहत अपेक्षित अनुसार, हम **"अनुलग्नक बी"** में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा सुझाई गई लेखापरीक्षा पद्धति का अनुपालन करने के पश्चात जारी किये गये निर्देशों, उस पर की गई कार्रवाई एवं कम्पनी के खातों और वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव के बारे में विवरण देते हैं;

3. अधिनियम का अनुच्छेद 143 (3) के द्वारा यथा आवश्यक, हम प्रतिवेदन करते हैं कि :-

(ए) हमने उपरोक्त योग्य अभिमत पैराग्राफ के आधार पर वर्णित मामलों को छोड़कर वे समस्त सूचनाएँ एवं स्पष्टीकरण देखें एवं प्राप्त किये हैं, जो हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे अंकेक्षण के प्रयोजन के लिये आवश्यक थे।

(बी) हमारे विचार से उपरोक्त योग्य अभिमत पैराग्राफ के आधार पर वर्णित मामलों के संभावित प्रभावों को छोड़कर विधि द्वारा यथा अपेक्षित लेखों की समुचित पुस्तकें कम्पनी के पास रखी गई हैं, जहाँ तक ऐसी पुस्तकों के हमारे परीक्षण से पता चलता है।

(सी) तुलनपत्र, लाभ एवं हानि खाता और रोकड़ प्रवाह विवरण इस प्रतिवेदन के द्वारा लेखा पुस्तकों से मेल खाते हैं।

(डी) हमारे मतानुसार, प्रारम्भिक सिध्दांत में सक्षम अभिमत के लिये जैसा वर्णित है, को छोड़कर, उक्त कथित वित्तीय विवरण अधिनियम के तहत सूचित, जिन्हें अधिनियम की धारा 133 के संबंध में कम्पनी (लेखांकन मानक) नियम, 2021 के साथ पढ़ा जाये, मामलों की अवधारणा पैराग्राफ में दर्शाये को छोड़कर, लेखों के मानदण्डों का पालन करते हैं।

(ई) उपरोक्त पैराग्राफ में योग्य अभिमत के लिये वर्णित विषय एवं व्यापार अवधारणा, जो ऊपर पैराग्राफ व्यापार अवधारणा से संबंधित माल अनिश्चितता में वर्णित है, हमारे अभिमत में कम्पनी के कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं।

(एफ) निगमित मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 05 जून 2015 के अनुसार, निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं क्योंकि यह एक सरकारी कंपनी है; और

(जी) खातों के रखरखाव से संबन्धित योग्यता एवं उसमें जुड़े अन्य विषयों को ऊपर दिये गये अर्हताप्राप्त पैराग्राफ के आधार तथा नीचे **हमारे "अनुलग्नक सी" में पृथक प्रतिवेदन में** दर्शाया गया है।

(एच) कम्पनी के स्वप्रमाणित वित्तीय प्रतिवेदन के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की यथेष्टता के संबंध में **हमारा प्रतिवेदन पृथक से "अनुलग्नक सी"** पर दर्शाया गया है। हमारा प्रतिवेदन स्वप्रमाणित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक संशोधित अभिमत व्यक्त करता है।

(आई) अधिनियम की धारा 197 (16) की आवश्यकताओं के अनुसार अंकेक्षक के प्रतिवेदन में शामिल किये जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के प्रावधान अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसार सरकारी कम्पनी के लिये लागू नहीं हैं।

(जे) संशोधित के अनुसार लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामले के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार:

(i) कम्पनी ने अपने वित्तीय विवरणों में लम्बित मुकदमेबाजी के प्रभाव का खुलासा किया है। वित्तीय विवरणों के **नोट क्र.39 का संदर्भ** लें।

(ii) कम्पनी के पास अनुमानित ठेके सहित कोई दीर्घावधि ठेका नहीं था, जिसके लिये कोई भौतिक अनुमानित हानि थी।

(iii) कम्पनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष, जो उन्हें हस्तांतरित किया जाना हो, उसके लिये कोई राशि नहीं थी।

(iv) (ए) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कम्पनी द्वारा किसी भी अन्य व्यक्ति या संस्था को, जिसमें विदेशी संस्था ("मध्यस्थ") शामिल है, कोई भी निधि (जो व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से महत्वपूर्ण है) अग्रिम या ऋण या निवेश (उधार ली गई निधि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या निधि के प्रकार से) नहीं दी गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ,

- प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कम्पनी ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गये अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में उधार या निवेश करें या
- अंतिम लाभार्थियों की ओर कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह प्रदान करें;

(बी) प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि, उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कम्पनी द्वारा किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से, जिसमें विदेशी संस्थायें ("वित्तपोषण पक्ष") शामिल हैं, कोई धनराशि प्राप्त नहीं की गई है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज की गई हो या अन्यथा, कि कंपनी:

- प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थी") को उधार देना या निवेश करना
- अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज़ प्रदान करना; और

(सी) ऐसी अंकेक्षण प्रक्रियाओं के आधार पर, जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना जाता है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि उप-खंड (iv) (ए) और (iv) (बी) के तहत अभ्यावेदन में कोई भी भौतिक गलत बयान शामिल है

(v) वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा कोई लाभांश घोषित या भुगतान नहीं किया गया है। इसलिये, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

(vi) कम्पनी (अंकेक्षण और अंकेक्षकों) नियम, 2014 (संशोधित) के नियम 11 (जी) की आवश्यकताओं के अनुसार, हमारी राय में, कम्पनी ने अपने खाते की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है; तथापि, ऐसे सॉफ्टवेयर में **अनिवार्य रूप से अंकेक्षण सत्यापन (संपादन लॉग) रिकॉर्ड करने की सुविधा नहीं है।**

परिणामस्वरूप, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा निर्धारित वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रत्येक लेनदेन का **अंकेक्षण सत्यापन बनाये नहीं रखा गया और संरक्षित नहीं किया गया।**

सुभाष चंद जैन अनुराग एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखापाल
फर्म पंजीकरण संख्या: 004733C
हस्ता./-
अक्षय जैन
पार्टनर
एम. क्रमांक 447487
यू.डी.आई.एन.: 25447487BMICRV9244

स्थान: नेपानगर
दिनांक: 26.06.2025

स्वतंत्र अंकेक्षकों के प्रतिवेदन के लिये अनुलग्नक-ए
(दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिये नेपा लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर)

(हमारी समसंख्यक तिथि के प्रतिवेदन के पैराग्राफ VIII 'अन्य कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन' अनुभाग के अंतर्गत बिंदु संख्या 1 का संदर्भ लिया गया)

हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा कम्पनी द्वारा हमें दिये गये स्पष्टीकरणों एवं अंकेक्षण की सामान्य प्रक्रिया में हमारे द्वारा जांची गई खाता-बही एवं अभिलेखों के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

(i) इसकी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण और अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में:

(ए) कम्पनी पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखती है, हालांकि, यह देखा गया है कि संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिये मात्रात्मक विवरण अलग से उपलब्ध नहीं हैं, जो बदले में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के भौतिक सत्यापन के उचित संचालन को प्रभावित करता है।
कम्पनी उस वर्ष के दौरान किए गए परिवर्धन/हटाए जाने के लिए वार्षिक आधार पर रिकॉर्ड बनाए रखती है, जिसमें अमूर्त परिसंपत्तियों का पूरा विवरण दर्शाया जाता है।

(बी) हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों तथा कम्पनी के अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर, कम्पनी अपनी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों (त्याग दी गई संपत्तियों को छोड़कर) के भौतिक सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम चलाती है, जिसके अंतर्गत उचित अंतरालों पर चरणबद्ध तरीके से संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया जाता है, जो हमारी राय में कम्पनी के आकार और उसकी संपत्तियों की प्रकृति को देखते हुए उचित है। इस कार्यक्रम के अनुसार, संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों का प्रत्येक दो वर्ष में एक बार सत्यापन किया जाता था और इस सत्यापन में कोई भी भौतिक विसंगति नहीं पाई गई।

(सी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कम्पनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई सभी अचल संपत्तियों (उन संपत्तियों को छोड़कर जहां कम्पनी पट्टेदार है, एवं पट्टा समझौते पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किये गये हैं) के स्वामित्व विलेख कम्पनी के नाम पर हैं।

(डी) जैसा कि हमें सूचित किया गया एवं हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार प्रबंधन ने वर्ष के दौरान अपनी परिसंपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (उपयोग परिसंपत्ति के अधिकार सहित) या अमूर्त परिसंपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(ई) हमारी सर्वश्रेष्ट जानकारी तथा हमें दिये गये स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा कम्पनी के अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर बेनामी परिसंपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 जिसे पहले बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 के रूप में जाना जाता था) एवं उसके अधीन बनाये गये नियमों के तहत किसी भी बेनामी परिसंपत्ति को रखने के लिये कम्पनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित है।

(ii) मालसूची एवं कार्यशील पूंजी के संबंध में

(ए) जैसा कि हमें बताया गया है एवं स्पष्टीकरण दिया गया है, प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान मालसूची का भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारी राय में, व्यवसाय की प्रकृति एवं आकार को देखते हुये सत्यापन की आवृत्ति बढ़ाने तथा समग्र प्रक्रिया को मजबूत करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, प्रबंधन के पास उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार, इस भौतिक सत्यापन में कोई भी विसंगतियाँ नहीं पाई गईं।

(बी) जैसा कि हमें बताया और समझाया गया है, कम्पनी को वर्ष के दौरान बैंकों से कुल मिलाकर रुपये 5 करोड़ से अधिक की कार्यशील पूंजी अधिविकर्ष सुविधा स्वीकृत की गई है। बैंक ऑफ इंडिया से अपनी सावधि जमा प्राप्तियाँ (एफ.डी.आर.) पर रुपये 3431.73 लाख की अधिविकर्ष सुविधा प्राप्त की गई है। चूँकि यह सुविधा पूरी तरह से एफ.डी.आर. द्वारा सुरक्षित है, इसलिए कम्पनी को बैंक को तिमाही विवरणी या चालू परिसंपत्तियों का विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

(iii) कम्पनी द्वारा दिये गये निवेश ऋण, गारंटी या सुरक्षा के संबंध में

(ए) कम्पनी ने वर्ष के दौरान किसी अन्य संस्था को ऋण या अग्रिम राशि प्रदान नहीं की है, न ही गारंटी दी है, न ही सुरक्षा प्रदान की है। एवं इसलिये धारा 3(iii)(क) के अंतर्गत रिपोर्टिंग आदेश लागू नहीं होती है

(बी) उपरोक्त के मद्देनजर, चूँकि ऋण के रूप में कोई ऋण या अग्रिम राशि प्रदान नहीं की गई है, इसलिए यह प्रश्न ही नहीं उठता कि क्या किए गए निवेश, प्रदान की गई गारंटी, दी गई सुरक्षा और उनके नियम व शर्तें कम्पनी के हितों के प्रतिकूल हैं। इसलिए, आदेश के खंड 3(iii)(ख) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

(सी) चूँकि कम्पनी ने ऋण के रूप में कोई ऋण या अग्रिम राशि नहीं दी है, इसलिए यह बताने की आवश्यकता लागू नहीं होती कि मूलधन और ब्याज की चुकौती की समय-सारणी निर्धारित की गई है या नहीं और क्या चुकौती या प्राप्तियाँ नियमित हैं। इसलिए, आदेश का खंड 3(iii)(ग) लागू नहीं होता।

(डी) चूँकि ऐसा कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया गया है, इसलिए नब्बे दिनों से अधिक समय से बकाया किसी भी राशि की सूचना देने की आवश्यकता लागू नहीं होती। इसलिए, आदेश का खंड 3(iii)(घ) लागू नहीं होता।

(ई) कम्पनी किसी भी मौजूदा ऋण का नवीनीकरण या विस्तार नहीं किया है, या उन्हीं पक्षों को दिए गए मौजूदा ऋणों की बकाया राशि का निपटान करने के लिए कोई नया ऋण नहीं दिया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(iii)(ई) लागू नहीं होता है।

(एफ) कम्पनी ने मांग पर चुकाए जाने योग्य या बिना किसी शर्त या पुनर्भुगतान अवधि के ऋण के रूप में कोई ऋण या अग्रिम राशि प्रदान नहीं की है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(iii)(च) लागू नहीं होता है।

(iv) कम्पनी द्वारा निदेशकों को दिये गये ऋण एवं निवेश के संबंध में

हमारी मतानुसार, हमें प्रस्तुत जानकारी और स्पष्टीकरणों के अनुसार और कम्पनी के अभिलेखों की हमारी जाँच के आधार पर, कम्पनी ने वर्ष के दौरान अधिनियम की धारा 185 के अंतर्गत निर्दिष्ट कोई ऋण नहीं दिया है, या कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है। कम्पनी ने अधिनियम की धारा 186 के अंतर्गत निर्दिष्ट कोई निवेश नहीं किया है। अतः उक्त आदेश के अधिनियम की धारा 186 के अंतर्गत आने वाले पक्षों को दिये गये किसी भी ऋण या प्रदान की गई किसी भी सुरक्षा के संबंध में टिप्पणी कम्पनी पर लागू नहीं होती है। अतः खंड iv पर टिप्पणी लागू नहीं होती है।

(v) कम्पनी द्वारा स्वीकार की गई जमा राशि के संबंध में

हमें प्रस्तुत जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी ने धारा 73 से 76 या अधिनियम के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान और इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी जमा राशि को निम्न के अतिरिक्त स्वीकार नहीं किया है :

(ए) कम्पनी को माल और सेवाओं की आपूर्ति के बदले रुपये 25.37 लाख की राशि के व्यापार प्राप्य से अग्रिम प्राप्त हुए हैं, जो 31 मार्च 2025 तक 365 दिनों से अधिक समय से बकाया हैं।

अधिनियम, 2013 की धारा 73 के साथ पठित कम्पनी (जमा स्वीकृति) नियम, 2014 के नियम 2(1)(xii)(a) के अनुसार, ऐसी राशियों को प्राप्ति की तिथि से 365 दिनों के भीतर माल या सेवाओं की आपूर्ति के विरुद्ध समायोजित किया जाना है। कम्पनी ने निर्धारित समयावधि के भीतर ऐसी राशियों का समायोजन या वापसी नहीं की है, जिसे उपरोक्त प्रावधानों का अनुपालन न करने के रूप में माना जा सकता है तथा परिणामस्वरूप, राशि को जमा राशि माना जायेगा।

(vi) लागत अभिलेखों के रखरखाव के संबंध में

हमने कम्पनी द्वारा व्यवहार किए जाने वाले उत्पाद के संबंध में कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 148(1) के अंतर्गत लागत अभिलेख के रखरखाव हेतु केन्द्र सरकार के आदेश के अनुसरण में कम्पनी द्वारा अनुरक्षित लेखा पुस्तकों की व्यापक समीक्षा की है और हमारा मत है कि प्रथम दृष्टया निर्धारित लेखा और अभिलेख बनाये एवं अनुरक्षित किये गये हैं।

लागत अंकेक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि कम्पनी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों पर मूल्यह्रास की गणना के लिये डब्ल्यू.डी.वी. पद्धति का प्रयोग कर रही है, लेकिन वास्तव में कम्पनी सरल कटौती प्रणाली का पालन कर रही है।

(vii) वैधानिक देयताओं के संबंध में

(ए) भारत में आम तौर पर स्वीकार्य अंकेक्षण प्रथाओं के अनुसार हमारे द्वारा परीक्षण किये गये खातों और अभिलेखों की पुस्तकों के अनुसार, हमारा अभिमत है कि कम्पनी कस्टम ड्यूटी, सामग्री एवं सेवा कर अधिनियम, व्यावसायिक कर एवं अन्य वैधानिक देयताओं सहित निर्विवाद वैधानिक देयक उपयुक्त प्राधिकारी के पास जमा करने में नियमित रही है। हमे प्रस्तुत जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इन वैधानिक देयताओं के मदों के संबंध में देय कोई भी निर्विवाद राशि नहीं थी, जो दिनांक 31.03.2025 से अधिक की अवधि के लिये वे देय होने के छह महीने पश्चात शेष रह गई है।

(बी) हमें प्रस्तुत जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा हमें उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार, कम्पनी के पास नीचे सूचीबद्ध मामलों को छोड़कर कोई भी वैधानिक बकाया नहीं है, जो विवादों के कारण दिनांक 31.03.2025 तक जमा नहीं किया गया हो,

संविधि की प्रकृति	बकाया राशि की प्रकृति	वित्तीय वर्ष	राशि (रुपये लाखों में)	फोरम, जहाँ से विवाद लम्बित है।
म.प्र. प्रवेश कर, 1976	प्रवेश कर	2008-09	4.49	म.प्र. वाणिज्यिक कर अपीलीय मण्डल, इन्दौर
मध्यप्रदेश मूल्य समाविष्ट कर अधिनियम, 2002	वैट कर	2009-10	75.65	म.प्र. वाणिज्यिक कर अपीलीय मण्डल
म.प्र. प्रवेश कर, 1976	प्रवेश कर	2009-10	7.16	म.प्र. वाणिज्यिक कर अपीलीय मण्डल
मध्यप्रदेश मूल्य समाविष्ट कर अधिनियम, 2002	वैट कर	2010-11	10.42	म.प्र. वाणिज्यिक कर अपीलीय मण्डल
मध्यप्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1961	संपत्ति कर एव उस पर ब्याज	1993-94 से 2022-23	202.01	म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर बेंच
मध्य प्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972	मंडी कर	1998	35.95	म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर
मध्य प्रदेश मूल्य समाविष्ट कर अधिनियम, 2002	वैट कर	2017-18	1.10	म.प्र. वाणिज्यिक कर अपीलीय बोर्ड
मध्य प्रदेश मूल्य समाविष्ट कर अधिनियम, 2002	वैट कर	2018-19	0.71	म.प्र. वाणिज्यिक कर अपीलीय बोर्ड
माल एवं सेवा अधिनियम, 2017	जी.एस.टी. कर	जुलाई 2017 से मार्च 2020	867.50	अपीलीय प्राधिकरण इंदौर
माल एवं सेवा अधिनियम, 2017	जी.एस.टी. कर	जुलाई 2017 से मार्च 2018	540.55	अपीलीय प्राधिकरण इंदौर
आयकर अधिनियम, 1961	आयकर	वित्तीय वर्ष 2017-18	204.37	ए.डी.डी.एल./जे.सी.आई.टी (ए)-1 गुवाहाटी
कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952	ई.पी.एफ.	2014-2017	386.09	सीजीआईटी, जबलपुर

(viii) आय के अलिखित लेन-देन के संबंध में

हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, प्रबंधन द्वारा हमें उपलब्ध कराये गये अभिलेखों की हमारी जाँच तथा अंकेक्षण के दौरान की गई नमूना जाँचों के आधार पर, कम्पनी ने वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अंतर्गत कर निर्धारण में, लेखा पुस्तकों में आय के रूप में पहले से अलिखित किसी भी लेन-देन को आय के रूप में समर्पित या प्रकट नहीं किया है। अतः उक्त आदेश के खंड (viii) पर टिप्पणी लागू नहीं होती।

(ix) ऋण और उधार के पुनर्भुगतान के संबंध में

(ए) कम्पनी ने वित्तीय प्रतिवेदन की तिथि को सरकार के अतिदेय ऋण या उधार के पुनर्भुगतान में चूक की है, जो नीचे दर्शाया जा रहा है :-

(राशि रुपये में)

उधार की प्रकृति, ऋण प्रतिभूतियों सहित	ऋणदाता का नाम	नियत तिथि पर भुगतान नहीं किया गया	मूलधन या ब्याज	दिनों की संख्या या चुकता नहीं	टिप्पणी, यदि कोई
क्र.7(10)/2011 पी.ई.VII-I दिनांक 02.07.2012	भारत सरकार	4106.95	मूलधन एवं ब्याज दोनों	2825	
क्र.7(10)/2011 पी.ई.VII-II दिनांक 02.07.2012	भारत सरकार	1134.96	मूलधन एवं ब्याज दोनों	2825	
क्र.7(10)/2011 पी.ई.VII-I दिनांक 18.03.2013	भारत सरकार	4061.79	मूलधन एवं ब्याज दोनों	2565	
क्र.7(10)/2011 पी.ई.VII-II दिनांक 18.03.2013	भारत सरकार	465.99	मूलधन एवं ब्याज दोनों	2565	
क्र.7(9)/2013/पी.ई.VII-I दिनांक 19.09.2013	भारत सरकार	6046.59	मूलधन एवं ब्याज दोनों	2446	
क्र.7(9)/2013/पी.ई.VII-II दिनांक 16.09.2013	भारत सरकार	1131.21	मूलधन एवं ब्याज दोनों	2446	
क्र.7(9)/2013/पी.ई.VII-I दिनांक 12.03.2014	भारत सरकार	3746.34	मूलधन एवं ब्याज दोनों	2208	
क्र.7(9)/2013/पी.ई.VII-I दिनांक 12.03.2014	भारत सरकार	407.21	मूलधन एवं ब्याज दोनों	2208	
क्र.7(13)/2013/पी.ई.VII दिनांक 07.03.2014	भारत सरकार	6144.03	मूलधन एवं ब्याज दोनों	1115	
क्र.7(12)/2014/पी.ई.VII दिनांक 08.10.2014	भारत सरकार	4976.03	मूलधन एवं ब्याज दोनों	1999	
क्र.7(12)/2014/पी.ई.VII दिनांक 08.10.2014	भारत सरकार	5949.33	मूलधन एवं ब्याज दोनों	1999	
क्र.7(12)/2014/पी.ई.VII दिनांक 20.01.2020	भारत सरकार	7457.62	मूलधन एवं ब्याज दोनों	800	
क्र.7(12)/2014/पी.ई.VII दिनांक 23.04.2020	भारत सरकार	1355.77	मूलधन एवं ब्याज दोनों	700	
क्र.7(12)/2014/पी.ई.VII दिनांक 17.07.2020	भारत सरकार	2240.08	मूलधन एवं ब्याज दोनों	615	
क्र.7(12)/2014/पी.ई.VII दिनांक 26.08.2020	भारत सरकार	1460.95	मूलधन एवं ब्याज दोनों	517	
क्र.7(12)/2014/पी.ई.VII दिनांक 27.10.2020	भारत सरकार	2865.29	मूलधन एवं ब्याज दोनों	518	
क्र.7(12)/2014/पी.ई.VII दिनांक 26.11.2020	भारत सरकार	1749.88	मूलधन एवं ब्याज दोनों	486	
क्र.7(12)/2014/पी.ई.VII दिनांक 03.03.2021	भारत सरकार	1617.28	मूलधन एवं ब्याज दोनों	749	
क्र.7(12)/2014/पी.ई.VII दिनांक 27.01.2022	भारत सरकार	2602.54	मूलधन एवं ब्याज दोनों	788	
क्र.7(12)/2014/पी.ई.VII/सी.पी.एस.ई.-III दिनांक 21.03.2022	भारत सरकार	2138.60	मूलधन एवं ब्याज दोनों	731	
कुल डिफ़ॉल्ट		**61658.45**			

(बी) हमें दी गई जानकारी, स्पष्टीकरण एवं उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार, कम्पनी को किसी भी बैंक, वित्तीय संस्थान या किसी अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है। इसलिए, आदेश का खंड (ix)(बी) कंपनी पर लागू नहीं होता।

(सी) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण तथा हमारी अंकेक्षण प्रक्रियाओं के अनुसार, कम्पनी को वर्ष के दौरान कोई नया सावधि ऋण स्वीकृत नहीं किया गया है। तथापि, भारत सरकार द्वारा पूर्व के वर्षों में स्वीकृत सावधि ऋणों का उपयोग उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया गया है, जिनके लिए ऋण प्राप्त किये गये थे। अतः आदेश का खंड (ix)(सी) कम्पनी पर लागू नहीं होता।

(डी) प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा अंकेक्षण के दौरान की गई हमारी नमूना जाँच के आधार पर, अल्पावधि आधार पर जुटाई गई कार्यशील पूंजी निधि का उपयोग वर्ष के दौरान दीर्घकालिक प्रयोजन के लिये नहीं किया गया है।

(ई) प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी की वर्ष के दौरान कोई सहायक कंपनी, सहयोगी कंपनी या संयुक्त उद्यम नहीं है। तदनुसार, उक्त खंड (ix) के पैरा (ई) एवं (एफ) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।

(x) सार्वजनिक निधियों के उपयोग के संबंध में

(ए) प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरणों तथा अंकेक्षण के दौरान की गई हमारी नमूना जाँचों के आधार पर, कम्पनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आई.पी.ओ.) या अग्रिम सार्वजनिक निर्गम (ऋण लिखतों सहित) के माध्यम से कोई धनराशि नहीं जुटाई है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(x)(ए) के अंतर्गत रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नहीं होती है।

(बी) कम्पनी ने अंकेक्षण वर्ष के दौरान अंशों/पूर्णतः या आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी आवंटन नहीं किया है एवं इसलिए, आदेश के खंड 3(x)(बी) पर प्रतिवेदन करने की आवश्यकता कम्पनी पर लागू नहीं होती है।

(xi) धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग के संबंध में

(ए) प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा अंकेक्षण के दौरान की गई हमारी नमूना जाँच के आधार पर, वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा धोखाधड़ी या अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कम्पनी के साथ कोई धोखाधड़ी का मामला नहीं देखा गया या रिपोर्ट नहीं किया गया।

(बी) कम्पनी अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (12) के तहत रिपोर्ट योग्य धोखाधड़ी का कोई भी मामला कम्पनी (अंकेक्षण एवं अंकेक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित प्रपत्र ADT-4 में अंकेक्षक द्वारा वर्ष के दौरान एवं इस प्रतिवेदन की तिथि तक केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xi)(बी) के तहत रिपोर्टिंग कम्पनी पर लागू नहीं होती है।

(सी) प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कम्पनी को कोई व्हिसल-ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(xii) निधि कम्पनी के प्रावधानों के संबंध में

कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी एक निधि कम्पनी नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3(xii)(ए) से (सी) पर प्रतिवेदन करने की आवश्यकता कम्पनी पर लागू नहीं होती है एवं इसलिए उस पर प्रतिवेदन नहीं किया जाता है।

(xiii) संबंधित पक्ष के व्यवहार के संबंध में

हमारे अभिमत में तथा हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ व्यवहार अधिनियम की धारा 177 तथा 188 के अनुपालन में हैं, जहाँ लागू हो, तथा संबंधित पक्ष के व्यवहार का विवरण वित्तीय विवरणों में लागू लेखांकन मानकों के अनुसार प्रकट किया गया है।

(xiv) आंतरिक अंकेक्षण प्रणाली के संबंध में

(ए) हमारी राय में एवं हमारी जाँच के आधार पर, कम्पनी के पास अधिनियम की धारा 138 के तहत एक आंतरिक अंकेक्षण प्रणाली है तथा यह उसके व्यवसाय के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप है।

(बी) अंकेक्षण अवधि के लिये आंतरिक अंकेक्षकों के प्रतिवेदन (पहले छमाही एवं फिर दो तिमाहियों की तिमाही) पर सांविधिक अंकेक्षक द्वारा विचार किया गया।

(xv) गैर-रोकड़ व्यवहार के संबंध में

हमें प्रस्तुत जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कम्पनी ने वर्ष के दौरान अपने निदेशकों या निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई भी गैर-रोकड़ व्यवहार नहीं किया है, इसलिए अधिनियम की धारा 192 के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xv) के अंतर्गत प्रतिवेदन कम्पनी पर लागू नहीं होती है।

(xvi) आर.बी.आई. अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई.ए. के तहत पंजीकरण के संबंध में

(ए) कम्पनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आई.ए. के तहत पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xvi)(ए) लागू नहीं होता है।

(बी) कम्पनी किसी भी गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियों में संलग्न नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड (xvi) (बी) के अंतर्गत रिपोर्ट करने की आवश्यकता कंपनी पर लागू नहीं होती है।

(सी) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाये गये नियमों में परिभाषित कम्पनी एक कोर इन्वेस्टमेंट कम्पनी (सी.आई.सी.) नहीं हैं। इसलिये, आदेश के पैराग्राफ 3 की धारा (xvi)(सी) लागू नहीं होता है।

(डी) समूह के भाग के रूप में कोई कोर इन्वेस्टमेंट कम्पनी नहीं है, इसलिये, आदेश के खण्ड 3(xvi)(डी) पर प्रतिवेदन करने की आवश्यकता कम्पनी पर लागू नहीं होती है।

(xvii) नकद हानि के संबंध में

कम्पनी को चालू वित्त वर्ष में रुपये 9266.60 लाख तथा ठीक पूर्ववर्ती वित्त वर्ष में रुपये लाख की नकद हानि हुई है।

(xviii) वैधानिक अंकेक्षक के त्यागपत्र के संबंध में

एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते, अंकेक्षक की नियुक्ति कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जाती है, इसलिए कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षक मेसर्स ए.आई. कोठारी एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखापाल ने अनिवार्य रूप से इस्तीफा दे दिया है, हमने उन्हें सूचित कर दिया है। इसके बावजूद भी, कम्पनी के उक्त निवर्तमान वैधानिक अंकेक्षकों द्वारा कोई समस्या, आपत्ति या चिंता व्यक्त नहीं की गई है।

(xix) कम्पनी की वित्तीय स्थिति के संबंध में

वित्तीय अनुपात, उम्रदराज विश्लेषण एवं वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति तथा वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों सहित वित्तीय विवरणों की हमारी जांच के आधार पर और वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य जानकारी तथा निदेशक मंडल एवं प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारी जानकारी पर विचार करते हुये, हमारी राय में, कम्पनी के तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर तुलन पत्र की तिथि पर विद्यमान अपनी देनदारियों को पूर्ण करने की क्षमता के संबंध में अंकेक्षण प्रतिवेदन की तिथि पर भौतिक अनिश्चितता विद्यमान है।

(xx) निगमित सामाजिक उत्तरदायित्वों के संबंध में

प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे द्वारा कम्पनी के अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 की आवश्यकता के अनुसार कम्पनी को कोई राशि व्यय करने की आवश्यकता नहीं है एवं इसलिये पैरा 3 की धारा (xx) की उप-धारा (ए) एवं (बी) लागू नहीं होते हैं।

(xxi) समेकित वित्तीय विवरण के संबंध में

चूंकि कम्पनी समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए उत्तरदायी नहीं है, इसलिए उक्त खंड (xxi) के प्रावधान कम्पनी पर लागू नहीं होते हैं।

सुभाष चंद जैन अनुराग एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखापाल
फर्म पंजीकरण संख्या: 004733C
हस्ता./-
अक्षय जैन
पार्टनर
एम. क्रमांक 447487
यू.डी.आई.एन.: 25447487BMICRV9244

स्थान: नेपानगर
दिनांक: 26.06.2025

स्वतंत्र अंकेक्षकों के प्रतिवेदन के लिये अनुलग्नक-बी
(दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिये नेपा लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर)

(हमारी समसंख्यक तिथि के प्रतिवेदन के पैराग्राफ VIII 'अन्य कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन' अनुभाग के अंतर्गत पैराग्राफ 2 में संदर्भित)

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देशों और अतिरिक्त निर्देशों पर प्रतिवेदन

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देश

क्र.	सी.ए.जी. निर्देश	अंकेक्षकों का निरीक्षण
1.	क्या आई.टी. प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिये कम्पनी की व्यवस्था है? यदि हाँ, तो वित्तीय अनुमानों के साथ-साथ खातों की अखंडता पर आई.टी. प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ, यदि कोई हो, का उल्लेख करें।	कम्पनी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने के लिये फॉक्स प्रो का उपयोग करती है। सभी लेखांकन लेनदेन ऐसी आई.टी. प्रणाली के माध्यम से संसाधित होते हैं। हमारे अंकेक्षण के दौरान हम आई.टी. प्रणाली से बाहर संसाधित किसी भी वित्तीय लेनदेन में नहीं आये हैं। हम वित्तीय निहितार्थ, यदि कोई हो, के साथ खातों की अखंडता पर निहितार्थता का पता नहीं लगा सकते हैं।
2.	विद्यमान ऋण की कोई पुनर्संरचना है या छूट के किसी भी मामले/ऋण पत्र अपलेखन/ऋणों/ ब्याज आदि को कम्पनी द्वारा ऋण चुकाने के लिये कम्पनी को देय होने के कारण ऋण के लिये देय है, यदि हाँ तो वित्तीय प्रभाव दर्शायें। क्या ऐसे मामलों की ठीक से गणना की जाती है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कम्पनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कम्पनी के वैधानिक अंकेक्षक के लिये भी लागू होता है)।	ऐसे कोई मामले नहीं हैं।
3.	क्या केंद्रीय/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिये निधि (अनुदान/ रियायत इत्यादि) प्राप्त/प्राप्य इसकी निबंधन एवं शर्त के अनुसार ठीक से लेखा/उपयोग के लिये थे? विचलन के मामले को सूचीबध्द करें।	वर्ष के दौरान, किसी विशिष्ट योजना के लिये केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या उनकी एजेंसियों से अनुदान, सब्सिडी या अन्य सहायता के रूप में कोई धनराशि प्राप्त या प्राप्त नहीं हुई। तदनुसार, उपयोग की शर्तों से विचलन का प्रश्न ही नहीं उठता।

कृते सुभाष चंद जैन अनुराग एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखापाल
फर्म पंजीकरण संख्या: 004733C
हस्ता./-
अक्षय जैन
पार्टनर
एम. क्रमांक 447487
यू.डी.आई.एन.: 25447487BMICRV9244

स्थान: नेपानगर
दिनांक: 26.06.2025

स्वतंत्र अंकेक्षकों के प्रतिवेदन के लिये अनुलग्नक-सी

(दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिये नेपा लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर)

हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के अंतर्गत पैराग्राफ VIII के बिंदु 3(जी) का संदर्भ लिया गया है

(हमारी समसंख्यक तिथि के प्रतिवेदन के 'अन्य कानूनी एवं विनियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन' अनुभाग के अंतर्गत पैराग्राफ VIII के बिन्दु 3 (जी) में संदर्भित)

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 143 की उप धारा 3 की धारा (i) के अंतर्गत स्वप्रमाणित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर प्रतिवेदन

हमने वर्ष समाप्ति के समय पर कम्पनी स्वप्रमाणित वित्तीय विवरणों के हमारे अंकेक्षण के साथ के संयोजन में दिनांक 31.03.2025 पर नेपा लिमिटेड ("कम्पनी") के वित्तीय प्रतिवेदन पर वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अंकेक्षित किया।

I. आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिये प्रबंधन का उत्तरदायित्व

भारतीय सनदी लेखापाल संस्थान (आई.सी.ए.आई.) द्वारा जारी वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा में दर्शाये मार्गदर्शन टिप्पणी के आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य तत्वों को वित्तीय विवरणों के संदर्भ में शामिल कर कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय प्रतिवेदन कसौटी पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित, कम्पनी का प्रबंधन आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की स्थापना एवं संभालने के लिये उत्तरदायी है। इन उत्तरदायित्वों में रुपरेखा बनाना, यथेष्ट आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का क्रियान्वयन एवं देखरेख करना, कि वह अपने कार्य व्यापार के दक्ष मार्गदर्शन और क्रमानुरुप में सुनिश्चित करने के लिये प्रभावी रुप से प्रचालित कर रहे थे, शामिल कम्पनियों की नीतियों का आसंजन, इसकी परिसम्पत्तियों की सुरक्षा पर, धोखेबाजों अथवा त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखा अभिलेखों की परिपूर्णता और परिशुध्दता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना की समय से तैयारी कम्पनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित है।

II. अंकेक्षक का उत्तरदायित्व

हमारे उत्तरदायित्व, हमारे अंकेक्षण पर आधारित वित्तीय प्रतिवेदन पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर स्वप्रमाणित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में, अभिमत को अभिव्यक्त करना है। हमने अंकेक्षण का आयोजन कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत, नियत मानें और आई.सी.ए.आई. द्वारा जारी अंकेक्षण पर मानक और वित्तीय प्रतिवेदन (मार्गदर्शन टिप्पणी) पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण पर मार्गदर्शन टिप्पणी के अनुरुप किया है, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के एक अंकेक्षक के विस्तृत लागू के लिये, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के एक अंकेक्षण के लिये दोनों लागू और आई.सी.ए.आई. द्वारा दोनों जारी किया गया है। दोनों मानक मार्गदर्शन टिप्पणी आवश्यक है कि समस्त माल के संबंधों में, क्या यथेष्ट आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्वप्रमाणित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय नियंत्रणों पर स्थापित है, समुचित रखा गया है और अगर यथा नियंत्रण प्रभावी ढंग से प्रचालित हो, के बारे में हम नीतिगत विषयों और योजना एवं उचित आश्वासन पाने के लिये अंकेक्षण में अनुपालन करें।

हमारा अंकेक्षण, वित्तीय प्रतिवेदन पर स्वप्रमाणित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण व्यवस्था की यथेष्टता और उनकी प्रचालन प्रभाविता के बारे में, अंकेक्षण साक्ष्य को पाने के लिये प्रदर्शन प्रणाली में स्वप्रमाणित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में शामिल रहता है। वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का हमारा अंकेक्षण जिसमें स्वप्रमाणित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ को पाने, जोखिम का मूल्यांकन करना ताकि वस्तुगत कमजोरी निकल जाये, आंकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की प्रचालन प्रभावीयता और रुपरेखा का मूल्यांकन करना, जाँच करना, शामिल है। चयन प्रक्रियाएँ अंकेक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जहाँ धोखा अथवा त्रुटि हो, स्वप्रमाणित वित्तीय विवरणों के माल त्रुटि विवरण के जोखिम का आकलन शामिल है।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य वित्तीय प्रतिवेदन से अधिक स्वप्रमाणित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे अंकेक्षण अभिमत के लिये पर्याप्त एवं समुचित आधार प्रदान करते हैं।

III. वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अभिप्राय

सामान्यत: स्वीकृत लेखाविधि सिध्दांतों के अनुरुप बाह्य उद्देश्य हेतु वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय विवरणों की तैयारी और वित्तीय प्रतिवेदन की विश्वसनियता के संबंध में, एक उचित भरोसा प्रदान करने हेतु प्रक्रिया की रुपरेखा बनाई गयी है। कम्पनी का स्वप्रमाणित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रतिवेदन पर, जिसमें दोनों नीतियाँ और प्रणाली शामिल हैं, (1) अभिलेखों की समुचित देखभाल, उचित व विस्तृत जानकारी है, के संबंध में कम्पनी की परिसम्पत्तियों को हटाने और व्यवहार की पारदर्शिता और यथार्थ झलकता है; (2) उचित भरोसा प्रदान करना कि सामान्यत: स्वीकृत लेखा विधि के सिध्दांत के अनुपालन में वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिये अनुमति हेतु आवश्यकता पर व्यवहार दर्ज है और कम्पनी का व्यय और वह रसीद केवल कम्पनी के निदेशकों एवं प्रबंधन की अधिकृतता के अनुसार बना है; तथा (3) कम्पनी की परिसम्पत्तियों की व्यवस्था करने की वित्तीय विवरणों पर माल प्रभाव अथवा प्रयोग, अनाधिकृत अभिव्यंजन का समय पर पता लगाना अथवा निवारण के संबंध में उचित भरोसा प्रदान करना।

IV. वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमायें

चूँकि वित्तीय प्रतिवेदन पर स्वप्रमाणित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमायें, त्रुटि अथवा जालसाज के कारण माल विवरणों में दोष नियंत्रणों के अपर्याप्त प्रबंधन अति संचलन अथवा दुरसंधि की सम्भावनायें शामिल हैं, ध्यान में लाया जाये, जिसकी पड़ताल नहीं हुई है। वित्तीय प्रतिवेदन पर स्वप्रमाणित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के परियोजन, भविष्य के समय में जोखिम के अधीन है, की वित्तीय प्रतिवेदन पर स्वप्रमाणित वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अवास्तविक हो सकता है। क्योंकि परिस्थितियों में परिवर्तन अथवा नीतियों में अनुपालन का स्तर अथवा प्रणालियों का ह्रास हो सकता है।

V. योग्य अभिमत

हमें प्रस्तुत जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे अंकेक्षण के आधार पर, दिनांक 31.03.2025 तक वित्तीय रिपोर्टिंग पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के प्रचालन प्रभावशीलता में निम्नलिखित प्रत्यक्ष कमजोरियों की पहचान की गई है :-

(ए) लेखा पुस्तकों में लेखांकन प्रविष्टियाँ करने के संबंध में नियंत्रण पर्याप्त नहीं है तथा व्यवसाय के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप नहीं है।

(बी) कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 3(1) के प्रावधान के अनुसार, 1 अप्रैल, 2023 से प्रत्येक कम्पनी जो अपने खातों की पुस्तकों को बनाए रखने के लिये लेखांकन सॉफ़्टवेयर का उपयोग करती है, उसे केवल ऐसे लेखांकन सॉफ़्टवेयर का उपयोग करना चाहिए जिसमें ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) की सुविधा हो और तदनुसार, कम्पनी (अंकेक्षण एवं अंकेक्षक) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कम्पनी द्वारा उपयोग किए जाने वाले सॉफ़्टवेयर यानी फॉक्स-प्रो में लेखा पुस्तकों में किए गए प्रत्येक परिवर्तन के लिये ऑडिट ट्रेल और संपादन लॉग नहीं है, साथ ही सॉफ़्टवेयर में तारीख दर्ज नहीं की गई है। यदि ट्रेल उपलब्ध है, तो उसे संपादित/नियंत्रित किया जा सकता है।

(सी) कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में मालसूची कच्चे माल, लूज उपकरण, कलपुर्जों एवं तैयार माल शामिल हैं जो वित्तीय विवरणों में दिखाई देते हैं, धीमी/अप्रचलित मालसूची की नियमित निगरानी के संदर्भ में सुधार करने की आवश्यकता है।

(डी) कम्पनी द्वारा दिए गए व्यापार प्राप्य, व्यापार देय और अग्रिम से शेष राशि की पुष्टि की प्रक्रिया विकसित की जानी चाहिए; कम्पनी को अभी भी उनकी वसूली के संदर्भ में प्राप्य की सही स्थिति का आकलन करने की आवश्यकता है। कम्पनी को परियोजना की लंबी अवधि और कम्पनी द्वारा पर्याप्त व्यय के कारण आरएमडीपी परियोजना के विक्रेताओं के साथ खाता शेष के समाधान की प्रक्रिया शुरू करने की आवश्यकता है।

(ई) कम्पनी का लेखांकन सॉफ्टवेयर, देय व्यापार, प्राप्य व्यापार, कार्य-प्रगति पर पूंजी तथा प्राप्य उपार्जित आय के अंतर्गत वर्गीकृत मकान किराये की वसूली की जानकारी देने में सक्षम नहीं है।

(एफ) विभिन्न वित्तीय जानकारी विभिन्न विभागों के पास उपलब्ध है, कम्पनी को वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिये आवश्यक समन्वय की कमी को सशक्त करने की आवश्यकता है। वर्ष के अंत में वित्तीय समापन एवं रिपोर्टिंग प्रक्रिया की नियंत्रण व्यवसाय के आकार एवं प्रकृति के अनुरूप नहीं है।

(जी) पिछली अवधि के व्यय वर्तमान अवधि में दर्ज किए जाते हैं। इन्हें नकद आधार पर दर्ज किया जाता है।

(एच) बैंक लेन-देन रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया अपर्याप्त है। बैंक समाधान विवरण नियमित आधार पर तैयार नहीं किए जाते हैं। प्रविष्टियाँ वास्तविक समय के आधार पर अपडेट नहीं की जाती हैं। बी.आर.एस. के सत्यापन पर, यह पाया गया कि प्रविष्टियों के समाधान में काफी विलंब हो रहा है। वित्तीय अभिलेखों में सटीकता सुनिश्चित करने एवं उस अवधि के दौरान होने वाली किसी भी संभावित समस्या या त्रुटि का निरीक्षण करने और उसे सुधारने के लिये इन असंगत प्रविष्टियों को तुरंत संबोधित करना महत्वपूर्ण है।

वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में 'प्रत्यक्ष कमजोरी' एक कमी है, या कमियों का एक संयोजन है, जैसे कि एक उचित संभावना है कि कम्पनी के वार्षिक या अंतरिम वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत उपयोग को समय के आधार पर रोका नहीं जायेगा या इसका पता नहीं लगाया जायेगा।

सभी विषयों में कम्पनी के ऊपर सूचीबद्ध विषयों को छोड़कर, दिनांक 31.03.2025 तक वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण बनाये रखा। भारत के लेखा परीक्षक संस्थान द्वारा जारी वित्तीय प्रतिवेदन पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के अंकेक्षण पर मार्गदर्शन नोट में कहे गये आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुये कम्पनी द्वारा स्थापित वित्तीय विवरण मानदंड के संदर्भ में आंतरिक नियंत्रण"], और नियंत्रण मानदंडों के उद्देश्यों की उपलब्धि पर ऊपर वर्णित सामग्री की कमजोरियों के प्रभाव/ संभावित प्रभाव को छोड़कर, वित्तीय विवरण पर कम्पनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण दिनांक 31.03.2025 तक प्रभावी ढंग से चल रहे थे।

हमने कम्पनी के वित्तीय विवरणों के दिनांक 31.03.2025 के अंकेक्षण में लागू प्रकृति, समयावधि और अंकेक्षण परीक्षण की सीमा निर्धारित करने और ऊपर बताई गई प्रत्यक्ष कमजोरियों पर विचार किया है, और ये प्रत्यक्ष कमजोरियाँ कम्पनी के स्वप्रमाणित वित्तीय विवरण पर हमारे योग्य अभिमत को प्रभावित नहीं करती हैं।

कृते सुभाष चंद जैन अनुराग एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखापाल
फर्म पंजीकरण संख्या: 004733C
हस्ता./-
अक्षय जैन
पार्टनर
एम. क्रमांक 447487
यू.डी.आई.एन.: 25447487BMICRV9244

स्थान: नेपानगर
दिनांक: 26.06.2025

नेपा लिमिटेड

सी.आई.एन. : U21012MP1947GOI000636

पंजीकृत पता : नेपानगर, जिला बुरहानपुर (म.प्र.)-450221

दिनांक 31.03.2025 को तुलन-पत्र

(रुपये लाख में)

विवरण		नोट	31.03.2025 को	31.03.2024 को
I	**साम्य एवं देयतायें**			
(1)	**अंशधारकों की निधियाँ**			
	(ए) अंशपूँजी	"2"	69,432.78	69,432.78
	(बी) रिजर्व एवं अधिशेष	"3"	(94,855.61)	(83,717.05)
(2)	**आवंटन के लिये लम्बित अंश आवेदन राशि**	"4"	3,000.00	3,000.00
(3)	**गैर-चालू देयतायें**			
	(ए) दीर्घावधि ऋणी	"5"	3,930.40	6594.60
	(बी) दीर्घावधि प्रावधान	"6"	695.68	889.73
(4)	**चालू देयतायें**			
	(ए) अल्पावधि ऋणी	"7"	24,181.32	19,735.49
	(बी) व्यवसाय देय	"8"		
	(I) सूक्ष्म उद्योगों एवं लघु उद्योगों की बकाया राशि	"8ए"	465.67	584.97
	(II) सूक्ष्म उद्योगों एवं लघु उद्योगों के अलावा लेनदारों की कुल बकाया राशि	"8बी"	636.07	445.24
	(सी) अन्य चालू देयतायें	"09"	42,338.01	36,065.47
	(डी) अल्पावधि प्रावधान	"10"	1,159.65	868.23
	कुल योग		**50,983.98**	**53,899.46**
II	**परिसम्पत्तियाँ**			
(1)	**गैर-चालू परिसम्पतियाँ**			
	(ए) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण एवं अमूर्त परिसंपत्तियाँ	"11"		
	(i) संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	"11ए"	35,359.32	37,162.61
	(iii) अमूर्त परिसम्पत्ति	"11ए"	-	-
	(ii) चल रहे पूँजीगत कार्य	"11बी"	442.10	525.37
	(iii) विकासाधीन अमूर्त परिसम्पत्ति (ई.आर.पी.)	"11सी"	47.00	4.70
	(बी) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	"12"	40.76	40.76
	(सी) अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियाँ	"13"	1.41	1.16
(2)	**चालू परिसम्पत्तियाँ**			
	(ए) मालसूची	"14"	1,641.52	2,363.51
	(बी) व्यवसाय प्राप्य	"15"	204.87	305.01
	(सी) नकद एवं बैंक शेष	"16"	7,321.87	7,842.18
	(डी) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	"17"	1,218.09	1,230.42
	(ई) अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	"18"	4,707.04	4,423.76
	कुल योग		**50983.98**	**53,899.46**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ		"01"		
वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ		"02" से "47"		

हमारी इसी तिथि के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार
कृते सुभाष चंद जैन अनुराग एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखापाल
एफ.आर.एन. : 004733सी

सी.ए. अक्षय जैन
भागीदार
एम. क्रमांक 447487
यू.डी.आई.एन. : 25447487BMICRV9244
स्थान : नेपानगर
दिनांक : 26.06.2025

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके लिये

प्रदीप कुमार नाईक
निदेशक (वित्त)
(अतिरिक्त प्रभार)
डी.आई.एन. 08676709

सुश्री निधि मिश्रा
कम्पनी सचिव
एम.क्र. ए53762

कमोडोर अरविंद वढेरा
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डी.आई.एन.11104498

सी.ए. विकास रेड्डी
मुख्य वित्तीय अधिकारी

नेपा लिमिटेड

सी.आई.एन. : U21012MP1947GOI000636

पंजीकृत पता : नेपानगर, जिला बुरहानपुर (म.प्र.)-450221

दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिये लाभ-हानि विवरण

(रुपये लाख में)

	विवरण	नोट	दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिये	दिनांक 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिये
I	प्रचालन से राजस्व	"19"	**4,636.10**	12,458.61
II	अन्य आय	"20"	**921.50**	912.57
III	**कुल आय**		**5,557.60**	**13,371.18**
IV	**व्यय**			
	(ए) प्रयुक्त सामग्री की लागत	"21"	1,833.39	7,769.37
	(बी) व्यवसाय में स्टॉक का क्रय	"22"	1,269.43	1,372.55
	(सी) निर्मित माल की मालसूचियों में परिवर्तन	"23(ए)"	587.91	1,120.86
	(डी) व्यवसाय में स्टॉक की मालसूचियों में परिवर्तन	"23(बी)"	(7.30)	3.67
	(ई) कर्मचारी हित लाभ व्यय	"24"	2,404.81	1,280.32
	(एफ) वित्तीय लागत	"25"	5,647.93	5,257.47
	(जी) मूल्यह्रास और ऋण परिशोधन	"11"	1,888.53	1,878.19
	(एच) अन्य व्यय	"26"	3,071.40	7,364.87
	कुल व्यय		**16,696.10**	**26,047.31**
(V)	विशेष एवं असाधारण मदों के पूर्व लाभ/(हानि)		(11,138.50)	(12,676.13)
(VI)	असाधारण वस्तुएँ		-	-
(VII)	असाधारण मदें एवं कर के पूर्व लाभ/(हानि)		**(11,138.50)**	**(12,676.13)**
(VIII)	असाधारण मदें			
(IX)	कर के पूर्व लाभ/(हानि)		--	--
(X)	**कर व्यय**			
	वर्तमान कर		--	--
	विशेष कर		--	--
(XI)	प्रचालन जारी रखने की अवधि के लिये लाभ/(हानि)		**(11,138.50)**	**(12,676.13)**
(XII)	प्रचालन बंद करने की अवधि के लिये लाभ/(हानि)		--	--
(XIII)	बंद प्रचालन के लिये कर व्यय		--	--
(XIV)	प्रचालन बंद करने की अवधि के लिये लाभ/(हानि) (कर के पश्चात)		--	--
(XV)	कर के पश्चात् लाभ/(हानि)		**(11,138.50)**	**(12,676.13)**
	आय प्रति साम्य अंश			
	मूल		**(0.90)**	**(1.03)**
	डायल्यूटेड		**(0.90)**	**(1.03)**
	महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	"01"		
	वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियाँ	"02" से "47"		

हमारी इसी तिथि के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार
कृते सुभाष चंद जैन अनुराग एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखापाल
एफ.आर.एन. : 004733सी

सी.ए. अक्षय जैन
भागीदार
एम. क्रमांक 447487
यू.डी.आई.एन. : 25447487BMICRV9244
स्थान : नेपानगर
दिनांक : 26.06.2025

प्रदीप कुमार नाईक
निदेशक (वित्त)
(अतिरिक्त प्रभार)
डी.आई.एन. 08676709

सुश्री निधि मिश्रा
कम्पनी सचिव
एम.क्र. ए53762

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके लिये
कमोडोर अरविंद वढेरा
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डी.आई.एन.11104498

सी.ए. विकास रेड्डी
मुख्य वित्तीय अधिकारी

नेपा लिमिटेड

सी.आई.एन. : U21012MP1947GOI000636

पंजीकृत पता : नेपानगर, जिला बुरहानपुर (म.प्र.)-450221

दिनांक 31.03.2025 तक समाप्त वर्ष के लिये रोकड़ प्रवाह विवरण **(रुपये लाख में)**

	विवरण	समाप्त वर्ष 31.03.2025	समाप्त वर्ष 31.03.2024
ए.	**"प्रचालन गतिविधियों" से संबंधित रोकड़ प्रवाह**		
	असाधारण मदों एवं कर के पूर्व शुध्द लाभ/(हानि)	(11,138.50)	(12,676.13)
	के लिये समायोजन		
	अर्जित ब्याज	(395.46)	(494.23)
	मूल्यह्रास	1,888.53	1,878.19
	प्रावधान एवं देयतायें पुनः लिखे गये	-	-
	स्थायी परिसम्पतियों के विक्रय पर (लाभ)/हानी	-	-
	ब्याज एवं वितीय प्रभार	5,645.46	5,254.41
		(3,999.97)	**(6,037.76)**
	प्रचालन लाभ (कार्यशील पूँजी में परिवर्तन के पूर्व)		
	मालसूचियाँ (बढ़ोत्तरी)/कमी	721.99	1,585.80
	व्यवसाय एवं अन्य अभिग्राह्य (बढ़ोत्तरी)/कमी	100.14	(288.02)
	अन्य बैंक शेष (बढ़ोत्तरी)/कमी	0.01	0.01
	अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम (बढ़ोत्तरी)/कमी	12.32	1,298.59
	अन्य चालू परिसंपत्तियों में (बढ़ोत्तरी)/कमी	(283.28)	288.32
	व्यवसाय देय बढ़ोत्तरी/(कमी)	71.53	(36.32)
	प्रावधानों में बढ़ोत्तरी/(कमी)	97.36	(939.18)
	अल्पावधि ऋणी में बढ़ोत्तरी/(कमी)	1,781.64	1,650.07
	अन्य चालू देयताओं में बढ़ोत्तरी/(कमी)	6,272.55	5,457.70
	अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों में बढ़ोत्तरी/(कमी)	(0.25)	48.69
		8,774.01	**9 ,065.66**
	आय कर दत्त	--	--
	प्रचालन गतिविधियों से नकद की प्राप्ति (ए)	**4,774.03**	**(3,027.90)**
बी.	**विनियोजन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह**		
	संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का (क्रय)/विक्रय	(85.24)	(433.49)
	पुनरुद्धार एवं मिल विकास योजना में विनियोग (सी.डबल्यू.आई.पी.)	83.19	(50.15)
	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ का (क्रय)/विक्रय	(42.30)	-
	दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम में (बढ़ोत्तरी)/कमी	-	(14.99)
	स्थायी जमा में (बढ़ोत्तरी)/कमी	(2,666.43)	613.78
	अर्जित ब्याज	395.46	494.23
	विनियोजन गतिविधियों से नकद की प्राप्ति (बी)	**(2,315.31)**	**609.38**
सी.	**वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह**		
	बैंक अधिविकर्ष	-	-
	वर्ष के दौरान सब्सिडी रिजर्व से अंतरण	-	-
	भारत सरकार ऋण से प्राप्ति	(0.00)	-
	ब्याज एवं वितीय प्रभार दत्त	(5,645.46)	(5,254.41)
	अंश आवेदन राशि से प्राप्ति	--	--
	वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह (सी)	**(5,645.46)**	**5,254.41**
	रोकड़ एवं रोकड़ सममूल्यों में शुध्द अंतर्वहन/बहिर्गमन (ए-बी-सी)	**(3,186.74)**	(1,617.13)
जोड़े :	प्रारम्भिक रोकड़ एवं रोकड़ सममूल्य	5,384.54	7,001.67
	अंतिम रोकड़ एवं रोकड़ सममूल्य	**2,197.80**	**5,384.54**

रोकड़ एवं रोकड़ सममूल्य घटक

	विवरण	समाप्त वर्ष 31.03.2025	समाप्त वर्ष 31.03.2024
(ए)	हस्तगत रोकड़	3.45	2.13
(बी)	अनुसूची बैंकों में शेष	1,539.31	4,601.54
(सी)	तीन माह में परिपक्व एफ.डी. आर.	655.04	780.87
	योग	**2,197.80**	**5,384.54**

नोट :-

1. उपरोक्त निधि प्रवाह विवरण "परोक्ष प्रणाली" के तहत् तैयार किये गये है। जैसा कि लेखा विधि मानक - 3 रोकड़ प्रवाह विवरण में प्रदर्शित है।
2. तुलन पत्र के अनुसार रोकड़ एवं बैंक शेष की राशि रुपये 7321.87 लाख (गत वर्ष रुपये 7842.18 लाख) में रोकड़ एवं रोकड़ सममूल्य के रुपये 2197.81 लाख (गत वर्ष रुपये 5384.54 लाख) सम्मिलित हैं।
3. सी.ए.जी. अवलोकन के अनुसार अल्पावधि सावधि जमा (तीन महीने के भीतर परिपक्व होने वाली) को "नकदी और नकदी समतुल्य" (गत वर्ष को अन्य बैंक शेष के तहत दिखाया गया है) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
4. गत वर्ष के आंकड़े, जहाँ कहीं आवश्यक हुआ, पुनः दर्शाये/पुनर्वर्गीकृत किये गये हैं।

हमारी इसी तिथि के संलग्न प्रतिवेदन के अनुसार
कृते सुभाष चंद जैन अनुराग एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखापाल
एफ.आर.एन. : 004733सी

सी.ए. अक्षय जैन
भागीदार
एम. क्रमांक 447487
यू.डी.आई.एन. : 25447487BMICRV9244
स्थान : नेपानगर
दिनांक : 26.06.2025

प्रदीप कुमार नाईक
निदेशक (वित्त)
(अतिरिक्त प्रभार)
डी.आई.एन. 08676709

सुश्री निधि मिश्रा
कम्पनी सचिव
एम.क्र. ए53762

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके लिये
कमोडोर अरविंद वढेरा
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
डी.आई.एन.11104498

सी.ए. विकास रेड्डी
मुख्य वितीय अधिकारी

दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिये वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

नोट क्रमांक 01

निगमित जानकारी

नेपा लिमिटेड (कम्पनी) भारत की एक अग्रणी अखबारी कागज बनाने वाली कम्पनी 30000 टी.पी.ए. की संस्थापित क्षमता के साथ आरम्भ हुई है, जो मध्यप्रदेश में बुरहानपुर जिले के नेपानगर में स्थित है। तत्कालीन प्रधानमंत्री स्व. श्री पंडित जवाहरलाल नेहरु ने इस मिल को दिनांक 26.04.1956 को राष्ट्र को समर्पित किया था। कम्पनी ने चरणबध्द तरीके से वर्तमान संस्थापित क्षमता 88000 टन प्रतिवर्ष तक विस्तार किया।

संस्थान की तकनीक एवं संयंत्र पाँच दशक से अधिक पुराने हैं और प्रचालन में अवरोध/अड़चनें थी। वर्ष 1996 में म.प्र.वि.मं. (मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल) द्वारा विद्युत आपूर्ति विसंयोजन कर देने और वनोपज कच्चेमाल की अत्यधिक कमी के कारण वर्ष 1997 से कम्पनी डी.आई.पी. (डी-इंकिंग प्लांट) के बिना, जो स्याही वाले रिकवर्ड पेपर की प्रक्रिया के लिये आवश्यक है, रिकवर्ड पेपर की रिसाइकलिंग की ओर मुड़ी, जिसके कारण कम्पनी लगातार हानि में चली गई।

कम्पनी ने मार्च 2014 में बी.आई.एफ.आर. द्वारा स्वीकृत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित पुनरुध्दार एवं मिल विकास योजना (आर.एम.डी.पी.) को दिनांक 22.08.2022 को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। कम्पनी को पुनर्जीवित करने एवं वित्तीय संकट को कम करने के लिये आर.एम.डी.पी. के अंतर्गत एक नये 300 टी.पी.डी. डी-इंकिंग प्लांट की स्थापना एवं पेपर मशीन तथा कैप्टिव पावर प्लांट का नवीनीकरण किया गया है।

महत्वपूर्ण लेखा विधि नीतियाँ

1. तैयारी एवं प्रस्तुति का आधार

कम्पनी के वित्तीय विवरण लेखांकन के आकस्मिक एवं लेखा मानकों के साथ निर्दिष्ट ऐतिहासिक लागत एवं चिंता के आधार पर तथा सामान्यत: भारत में स्वीकार्य लेखा सिध्दांतों (भारतीय जी.ए.ए.पी.) के अनुसार तैयार एवं प्रस्तुत किये जा चुके हैं। कम्पनी, कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133, जिसे कम्पनी (लेखा मानक) नियम, 2021 के साथ पढ़ा जायें, के अंतर्गत लेखा विधि मानकों के संबंधित सामग्री के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार कर चुकी है।

लेखा नीति कम्पनी द्वारा निरंतर लागू है और पिछले वर्ष में भी निरंतर प्रयोग हुआ है। समस्त परिसम्पत्तियाँ और देयतायें चालू और गैर-चालू के रुप में वर्गीकृत हैं। कम्पनी के प्रचालन तंत्र और अन्य मानदण्ड अनुसूची III, समतुल्य रोकड़ सूची और रोकड़ तथा प्रक्रियाधीन एक लिये उत्पाद की प्रकृति और समय एवं परिसम्पत्ति के अधिग्रहण के बीच है। कम्पनी 12 महीने के इसके प्रचालन तंत्र के रुप में परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के चालू तथा गैर-चालू वर्गीकरणों के उद्देश्य के लिये सुनिश्चित कर चुकी है।

2. अनुमान का उपयोग

वित्तीय विवरण की तैयारी में सामान्यत: भारत में स्वीकार्य लेखा सिध्दांतों (जी.ए.ए.पी.) अनुमान एवं पूर्वानुमान के साथ अनुरुपता है, जो परिसम्पत्तियों और दायित्वों की प्रतिवेदित राशियों को प्रभावित करने एवं आकस्मिक परिसम्पत्तियों तथा दायित्वों का खुलासा एवं वित्तीय विवरणों की तिथि पर दायित्वों को प्रभारित करते हैं। वास्तविक परिणाम अनुमानित से भिन्न हो सकते हैं। लेखांकन अनुमानों में कोई भी संशोधन वर्तमान एवं भविष्य की अवधि में संभावित रूप से मान्यता प्राप्त है।

3. परिसम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (पी.पी.ई.)

(i) मान्यता एवं मापन

पी.पी.ई. को करों/शुल्कों की लागत के आधार पर प्रारंभिक मान्यता पर मापा जाता है, क्रेडिट का लाभ उठाया जाता है, यदि कोई हो, तथा बाद में कम संचित मूल्यह्रास एवं संचित हानि नुकसान, यदि कोई हो, पर किया जाता है।

पी.पी.ई. की लागत में अर्हक परिसम्पत्ति के अधिग्रहण, निर्माण या प्रस्तुतीकरण के लिये सीधे जिम्मेदार ऋणी लागत सम्मिलित है। अर्हक परिसम्पत्ति वे परिसम्पत्तियाँ हैं जो आवश्यक रूप से अपने इच्छित उपयोग के लिये तैयार होने के लिये पर्याप्त समय लेती हैं।

पी.पी.ई. की परिभाषा को पूरा करने वाले मशीनरी पुर्जों को परिसंपत्ति के प्रमुख मद के उपयोगी जीवनकाल पर पूँजीकृत एवं मूल्यह्रास किया जाता है।

संयंत्र एवं मशीनरी के साथ क्रय किये गये कलपूर्जों या इसके पश्चात जो मान्यता मानदंडों को पूरा करते हैं, को ऐसे मदों की परिसम्पत्ति की वहन राशि में पूँजीकृत एवं जोड़ा जाता है। उन कलपूर्जों की वहन राशि को बदल दिया जाता है, जब उनके उपयोग या निपटान से कोई भविष्य के आर्थिक लाभ की अपेक्षा नहीं की जाती है। अन्य मशीनरी पुर्जों को भंडार और पुर्जों के रूप में मालसूचियों का भाग माना जाता है।

फुटकर औजारों को जारी किये जाने वाले वर्ष में उपभोग करने के लिये उनके जीवनकाल के बावजूद प्रभारित किया जाता है।

(ii) अनुवर्ती व्यय

अनुवर्ती लागत को परिसम्पत्ति की वहन राशि में सम्मिलित किया जाता है या एक अलग परिसम्पत्ति के रूप में पहचाना जाता है, जब उचित हो, तभी यह संभव है कि मदों से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कम्पनी को मिलेंगे एवं मदों की लागत को स्थायिता से मापा जा सकता है। प्रतिवेदन अवधि के दौरान लाभ या हानि विवरण के लिये अन्य समस्त मरम्मत एवं रखरखाव का शुल्क लिया जाता है जिसमें वे सम्मिलित होते हैं।

(iii) अमान्यता

पी.पी.ई. के एक मद को निपटान पर या जब किसी भविष्य के आर्थिक लाभ की अपेक्षा नहीं की जाती है तो मद के निरंतर उपयोग से उत्पन्न होता है। पी.पी.ई. के मद के निपटान या निवृत्ति पर उत्पन्न होने वाले किसी भी लाभ या हानि को विक्रय की आय एवं राशि के बीच अंतर के रूप में निर्धारित किया जाता है तथा यह उस अवधि में लाभ एवं हानि विवरण में पी.पी.ई. की अमान्यता प्राप्त है।

(iv) मूल्यह्रास

मूल्यह्रास की गणना सीधी कटौती पद्धति का उपयोग करके कम्पनी अधिनियम के अनुसार 95% अधिगृहण लागत पर परिसम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के मदों की लागत पर की जाती है। शेष राशि का 5% मूल्य पुस्तकों में रखा गया है।

तथापि, निम्नलिखित परिसम्पत्तियों के विषय में, जिनके उपयोगी जीवन का निर्धारण प्रबंधन द्वारा तकनीकी आँकलन के आधार पर किया गया है, इस प्रकार है :-

परिसम्पत्ति का वर्ग	मूल्यह्रास की अवधि अपनाई गई	मूल्यह्रास की अवधि भाग-सी अनुसूची-II के अनुसार	अंतर
संयंत्र एवं मशीनरी तथा वाटर वर्क्स	18 वर्ष	15 वर्ष	3 वर्ष
रेलवे साइडिंग	18 वर्ष	15 वर्ष	3 वर्ष
डीज़ल जनरेटर सेट	10 वर्ष	15 वर्ष	5 वर्ष
ट्रेक्टर एवं तेल इंजन	10 वर्ष	8 वर्ष	2 वर्ष
अग्निशामक उपकरण	10 वर्ष	5 वर्ष	5 वर्ष
कारखाना भवन	30 वर्ष	60 वर्ष	30 वर्ष
विद्युत एवं पानी स्थापना	60 वर्ष	30 वर्ष	30 वर्ष

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में अवशिष्ट मूल्यों, उपयोगी जीवन तथा परिसम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों के मूल्यह्रास के पद्धतियों की समीक्षा की जाती है और यदि उचित हो, तो समायोजित किया जाता है।

4. अमूर्त परिसम्पत्तियाँ

प्राप्त अमूर्त

अमूर्त परिसम्पत्तियों को प्रारम्भ में लागत पर आंका जाता है। इस तरह की अमूर्त परिसम्पत्तियाँ बाद में लागत कम संचित परिशोधन एवं किसी भी संचित हानि नुकसान पर आंकी जाती है।

अनुवर्ती व्यय

अनुवर्ती व्यय को तभी पूँजीकृत किया जाता है, जब यह उस विशिष्ट परिसम्पत्ति में सन्निहित भविष्य के आर्थिक लाभों को बढ़ाता है जिससे यह संबंधित होता है। अन्य समस्त व्यय, लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता प्राप्त है जब कभी व्यय किया जाता है।

परिशोधन

परिशोधन की गणना अमूर्त परिसम्पत्तियों की लागत को उनके अनुमानित उपयोगी मूल्यों से कम करने के लिये की जाती है, जो कि सीधी कटौती पद्धति का उपयोग करके उनके अनुमानित उपयोगी जीवन से कम है और इसे लाभ एवं हानी विवरण में मूल्यह्रास और परिशोधन में सम्मिलित किया गया है।

परिशोधन विधि, उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में की जाती है और उपयुक्त होने पर समायोजित की जाती है।

अमान्यता

एक अमूर्त परिसम्पत्ति की अमान्यता से उत्पन्न होने वाले नुकसान या नुकसान को शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में आंका जाता है तथा परिसम्पत्ति के अमान्य होने पर लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त होती है।

5. चल रहे पूँजीगत कार्य

(i) निर्माणाधीन परिसम्पत्तियों पर व्यय (आर.एम.डी.पी. परियोजना सहित) चल रहे पूँजीगत कार्य के तहत लागत पर किया जाता है। इस तरह की लागतों में आयात शुल्क एवं गैर-वापसी योग्य करों सहित परिसम्पत्ति का क्रय मूल्य सम्मिलित हैं, व्यापार छूट और छूट में कटौती के पश्चात तथा लागत जो सीधे स्थान के लिये परिसम्पत्ति लाने के लिये और इसके लिये आवश्यक शर्त प्रबंधन द्वारा संचालित तरीके से संचालन करने में सक्षम होने के लिये आवश्यक हैं।

(ii) निर्माणाधीन परियोजनाओं के लिये सीधे जिम्मेदार लागत में कर्मचारियों के लाभों की लागत, सर्वेक्षण और परियोजनाओं की जांच गतिविधियों के संबंध में व्यय, साइट की तैयारी लागत, प्रारंभिक वितरण और हैंडलिंग शुल्क, स्थापना और विधानसभा लागत, पेशेवर शुल्क, उन्नयन पर व्यय, आम जनता की सुविधाओं के अलावा, परियोजना के निर्माण में उपयोग की जाने वाली परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास, निर्माण के दौरान ब्याज और परियोजनाओं के निर्माण के लिये अन्य लागतें शामिल हैं। इस तरह की लागत 'चल रहे पूँजीगत कार्य' के तहत जमा होती है एवं बाद में परियोजनाओं के प्रवर्तन पर भूमि तथा बुनियादी सुविधाओं के अलावा प्रमुख परिसम्पत्तियों पर व्यवस्थित रूप से आवंटित की जाती है।

(iii) सुविधाओं के निर्माण के लिये किया गया पूँजीगत व्यय, जिस पर कम्पनी का नियंत्रण नहीं है, लेकिन परियोजनाओं के निर्माण के लिये मुख्य रूप से निर्माण आवश्यक है, को 'चल रहे पूँजीगत कार्य' और ए.एस. 16-परिसम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण विशेषता क्षमता तथा 'मापन की ईकाई' के मद्देनजर, परियोजनाओं के प्रवर्तन पर, भूमि एवं संरचना सुविधाओं के अलावा अन्य प्रमुख परिसम्पत्तियों के आधार पर बाद में व्यवस्थित रूप से आवंटित किया जाता है। परियोजना के पूरा होने के पश्चात इस तरह की प्रकृति का व्यय, लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किया जाता है।

6. मालसूची

(i) मालसूची की मदों को अप्रचलन के लिये प्रदान करने के पश्चात लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य से कम पर आंका जाता है, यदि कोई हो। मालसूची की लागत में क्रय की लागत, परिवर्तन की लागत एवं निर्माण लागत सहित अन्य वसूली योग्य करों के शुध्द उपरिव्यय को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में सम्मिलित हैं।

(ii) कच्चे माल, भण्डार एवं पुर्जों, पैकिंग सामग्री तथा अन्य उत्पादों के मामले में उपयोग की जाने वाली लागत सूत्र भारित औसत लागत है।

(iii) मार्गस्थ कच्चा माल, मार्गस्थ स्टोर एवं निरीक्षणाधीन, कल पुर्जे, प्रक्रिया में स्टॉक, मालसूची प्रत्यक्षत: आरोपणीय लागत के सिध्दांत पर मूल्यांकित की जाती हैं।

(iv) पेट्रोल, डीज़ल, स्नेहक तेल एवं अतिरिक्त प्रीमियम पेट्रोल के अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के आधार पर लागत पर किया जाता है।

(v) कोले के अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन भारित औसत लागत पर किया जाता है।

(vi) स्क्रैप के अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन (विक्रय मूल्य विक्रय पर किसी भी व्यय को घटाकर) शुध्द वसूली योग्य मूल्य के रूप में किया जाता है।

(vii) कोल सिंडर का भण्डारण और स्क्रैप का मूल्यांकन अनुमानित प्राप्य मूल्य के सिध्दांत पर किया जाता है। अनुमानित प्राप्य मूल्यगत वित्तीय वर्ष की तिमाही के दौरान विक्रय की गई मात्रा की औसत दर है। यदि पिछली तिमाही में कोई विक्रय नहीं आया, तब पिछली तिमाही की औसत दर का मूल्यांकन के लिये विचार किया गया है।

(viii) अखबारी कागज के स्व-उपभोग एवं अस्वीकृत पुराने स्टॉक को फिर से पल्पिंग करने के लिये कोई समायोजन नहीं किया गया है।

(ix) मालसूचियों के प्रत्यक्ष सत्यापन के दौरान पाई जाने वाली कमी/अधिकता को उपभोग के लिये समायोजित किया जाता है।

(x) बीमा पुर्जों को छोड़कर भण्डार एवं पुर्जों की मदों के संबंध में जो पांच साल से अधिक समय तक नहीं चले हैं, अप्रचलन भत्ता के लिये पूर्ण प्रावधान बनाया गया है।

7. विदेशी विनिमय व्यवहार

(i) विदेशी मुद्राओं में संप्रेषित लेन-देन सामान्य रूप से लेन-देन के समय प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किए जाते हैं।

(ii) वर्ष के अंत में विदेशी मुद्राओं में निगमित की गई मौद्रिक मदों को समापन विनिमय दर पर अनुवादित किया जाता है और परिणामी विनिमय अंतर को लाभ एवं हानि खाते में मान्यता दी जाती है।

8. राजस्व मान्यता

राजस्व को सामग्री एवं सेवा कर की मान्यता प्राप्त है, इस सीमा तक रिबेट एवं छूट तथा वैट मिलता है कि यह संभव है कि कम्पनी को आर्थिक लाभ होगा तथा राजस्व को मज़बूती से आंका जा सकता है।

आय को बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए समय अनुपात के आधार पर मान्यता प्राप्त है।

9. अनुसंधान एवं विकास

अनुसंधान एवं विकास व्यय, प्रयोगशाला सुविधा पर होने वाले व्यय और संबंधित स्टॉफ वेतन व्यय अनुसंधान एवं विकास व्यय के अंतर्गत लाभ एवं हानि विवरण में प्रभारित किये गये हैं।

10. आर्थिक सहायता एवं अनुदान

राजस्व प्रकृति की अनुवृत्ती एवं अनुदान को मान्यता दी जाती है जहां उचित आश्वासन होता है कि उद्यम उनसे जुड़ी शर्तों का पालन करेगा और जहां उद्यम द्वारा इस तरह के लाभ अर्जित किये गये हैं तथा यह तर्कसंगत रूप से निश्चित है कि अंतिम संग्रह किया जायेगा। मध्यप्रदेश हाऊसिंग बोर्ड से प्राप्त आर्थिक सहायता को लाभ हानि विवरण में स्थानांतरित की गई शुध्द राशि दर्शाई गई है। स्कूल स्टाफ के वेतन के पक्ष में मध्यप्रदेश शासन से प्राप्त सहायता को शाला व्यय से शुध्द वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि विवरण में अन्य व्ययों के अंतर्गत दर्शाया गया है।

11. क्रय एवं विक्रय के अनुबंध से उत्पन्न दावे

आपूर्ति और सेवाओं के लिये विक्रेता/ठेकेदारों को प्राप्त योग्य या उन्हें देय दावें जो परिसमापन, नुकसान में बढ़ोत्तरी, ब्याज इत्यादि के कारण उत्पन्न हुई है तथा जहाँ सम्बन्धित क्रय/कार्य आदेश की शर्तों के तहत् प्रदान नहीं किये गये हैं उनका समावेश अंतिम निपटारे के समय रखा गया है। विक्रय के ठेके के लिये ऐसे ही समान दावों का समावेश अंतिम निपटारे के आधार पर रखा गया है।

12. व्ययों का विनियोजन

कोयला, भण्डारों और कल पूर्जों को वास्तविक उपभोग के आधार पर विभिन्न व्यय मदों जैसे ऊर्जा उत्पादन, विनिर्माण व्यय, मरम्मत और अनुरक्षण में निर्धारित किये गये हैं। इसी प्रकार स्थापना संबंधी खर्चों को वास्तविक आधार पर नगरीय और सामाजिक उपरिव्यय एवं अन्य प्रकार के खर्चों में निर्धारित किया गया है।

13. ऋणी लागत

ऋणी लागत, जो विशेषक परिसम्पत्तियों के अधिग्रहण अथवा निर्माण के लिये सीधी आरोपणीय है, को ऐसी परिसम्पत्तियों की लागत के भाग के रुप में पूँजी में परिणत किया गया है। विशेषक परिसम्पत्ति वह है, जो अपने अभीष्ट उपयोग के लिये तैयार रहने के लिये आवश्यक रुप से पर्याप्त समयावधि लेती है। अन्य सभी ऋणी लागत लाभ एवं हानि विवरण में उस अवधि के लिये प्रभारित की गई है, जिनमें वे लिये गये हैं।

14. कर्मचारी हित लाभ व्यय

अल्पावधि कर्मचारी हित लाभ

सेवा प्रदान करने के बारह महीनों के भीतर पूरी तरह से देय समस्त कर्मचारी हित लाभों को अल्पावधि कर्मचारी हित लाभों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा लाभ एवं हानि के विवरण के रूप में एक आकस्मिक आधार पर अघोषित राशि पर व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त है।

परिभाषित हित लाभ योजनायें

(i) कम्पनी की उपादान हित लाभ योजना परिभाषित हित लाभ योजना है। कम्पनी की उपादान योजना के संबंध में शुध्द बाध्यता भविष्य की हित लाभ की राशि के अनुसार यह कि कर्मचारी ने जो कमाया यह उनकी वर्तमान एवं पूर्ण अवधि की सेवाओं के लिये वापसी है, पर परिकल्पित है। योजना परिसम्पत्तियों के वर्तमान मूल्य एवं उचित मूल्य के निर्धारण करने में कटौती के लिये हित लाभ में छूट दी गई है।

(ii) उपयुक्त परिभाषित योजना के तहत् बाध्यता के वर्तमान मूल्य का निर्धारण परियोजना इकाई प्रत्यय पध्दति को अपनाते हुये बीमांकिक आधार पर किया गया है।

(iii) बाध्यता का मापन भविष्य की अनुमानित रोकड़ प्रवाह के वर्तमान मूल्य पर मापन किया गया है। परिभाषित हित लाभ योजना के तहत बाध्यता के वर्तमान मूल्य के निर्धारण के लिये उपयोग की गई कटौती दर तुलन पत्र की तिथि पर सरकार की प्रतिभूतियों पर बाजार वृध्दि पर आधारित है।

(iv) बीमांकिक लाभ एवं हानियों को तुरंत वर्ष के अंत में बनने वाले लाभ एवं हानि विवरण में अभिज्ञात किया गया है।

(v) उपदान एवं अन्य रोजगार पश्चात लाभों के संबंध में देयता की गणना अनुमानित इकाई प्रत्यय पध्दति का उपयोग करके की जाती है और उस अवधि में फैलती है जिसके लाभ कर्मचारियों की सेवाओं के दौरान प्राप्त होने की उम्मीद है।

परिभाषित अंशदान योजनायें

भविष्य निधि आयुक्त द्वारा प्रशासित अंशदायी भविष्य निधि परिभाषित अंशदान योजना है। योजनाओं के तहत दत्त/देय कम्पनी के योगदान को उस अवधि के दौरान लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है। इसके अलावा कम्पनी स्वैच्छिक अंशदान के रूप में कर्मचारियों के लिये कर्मचारी डी-लिंक बीमा का भुगतान करती है।

15. रोकड़ प्रवाह विवरण

रोकड़ प्रवाह विवरण "लेखा विधि स्तर में अप्रत्यक्ष सिध्दांत 3" को प्रयोग करते हुये तैयार किया गया है। "रोकड़ प्रवाह विवरण", जो कम्पनी के प्रचालन, निवेश एवं वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह प्रस्तुत करता है।

16. कर निर्धारण

(i) चालू करों का मापन लागू कर दरों एवं कर नियमों का उपयोग कर रहे कर प्राधिकारियों को भुगतान की जाने वाली अपेक्षित राशि (से वसूली) पर किया गया है।

(ii) सभी समय के अंतरों के लिये पुस्तकों में आस्थगित कर को मान्यता दी जानी है। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि किसी अवधि के लिये वित्तीय विवरणों को उस अवधि में होने वाले सभी लेनदेन के कर प्रभाव, चाहे वर्तमान हो या आस्थगित, को मान्यता देना पहचानना चाहिये।

तथापि, आस्थगित कर परिसम्पत्तियों को मान्यता दी जानी चाहिये एवं केवल इस हद तक आगे बढ़ाया जाना चाहिये कि एक उचित निश्चितता है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी, जिसके विरूध्द ऐसी आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ साधित हो सकती है।

इस प्रकार कम्पनी ने कर योग्य आय और लेखा आय के बीच समय के अंतर के कारण कम्पनी को आस्थगित कर के लिये प्रदान नहीं किया है, जिससे व्यवसाय हानि और अपघटित मूल्यह्रास किया गया है क्योंकि कोई ठोस साक्ष्य नहीं है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध हो, जिसके विरूध्द ऐसी आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ साधित हो सकती है, किया गया हो।

17. प्रावधान, आकस्मिक देयतायें एवं आकस्मिक परिसम्पत्तियाँ

(i) प्रावधान खातों में तब मान्य है जब पुरानी घटनाओं के परिणामस्वरुप वर्तमान बाध्यता हो और यह सम्भावना है कि बाध्यता की पूर्ति और एक तर्कसंगत अनुमान मिल सके, इसके लिये संसाधनों का बहिर्गमन आवश्यक है। प्रावधान उनकी वर्तमान मूल्य पर अगणनीय है और प्रतिवेदित तिथि के समय बाध्यता की पूर्ति हेतु सर्वश्रेष्ठ आवश्यक अनुमान के आधार पर निर्धारित है। ये अनुमान प्रत्येक प्रतिवेदित तिथि पर पुनरीक्षित है और चालू श्रेष्ठ अनुमानों को प्रकट करने के लिये समायोजित किये हैं।

(ii) आकस्मिक देयतायें सम्भावित बाध्यता है, जो पुरानी घटनाओं से उत्पन्न है, जिनकी विद्यमानता एक अथवा अधिक अनिश्चित भविष्य की घटना है, जो कम्पनी अथवा वर्तमान बाध्यता के नियंत्रण से परे उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति द्वारा पुष्टि होगी, जो मान्य नहीं है, क्योंकि यह सम्भावना नहीं है कि बाध्यता की पूर्ति हेतु संसाधनों का बहिर्गमन आवश्यक होगा। आकस्मिक देयतायें भी नितांत ही बिरले प्रकरण में उत्पन्न होती है, जहाँ यह दायित्व है कि जिसे मान्य नहीं कर सकते क्योंकि इसका मापन तर्कसंगत नहीं हो सकता। कम्पनी ने आकस्मिक देयतायें मान्य नहीं किये है, परंतु वित्तीय विवरणों में इनका खुलासा किया है।

(iii) आकस्मिक परिसम्पत्तियों को न तो मान्य किया है और न ही वित्तीय विवरणों में खुलासा किया है।

18. प्रति साम्य अंश अर्जन

कम्पनी अपने सामान्य अंशों के लिये मूल और तनूकृत अर्जन प्रति अंश (ई.पी.एस.) आधार सामग्री प्रस्तुत करती है। अवधि के दौरान बकाया साधारण अंशों की भारित औसत संख्या के आधार पर कम्पनी के सामान्य अंशधारकों के लिये लाभ या हानि को विभाजित करके मूल ई.पी.एस. की गणना की जाती है। तनूकृत ई.पी.एस. सामान्य अंशधारकों के कारण लाभ या हानि को समायोजित करके एवं सभी संभावित तनुकृती सामान्य अंशों के प्रभावों के लिये समायोजन के पश्चात शेष सामान्य अंशों की भारित औसत संख्या को निर्धारित किया जाता है।

19. पट्टे

पट्टेदार के रूप में कम्पनी पट्टों को वर्गीकृत करती है, जहां पट्टेदार प्रभावी रूप से पट्टे के कार्यकाल पर स्वामित्व के सभी अधिकारों एवं लाभों को काफी हद तक बनाये रखता है। प्रचालन पट्टा किराये को पट्टा अवधि से अधिक व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

20. प्रचालन चक्र

कम्पनी अपने प्रचालन चक्र के आधार पर चालू/गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर तुलन पत्र में परिसम्पतियों एवं देयताओं को प्रस्तुत करती है। कम्पनी ने अपने प्रचालन चक्र के रूप में बारह माह की मान्यता दी है।

ए. किसी परिसम्पत्ति को वर्तमान के रूप में माना जाता है, जब :-

(ए) सामान्य प्रचालन चक्र में मान्य किये जाने या विक्रय किये जाना या उपभुक्त होना अपेक्षित हो;

(बी) मुख्य रूप से व्यवसाय के उद्देश्य के लिये रखी हो;

(सी) प्रतिवेदन अवधि के पश्चात बारह माह के भीतर मान्य किया जाना अपेक्षित हो; अथवा

(डी) प्रतिवेदन अवधि के पश्चात कम से कम बारह माह के लिये विनिमय करने या देयता का निपटान करने हेतु उपयोग करने से प्रतिबंधित होने तक रोकड़ या रोकड़ समतूल्य।

अन्य सभी परिसम्पत्तियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

बी. देयता चालू है जब :-

(ए) यह सामान्य प्रचालन चक्र में व्यवस्थित होना अपेक्षित हो;

(बी) यह मुख्य रूप से व्यवसाय के उद्देश्य के लिये रखी हो;

(सी) यह प्रतिवेदन अवधि के पश्चात बारह माह के भीतर व्यवस्थित होने के कारण हो; अथवा

(डी) प्रतिवेदन अवधि के पश्चात कम से कम बारह माह के लिये देयता के निपटान को स्थगित करने का कोई बिना शर्त अधिकार नहीं है।

अन्य सभी देयताओं को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

21. महत्वपूर्ण लेखांकन निर्णय और आकलन अनिश्चितता के प्रमुख स्रोत

वित्तीय विवरणों की तैयारी हेतु अनुमानों एवं निर्णयों को बनाने के लिये प्रबंधन की आवश्यकता होती है जो वित्तीय विवरणों की तिथि तथा प्रस्तुत अवधियों के लिये आय एवं व्यय की रिपोर्ट के अनुसार परिसंपत्तियों एवं देनदारियों तथा प्रकटीकरण की प्रतिवेदित की गई शेष राशि को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम विभिन्न मान्यताओं एवं शर्तों पर विचार करने वाले अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमान एवं अंतर्निहित मान्यताओं की समीक्षा निरंतर आधार पर की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन के कारण प्रभाव उस अवधि में माने जाते हैं जिसमें अनुमान संशोधित किये जाते हैं एवं भविष्य की अवधि प्रभावित होती है।

(i) व्यवसाय प्राप्य की प्राप्तता

व्यवसाय प्राप्तियों का हानि प्रावधान चूक एवं अवधि के जोखिम के संबंध में मान्यताओं पर आधारित है। कम्पनी पूर्व वृतांत, विद्यमान बाजार स्थितियों एवं साथ ही प्रत्येक प्रतिवेदित अवधि के अंत में अनुमानित अनुमानों के आधार पर मान्यताओं को बनाने में निर्णयों का उपयोग करती है।

(ii) प्रावधान

प्रावधान और दायित्व उस अवधि में माने जाते हैं जब यह संभव हो जाता है कि पिछले कार्यों या घटनाओं के परिणामस्वरूप धन का भविष्य में बहिर्वाह होगा एवं नकद बहिर्वाह की राशि का अनुमान लगाया जा सकता है। दायित्व की मान्यता एवं मात्रा निर्धारण के समय को विद्यमान तथ्यों तथा परिस्थितियों के लिये निर्णय के आवेदन की आवश्यकता होती है, जो परिवर्तन के अधीन हो सकता है। प्रावधानों एवं देनदारियों की मात्रा की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है तथा बदलते तथ्यों एवं परिस्थितियों का ध्यान रखा जाता है।

नेपा लिमिटेड

सी.आई.एन. : U21012MP1947GOI000636

पंजीकृत पता : नेपानगर, जिला बुरहानपुर (म.प्र.)-450221

दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिये वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

नोट क्रमांक 02

अंशपूँजी **(रुपये लाख में)**

क्र.	विवरण	राशि 31.03.2025 को	राशि 31.03.2024 को
I	**प्राधिकृत अंश पूँजी**		
	(ए) 1,29,83,40,000 साम्य अंश प्रत्येक रुपये 5/-		
	(गत वर्ष 1,29,83,40,000 साम्य अंश प्रत्येक रुपये 5/-)	64,917.00	64,917.00
	(बी) 15,08,300, 7% गैर संचयी अधिमान्य अंश प्रत्येक रुपये 1000/-	15,083.00	15,083.00
	(गत वर्ष 15,08,300, 7% गैर संचयी अधिमान्य अंश प्रत्येक रुपये 1000/-)		
	(लेखों पर टिप्पणी का नोट क्र.29 देखें)	80,000.00	80,000.00
II	**निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूँजी**		
	(ए) 1,23,54,89,564 साम्य अंश प्रत्येक रुपये 5/- पूर्ण चुकता		
	(गत वर्ष 1,07,86,69,564 साम्य अंश प्रत्येक रुपये 5/- पूर्ण चुकता)	61,774.48	61,774.48
जोड़े :	समपहरण साम्य अंश		
	97,780 (97,780) साम्य अंश प्रत्येक रुपये 10/- पूर्ण चुकता	4.30	4.30
		61778.78	**61778.78**
	(बी) 7% गैर संचयी अधिमान्य अंश 7,65,400 प्रत्येक रुपये 1000/-		
	(गत वर्ष 7,65,400 अधिमान्य अंश प्रत्येक रुपये 1000/-)	7,654.00	7,654.00
	योग (ए + बी)	**69,432.78**	**69,432.78**
III	**सममूल्य प्रति अंश**		
	1,23,54,89,564 साम्य अंश	रुपये 5/अंश	रुपये 5/अंश
	7% 7,65,400 गैर संचयी अधिमान्य अंश	रुपये 1000/अंश	रुपये 1000/अंश

IV प्रतिवेदन अवधि के आरम्भ एवं समाप्ति के समय अदत्त अंशों की संख्या का समाधान

विवरण		31.03.2025 को	31.03.2024 को
(I)	**साम्य अंश प्रत्येक रुपये 5/- पूर्ण चुकता**		
	प्रारम्भिक शेष	1,23,54,89,564	1,23,54,89,564
	जोड़े : वर्ष के दौरान जारी नवीनतम	-	-
	जोड़े : वर्ष के दौरान अंश आवंटित	-	-
	घटाएँ : वर्ष के दौरान कम हुआ	-	-
	अंतिम शेष	**1,23,54,89,564**	**1,23,54,89,564**
(II)	**7% गैर संचयी अधिमान्य अंश प्रत्येक रुपये 1000/- पूर्ण चुकता**		
	प्रारम्भिक शेष	7,65,400	7,65,400
	जोड़े : वर्ष के दौरान जारी अंश	--	--
	घटाएँ : वर्ष के दौरान कम हुआ	--	--
	अंतिम शेष	7,65,400	7,65,400
	योग	**1,23,62,54,964**	**1,23,62,54,964**

नोट :- 1. कम्पनी ने भुगतान नहीं होने के कारण पूर्ववर्ती वर्षों में 97780 साम्य अंशों (मूल चुकता राशि रुपये 10/अंश थी) को जब्त किया।

ई. कम्पनी के पास दो प्रकार के अंश है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

साम्य अंश प्रत्येक रुपये 5/- - साम्य अंश का प्रत्येक धारक प्रति अंश एक वोट का हकदार है। कम्पनी के परिसमापन की स्थिति में, साम्य अंशों के धारक सभी अधिमान्य राशियों के वितरण के पश्चात, कम्पनी की किसी भी शेष परिसम्पत्ति को प्राप्त करने के हकदार होंगे।

संचयी अधिमान्य अंश प्रत्येक रुपये 1000/- - अधिमान्य अंशधारकों को वोट देने का अधिकार नहीं है, किन्तु उन्हें साम्य अंशधारकों को लाभांश के भुगतान में वितरण से पहले प्राथमिकता है एवं कम्पनी की किसी भी शेष परिसम्पत्ति को प्राप्त करने का अधिकार है। उस समय भी लाभांश (कम्पनी के हानि के कारण पूर्व में छूट गया) प्राप्त करने का अधिकार है, जब कम्पनी लाभ की स्थिति में होगी।

एफ. कम्पनी में सामूहिक अंशों की 5% से अधिक अंशधारिता

क्र.	विवरण	अंशों की संख्या 31.03.2025	% अंशधारिता	अंशों की संख्या 31.03.2024	% अंशधारिता
	साम्य अंश प्रत्येक रुपये 5/-				
(I)	केन्द्र सरकार	1,20,42,97,344	97.48%	1,20,42,97,344	97.48%
	7% गैर संचयी अधिमान्य अंश				
(II)	केन्द्र सरकार अधिमान्य अंश	7,65,400	100.00%	7,65,400	100.00%

जी. प्रवर्तकों की अंशधारिता

वर्ष के अंत तक प्रवर्तकों द्वारा अंश धारण (साम्य अंश)				
क्रमांक	**प्रवर्तक का नाम**	**अंशों की संख्या**	**कुल अंशों का %**	**वर्ष के दौरान % परिवर्तन**
1.	भारत के राष्ट्रपति	1,20,42,97,344	97.48%	कोई परिवर्तन नहीं
2.	मध्यप्रदेश के राज्यपाल	3,05,37,290	2.47%	कोई परिवर्तन नहीं
कुल		1,23,48,34,634	99.95%	

वर्ष के अंत तक प्रवर्तकों द्वारा अंश धारण (अधिमान्य अंश)				
क्रमांक	**प्रवर्तक का नाम**	**अंशों की संख्या**	**कुल अंशों का %**	**वर्ष के दौरान % परिवर्तन**
1.	भारत के राष्ट्रपति	7,65,400	100%	कोई परिवर्तन नहीं
कुल		7,65,400	100%	

नोट क्रमांक 03

निग्रह एवं अधिशेष **(रुपये लाख में)**

क्र.	विवरण	राशि 31.03.2025 को	राशि 31.03.2024 को
ए.	**आरक्षित पूँजी**		
	प्रारम्भिक शेष	**-**	**-**
	जोड़े : वर्ष के दौरान वृध्दि/(अंतरण)	-	**-**
	अंतिम शेष	-	-
बी.	**आरक्षित अनुवृत्ति**		
	प्रारम्भिक शेष	0.34	0.39
	जोड़े : वर्ष के दौरान वृध्दि/(अंतरण)	(0.05)	(0.05)
	अंतिम शेष	0.29	0.34
सी.	**लाभ एवं हानि प्रपत्र में शुध्द हानि**		
	वर्ष के प्रारम्भ में शुध्द हानि	(83,717.40)	(71,041.25)
	अंश पूँजी खाते में कमी के लिए समायोजन	-	-
	जोड़े : वर्ष के दौरान व्यय किया लाभ/(हानि)	(11,138.50)	(12,667.13)
	वर्ष के अंत में शुध्द हानि	**(94,855.90)**	**(83,717.39)**
	योग	**(94,855.61)**	**(83,717.05)**

नोट 03.01

रुपये 0.05 लाख का अंतरण (गत वर्ष के रुपये 0.05 लाख) जो पूर्व वर्षों में म.प्र. गृह निर्माण मण्डल से प्राप्त सहायता से निर्मित 100 नियमित दो कमरे वाले भवनों के जीवनकाल के समानुपाती भाग इस योजना के अंतर्गत निर्मित स्थायी परिसम्पत्ति है।

नोट क्रमांक 04

आवंटन के लिये लम्बित अंश आवेदन राशि **(रुपये लाख में)**

क्र.	विवरण	राशि 31.03.2025 को	राशि 31.03.2024 को
(ए)	आवंटन के लिये लम्बित साम्य अंश आवेदन	-	
(बी)	आवंटन के लिये लम्बित 7% गैर संचयी अधिमान्य अंश	3,000.00	3,000.00
	(लेखों पर टिप्पणियों के नोट क्र.26.11 का संदर्भ लें) योग	3,000.00	**3,000.00**

ए. निबंधन एवं शर्तें :- वर्ष के दौरान, सरकार से प्राप्त निधियों का उपयोग पुनरुद्धार एवं मिल विकास योजना के कार्यान्वयन के लिये किया जायेगा।

बी. निर्गमित किये जाने वाले प्रस्तावित अंशों की संख्या 3,00,000 रुपये 1000/- प्रत्येक के 7% गैर संचयी अधिमान्य अंश।

सी. अवधि जिसके पहले अंश आवंटित किये जाने हैं : आवंटन कम्पनी के अंशधारकों से अनुमोदन के पश्चात किया जाना है, कोई समय अवधि परिभाषित नहीं है।

नोट क्रमांक 05

दीर्घावधि ऋणी **(रुपये लाख में)**

क्र.	विवरण	राशि 31.03.2025 को	राशि 31.03.2024 को
	असुरक्षित ऋण		
	भारत सरकार (योजनागत एवं गैर-योजनागत ऋण)	3,930.40	6,594.60
	योग	**3,930.40**	**6,594.60**

दीर्घावधि ऋणी के पुनर्भुगतान की शर्तें

विवरण	ऋण की कुल अवधि	किस्त की आवृत्ति	अदत्त राशि	ब्याज की दर
7(12)/2014/पी.ई.-VII दिनांक 20.01.2020	5 वर्ष	वार्षिक	765.20	13.50%
7(12)/2014/पी.ई.-VII दिनांक 23.04.2020	5 वर्ष	वार्षिक	288.00	13.50%
7(12)/2014/पी.ई.-VII दिनांक 17.07.2020	5 वर्ष	वार्षिक	489.60	13.50%
7(12)/2014/पी.ई.-VII दिनांक 26.08.2020	5 वर्ष	वार्षिक	323.60	13.50%
7(12)/2014/पी.ई.-VII दिनांक 27.10.2020	5 वर्ष	वार्षिक	647.60	13.50%
7(12)/2014/पी.ई.-VII दिनांक 26.11.2020	5 वर्ष	वार्षिक	400.00	13.50%
7(12)/2014/पी.ई.-VII दिनांक 03.03.2021	5 वर्ष	वार्षिक	383.60	13.50%
7(12)/2014/पी.ई.-VII दिनांक 27.01.2022	5 वर्ष	वार्षिक	344.00	13.50%
7(12)/2014/पी.ई.-VII/सी.पी.एस.ई.-III दिनांक 21.03.2022	5 वर्ष	वार्षिक	288.80	13.50%

नोट क्रमांक 06

दीर्घावधि प्रावधान **(रुपये लाख में)**

क्र.	विवरण	राशि 31.03.2025 को	राशि 31.03.2024 को
ए.	**कर्मचारी हितलाभ के लिये प्रावधान**		
1.	उपादान के लिये प्रावधान	156.71	277.47
2.	अवकाश नकदीकरण के लिये प्रावधान	538.98	612.26
	योग	**695.68**	**889.73**

नोट क्रमांक 07

अल्पावधि ऋणी **(रुपये लाख में)**

क्र.	विवरण	राशि 31.03.2025 को	राशि 31.03.2024 को
1.	**सुरक्षित ऋण**		
	एफ.डी.आर. के प्रतिकूल अधिविकर्ष	3,431.73	1650.09
2.	**सुरक्षित ऋण**		
	दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वता	20,749.60	18,085.40
	योग	24,181.32	19,735.49

भारत सरकार के ऋण के पुनर्भुगतान में चूक **(राशि रुपये में)**

विवरण	कुल राशि	मूल राशि	पेनल ब्याज सहित ब्याज	अतिदेय किश्तों की संख्या	कब से चूक
क्र.7(10)/2011 पी.ई.VII-I दिनांक 02.07.2012	4106.95	1129.00	2977.95	5.00	06.07.2017
क्र.7(10)/2011 पी.ई.VII-II दिनांक 02.07.2012	1134.96	312.00	822.96	5.00	06.07.2017
क्र.7(10)/2011 पी.ई.VII-I दिनांक 18.03.2013	4061.79	1168.00	2893.79	5.00	23.03.2018
क्र.7(10)/2011 पी.ई.VII-II दिनांक 18.03.2013	465.99	134.00	331.99	5.00	23.03.2018
क्र.7(9)/2013/पी.ई.VII-I दिनांक 19.09.2013	6046.59	1796.00	4250.59	5.00	20.07.2018
क्र.7(9)/2013/पी.ई.VII-II दिनांक 16.09.2013	1131.21	336.00	795.21	5.00	20.07.2018
क्र.7(9)/2013/पी.ई.VII-I दिनांक 12.03.2014	3746.34	1150.00	2596.34	5.00	15.03.2019
क्र.7(9)/2013/पी.ई.VII-I दिनांक 12.03.2014	407.21	125.00	282.21	5.00	15.03.2019
क्र.7(13)/2013/पी.ई.VII दिनांक 07.03.2014	6144.03	1718.00	4426.03	5.00	12.03.2020
क्र.7(12)/2014/पी.ई.VII दिनांक 08.10.2014	4976.03	1590.00	3386.03	5.00	10.10.2019
क्र.7(12)/2014/पी.ई.VII दिनांक 08.10.2014	5949.33	1901.00	4048.33	5.00	10.10.2019
क्र.7(12)/2014/पी.ई.VII दिनांक 20.01.2020	4927.21	2295.61	3631.61	3.00	21.01.2023
क्र.7(12)/2014/पी.ई.-VII दिनांक 23.04.2020	923.77	288.00	635.77	2.00	01.05.2023
क्र.7(12)/2014/पी.ई.-VII दिनांक 17.07.2020	1505.68	489.60	1016.08	2.00	25.07.2023
क्र.7(12)/2014/पी.ई.-VII दिनांक 26.08.2020	975.55	323.60	651.95	2.00	31.10.2023
क्र.7(12)/2014/पी.ई.-VII दिनांक 27.10.2020	1893.89	687.60	1246.29	2.00	30.10.2023
क्र.7(12)/2014/पी.ई.-VII दिनांक 26.11.2020	1149.88	400.00	749.88	2.00	01.12.2023
क्र.7(12)/2014/पी.ई.-VII दिनांक 03.03.2021	1041.88	383.60	650.28	2.00	13.03.2023
क्र.7(12)/2014/पी.ई.VII दिनांक 27.01.2022	1914.54	1032.00	882.54	3.00	02.02.2023
क्र.7(12)/2014/पी.ई.VII/सी.पी.एस.ई.-III दिनांक 21.03.2022	1561.00	866.39	694.61	3.00	31.03.2023
योग	**55063.84**	**18085.40**	**36978.44**	**-**	**-**

दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वता

विवरण	कुल राशि	मूल राशि
क्र.7(12)/2014/पी.ई.-VII दिनांक 20.01.2020	765.20	765.20
क्र.7(12)/2014/पी.ई.-VII दिनांक 23.04.2020	144.00	144.00
क्र.7(12)/2014/पी.ई.-VII दिनांक 17.07.2020	244.80	244.80
क्र.7(12)/2014/पी.ई.-VII दिनांक 26.08.2020	161.80	161.80
क्र.7(12)/2014/पी.ई.-VII दिनांक 27.10.2020	323.80	323.80
क्र.7(12)/2014/पी.ई.-VII दिनांक 26.11.2020	200.00	200.00
क्र.7(12)/2014/पी.ई.-VII दिनांक 03.03.2021	191.80	191.80
क्र.7(12)/2014/पी.ई.-VII दिनांक 27.01.2022	344.00	344.00
क्र.7(12)/2014/पी.ई.-VII/सी.पी.एस.ई.-III दिनांक 21.03.2022	288.80	288.80
योग	**2664.20**	**2664.20**
कुल योग	**57728.04**	**20749.60**

नोट क्रमांक 07.01

उपार्जित एवं देय तथा दीर्घावधि ऋण की वर्तमान परिपक्वताओं पर उपार्जित किन्तु देय नहीं ब्याज को "अन्य चालू देयताओं" के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

नोट क्रमांक 07.02

प्रभार का सृजन न करना - एफ.डी.आर. के विरुद्ध ओ.डी.

कम्पनी ने बैंक ऑफ इंडिया से रुपये 343.73 लाख (गत वर्ष रुपये 1650.09 लाख) की अधिविकर्ष सुविधा प्राप्त की है, जो कम्पनी की अपनी सावधि जमा राशि पर सुरक्षित है। तथापि, कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 77, जिसे कम्पनी (प्रभारों का पंजीकरण) नियम, 2014 के नियम 3 के साथ पढ़ा जावे, के प्रावधानों का पालन नहीं किया है, जिसके अनुसार निर्धारित समय के भीतर प्रभार का सृजन एवं कम्पनी पंजीयक के पास पंजीकरण कराना आवश्यक है। परिणामस्वरूप, उक्त प्रभार को कम्पनी पंजीयक के पास पंजीकृत नहीं कराया गया है, जैसा कि उपरोक्त प्रावधान के तहत आवश्यक है।

नोट क्रमांक 08

व्यावसायिक देय **(रुपये लाख में)**

क्र.	विवरण	राशि 31.03.2025 को	राशि 31.03.2024 को
8(ए)	सूक्ष्म उपक्रमों एवं लघु उपक्रमों की कुल बकाया राशि	465.67	584.97
8(बी)	सूक्ष्म उपक्रमों एवं लघु उपक्रमों के अलावा लेनदारों की कुल बकाया राशि	636.07	445.24
	योग	**1,101.74**	**1,030.21**

नोट : 08.01

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित निम्नलिखित विवरण

क्र.	विवरण	राशि 31.03.2025 को	राशि 31.03.2024 को
i)	किसी भी आपूर्तिकर्ता की ओर देय मूल राशि एवं ब्याज अदत्त नहीं है, जो कि एम.एस.एम.ई.डी. अधिनियम के तहत अंतर्निहित किया गया है।		
	मूल	440.34	584.97
	ब्याज	25.33	--
ii)	एम.एस.एम.ई.डी. अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार खरीदार द्वारा ब्याज की राशि प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन से आगे आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ।	--	--
iii)	भुगतान करने में देरी की अवधि के लिये देय और देय ब्याज की राशि एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना (जो भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियुक्त दिन पर कब्जा कर लिया गया है) भुगतान करने में देरी।	--	--
iv)	प्रत्येक लेखांकन वर्ष के अंत में अर्जित और शेष अदत्त राशि पर ब्याज की राशि	--	--
v)	आगे आने वाले वर्षों में देय और देय राशि भी, जब तक कि उपरोक्त दिनांक तक ब्याज नहीं मिलता है, वास्तव में लघु उद्यम को एम.एस.एम.ई.डी. अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय के रूप में भुगतान किया जाता है।	--	--

नोट : 08.01 पुराने व्यावसायिक देय

वित्तीय वर्ष 2024-25 **(रुपये लाख में)**

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिये बकाया					
	देय नहीं	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
(i) एम.एस.एम.ई.		465.67	-	-	-	465.67
(ii) अन्य	0	475.67	19.29	3.51	137.60	636.07
(iii) विवादित बकाया						
एम.एस.एम.ई.						
(iv) विवादित बकाया						
अन्य						

वित्तीय वर्ष 2023-24 **(रुपये लाख में)**

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिये बकाया					
	देय नहीं	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
(i) एम.एस.एम.ई.		584.97	-	-	-	584.97
(ii) अन्य	78.09	221.96	4.17	3.63	137.39	445.24
(iii) विवादित बकाया						
एम.एस.एम.ई.						
(iv) विवादित बकाया						
अन्य						

नोट क्रमांक 09

अन्य चल देयतायें **(रुपये लाख में)**

क्र.	विवरण	राशि 31.03.2025 को	राशि 31.03.2024 को
1.	उपार्जित ब्याज एवं देय (भारत सरकार के ऋण पर)		
	- ब्याज	11,840.58	10,588.20
	- अतिदेय किश्त पर पेनल ब्याज सहित ब्याज	24,211.05	20,045.08
2.	उपार्जित ब्याज एवं देय नहीं (भारत सरकार के ऋण पर)		
	- ब्याज	300.03	411.62
	- अतिदेय किश्त पर पेनल ब्याज सहित ब्याज	626.78	441.82
3.	ठेकेदार/अभिकर्त्ता/ग्राहकों एवं अन्य से जमा	824.20	786.17
4.	ग्राहकों से अग्रिम	201.82	182.55
5.	आर.एम.डी.पी. परियोजना के लिये देय	1,873.16	2,096.48
6.	आर.एम.डी.पी. परियोजना के सुरक्षा जमा	157.53	159.16
7.	अन्य देय	2,302.86	1,354.38
	योग	42,338.01	36,065.47
	अन्य देय के संबंध में		
1.	वैधानिक देयतायें	201.89	195.71
2.	अन्य लेनदार	2,100.97	1,158.67
	योग	2,302.86	1,354.35

नोट क्रमांक 09.01

कम्पनी को माल एवं सेवाओं की आपूर्ति के बदले ग्राहकों से रुपये 12.06 लाख की अग्रिम राशि प्राप्त हुई है, जो दिनांक 31.03.2025 तक 365 दिनों से अधिक समय से बकाया है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 के साथ पठित कम्पनी (जमा स्वीकार करना) नियम, 2014 के नियम 2(1)(xii)(ए) के अनुसार, ऐसी राशियों को प्राप्ति की तिथि से 365 दिनों के भीतर वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति में समायोजित किया जाना है। कम्पनी ने उक्त निर्धारित समयावधि के भीतर ऐसी राशियों का समायोजन या वापसी नहीं की है, जिसे उपरोक्त प्रावधानों का गैर-अनुपालन माना जा सकता है तथा परिणामस्वरूप, राशि को जमा माना जायेगा।

कम्पनी ने उपरोक्त राशि के संबंध में जमा स्वीकार करने के लिये लागू प्रावधानों को पूर्ण नहीं किया है।

नोट क्रमांक 10

अल्पावधि प्रावधान **(रुपये लाख में)**

क्र.	विवरण	राशि 31.03.2025 को	राशि 31.03.2024 को
कर्मचारी हितलाभ के लिये प्रावधान			
1.	अवकाश नकदीकरण के लिये प्रावधान	213.08	183.30
2.	ग्रेच्युटी के लिये प्रावधान (वर्तमान देयताएं)	541.20	339.25
3.	देयता/परिसंपत्तियों की गैर वसूली के लिये प्रावधान	405.37	345.68
	योग	1,159.65	868.23

नोट क्रमांक-11 स्थायी परिसम्पत्तियाँ **(रुपये लाख में)**

विवरण	सकल समूह लागत पर				घटाएँ मूल्यह्रास/परिशोधन					निवल समूह	
	01.04.2024 को	जुड़ना	कमी	31.03.2025 को	01.04.2024 को	वर्ष के लिये	पूर्व की अवधि के लिये	पुनः लिखे गये	31.03.2025 तक	31.03.2025 को	31.03.2024 को
नोट क्र.11 ए											
मूर्त परिसम्पतियाँ											
(ए) पट्टे पर दी गई परिसम्पतियाँ											
पट्टा धारित भूमि	2.50	-	-	2.50	1.88	-	-	-	1.88	0.62	0.62
(बी) स्वामित्व वाली परिसम्पतियाँ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
फ्री होल्ड भूमि	2.58	-	-	2.58	-	-	-	-	-	2.58	2.58
भवन	1,382.28	-	-	1,382.28	1,032.17	12.60	-	-	1,044.77	337.51	350.11
संयंत्र एवं उपकरण	43,282.01	81.16	-	43,363.17	8,979.22	1,734.97	3.93		10,718.12	32,645.05	34,302.79
फर्नीचर एवं जुड़नार	237.90	0.71	-	238.61	198.90	4.15	-	-	203.05	35.56	39.00
कार्यालय उपकरण	66.06	1.24	-	67.30	46.75	2.93	-	-	49.68	17.62	19.31
कम्प्यूटर उपकरण	136.91	2.13	-	139.04	116.86	8.19	-	-	125.05	13.99	20.05
वाहन	10.50	-	-	10.50	9.88	-	-	-	9.88	0.62	0.62
रेलवे पार्श्व	412.93	-	-	412.93	335.20	11.37	-	-	346.57	66.36	77.73
जल संयंत्र	2,655.76	-	-	2,655.76	404.74	110.39	-	-	515.13	2,140.63	2,251.02
सड़कें एवं सेतु	51.69	-	-	51.69	49.14	-	-	-	49.14	2.55	2.55
पुस्तकालय की पुस्तकें	0.37	-	-	0.37	0.35	-	-	-	0.35	0.02	0.02
उपेक्षित परिसम्पतियाँ	186.57	-	-	186.57	90.36	-	-	-	90.36	96.21	96.21
योग (ए)	**48,428.06**	**85.24**		**48,513.30**	**11,265.45**	**1884.60**	**3.93**		**13,153.98**	**35,359.32**	**37,162.61**
गत वर्ष (ए)	**47,994.57**	**433.49**	**-**	**48,428.06**	**9,387.26**	**1,878.19**	-	-	**11,265.45**	**37,162.61**	**38,607.31**
नोट क्र. 11 बी											
चालू दशा में पूँजीगत कार्य											
परिनिर्माणाधीन संयंत्र एवं मशीनरी	525.37	125.56	208.83	442.10	-	-	-	-	-	442.10	525.37
योग (बी)	**525.37**	**125.56**	**208.83**	**442.10**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	**442.10**	**525.37**
गत वर्ष (बी)	**475.26**	**50.11**	-	**525.37**	-	-	-	-	-	**525.37**	**475.26**
नोट क्र. 11 सी							-				
विकासाधीन अमूर्त परिसंपतियाँ	**4.70**	4.30	-	**47.00**	-	-	-	-	-	**47.0**	**4.70**
गत वर्ष (सी)	**4.70**	**-**	-	**4.70**	-	-	-	-	-	**4.70**	**4.70**
कुल योग (ए+बी)	**48,958.13**	**253.10**	**208.83**	**49,002.40**	**11,265.45**	**1,884.60**	**3.93**		**13,153.98**	**35,848.42**	**37,692.68**
गत वर्ष कुल योग (ए+बी+सी)	**48,474.53**	**483.60**	**-**	**48,958.13**	**9,387.26**	**1,878.19**			**11,265.45**	**37,692.68**	**39,087.27**

नोट क्रमांक 11.01

दिनांक 31.03.2025 को प्रगति पर उमदराज पूँजीगत कार्य का विवरण

	अवधि के लिये प्रगति पर उमदराज पूँजीगत कार्य की राशि (राशि रुपये लाख में)				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
प्रगति पर परियोजनायें	**442.1**	-	-	-	**442.1**

दिनांक 31.03.2024 को प्रगति पर उमदराज पूँजीगत कार्य का विवरण

	अवधि के लिये प्रगति पर उमदराज पूँजीगत कार्य की राशि (राशि रुपये लाख में)				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
प्रगति पर परियोजनायें	**525.37**	-	-	-	**525.37**

नोट क्रमांक 11.02

दिनांक 31.03.2025 को विकासाधीन उमदराज अमूर्त परिसंपतियों का विवरण

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	अवधि के लिये विकासाधीन अमूर्त परिसंपतियों की राशि (राशि रुपये लाख में)				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
प्रगति पर परियोजनायें	42.3	4.7	-	-	47

दिनांक 31.03.2024 को विकासाधीन उमदराज अमूर्त परिसंपतियों का विवरण

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ	अवधि के लिये विकासाधीन अमूर्त परिसंपतियों की राशि (राशि रुपये लाख में)				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
प्रगति पर परियोजनायें	0	4.7	-	-	4.7

नोट क्रमांक 12

दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम **(रुपये लाख में)**

	विवरण	राशि 31.03.2025 को	राशि 31.03.2024 को
1.	आर.एम.डी.पी. परियोजना के लिये पूँजी अग्रिम	40.76	40.76
	योग	40.76	40.76
	12 (ए)		
	रक्षित अच्छा माना गया	-	-
	अरक्षित अच्छा माना गया	40.76	40.76
	संदिग्ध	-	-
	योग	40..76	40.76

नोट क्रमांक 13

अन्य गैर चालू परिसंपतियाँ **(रुपये लाख में)**

	विवरण	राशि 31.03.2025 को	राशि 31.03.2024 को
1.	सर्विस कनेक्शन के लिये सुरक्षा जमा	1.85	1.85
2.	अन्य प्राधिकारियों के पास जमा	19.66	19.41
3.	असम्मति सहित विक्रय कर चुकता	15.68	15.68
4.	वसूली योग्य विक्रय कर	14.06	14.06
5.	टेलीफोन एवं अन्य के साथ जमा	3.75	3.75
6.	घटायें : संदिग्ध वसूली के लिये प्रावधान	(53.59)	(53.59)
	योग	1.41	1.16

नोट क्रमांक 14

मालसूचियाँ **(रुपये लाख में)**

क्र.	विवरण	राशि 31.03.2025 को		राशि 31.03.2024 को	
(ए)	**कच्चा माल**	224.68		273.67	
1.	घटायें : मूल्य में कमी के लिये प्रावधान	-	224.68	-	273.67
(बी)	**निर्मित माल का भण्डार (वर्ष की समाप्ती पर)**		905.42		1,394.24
(सी)	**व्यवसाय के लिये भण्डार**				
	(ए) पेट्रोल		16.08		10.64
	(बी) डीजल		15.69		15.30
	(सी) स्नेहक तेल		0.69		1.25
	(डी) पेट्रोल एक्स.पी.		17.96		15.93
(डी)	**केमिकल, भण्डार एवं पूर्जे**				
	(ए) केमिकल, चल भण्डार एवं पूर्जे		305.00		318.76
	(बी) 5 वर्ष या अधिक के लिये अचल मदें	513.30		517.11	
	घटायें : अपरिवर्तनशील मदों के लिये प्रावधान	(513.30)	0.00	(517.11)	0.00
(ई)	**पारगमन में भण्डार**		-		-
(एफ)	**खुदरा औजार**		4.10		4.92
(जी)	**अन्य**				
	ए) कोल सिंडर		103.09		152.65
	बी) कोयला		38.92		116.73
	सी) स्क्रेप माल		9.90		59.43
	योग		**1641.52**		**2363.51**

(i) यदि कोई हो तो, सूची की वस्तुओं को अप्रचलन के लिये प्रावधान करने के बाद लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में से कम पर मापा जाता है। मालसूची की लागत में क्रय की लागत, रूपांतरण की लागत एवं अन्य लागतें शामिल होती हैं, जिसमें उन्हें उनके वर्तमान स्थान तथा स्थिति में लाने में किये गये वसूली योग्य करों को घटाकर विनिर्माण उपरिव्यय भी शामिल होते हैं।

(ii) उपयोग किये जाने वाले लागत सूत्र कच्चे माल एवं भंडार तथा पुर्जों, पैकिंग सामग्री और अन्य उत्पादों के मामले में भारित औसत लागत है।

(iii) पारगमन में कच्चा माल, पारगमन और निरीक्षण के अधीन भंडार, प्रगति पर स्टॉक, मालसूची का मूल्यांकन प्रत्यक्ष आरोपित लागत के फार्मूले पर किया जाता है।

(iv) कोयला राख और स्क्रैप के स्टॉक का मूल्यांकन अनुमानित वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है। अनुमानित वसूली योग्य मूल्य वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान विक्रय की गई मात्रा की औसत दर होती है। यदि अंतिम तिमाही में कोई विक्रय नहीं होता है, तो मूल्यांकन के लिये पिछली तिमाही की औसत दर पर विचार किया जाता है।

(v) अखबारी कागज के स्वयं उपभोग तथा अखबारी कागज के अस्वीकृत एवं पुराने स्टॉक की पुनः पल्पिंग के लिये कोई समायोजन नहीं किया जाता है।

(vi) मालसूची के भौतिक परिवर्तन के दौरान पाई गई कमी/अधिकता को उपभोग के अनुसार समायोजित किया जाता है।

(vii) पुर्जों के बीमा को छोड़कर, भंडार एवं पुर्जों की उन वस्तुओं के संबंध में, जो पांच वर्ष से अधिक समय से विक्रय नहीं हुई हैं, अप्रचलन भत्ते का पूर्ण प्रावधान किया गया है।

(viii) कोयले के स्टॉक को लागत एवं शुद्ध वसूली योग्य मूल्य में से जो भी कम हो, उस पर मापा जाता है।

नोट क्रमांक 15

प्राप्ति योग्य व्यावसायिक **(रुपये लाख में)**

क्र.	विवरण	राशि 31.03.2025 को	राशि 31.03.2024 को
15.1	सुरक्षित एवं अच्छा माना गया	-	-
15.1	असुरक्षित, अच्छा माना गया	204.87	305.01
15.2	संदिग्ध	274.19	274.19
	घटायें : संदिग्ध देनदारी के लिये प्रावधान	(274.19)	(274.19)
	योग	**204.87**	**305.01**

नोट क्रमांक 15.01

उमदराज व्यावसायिक प्राप्तियाँ

वित्तीय वर्ष 2024-25 **(रुपये लाख में)**

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिये बकाया						
	देय नहीं	6 माह से कम	6 माह-1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
(i) अविवादित व्यवसाय प्राप्तियाँ - अच्छा माना गया		174.27	30.6				204.87
(ii) अविवादित व्यवसाय प्राप्तियाँ - संदिग्ध माना गया		0	0	0	-	-	-
(iii) विवादित व्यवसाय प्राप्तियाँ - अच्छा माना गया							
(iv) विवादित व्यवसाय प्राप्तियाँ - संदिग्ध माना गया							

वित्तीय वर्ष 2023-24 **(रुपये लाख में)**

विवरण	भुगतान की देय तिथि से निम्नलिखित अवधियों के लिये बकाया						
	देय नहीं	6 माह से कम	6 माह-1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
(i) अविवादित व्यवसाय प्राप्तियाँ - अच्छा माना गया		289.40	15.61				305.01
(ii) अविवादित व्यवसाय प्राप्तियाँ - संदिग्ध माना गया		-	-	-	-	-	-
(iii) विवादित व्यवसाय प्राप्तियाँ - अच्छा माना गया							
(iv) विवादित व्यवसाय प्राप्तियाँ - संदिग्ध माना गया							

नोट संख्या 15.02

रुपये 274.19 लाख के संदिग्ध व्यापार प्राप्य को रुपये 13.31 लाख के ऋण शेष के निवल प्रस्तुत किया गया है, जो कि व्यापार प्राप्य से अग्रिम है, जो कि लम्बी अवधि से प्रदर्शित हो रहा है।

कम्पनी को माल एवं सेवाओं की आपूर्ति के बदले ग्राहकों से रुपये 13.31 लाख की अग्रिम राशि प्राप्त हुई है, जो दिनांक 31.03.2025 तक 365 दिनों से अधिक समय से बकाया है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 के साथ पठित कम्पनी (जमा स्वीकार करना) नियम, 2014 के नियम 2(1)(xii)(ए) के अनुसार, ऐसी राशियों को प्राप्ति की तिथि से 365 दिनों के भीतर वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति में समायोजित किया जाना है। कम्पनी ने उक्त निर्धारित समयावधि के भीतर ऐसी राशियों का समायोजन या वापसी नहीं की है, जिसे उपरोक्त प्रावधानों का गैर-अनुपालन माना जा सकता है तथा परिणामस्वरूप, राशि को जमा माना जायेगा।

कम्पनी ने उपरोक्त राशि के संबंध में जमा स्वीकार करने के लिये लागू प्रावधानों को पूर्ण नहीं किया है।

नोट क्रमांक 16

रोकड़ एवं बैंक शेष **(रुपये लाख में)**

क्र.	विवरण	राशि 31.03.2025 को	राशि 31.03.2024 को
रोकड़ एवं रोकड़ सममूल्य			
(ए)	**हस्तगत रोकड़**		
	1. रोकड़ पुस्तिका (प्रशासकीय कार्यालय)	3.45	2.13
	2. मिल के अन्य विभाग के पास हस्तगत रोकड़	-	-
(बी)	**अनुसूची बैंकों में शेष**	1,539.31	4,601.54
(सी)	3 महीने में परिपक्व होने वाली एफ.डी.आर.	655.04	780.87
	योग	**2,197.80**	**5,384.54**
अन्य बैंक शेष			
(डी)	अनुसूची बैंकों के पास स्थायी जमा	4,557.69	1,891.26
(ई)	अन्य बैंक में जमा राशि बैलेंस (बैंक गारंटी के विरुद्ध)	566.01	566.01
(एफ)	निलम्ब खातों में शेष	0.36	0.37
	योग	**5,124.06**	**2,457.64**
	कुल योग	**7,321.87**	**7,842.18**

नोट क्रमांक 16.1

उपांत राशि के रुप में बैंक द्वारा धारित स्थायी जमा के साथ अनुसूची बैंकों में सावधि जमा

(ए) बैंक अधिविकर्ष

(बी) बैंक गारंटी

नोट क्रमांक 17

अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम **(रुपये लाख में)**

	विवरण		राशि 31.03.2025 को		राशि 31.03.2024 को
अनारक्षित					
1.	स्वदेशी क्रय एवं अन्य के पक्ष में अग्रिम				
	- अच्छा माना गया	0.22		0.41	
	- संदिग्ध	0.71		0.71	
	घटायें : अशोध्य एवं संदिग्ध देनदारी के लिये प्रावधान	(0.71)	0.22	(0.71)	0.41
2.	कर्मचारी को अग्रिम		19.99		27.14
3.	कागज पर उप कर के लिये केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के पास जमा		0.05		0.05
4.	स्त्रोत से एकत्रित आय कर		326.59		335.42
5.	विक्रेता द्वारा एकत्रित टी.सी.एस.		8.46		6.88
6.	6 (ए) एम.पी.पी.के.वी.वी.सी.एल. के पास सुरक्षा जमा	129.52		120.65	
	6 (बी)अपील के लिये जी.एस.टी. प्राधिकारियों के पास जमा	60.99		60.99	
	घटायें : अशोध्य एवं संदिग्ध जमा के लिये प्रावधान	- .	190.51	- .	181.64
7.	प्राप्ति योग्य दावा	860.54		850.45	
8.	घटायें: अशोध्य एवं संदिग्ध दावों के लिये प्रावधान	(353.81)	506.73	(353.18)	496.64
9.	अन्य अग्रिम				
	(ए) अच्छा माना गया		165.22		181.91
	(बी) संदिग्ध	128.38		128.38	
	घटाये : संदिग्ध ऋण एवं अग्रिम के लिये प्रावधान	(128.06)	0.31	(128.06)	0.32
	(ii) अन्य ऋण एवं अग्रिम				
		योग	**1,218.09**		**1,230.42**

नोट क्रमांक 17.1

प्राप्य दावें, जिनमें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा लगाई गई शास्ति खाते पर पूर्व वर्षों में चुकता की गई क्षति के लिये ई.पी.एफ.ओ. से देय रुपये 726.73 लाख सम्मिलित है और इन्हें वसूली योग्य दिखाया गया है, क्योंकि कम्पनी का यह मत है कि इसके लिये दी गई राहत बी.आई.एफ.आर. द्वारा दी गई है एवं रुपये 386.09 लाख के लिये न्यायालीन प्रकरण चल रहा है तथा रुपये 340.64 लाख का प्रावधान सृजित किया गया है और शेष 386.09 लाख रुपये का प्रावधान नहीं किया गया है। इस कारण, हानि को प्राप्य राशि से रुपये 386.09 लाख कम एवं अशोध्य एवं संदिग्ध दावों तथा अन्य व्ययों (नोट संख्या 26) से रुपये 386.09 लाख कम दिखाया गया है।

नोट क्रमांक 18

अन्य चालू परिसम्पतियाँ **(रुपये लाख में)**

	विवरण		राशि 31.03.2025 को		राशि 31.03.2024 को
1.	बैंक जमा पर प्राप्त ब्याज		515.07		433.42
2.	प्राप्त आय (नगरीय किराये की अदत वसूली)	302.65		315.44	
	घटायें : संदिग्ध वसूली के पक्ष में प्रावधान	(20.92)	281.73	(20.92)	294.52
3.	जल आपूर्ति के पक्ष में नगर पालिका, नेपाननगर से प्राप्य योग्य	767.91		604.59	
	घटायें : संदिग्ध वसूली के पक्ष में प्रावधान	233.81	534.10	(233.81)	370.78
4.	प्राप्य योग्य जी.एस.टी.		3,371.04		3,300.11
5.	पूर्व दत्त व्यय		5.10		24.92
	योग		**4,707.04**		**4423.76**

नोट क्रमांक 19

प्रचालन से राजस्व **(रुपये लाख में)**

क्र.	विवरण		समाप्त वर्ष 31.03.2025	समाप्त वर्ष 31.03.2024
ए	**उत्पादों के विक्रय से राजस्व**			
1.	अखबारी कागज का विक्रय		3,161.80	10,854.96
2.	पेट्रोल, डीजल, स्नेहक एवं अतिरिक्त मायलेज पेट्रोल का विक्रय		1,281.96	1,391.38
		योग (ए)	**4,443.76**	**12,246.34**
बी	**अन्य परिचालन राजस्व**			
1.	कोल सिंडर का विक्रय		88.11	41.46
2.	स्क्रेप का विक्रय		83.50	134.39
3.	उत्पादन एवं अपशिष्ट स्लज का विक्रय		20.73	36.43
		योग (बी)	**192.34**	**212.27**
		योग (ए + बी)	**4,636.10**	**12,458.61**

नोट क्रमांक 20

अन्य आय **(रुपये लाख में)**

क्र.	विवरण	समाप्त वर्ष 31.03.2025	समाप्त वर्ष 31.03.2024
1.	जल आपूर्ति से आय	144.23	97.12
2.	अर्जित ब्याज	395.46	494.23
3.	नगरीय आय	297.48	219.68
4.	मेडिकल विभाग से प्राप्तियाँ	17.48	18.85
5.	दायित्व के लिये प्रावधान अपलिखित किये गये	16.63	-
6.	प्रावधान और दायित्व अपलिखित किये गये	1.09	38.81
7.	आई.टी. रिफंड से ब्याज	3.09	-
8.	अन्य गैर प्रचालन आय	46.05	43.89
	योग	**921.50**	**912.57**

नोट क्रमांक 20.01

रुपये 16.63 के लिये देयताओं के लिये प्रावधान शामिल हैं : 1. रुपये 4.90 लाख का अघोषित समाकलन शेष अपलिखित कर दिया गया, 2. गत वर्ष में किये गये रुपये 3.81 लाख के अतिरिक्त प्रावधान को अपलिखित कर दिया गया एवं 3. एस.ई.सी.एल. कोल शास्ति विपर्य रुपये 7.92 लाख।

नोट क्रमांक 21

उपभुक्त माल की लागत **(रुपये लाख में)**

क्र.	विवरण	समाप्त वर्ष 31.03.2025	समाप्त वर्ष 31.03.2024
1.	उपभुक्त माल की लागत	1,833.39	7,769.37
	योग	**1,833.39**	**7,769.37**

नोट क्रमांक 22

व्यवसाय में भण्डार का क्रय **(रुपये लाख में)**

क्र.	विवरण	समाप्त वर्ष 31.03.2025	समाप्त वर्ष 31.03.2024
1.	पेट्रोल, डीजल एवं स्नेहक का क्रय	1,269.43	1,372.55
	योग	**1,269.43**	**1,372.55**

नोट क्रमांक 23 (ए)

निर्मित माल की मालसूचियों में परिवर्तन **(रुपये लाख में)**

क्र.	विवरण		समाप्त वर्ष 31.03.2025	समाप्त वर्ष 31.03.2024
ए	**वर्ष की समाप्ति पर मालसूचियाँ**			
	विनिर्माणी माल			
	1.	कोल सिंडर	103.09	152.65
	2.	निर्मित माल	905.42	1,394.24
	3.	उत्पादन अपशिष्ट एवं स्क्रेप	9.90	59.43
		योग ए	**1,018.41**	**1,606.32**
बी	**वर्ष के आरम्भ में मालसूचियाँ**			
	विनिर्माणी माल			
	1.	कोल सिंडर	152.65	191.30
	2.	निर्मित माल	1,394.24	2,478.94
	3.	उत्पादन अपशिष्ट एवं स्क्रेप	59.43	56.93
		योग बी	1,606.32	2,727.17
निवल (वृष्टि)/कमी (बी - ए)			**587.91**	**1,120.86**

नोट क्रमांक 23 (बी)

व्यवसाय में भण्डार की मालसूचियों में परिवर्तन **(रुपये लाख में)**

क्र.	विवरण		समाप्त वर्ष 31.03.2025	समाप्त वर्ष 31.03.2024
ए	**वर्ष की समाप्ति पर मालसूचियाँ**			
	व्यावसायिक माल			
	1.	अतिरिक्त मायलेज पेट्रोल (एक्स.पी.)	17.96	15.93
	2.	पेट्रोल	16.08	10.64
	3.	डीज़ल	15.09	15.30
	4.	स्नेहक	0.69	1.25
		योग ए	**50.41**	**43.11**
बी	**वर्ष के आरम्भ में मालसूचियाँ**			
	व्यावसायिक माल			
	1.	अतिरिक्त मायलेज पेट्रोल (एक्स.पी.)	15.93	16.68
	2.	पेट्रोल	10.64	15.77
	3.	डीज़ल	15.30	11.70
	4.	स्नेहक	1.25	2.65
		योग बी	**43.11**	**46.79**
निवल (वृष्टि)/कमी (बी - ए)			**(7.30)**	**3.67**

नोट क्रमांक 24

कर्मचारियों के हित लाभ व्यय **(रुपये लाख में)**

क्र.	विवरण	समाप्त वर्ष 31.03.2025	समाप्त वर्ष 31.03.2024
1.	वेतन, मजदूरी एवं भत्ता	1,931.08	1,973.90
2.	भविष्य निधि एवं अन्य कोषों में अंशदान	204.06	230.13
3.	उपादान	101.40)	(1,233.48)
4.	अवकाश नकदीकरण	63.26	174.96
5.	स्टॉफ कल्याण व्यय	44.12	61.79
6.	चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति	60.99	73.02
	योग	**2,404.81**	**1,280.32**

नोट क्रमांक 24.01

चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति **(रुपये लाख में)**

क्र.	विवरण	समाप्त वर्ष 31.03.2025	समाप्त वर्ष 31.03.2024
1.	कर्मचारियों को चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति	18.53	26.98
2.	बाह्य चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति	37.82	37.79
3.	केजुअल/बदली कर्मचारियों को चिकित्सा व्ययों की प्रतिपूर्ति	4.56	7.70
4.	संविदागत कर्मचारियों को स्थानीय बिलों की प्रतिपूर्ति	-	0.55
	योग	**60.90**	**73.02**

नोट क्रमांक 25

वित्तीय लागत **(रुपये लाख में)**

क्र.	विवरण	समाप्त वर्ष 31.03.2025	समाप्त वर्ष 31.03.2024
1.	सरकारी ऋण पर ब्याज	5,491.71	5,201.45
2.	बैंक ऋण पर ब्याज	153.75	52.96
3.	बैंक प्रभार	2.47	3.05
	योग	**5,647.93**	**5,257.47**

नोट क्रमांक 25.01

भारत सरकार के ऋण पर ब्याज ऋण की शर्तों के अनुसार प्रदान किया गया है। हालाँकि, कम्पनी ने बी.आई.एफ.आर. द्वारा स्वीकृत योजना के सामान्य नियमों और शर्तों के अनुसार इस पर छूट मांगी है।

नोट क्रमांक 26

अन्य व्यय **(रुपये लाख में)**

क्र.	विवरण	समाप्त वर्ष 31.03.2025	समाप्त वर्ष 31.03.2024
1.	उपभुक्त भण्डार एवं कल पूर्जे	76.95	177.65
2.	उपभुक्त रसायन	189.75	496.59
3.	विद्युत एवं ईंधन	1,950.10	4,234.49
4.	बीमा	19.17	41.66
5.	सुरक्षा स्टाफ व्यय	90.66	110.03
6.	विधि एवं व्यावसायिक प्रभार	58.58	116.79
7.	अंकेक्षकों को भुगतान	2.61	2.79
8.	दरें एवं कर	8.43	7.94
9.	मरम्मत एवं अनुरक्षण	140.35	232.90
10.	वाहनों का किराया प्रभार	37.70	34.44
11.	अनुसंधान एवं विकास व्यय	1.34	1.70
12.	विद्युत प्रभार	10.14	11.57
13.	कारखाना कार्यालय सामान्य व्यय	187.05	115.59
14.	प्रकाश एवं सफाई	-	9.59
15.	सम्पतियों के विक्रय पर हानि	-	-
16.	विक्रय पर कमीशन	10.34	3.51
17.	भाड़ा एवं उध्दरण प्रभार	-	2.80
18.	सभा व्यय	0.82	6.50
19.	सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यय	10.70	7.52
20.	कोयला न उठाने पर कोयला जुर्माने का प्रावधान	-	270.00
21.	परिसंपतियों से देयता/गैर-वसूली के लिये प्रावधान	-	955.94
22.	एम.एस.एम.ई. का ब्याज	25.33	-
23.	संपत्ति कर	59.69	-
24.	विविध व्यय (आवर्त के 1% से कम)	191.68	524.72
	योग	**3,071.40**	**7,364.89**

नोट क्रमांक 26.01

वैधानिक अंकेक्षकों को भुगतान **(रुपये लाख में)**

क्र.	विवरण	समाप्त वर्ष 31.03.2025	समाप्त वर्ष 31.03.2024
1.	वैधानिक अंकेक्षण फीस	1.75	1.75
2.	व्ययों की प्रतिपूर्ति	0.25	0.75
3.	कर अंकेक्षण फीस	0.25	0.25
4.	लागत अंकेक्षक फीस	0.36	0.29
	योग	**2.61**	**2.79**

नोट क्रमांक 26.02

मरम्मत एवं अनुरक्षण **(रुपये लाख में)**

क्र.	विवरण	समाप्त वर्ष 31.03.2025	समाप्त वर्ष 31.03.2024
1.	संयंत्र एवं मशीनरी	81.24	144.72
2.	भवन	18.29	36.29
3.	अन्य परिसम्पतियाँ	40.81	51.89
	योग	**140.35**	**232.90**

नोट क्रमांक 26.03 : वर्ष के दौरान बिजली और कोयला में रुपये 996.76 की कोयले की खपत शामिल है।

दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिये वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

27. औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण मण्डल (बी.आई.एफ.आर.) कार्यान्वयन स्थिति

27.1 कम्पनी वर्ष 1998 में प्रकरण क्र.502/1998 द्वारा बी.आई.एफ.आर. के साथ पंजीकृत थी। बी.आई.एफ.आर. ने प्रचालन एजेंसी (ओ.ए.) अर्थात भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.) को नेपा लिमिटेड के लिये एक विस्तृत पुनरूध्दार योजना (डी.आर.एस.) तैयार करने का निर्देश दिया था।

27.2 केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारी उद्योग विभाग (डी.एच.आई.) के पत्र क्र. 7(8)/2009-पी.ई.-VII दिनांक 25.09.2012 के द्वारा दिनांक 06.09.2012 को नेपा लिमिटेड के पुनरुद्धार के लिये रुपये 1,02,596 लाख के कुल पैकेज के लिये अपनी स्वीकृति दी। पुनरुद्धार योजना को बी.आई.एफ.आर. द्वारा अनुमोदित किया गया था और दिनांक 04.03.2014 को कार्यवाही का अंतिम सारांश अभिलेख जारी किया गया था।

27.3 कार्यवाही के अंतिम सारांश अभिलेख के अनुच्छेद 18.7 को इस प्रकार पढ़ा जाये "कम्पनी का भारत सरकार के ऋण रुपये 23,101 लाख तथा मध्यप्रदेश शासन एवं उसके निगमों के रूप में रुपये 2,884 लाख का बकाया तथा उन्हें नये सिरे से प्राप्त करने के लिये तथा पुनरुद्धार एवं मिल विकास योजना (आर.एम.डी.पी.) के लिये रुपये 28,500 लाख के कुल पूँजीगत व्यय के भाग के वित्त पोषण को पूर्ण करने के लिये रुपये 15,700 लाख की साम्य और उसके बाद मध्यप्रदेश शासन के देयताओं पर विचार करने के बाद इक्विटी अनुमान को समाप्त करने के लिये सहमत हुये।"

27.4 इसके अलावा, मध्यप्रदेश शासन के पत्र क्र.एफ./5/2002/10-3 दिनांक 25.02.2012 के द्वारा मध्यप्रदेश शासन ने मेसर्स एम.पी.पी.के.वी.वी.सी.एल. के विद्युत प्रभार एवं विद्युत शुल्क तथा वाणिज्यिक कर एवं प्रवेश कर देयकों की राशि रुपये 2,884 लाख को साम्य में परिवर्तन के लिये सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई थी। रुपये 2,884 लाख के उक्त देयकों के रुपये 10/- प्रत्येक अंकित मूल्य पर मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम पर नेपा लिमिटेड की साम्य पूँजी में परिवर्तन के लिये मध्यप्रदेश शासन ने आदेश दिनांक 07.04.2015 के द्वारा अंतिम स्वीकृति दी गई थी। इसके अलावा, पत्र क्र.7 (13)/2013-पी.ई.-VII दिनांक 08.08.2016 के द्वारा डी.एच.आई. ने भी मध्यप्रदेश शासन के रुपये 2,884 लाख के देयकों के नेपा लिमिटेड के साम्य अंश में परिवर्तन के लिये स्वीकृति प्रदान की गई।

27.5 कम्पनी के पुनरुद्धार के लिये मसौदा पुनर्वास योजना (डी.आर.एस.) के अनुसार, भारत सरकार ने रुपये 15,700 लाख चार किस्तों में अर्थात दिनांक 27.03.2014 को रुपये 810 लाख, दिनांक 26.12.2014 को रुपये 5,000 लाख, दिनांक 23.10.2015 को रुपये 5,099 लाख एवं दिनांक 31.03.2016 को रुपये 4,791 लाख की नवीन साम्य उत्प्रेरण जारी की है।

27.6 विभिन्न राहत हेतु योजना के लिये नियत तिथि 31.03.2012 थी, परंतु कुछ राहतें अभी भी संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुमोदन के लिये विचाराधीन हैं एवं अनुमोदित होने पर उनका लेखा किया जायेगा।

27.7 दिनांक 03.10.2018 को भारत सरकार(GOI)/आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डल समिति (सी.सी.ई.ए.) द्वारा संशोधित आर.एम.डी.पी. पैकेज राशि रुपये 46,941 लाख स्वीकृत किये गये हैं।

27.8 पुनरुध्दार एवं मिल विकास परियोजना के लिये नेपा लिमिटेड को भारत सरकार की बजटीय सहायता के अनुसार, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग ने पत्र क्र.7 (12)/2014-पी.ई.-VII दिनांक 12.10.2018 के द्वारा निर्देशित किया कि पुनरुध्दार एवं मिल विकास परियोजना की पुनरीक्षित अनुमानित लागत के लिये रुपये 27,700 लाख के अतिरिक्त साम्य के उत्प्रेरण के लिये भारत सरकार को साम्य अंश निर्गमित किये जाने हैं तथा वी.आर.एस. (स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना) के लिये रुपये 9,083 लाख के 7% गैर-संचयी अधिमान्य अंशों के रूप में निर्गमित किये जाने हैं।

27.9 बी.आई.एफ.आर. ने अपने आदेश दिनांक 04.03.2014 द्वारा पुनर्वास योजना के एक हिस्से के रूप में 10% प्रति अंश से 5 प्रति अंश की दर से भुगतान की गई अंश पूँजी में कमी को स्वीकृति दी थी। तदनुसार, मंत्रालय, भोपाल में दिनांक 18.06.2019 को नेपा लिमिटेड की 391वीं मण्डल बैठक में रुपये 52466.95 लाख के स्थान पर रुपये 26233.48 लाख के द्वारा विद्यमान साम्य अंश पूँजी की डी-रेटिंग के लिये अंशधारियों के अनुमोदन के लिये डाक मतपत्र के संचालन हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया था।

27.10 वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारत सरकार के पत्र क्रमांक 7(12)/2014-पी.ई.-VII/सी.पी.एस.ई.-III दिनांक 31.10.2021 के तहत रुपये 7,841 लाख आर.एम.डी.पी. के कार्यान्वयन के लिये एवं रुपये 3163 लाख वेतन, मजदूरी एवं अन्य वैधानिक बकायों के भुगतान के लिये जारी की गई। आर.एम.डी.पी. निधि निम्नलिखित किश्तों में जारी की गयी थी :-

ए. रुपये 3,000 लाख दिनांक 29.10.2021

बी. रुपये 2,347 लाख दिनांक 29.12.2021

सी. रुपये 635 लाख दिनांक 21.03.2022

डी. रुपये 1,859 लाख दिनांक 21.03.2022

28. राहत एवं रियायतों की स्थिति

सहायता की स्थिति और/अथवा राहत/रियायत, केन्द्र सरकार/राज्य शासन/राज्य शासन एजेंसियों से प्राप्त हुये और अन्य संवैधानिक प्राधिकारी माननीय बी.आई.एफ.आर. द्वारा अनुमोदित मसौदा पुनर्स्थापन योजना के अनुसार है।

29. भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

29.1 29.1.1. भारत सरकार का ऋण रुपये 23,101 लाख के परिवर्तन की स्वीकृति प्राप्त हो गई थी एवं तदनुसार पूर्व वर्षों में भारत सरकार को अंश आवंटित किये जा चुके हैं।

29.1.2. केंद्र सरकार के प्राधिकारियों के वैधानिक देयकों रुपये 1,338 लाख की माफी।

29.1.3. दिनांक 01.04.2012 से स्थायित्व के साथ भारत सरकार के ऋण पर रुपये 24,183 लाख के पेनल ब्याज की माफी।

29.1.4. दिनांक 01.04.2012 से स्थायित्व के साथ भारत सरकार के ऋण पर रुपये 2,094 लाख के अर्जित ब्याज, किन्तु देय नहीं, की माफी।

29.1.5. दिनांक 01.04.2012 से स्थायित्व के साथ भारत सरकार के ऋण पर रुपये 9,243 लाख के साधारण ब्याज की माफी।

29.1.6. कम्पनी ने भारत सरकार को 7% गैर-संचयी अधिमान्य अंश निम्नानुसार निर्गमित किये हैं:-

I. दिनांक 31.03.2019 तक रुपये 6,000 लाख के 6,00,000 7% गैर-संचयी अधिमान्य अंश

II. वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान आवंटित रुपये 1,654 लाख के 1,65,000 7% गैर-संचयी अधिमान्य अंश

III. इसके अतिरिक्त दिनांक 31.03.2023 को आवंटित 3,00,000 7% गैर-संचयी अधिमान्य अंश

उपरोक्त कुल राशि रुपये 7,654 लाख करोड़ का उपयोग स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना दायित्व के निर्वहन के लिये किया गया है।

29.1.7. लगभग 400 कर्मचारियों के लिये वी.आर.एस. हेतु रुपये 9,083 लाख की राशि स्वीकृत की गई थी, जिनमें से रुपये 4,654 लाख की राशि प्राप्त की जा चुकी है। इसके पक्ष में वित्तीय वर्ष 2019-20 में रुपये 1,654 लाख के 7% गैर-संचयी अधिमान्य अंश आवंटित कर दिये हैं एवं रुपये 3,000 लाख (3,00,000, 7% गैर-संचयी अधिमान्य अंश) आवंटन हेतु लंबित है।

29.2 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 13.03.2014 के अपने निर्णय द्वारा नेपानगर में स्थित 849.90 एकड़ वन भूमि पट्टा विलेख पर हस्ताक्षरित पट्टा किश्त रुपये 2,200 लाख को पूर्व वर्षों में माफ कर दिया है। मध्यप्रदेश शासन से 1517.08 एकड़ मापित भूमि पट्टे पर ली गई है, इसमें से 667.18 एकड़ भूमि दिनांक 05.02.2016 को मध्यप्रदेश शासन को वापस की जा चुकी है। शेष 849.90 एकड़ भूमि के पट्टा विलेख के निष्पादन का कार्य दिनांक 13.10.2018 को पूर्ण हो चुका है, जो कि दिनांक 23.07.2032 तक वैध है।

नेपा लिमिटेड के पास कुल 1199.32 एकड़ भूमि उपलब्ध है, जिसमें से 849.90 एकड़ पट्टा भूमि एवं शेष 349.42 एकड़ राजस्व भूमि है।

नेपा लिमिटेड के पास 2088 आवासों की आवासीय कॉलोनी है, जिसमें से 278 आवास कर्मचारियों को दिये गये हैं, 803 भूतपूर्व कर्मचारियों एवं 849 आवास बाह्य एजेंसियों के पास है तथा शेष या तो क्षति अवस्था में अथवा रिक्त है। इसके अतिरिक्त 1070196 वर्गफीट भूमि पर अतिक्रमण है।

29.3 कम्पनियों के पंजीयक, ग्वालियर

आर.ओ.सी. ने अधिकृत अंशपूँजी में वृद्धि के लिये शुल्क एवं शास्ति में छूट प्रदान की है। तथापि, मध्यप्रदेश शासन द्वारा उपरोक्त पर लगाये गये स्टॉम्प शुल्क रुपये 20 लाख कम्पनी द्वारा गत वर्षों में अदा कर दिये गये है। कम्पनी द्वारा अधिकृत अंशपूँजी में वृद्धि के लिये स्टाम्प शुल्क का भुगतान भी किया जाता है शेयर के आवंटन पर स्टाम्प शुल्क का भुगतान छूट के लिये विचाराधीन है।

29.4 सीमा शुल्क एवं उत्पादन शुल्क विभाग

कम्पनी को बी.आई.एफ.आर. द्वारा डी.आर.एस. के तहत योजना की धारा 18.4 के अनुसार उत्पादन शुल्क एवं सीमा शुल्क से छूट दी गई थी।

29.5 मध्यप्रदेश शासन

29.5.1 विविध देयकों के रुपये 2,884 लाख के परिवर्तन का अनुमोदन मध्यप्रदेश शासन से प्राप्त हो गया है, तदनुसार, गत वर्षों में रुपये 2,884 लाख के अंश मध्यप्रदेश शासन को आवंटित किये जा चुके हैं।

30. आर.एम.डी.पी. के अनुसार छूट एवं रियायतों का मिलान

कम्पनी को आर.एम.डी.पी. के तहत केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/एजेंसियों एवं अन्य वैधानिक प्राधिकारियों से विभिन्न राहत/रियायत प्राप्त हुये है, जिनका गत वर्षों में लेखा पुस्तकों के साथ मिलान कर दिया गया है। विवरण इस प्रकार है :-

(रुपये लाख में)

	भारत सरकार का ब्याज एवं पेनल ब्याज	**मध्यप्रदेश शासन के विविध देय**	**मध्यप्रदेश शासन के कर देय का साम्य में परिवर्तन**	**भारत सरकार के ऋण का साम्य में परिवर्तन**
बी.आई.एफ.आर. द्वारा अनुमोदित परियोजना में दी गई राशि	347	3,535	2,884	23,101
जोड़े : पुनरुध्दार योजना में अनुमान त्रुटि	-	-	49	-
जोड़े : आकस्मिक देयताओं में राशि खुलासा	-	1,914	-	-
पुस्तकों के अनुसार राशि (देयतायें)	-	1,621	2,835	-
पुस्तकों के अनुसार राशि (साम्य में परिवर्तन)	-	-	-	23,101
ब्याज एवं फेनल ब्याज की छूट के रूप में राशि	347	-	-	-

31. कम्पनी की अधिकृत पूँजी है :-

(i) रुपये 6,49,17 लाख, रुपये 5/- प्रत्येक के 1,29,83,40,000 साम्य अंशों में विभाजित हैं एवं

(ii) रुपये 15,083 लाख प्रत्येक रुपये 1000/- के 15,08,300 7% गैर संचयी अधिमान्य अंशों में विभाजित हैं।

32. नवीनीकरण एवं क्षति के तहत परिसम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

32.1 कम्पनी परिसम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के मदों की पहचान/मूल्यांकन करने की प्रक्रिया में है, जिन्हें सक्रिय उपयोग से अप्रचलित किया जाना है। इस तरह की पहचान/मूल्यांकन के पूर्ण होने के पश्चात, परिसम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की किसी भी मद को सक्रिय उपयोग से अप्रचलित नहीं माना जाता है तथा निपटान के लिये रखा जाता है। तदनुसार, परिसम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की सभी मदों को उनकी वहन राशि पर मापा जाना जारी है। परिसम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की मदों की पहचान करने पर, जिन्हें सक्रिय उपयोग से अप्रचलित किया जाना है, फिर उन्हें राशि एवं शुद्ध वसूली योग्य मूल्य के निचले स्तर पर कहा जायेगा।

32.2 औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार एवं मिल विकास योजना (आर.एम.डी.पी.) कार्यान्वयन के तहत थी। कम्पनी को भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त हुये हैं। परिसम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की वहाँ लागत के पक्ष में रुपये 35359.32 लाख (गत वर्ष रुपये 37162.61 लाख) एवं आर.एम.डी.पी. के तहत चालू दशा में पूँजीगत कार्य के खाते में रुपये 442.10 लाख (गत वर्ष रुपये 525.37 लाख) है। प्रबंधन का अभिमत है कि उक्त योजना के कार्यान्वयन के पश्चात, कम्पनी को "कैश जनरेटिंग यूनिट" के रूप में लिया गया, परिसम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरणों की वहन लागत की तुलना में उपयोग में मूल्य अधिक होगा। इसलिये, प्रबंधन का मानना है कि कोई क्षति का प्रावधान आवश्यक नहीं है।

32.3 आर.एम.डी.पी. योजना दिनांक 22.08.2022 को पूर्ण हो गई।

33. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड एकाउन्टेन्ट ऑफ इण्डिया (आई.सी.ए.आई.) एवं अधिनियम की धारा 133 के तहत् सूचित, जिसे कम्पनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़ा जाये, लेखा विधि मानक-15 “कर्मचारी हित लाभ” (पुनरीक्षित) के अनुसार आवश्यक प्रकटीकरण का दिनांक 31.03.2025 को बीमांकिक मूल्यांकन निम्नानुसार है :-

परिभाषित हित लाभ योजना

कर्मचारी उपादान कोष योजना एक परिभाषित लाभ योजना है। प्रतिज्ञा पत्र का वर्तमान मूल्य बीमांकिक आँकलन परियोजना एकक क्रेडिट सिध्दांत, उपयोग के आधार पर चलाया जाता है, जो सेवा के प्रत्येक समय में माना जाता है, कर्मचारी लाभ हकदार के अतिरिक्त बढ़ाकर देने और प्रत्येक एकक अलग मापक से अंतिम प्रतिज्ञा पत्र तैयार होगा।

I. हितलाभ बाध्यता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन (रुपये लाख में)		
	2024-25	**2023-24**
वर्ष के आरम्भ में हितलाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य	1394.86	1582.36
वर्तमान सेवा लागत	55.69	50.37
ब्याज लागत	94.15	112.34
चुकता हित लाभ	(226.63)	(353.78)
बाध्यता पर बीमांकिक लब्धि/(हानि)	301.23	3.55
वर्ष के अंत में बाध्यता का वर्तमान मूल्य	1619.31	1394.86

II. हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य का विभाजन (रुपये लाख में)		
	2024-25	**2023-24**
चालू (एक वर्ष के भीतर देय राशि)	541.20	339.25
गैर-वर्तमान (एक वर्ष के बाद देय राशि)	1078.11	1055.61
कुल	1619.31	1394.86

III. योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन (रुपये लाख में)		
	2024-25	**2023-24**
वर्ष के आरम्भ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	1074.34	1344.10
योजनागत संपत्ति पर अपेक्षित प्रतिफल	64.86	82.87
कम्पनी का योगदान	-	-
भुगतान किए गए लाभ	(226.63)	(353.78)
योजना परिसंपत्तियों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	8.83	1.14
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	921.40	1074.34

IV. तुलन पत्र और लाभ-हानि विवरण में मान्यता प्राप्त राशि (रुपये लाख में)		
	2024-25	**2023-24**
वर्ष के अंत में लाभ दायित्वों का वर्तमान मूल्य	1619.31	1394.86
वर्ष के अंत में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	921.40	1074.34
तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त शुद्ध देयता/(परिसंपत्ति)	697.90	320.52

V.	**2024-25**	**2023-24**
वर्तमान सेवा लागत	55.69	50.37
ब्याज लागत	94.15	112.34
योजना परिसम्पत्तियों पर प्रत्याशित धन वापसी	(64.86)	(82.87)
वर्ष में शुध्द बीमांकिक (लब्धि)/हानि मान्यता	292.40	2.41
लाभ एवं हानि का विवरण में व्यय मान्यता	337.38	82.26

लेखा पुस्तकों के अनुसार ग्रेच्युटी दायित्व का वर्तमान मूल्य रुपये 697.90 लाख है (गत वर्ष रुपये 616.72 लाख) जिसे योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य को घटाने के बाद मान्यता दी गई है।

कम्पनी द्वारा अपने स्थायी कर्मचारी तथा केजूअल एवं बदली कर्मचारी के लिये प्राप्त बीमांकिक प्रतिवेदन के अनुसार योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य को समायोजित करने के पश्चात शुद्ध दायित्व रुपये 697.90 लाख (गत वर्ष रुपये 616.72 लाख) है। तुलन पत्र में उपादान दायित्व के विरुद्ध कुल प्रावधान रुपये 697.90 लाख (गत वर्ष रुपये 616.72 लाख) बनाया गया है।

अवकाश नकदीकरण प्रावधान का वर्गीकरण बीमांकिक मूल्यांकन के प्रतिवेदन के आधार पर किया जाता है।

I. हितलाभ बाध्यता के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन (रुपये लाख में)		
	2024-25	**2023-24**
वर्ष के आरम्भ में हितलाभ बाध्यता का वर्तमान मूल्य	795.57	786.17
वर्तमान सेवा लागत		
ब्याज लागत	44.12	46.15
चुकता हित लाभ	53.70	55.82
बाध्यता पर बीमांकिक लब्धि/(हानि)	(106.37)	0.00
वर्ष के अंत में बाध्यता का वर्तमान मूल्य	(34.97)	(92.55)
	752.05	795.57
II. हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य का विभाजन (रुपये लाख में)		
	2024-25	**2023-24**
चालू (एक वर्ष के भीतर देय राशि)	213.07	183.30
गैर-वर्तमान (एक वर्ष के बाद देय राशि)	538.98	612.26
कुल	752.05	795.57

34. कर्मचारियों से संबंधित भुगतान

(ए) कर्मचारियों से संबंधित वेतन/मजदूरी एवं वैधानिक देयकों के लिये सी.सी.ई.ए. के निर्णय दिनांक 03.10.2018 के द्वारा रुपये 10,158 लाख की राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें से वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान रुपये 3,825 लाख (बिजली बिल के भुगतान के लिये रुपये 394 लाख सहित) प्राप्त हुये हैं एवं वर्ष 2020-21 के दौरान रुपये 6,331 लाख प्राप्त हुये हैं। कम्पनी ने घोषित अथवा परिभाषित हित लाभ उपादान के लिये भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रदान किये गये गणना के नियमानुसार उपादान भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत् उत्तरदायित्व संभालने के विरुध्द बीमा सुरक्षित के लिये वर्ष के दौरान एल.आई.सी. प्रीमियम का भुगतान कर दिया है। वर्ष 2021-22 में वेतन/मजदूरी एवं वैधानिक बकायों के पक्ष में भारत सरकार से रुपये 3,163 लाख प्राप्त हुये हैं।

(बी) कम्पनी ने चालू वर्ष के दौरान कर्मचारियों के पक्ष में अवकाश नकदीकरण देयताओं हेतु रूपये 752.05 लाख रुपये (गत वर्ष रुपये 795.57 लाख) का प्रावधान किया है। कम्पनी द्वारा प्राप्त बीमांकिक प्रमाण पत्र के अनुसार देयता रुपये 752.05 लाख है।

35. खण्ड रिपोर्टिंग

कम्पनी मुख्य रूप से अखबारी कागज के निर्माण के व्यवसाय जुड़ी है तथा लेखन एवं मुद्रण कागज के निर्माण में विविधता लाने जा रही है। कम्पनी, इसके कर्मचारियों और आम जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिये, कम्पनी नेपा नगर की शहर की सीमा के भीतर एक पेट्रोल पंप संचालित कर रही है। यह एक आकस्मिक गतिविधि है। इकाई के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से निदेशक मंडल को कोई जानकारी नहीं दी जाती है। पेट्रोल/डीजल से होने वाला राजस्व नेपा लिमिटेड द्वारा उत्पन्न कुल राजस्व का 10% से अधिक है। एएस-17 सेगमेंट रिपोर्टिंग के अनुपालन में उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए कम्पनी ने पेट्रोल/डीजल से होने वाले राजस्व को एक अलग रिपोर्ट करने योग्य सेगमेंट के रूप में प्रकट किया है। प्रतिवेदन करने योग्य खंड का विवरण इस प्रकार है:-

(रुपये लाख में)

लेखांकन मानक 17 के अनुसार खंड रिपोर्टिंग			
विवरण	**अखबारी कागज**	**पेट्रोल, डीजल और स्नेहक का व्यवसाय**	**कुल**
1. खंड राजस्व			
ए) बाहरी बिक्री	4275.64	1281.96	5557.60
बी) अंतर खंड बिक्री	0	0	0
कुल राजस्व	4275.64	1281.96	5557.60
प्रचालन से कुल राजस्व	3354.14	1281.96	4636.10
2. खंड परिणाम	(11122.60)	(15.90)	(11138.50)
ए) आयकर के बाद लाभ/(हानि)			
प्रचालन लाभ/(हानि)			(5490.57)
ब्याज व्यय			(5647.93)
आयकर			0.00
निवल लाभ/(हानि)			(11138.50)
3. खंड परिसंपत्तियाँ	35358.11	1.21	35359.32
4. खंड देयतायें	71331.66	3.71	71335.37

36. मुख्य प्रबंधन कार्मिक एवं संबंधित पक्षों का प्रकटीकरण जिनके साथ लेन-देन दर्ज किया गया

इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इण्डिया द्वारा निर्गमित संबंधित पक्ष के खुलासे पर लेखा विधि मानक-18 के तहत प्रबंधन द्वारा अभिनिर्धारित संबंधित पक्ष सूचना निम्नानुसार है :-

(ए) संबंधित पक्षों की सूची

मुख्य प्रबंधन कार्मिक (के.एम.पी.) एवं अन्य संबंधित पक्ष

क्र.	**संबंधित पक्ष का नाम**	**संबंध**
1.	कमोडोर अरविंद वढेरा	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (दिनांक 16.04.2025 से)
2.	श्री प्रदीप कुमार नाईक	निदेशक (वित्त)/(अतिरिक्त प्रभार) (दिनांक 02.05.2019 से)
3.	श्री राकेश कुमार चोखानी	कम्पनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक पद से मुक्त (16.04.2025 से)
4.	श्री मिलिंद शरदचन्द्र कनाड़े	निदेशक
5.	सुश्री रेणुका मिश्रा	नामित निदेशक
6.	श्री अतुल कुमार मिश्रा	नामित निदेशक
7.	श्रीमती निधि मिश्रा	कम्पनी सचिव (15.01.2024 से)
8.	श्री विकास रेड्डी	मुख्य वित्तीय अधिकारी (15.01.2024 से)

(बी) वर्ष के दौरान संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन **(रुपये लाख में)**

क्र.	**लेनदेन का प्रकार**	**2024-25**	**2023-24**
1.	**पारिश्रमिक**		
	1. सुश्री निधि मिश्रा	6.38	1.43
	2. श्री विकास रेड्डी	7.79	5.06
2.	**यात्रा व्यय**		
	1. श्री राकेश कुमार चोखानी	0.42	0.00
	2. श्री पी.के. नाईक	5.48	3.36
	3. श्रीमती निधि मिश्रा	0.75	0.00
	4. श्री विकास रेड्डी	0.31	0.68
3.	**मण्डल मीटिंग बैठक फीस**		
	श्री मिलिंद कनाड़े (स्वतंत्र निदेशक)	0.26	0.19

राज्य-नियंत्रित उद्यम होने के कारण, अन्य राज्य-नियंत्रित उद्यमों एवं ऐसे उद्यमों के साथ लेनदेन संबंधित पार्टी संबंध को ए.एस.-18 के अनुसार "संबंधित पार्टी के खुलासे" के रूप में प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है।

37. अर्जन प्रति साम्य अंश (ई.पी.एस.) की गणना ए.एस.20 के अनुसार की गई (रुपये लाख में)

	विवरण	2024-25	2023-24
i.	मूल/तनुकृत प्रति अंश अर्जन की गणना करने हेतु रुपये लाख में गणक अनुसार राशि उपयोग की गई है।	(11138.50)	(12676.13)
ii.	मूल प्रति अंश अर्जन की गणना के लिये साम्य अंशों के भारित औसत नम्बर है। (इसमें रुपये 4.30 लाख के 97780 जप्त साम्य अंश सम्मिलित नहीं है।)	12354.90	12354.90
iii.	अंश का नाममात्र का मूल्य (रुपये)	5	5
iv.	मूल प्रति अंश अर्जन (रुपये)	(0.90)	(1.03)
v.	तनुकृत प्रति अंश अर्जन की गणना के लिये साम्य अंशों के भारित औसत नम्बर है।	निरंक	निरंक
vi.	तनुकृत प्रति अंश अर्जन (रुपये)	(0.90)	(1.03)

लेखा विधि मानक-20 के पैरा 41 "अर्जन प्रति अंश" के अनुसार, संभावित साम्य अंशों के मामले में, जो गैर-तनूकृत हैं एवं साम्य अंशों में उनके परिवर्तन या तो सामान्य गतिविधियों को जारी रखने से अर्जन प्रति अंश में वृद्धि करेंगे या सामान्य गतिविधियों से जारी रखने वाले प्रति अंश हानि में कमी करेंगे। गत वर्ष में तनूकृत प्रति अंश अर्जन की गणना में इस तरह के गैर-तनूकृत संभावित साम्य अंशों के प्रभावों की उपेक्षा की जाती है। इसलिये, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि तनूकृत प्रति अंश अर्जन की गणना में प्रकृति में गैर-तनूकृत नहीं माने जाते हैं।

38. कर

वर्ष के दौरान होने वाली हानि के कारण वर्ष के दौरान वर्तमान कर के लिये कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

भविष्य के लाभ की आभासी अनिश्चितता के कारण अग्रगामी हानियों एवं अनअवशोषित मूल्यह्रास के कारण आस्थगित कर परिसम्पत्तियों को लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया है।

39. आकस्मिक परिसंपत्तियाँ/देयतायें एवं पूँजी प्रतिबद्धतायें

39.1 आकस्मिक परिसंपत्तियों को न दर्ज किया जाता है एवं न ही वित्तीय विवरणों में खुलासा किया जाता है।

39.2 आकस्मिक देयताएँ

प्रबंधन के मूल्यांकन के आधार पर, यह संभव नहीं है कि निम्नलिखित मामलों में दायित्वों का निपटान करने के लिये आर्थिक लाभ प्राप्त करने वाले संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी:-

ए) कम्पनी के विरुद्ध दावों/विवादित देनदारियों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया

(ए) रेलवे के निर्माण के लिये भूमि अनुज्ञप्ति शुल्क के कारण रुपये 50.67 लाख के कम्पनी विरुध्द दावें, जिनको ऋण नहीं माना गया। (गत वर्ष रुपये 50.67 लाख)।

(बी) नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रधान पीठ, नई दिल्ली ने दिनांक 10.12.2015 को वर्ष 1999 एवं वर्ष 2009 की सूचना की शर्तों के तहत मुफ्त में कोल सिंडर (एश/फ्लाई एश जिसमें उच्च कार्बन सामग्री/बिना जला कोयला सम्मिलित है) प्राप्त करने के लिये कम्पनी के विरुध्द लगाये गये प्रकरण में यह निर्देशित किया कि आवेदक कम्पनी छः माह के भीतर प्लांट एवं तकनीक का उन्नयन करेगी, निपटान किया।

कम्पनी ने समय सीमा बढ़ाने के लिये अनुरोध किया क्योंकि छः माह के भीतर उन्नयन सम्भव नहीं था। तथापि, एन.जी.टी. आवेदक कम्पनी द्वारा उठाये गये कदमों से संतुष्ट नहीं थी एवं छः माह के लिये इस शर्त पर विस्तार दिया गया कि आवेदक कम्पनी मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जिसका पर्यावरण, पारिस्थितिकी एवं आवेदक कम्पनी के आस-पास के क्षेत्र में जल आपूर्ति के लिये उपयोग करेगी, को रुपये 300 लाख का भुगतान करेगी।

कम्पनी के आवेदन पर एन.जी.टी. ने दिनांक 30.06.2017 तक के समय का विस्तार प्रदान किया, जिसमें समूचित कदम उठाना आवश्यक है। आवेदक को यह स्वतंत्रता होगी कि वह अगले विस्तार के लिये प्लांट एवं अन्य अवसंरचना के उन्नयन के लिये प्रगति दर्शाते हुये आवेदन प्रस्तुत कर सकता है, जिस पर श्रेष्ठता के आधार पर विचार किया जावेगा। यदि प्रभावी कदम नहीं उठाये गये, तब परियोजना प्रस्तावक एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिये उत्तरदायी होगा।

कोटि उन्नयन के लिये संयंत्र के बंद होने के मद्देनजर कम्पनी संयंत्र के शीघ्र उन्नयन के लिये सर्वश्रेष्ठ प्रभावी कदम उठा रही है। प्रबंधन का यह मत है कि प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्देनजर एन.जी.टी. द्वारा क्षतिपूर्ति अधिरोपित नहीं की जावेगी।

कम्पनी समय के और विस्तार के लिये आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में है। म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा को ट्रिब्यूनल को दिये गये अपने पहले शपथपत्र के अध्याय-5 के संबंध में उठाये गये कदमों से संबंधित पूर्ण विवरण प्रस्तुत करना था, जो लंबित है।

(सी) विवादित दावे/आरोपित राशि के संबंध में

(I) श्रमिकों के संघ ने बदली श्रमिकों की ओर से कम्पनी के विरुध्द एक प्रकरण दायर किया है। जिला न्यायालय द्वारा श्रमिकों के संघ के पक्ष में दिये गये निर्णय के आधार पर कम्पनी ने इस प्रकरण के विरुध्द अपील दायर की है। यह प्रकरण अभी भी माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर के समक्ष लम्बित है। दिनांक 31.03.2025 तक आकस्मिक देयतायें रुपये 5488.48 लाख (गत वर्ष के रुपये 5641.28 लाख) है।

उपरोक्त प्रकरणों के अलावा, तीन बदली श्रमिकों ने कम्पनी के विरुद्ध व्यक्तिगत रुप से सेवा से संबंधित प्रकरण दर्ज कराये हैं एवं कुल दावा राशि रुपये 0.56 लाख है।

(II) सेल्स गोडाउन के पीसरेटेड कर्मचारियों के उच्च न्यायालय, इन्दौर बेंच के समक्ष दायर प्रकरण लम्बित हैं। प्रतिनिधि संघ ने सभी जॉबरेटेड एवं बदली कर्मचारी की हस्तक्षेपी हेतु उच्च न्यायालय में एक आवेदन भी लगाया है। उच्च न्यायालय, इन्दौर ने हस्तक्षेपी का कार्यवाही आदेश पारित कर दिया है। प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय, इन्दौर के समक्ष अभी भी लम्बित है। दिनांक 31.03.2025 को कम्पनी के विरूध्द दावा, जिसे देयता नहीं माना गया (बदली कर्मचारियों के लिये उपरोक्त (I) को छोड़कर) लगभग रुपये 3407.88 लाख (गत वर्ष के रुपये 3502.75 लाख) है।

(III) कम्पनी के विरुध्द विभिन्न सेवा से संबंधित प्रकरण दायर किये गये हैं, जो विभिन्न फोरमों के समक्ष लम्बित है। इन प्रकरणों पर लगभग रुपये 44.32 लाख (गत वर्ष के रुपये 44.32 लाख) का वित्तीय प्रभाव आयेगा।

(IV) वर्ष 2010 तक की अवधि के संबंध में माफी के लिये विचाराधीन रुपये 168 लाख के सम्पत्ति कर को माननीय बी.आई.एफ.आर. द्वारा अनुमोदित मसौदा पुनर्स्थापन योजना के अनुसार मध्यप्रदेश शासन द्वारा माफ किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त दायित्व उत्पन्न नहीं हुये है, क्योंकि कम्पनी नगर की बुनियादी सुविधायें प्रदान कर रही है एवं उन पर होने वाले अत्यधिक व्ययों को वहन कर रही है। दिनांक 01.04.2017 से सभी बुनियादी सुविधाओं को नगर परिषद को हस्तांतरित करने पर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन स्तर पर सहमति व्यक्त की गई। नेपा लिमिटेड थोक पेयजल की आपूर्ति जारी रखेगी, जिसके लिये नेपा नगर परिषद द्वारा रुपये 7/- प्रति किलो लीटर की

दर से नेपा लिमिटेड को भुगतान किया जाएगा, जबकि नेपा लिमिटेड दिनांक 01.04.2017 से संपत्ति कर का भुगतान करेगा। सम्पत्ति कर की मात्रा के निर्णय पर जबलपुर उच्च न्यायालय में चर्चा चल रही है। 300 एकड़ वन भूमि की सुपुर्दगी के पूर्व तीन सौ एकड़ भूमि का मापन सर्वेक्षण कार्य भी प्रगति पर है। इस खाते पर ब्याज सहित अनुमानित राशि रुपये 243.99 लाख है।

(V) वित्तीय वर्ष (2012-13 से 2016-17) के लिये के.एम.एस. 176ए/523/25-27 पर स्थित नेपानगर की सम पार की मरम्मत एवं वेतन के संबंध में रुपये 312.45 लाख (गत वर्ष रुपये 312.45 लाख) के दायित्व। सी.ए.जी. द्वारा गत वर्ष में उठाये गये मुद्दे के अनुसार, कम्पनी कथित राशि देने को बाध्य नहीं है, क्योंकि कथित सम पार आम जनता के लिये अत्याधिक उपयोग किया जा रहा है। इसके मद्देनजर समस्त बिल भी रेलवे को लौटा दिये गये है। इस संबंध में आगे कोई पत्र व्यवहार नहीं हुआ है। इसलिये यह राशि पुस्तकों में प्रदान नहीं की गई है।

(VI) भूतपूर्व कर्मचारियों ने उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात उनके नियमित रोजगार के पहले की अस्थायी अवधि के लिये इसकी अवधि विनिर्दिष्ट करने के पश्चात एवं बिना किसी दस्तावेजी प्रमाण के उपादान दावा दायर किया है। चूंकि ये दावें बहुत पुरानी अवधि के लिये हैं तथा बहुत अधिक समय बीत चुका है। अत: इसकी राशि की मात्रा का अनुमान लगाना कठिन है। अन्य भूतपूर्व कर्मचारियों द्वारा अस्थायी अवधि के लिये उपादान प्राप्त करने हेतु साधारण पत्र द्वारा अनुरोध किया गया है। दस्तावेजी प्रमाण एवं अभिलेखों रिकॉर्ड की अनुपलब्धता के कारण दायित्व का एक विश्वसनीय अनुमान, यदि कोई हो, नहीं किया जा सकता है।

(VII) कम्पनी ने पूँजीगत संयंत्र एवं मशीनरी के आयात के लिये ई.पी.सी.जी. योजना का उपयोग किया है। दिनांक 31.03.2025 को रुपये 2620 लाख (गत वर्ष के रुपये 2620.00 लाख) के उत्पादन शुल्क की बचत की गई है, जिसके विरुध्द निर्यात वचनबध्दता रुपये 15721 लाख (गत वर्ष के रुपये 15721 लाख) की है। कम्पनी ने डी.जी.एफ.टी. से अपने प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से छूट पर विचार करने का अनुरोध किया है।

(VIII) प्राप्य दावों में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से देय रुपये 726.73 लाख शामिल हैं, जो ई.पी.एफ.ओ. द्वारा लगाये गये जुर्माने के कारण पिछले वर्षों में भुगतान किए गए नुकसान के लिये हैं और इसे वसूली योग्य दिखाया गया है, क्योंकि कम्पनी का मानना है कि इसके लिये बी.आई.एफ.आर. द्वारा राहत दी जायेगी एवं रुपये 386.09 लाख के लिये अदालती मामला चल रहा है और शेष राशि के लिये प्रावधान बनाया गया है।

(IX) कम्पनी को पिछले वर्ष 01/04/2017 से संपत्ति कर हेतु रुपये 1469.62 लाख का डिमांड नोट प्राप्त हुआ था। परन्तु चालू वर्ष में लेखा-पुस्तकों में AS-29 के अनुसार ऐसी राशि का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जिसके कारण कम्पनी ने नगर पालिका परिषद प्राधिकरण के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है, जिस पर उप-कलेक्टर द्वारा कर निर्धारण को अंतिम रूप देने हेतु बैठक बुलाने का आश्वासन दिया गया है।

बी) प्रत्याभूति

बैंक द्वारा जारी रुपये 481.11 लाख अदत्त बैंक प्रत्याभूति (गत वर्ष के रुपये 481.11 लाख) हैं।

सी) अन्य

I. अपील जिसके लिये किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं समझी जाती है, क्योंकि कम्पनी को अपीलों में सफल परिणाम की आशा है। उन बहिर्वाहों की राशि या समय के संबंध में अनिश्चिततायें हैं, क्योंकि यह अपीलीय प्रक्रिया के पूर्ण होने पर निर्भर करता है। कोई अनुमान नहीं लगाया गया है एवं राशि विभागों द्वारा की गई मांग पर आधारित है।

संविधि का नाम	विवाद से संबंधित अवधि	विवादित राशि (रुपये लाख में)	जहाँ से विवाद लम्बित है।
प्रवेश कर	2008-09	4.49	मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अपीलीय मण्डल, इन्दौर
मूल्य समाविष्ट कर	2009-10	75.65	मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अपीलीय मण्डल
प्रवेश कर	2009-10	7.16	मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अपीलीय मण्डल
मूल्य समाविष्ट कर	2010-11	10.42	मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अपीलीय मण्डल
मण्डी कर	1998	35.95	मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर
सम्पत्ति कर एवं उस पर ब्याज	2011-12 से 2023-24	243.99	म.प्र. उच्च न्यायालय, जबलपुर बेंच
वस्तु एवं सेवा कर, 2017	जुलाई 2017 to मार्च 2018	540.55	अपीलीय प्राधिकरण इंदौर
वस्तु एवं सेवा कर, 2017	2017 to 2020	867.49	अपीलीय प्राधिकरण इंदौर
आयकर अधिनियम, 1961	वित्तीय वर्ष 2017-18 वित्तीय वर्ष 2018-19	204.37	ए.डी.डी.एल./जे.सी.आई.टी(ए)-1 गुवाहाटी

II. रुपये 0.47 लाख की टी.डी.एस. चूक

सभी मूल्यांकन वर्षों के लिये टी.डी.एस. देयता या तो टी.डी.एस. के कम भुगतान, टी.डी.एस. की कम कटौती या ऐसे कम भुगतान या देर से भुगतान पर ब्याज के कारण है। कम्पनी मांग के परिशोधन की प्रक्रिया में है।

III. दिनांक 31.03.2025 तक आय कर माँग निरक है।

39.3 पूँजी वचनबध्दता (अग्रिम का शुध्द)

ए. प्रौद्योगिकी संवर्द्धन/वृद्धि/मुद्रास्फीति/विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव आदि के कारण होने वाली वृद्धि को ध्यान में रखते हुये मूल रूप से परिकल्पित परियोजना लागत रुपये 43,400 लाख (रुपये 2,400 लाख के ई.पी.सी.जी. लाभ का शुद्ध योग) है। रुपये 78.41 करोड़ की परियोजना लागत के लिये कार्यक्षेत्र में वृद्धि एवं भारत सरकार की स्वीकृति के कारण संशोधित होकर रुपये 512.41 करोड़ हो गई। विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत आर.एम.डी.पी. पैकेज के लिए भारत सरकार की स्वीकृति इस प्रकार है :-

स्वीकृति की तिथि	आर.एम.डी.पी. के लिये निधि	वेतन/मजदूरी/ वैधानिक देय	वी.आर.एस.	ऋण पर ब्याज माफी	योग	रिमार्क
सितंबर 2012	157	0	60	17.18	234.18	**एफ.आई.आई. द्वारा रुपये 128 करोड़ का ऋण उपलब्ध नहीं कराया गया**
अक्टूबर 2018	277	101.58	90.83	0	469.41	
अक्टूबर 2018	78.41	31.63	0	0	110.04	
कुल स्वीकृत	512.41	133.21	150.83	17.18	813.63	
जारी	**512.41**	**133.21**	**106.54**	**17.18**	**769.34**	**अप्रैल 2019 में वी.आर.एस. रोक दिये जाने के कारण रुपये 44.29 करोड़ जारी नहीं किये गये**
यू.सी. प्रस्तुत	487.47	133.21	95.52	17.18	733.38	
लंबित यू.सी.	24.94	निरंक	11.02	निरंक	35.96	**अप्रयुक्त राशि**

40. हमारी पुनरुद्धार योजना के क्रियान्वयन में अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। हमारे कड़े वित्तीय प्रबंधन के बावजूद, कम्पनी ने परियोजना के पूर्ण होने तक सभी आवंटित निधियों को समाप्त कर दिया। नतीजतन, हालांकि हमारा संयंत्र पूरी तरह से स्थापित और परिचालन के लिये तैयार है, वर्तमान में हमारे पास पूर्ण पैमाने पर उत्पादन प्रारम्भ करने के लिये आवश्यक कार्यशील पूंजी की कमी है।

इस वित्तीय बाधा के जवाब में, हम आवश्यक धनराशि सुरक्षित करने और संयंत्र की परिचालन व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिये कई रणनीतिक विकल्पों पर सक्रिय रूप से विचार कर रहे हैं:

ए) **वित्तीय पुनर्गठन :** हम अपने विद्यमान संसाधनों को अनुकूलित करने और कोष में सुधार करने के लिये एक व्यापक वित्तीय पुनर्गठन पर विचार कर रहे हैं। इसमें अन्य स्रोतों से यथासंभव निधि की प्राप्ति भी शामिल है।

बी) **सरकारी सहभागिता :** हम कार्यशील पूंजी के लिये साम्य के रूप में अतिरिक्त निधि उपलब्ध कराने एवं देनदारियों को माफ करने के लिये सरकारी अधिकारियों के साथ निरंतर चर्चा कर रहे हैं।

सी) **वस्तु एवं सेवा कर क्रेडिट :** कम्पनी ने रुपये 33 करोड़ का वस्तु एवं सेवा कर जमा किया है।

डी) **विक्रेता वार्ता :** हम उत्पादन के लिये आवश्यक सामग्री एवं सेवाओं के क्रय को सुविधाजनक बनाने के लिये अपने विक्रेताओं के साथ विस्तारित ऋण शर्तों पर बातचीत कर रहे हैं।

ई) **राजस्व अनुकूलन :** हमने अपनी राजस्व संग्रह प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया है, विशेष रूप से लीज़ प्रीमियम/ लीज़ किराया और अन्य विविध राजस्व जैसी संपत्ति के संबंध में, ताकि आने वाली नकदी में वृद्धि हो सके।

एफ) **आदेश पूर्ति :** हमें रुपये 40 से रुपये 50 करोड़ के आदेश मिले हैं, जो हमारे उत्पादों की मजबूत मांग को दर्शाता है। हालांकि, कार्यशील पूंजी की कमी के कारण संयंत्र अपनी क्षमता के केवल 7% पर ही काम कर रहा है।

जी) **भंडार परिसमापन :** हम ट्रायल प्रचालन के दौरान निर्मित स्टॉक को निपटाने की प्रक्रिया में हैं, जो आसानी से विक्रय योग्य नहीं है। इस पहल का उद्देश्य कुछ कार्यशील पूंजी मुक्त करना है।

एच) **सरकारी ऋण को साम्य में बदलना :** हम ऋण को साम्य में बदलने के लिये केंद्र सरकार और मंत्रालय के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रहे हैं, जिससे हमारा ब्याज भार और कम हो जाएगा।

आई) **स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना :** वी.आर.एस. पैकेज के तहत कई कर्मचारियों ने सेवानिवृत्ति का विकल्प चुना है, जिससे पहले से ही मासिक वेतन का बोझ कम हो गया है।

हम इन वित्तीय चुनौतियों से पार पाने एवं संयंत्र को अपनी पूरी परिचालन क्षमता पर लाने के लिये लगन से काम कर रहे हैं। हमें यकीन है कि उपरोक्त पहल के साथ, कम्पनी जल्द ही अपने वित्तीय संकट से बाहर आ जायेगी एवं समय पर अपने कर्मचारियों का निर्माण, नकदीकरण एवं वेतन जारी रखेगी। इसलिये, प्रबंधन को वर्तमान स्थिति के संबंध में पूर्ण विश्वास है।

41. विविध देनदार

ए) मेसर्स जन मण्डल, प्रकाशक, "आज" हिन्दी दैनिक, वाराणसी के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद ने कम्पनी के देयकों का भुगतान न देने के संबंध में कम्पनी अधिनियम की धारा 433 के तहत याचिका समाप्त करने का आदेश पारित किया। रुपये 242 लाख + ब्याज की राशि की क्षतिपूर्ति के लिये भी कम्पनी ने जुलाई 1997 में माननीय जिला न्यायाधीश, खण्डवा में भी दीवानी प्रकरण दायर किया है, जो अभी भी निर्णय हेतु लम्बित है।

प्रतिवादी द्वारा समापन का आदेश चुनौती के तहत माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं उत्तरप्रदेश की प्रभागीय न्यायपीठ के समक्ष विशेष अपील क्रमांक 225/99 में विचाराधीन है। नेपा लिमिटेड के पक्ष में मामला तय किया गया है। राशि की वसूली की प्रक्रिया प्रगति पर है।

बी) नगर पालिका नेपानगर से 31.03.2025 तक प्राप्त होने वाली राशि रुपये 7,67,90,865 में से, रूढ़िवादी दृष्टिकोण के आधार पर 3 वर्ष से अधिक समय से बकाया राशि रुपये 22049195 के लिये प्रावधान बनाया गया है।

42. विदेशी विनिमय व्यवहार :

ए) विदेशी मुद्रा में व्यय **(रुपये लाख में)**

क्र.	विवरण	2024-25	2023-24
1.	आर.एम.डी.पी. (अग्रिम सहित) के लिये	0	0
	योग	**0**	**0**

बी) विदेशी मुद्रा में आय रुपये निरंक (गत वर्ष - निरंक)

सी) आयात का सी.आई.एफ. मूल्य **(रुपये लाख में)**

क्र.	विवरण	2024-25	2023-24
1.	कच्चा माल	निरंक	निरंक
2.	आर.एम.डी.पी. के तहत पूँजीगत माल	निरंक	निरंक
	योग	**निरंक**	**निरंक**

43. पूरक जानकारियाँ

आयातित एवं स्वदेशी कच्चे माल तथा भण्डार एवं कलपुर्जे के उपभोग का मूल्य **(रुपये लाख में)**

क्र.	विवरण	कच्चा माल		भण्डार एवं कलपुर्जे	
		2024-25	2023-24	2024-25	2023-24
1.	आयातित	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
2.	स्वदेशी	1833.39	7769.37	77.42	177.65

44. सचिवीय अनुपालन की स्थिति

44.1 कम्पनी के मण्डल में भारत सरकार (GOI) द्वारा निदेशक को नियुक्त किया गया था। मण्डल में स्वतंत्र निदेशक की रिक्ति के पश्चात श्रीमती कल्पना श्रीवास्तव का कार्यकाल फरवरी 2022 में एवं श्रीमती कमलावती सिंह का कार्यकाल फरवरी 2023 में पूर्ण हुआ। भारत सरकार द्वारा दिनांक 05.06.2023 को श्री मिलिंद शरदचंद्र कनाड़े को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। नेपा लिमिटेड के मण्डल में एक और स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति भारत सरकार की ओर से लंबित है।

44.2 कम्पनी ने दिनांक 17.02.2016 से 30.08.2016 की अवधि के दौरान तथा वर्ष 2019-20 एवं वर्ष 2020-21 में भारत के राष्ट्रपति और मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नामे अंश निर्गमित किये हैं। कम्पनी ने वर्ष 2019, 2021, 2022 एवं 2023 में सक्षम प्राधिकारी से स्टाम्प शुल्क की छूट के लिये आवेदन किया है। वितीय वर्ष 2024-25 के लिये अंकेक्षण के पूर्ण होने तक मामले में अंतिम निर्णय नहीं किया गया है।

44.3 प्रभार संतुष्टि प्रपत्र पहले से ही भरा हुआ था किन्तु आर.ओ.सी. प्रभार निर्देशिका से प्रभार नहीं हटाए गए थे एवं प्रपत्र की भरी हुई प्रति कम्पनी के पास उपलब्ध नहीं है क्योंकि ऑनलाइन जमा करने के स्थान पर उस समय प्रत्यक्ष प्रतियाँ जमा की गई थी।

44.4 कम्पनी द्वारा लागत अभिलेख बनाये रखा गया है। तथापि, वितीय वर्ष 2024-25 के लिये कम्पनी द्वारा अब तक कोई लागत अंकेक्षक नियुक्त नहीं किया गया है।

45. अतिरिक्त नियामक संसूचना

ए. पूर्ण स्वामित्व भूमि के शीर्षक विलेख कम्पनी के नाम हैं।

बी. कम्पनी ने वर्ष के दौरान अपनी सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

सी. कम्पनी ने कम्पनी अधिनियम, 2013 में परिभाषित प्रवर्तकों, निदेशकों, के.एम.पी. एवं संबंधित पार्टियों को या तो अलग से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से ऋण की प्रकृति में कोई भी ऋण या अग्रिम स्वीकृत नहीं किया है :-

I. मांग पर प्रतिदेय या,

II. पुनर्भुगतान की किसी भी शर्त या अवधि को निर्दिष्ट किये बगैर।

डी. कम्पनी के पास पुनरुद्धार एवं मिल विकास योजना है, जो पूँजीगत कार्य के रूप में दिखाई दे रही है, विवरण इस प्रकार है :-

दिनांक 31.03.2025 को

	की अवधि के लिये सी.डबल्यू.आई.पी. में राशि				
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
परियोजनायें प्रगति पर हैं।	442.10	-	-	-	442.10

दिनांक 31.03.2024 को

	की अवधि के लिये सी.डबल्यू.आई.पी. में राशि				
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
परियोजनायें प्रगति पर हैं।	525.37	-	-	-	525.37

ई. कम्पनी के पास विकासाधीन अमूर्त सम्पतियाँ हैं :-

दिनांक 31.03.2025 को

विकासाधीन अमूर्त सम्पत्तियाँ	एक अवधि के लिये विकासधीन अमूर्त संपत्ति में राशि				
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
ई.आर.पी. सॉफ्टवेयर	42.30	4.70	-	-	47.00

दिनांक 31.03.2024 को

विकासाधीन अमूर्त सम्पतियाँ	एक अवधि के लिये विकासधीन अमूर्त संपत्ति में राशि				
	एक वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	योग
ई.आर.पी. सॉफ्टवेयर	0.00	4.70	-	-	4.70

एफ. बेनामी लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 [पहले बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988) के रूप में शीर्षक] के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिये कम्पनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही आरंभ या लंबित नहीं है।

जी. कम्पनी के पास बैंक ऑफ इंडिया से 1650.09 लाख रुपये की सावधि जमा (FDR) के विरुद्ध अधिविकर्ष है। कम्पनी को बैंक के साथ तिमाही विवरण या चालू परिसंपत्ति का विवरण दाखिल करने की आवश्यकता नहीं है।

एच. कम्पनी को इरादतन चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

आई. कम्पनी का उन कम्पनियों के साथ कोई लेन-देन नहीं है, जो कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के तहत अटकी हुई हैं।

जे. आर.ओ.सी. के साथ तुष्टि के लिये लंबित शुल्क

विवरण	आर.ओ.सी. की स्थिति	विलंब हेतु कारण
प्रभार आई.डी. 90204427 सृजन तिथि 21.03.1964 राशि : रुपये 0.96 लाख पार्टी का नाम : अध्यक्ष, मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल	आर.ओ.सी., ग्वालियर	चूंकि प्रभार पंजीकृत प्रभार के अनुसार बहुत पुराना है, तुष्टि प्रपत्र हार्ड कॉपी के माध्यम से भरा जाता है, लेकिन 2006 में एम.सी.ए. पोर्टल के प्रवारजन के दौरान इसे अद्यतन नहीं किया गया था एवं अभी भी खुले प्रभार के रूप में दिखा रहा है।
प्रभार आई.डी. 90204446 सृजन तिथि 21.03.1964 राशि : रुपये 125.00 लाख पार्टी का नाम : मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल 18.09.1978	आर.ओ.सी., ग्वालियर	चूंकि प्रभार पंजीकृत प्रभार के अनुसार बहुत पुराना है, तुष्टि प्रपत्र हार्ड कॉपी के माध्यम से भरा जाता है, लेकिन 2006 में एम.सी.ए. पोर्टल के प्रवारजन के दौरान इसे अद्यतन नहीं किया गया था एवं अभी भी खुले प्रभार के रूप में दिखा रहा है।
प्रभार आई.डी. 90207971 सृजन तिथि 17.03.1997 राशि : रुपये 3580.00 लाख द्वारा स्वीकृत : एस.बी.आई.	आर.ओ.सी., ग्वालियर	प्रभार तुष्टि प्रपत्र पहले ही भरा जा चुका है लेकिन प्रभार आई.डी. 90207971 के माध्यम से गलत एस.आर.एन. एम.सी.ए. मास्टर डेटा में दिख रहा है, आर.ओ.सी. को पहले ही जानकारी दे दी गई है, लेकिन आज तक सुधार नहीं किया गया है।

के. कम्पनी के पास कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 के खण्ड (87), जिसे कम्पनियों (स्तर की संख्या पर प्रतिबंध नियम, 2017) के साथ पढ़ा जावे, के तहत कम्पनी के पास निर्धारित स्तर नहीं हैं। कम्पनी के पास कोई सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं है।

एल. वित्तीय अनुपात

अनुपात	अंश गणक	भाजक	वर्तमान अवधि	पूर्व अवधि	% परिवर्तन	परिवर्तन हेतु कारण
वर्तमान अनुपात	वर्तमान परिसंपत्तियाँ	वर्तमान देनदारियाँ	0.22	0.28	-21.67%	लागू नहीं
ऋण-साम्य अनुपात	कुल ऋण (दीर्घावधि एवं अल्पावधि)	अंशधारकों का साम्य	-1.11	-1.84	-40.01%	चालू वित्त वर्ष में ऋणी एवं हानि में वृद्धि के कारण
ऋण सेवा व्याप्ति अनुपात	ऋण सेवाओं के लिये उपलब्ध आय	ब्याज एवं लीज भुगतान+मूल पुनर्भुगतान	-0.13	-0.21	-37.10%	चालू वित्त वर्ष में ऋणी, ब्याज एवं हानि में वृद्धि के कारण
साम्य पर प्रतिफल अनुपात	कर के पश्चात शुद्ध लाभ - अधिमान्य लाभांश	औसत अंशधारकों का साम्य	-0.18	-0.21	-12.13%	लागू नहीं
मालसूची आवर्त अनुपात	विक्रय	औसत मालसूची	2.32	3.95	-41.39%	विक्रय में कमी के कारण।
व्यवसाय प्राप्य आवर्त अनुपात	शुद्ध विक्रय	औसत लेखा प्राप्य	18.19	77.38	-76.50%	विक्रय में कमी के कारण।
व्यापार देय आवर्त अनुपात	शुद्ध ऋण खरीद	औसत लेखा देय	1.72	6.89	-75.04%	व्यापार देयताओं के क्रय एवं समापन मूल्य में वृद्धि के कारण।
शुद्ध पूँजी आवर्त अनुपात	शुद्ध विक्रय	कार्यशील पूँजी	-0.09	-0.30	-71.22%	चालू वित्त वर्ष में ऋणी, ब्याज लागत एवं हानि में वृद्धि के कारण।
शुद्ध लाभ अनुपात	कर के पश्चात शुद्ध लाभ	शुद्ध विक्रय	-2.40	-1.02	136.13%	विक्रय में कमी के कारण।
नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	ब्याज एवं करों के पूर्व की आय (ई.बी.आई.टी.)	नियोजित पूँजी	-0.30	1.58	-118.77%	हानि के कारण।

एम. वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा व्यवस्था की कोई योजना तैयार नहीं की गई/सक्षम प्राधिकारी के पास लंबित नहीं है।

एन. (ए) कोई धनराशि अग्रिम या ऋण या निवेश नहीं की गई है (या तो ऋणी निधि से या किस्त या किसी अन्य स्त्रोत या निधियों के प्रकार) कम्पनी द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति(ओं) या इकाई(यों) में, जिसमें विदेशी संस्थायें ("मध्यस्थ") सम्मिलित हैं, समझ के साथ (चाहे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो या अन्यथा) मध्यस्थता करेगा कि

(1) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कम्पनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गये अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में ऋण या निवेश करें या

(2) अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई अन्य वस्तु प्रदान करना।

(बी) कम्पनी को विदेशी संस्थाओं (फंडिंग पार्टी) सहित किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से इस समझ के साथ कोई निधि प्राप्त नहीं हुई है कि कम्पनी

(1) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कम्पनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गये अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं में ऋण या निवेश करें या

(2) अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इसी तरह की कोई अन्य वस्तु प्रदान करना।

ओ. आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में अभ्यर्पित या प्रकट किये गये खातों की पुस्तकों में कम्पनी का लेनदेन दर्ज नहीं है।

पी. कम्पनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो मुद्रा या वर्चुअल मुद्रा में व्यवसाय या निवेश नहीं किया है।

क्यू. कम्पनी को निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष में कोई व्यय करने की आवश्यकता नहीं है।

46. तुलन पत्र तथा लाभ एवं हानि विवरण भारतीय रुपये में बनाये गये हैं और लाख के नजदीक पूर्णांक किये गये हैं।

47. कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के तहत आवश्यक वर्तमान वर्ष के आँकड़ों के साथ समूचित तुलना हो सके, के लिये जहाँ आवश्यक हो, गत वर्ष के आंकड़ों में पुन: एकत्र करना, सुधार, पुनर्वर्गीकरण एवं पुन: व्यवस्थित किया गया है।

निदेशक मण्डल की ओर से और उनके लिये

कृते सुभाष चंद जैन अनुराग एंड एसोसिएट्स	**प्रदीप कुमार नाईक**	**कमोडोर अरविंद वढेरा**
सनदी लेखापाल	**निदेशक (वित्त)**	**अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक**
एफ.आर.एन. : 004733सी	**(अतिरिक्त प्रभार)**	**डी.आई.एन.11104498**
	डी.आई.एन. 08676709	
सी.ए. अक्षय जैन		
भागीदार	**सुश्री निधि मिश्रा**	**सी.ए. विकास रेड्डी**
एम. क्रमांक 447487	**कम्पनी सचिव**	**मुख्य वित्तीय अधिकारी**
स्थान : नेपानगर	**एम.क्र. ए53762**	
दिनांक : 26.06.2025		

नेपा लिमिटेड के दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरण पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) के अंतर्गत निर्धारित वित्तीय विवरण विहित दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के लिये नेपा लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की तैयारी करना कम्पनी के प्रबंधन का उत्तरदायित्व है। अधिनियम की धारा 139 (5) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त वैधानिक अंकेक्षक, भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा निर्धारित लेखा-परीक्षा एवं आश्वासन मानकों के अनुसार अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत इन वित्तीय विवरणों पर अधिनियम की धारा 143(10) के तहत् अपनी राय व्यक्त करने के लिये उत्तरदायी है। इस बात का उल्लेख उन्होंने दिनांक 26.06.2025 के अपने अंकेक्षण प्रतिवेदन में किया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से नेपा लिमिटेड के दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों का अधिनियम की धारा 143 (6) (ए) के अंतर्गत अनुपूरक अंकेक्षण आयोजित किया है। यह अनुपूरक अंकेक्षण वैधानिक अंकेक्षकों के कामकाजी कागजात तक पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से किया गया है एवं मुख्य रूप से वैधानिक अंकेक्षकों तथा कम्पनी कार्मिकों की पूछताछ एवं कुछ लेखा अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक सीमित है।

अपने पूरक अंकेक्षण के आधार पर, मैं अधिनियम की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण मामलों पर प्रकाश डालना चाहूंगा, जो मेरे ध्यान में आये हैं और जो मेरे विचार में वित्तीय विवरणों एव संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन की बेहतर समझ के लिये आवश्यक हैं:

ए. लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ

ए.1 साम्य एवं देयतायें

वर्तमान देयतायें

अन्य वर्तमान देयतायें (नोट क्र.9) : रुपये 42,338.01 लाख

नेपा लिमिटेड (कम्पनी) ने अपनी पुनरुद्धार एवं मिल विकास योजना के कार्यान्वयन के दौरान चार संयंत्र एवं मशीनरी[1] का आयात किया तथा रुपये 26.20 करोड़ की सीमा शुल्क छूट का लाभ उठाया। यह छूट निर्यात संवर्धन पूँजीगत वस्तु (ई.पी.सी.जी.) योजना के अंतर्गत दी गई थी, जिसके तहत कम्पनी को प्रत्येक संयंत्र/मशीनरी के लिये निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु प्राधिकरण[2] जारी होने की तिथि से छह वर्षों में रुपये 157.21 करोड़ का कुल निर्यात दायित्व पूरा करना था।

यद्यपि पुनरुद्धार एवं मिल विकास योजना 23.08.2022 को पूर्ण हो गई थी तथा उत्पादन सितंबर 2022 से शुरू हो गया था, कम्पनी ई.पी.सी.जी. प्राधिकरण[3] से छह वर्ष की अवधि के भीतर किसी भी निर्यात दायित्व को पूर्ण नहीं कर सकी। कम्पनी ने ई.पी.सी.जी. प्राधिकरणों (डी.आई.पी.) में से एक के लिये विस्तार की मांग की (अगस्त 2020), लेकिन विदेश व्यापार महानिदेशालय (डी.जी.एफ.टी.) से कोई जवाब नहीं मिला। इसके अतिरिक्त, शेष तीन ई.पी.सी.जी. प्राधिकरणों के मामले में निर्धारित निर्यात दायित्व अवधि छह वर्ष से आगे दो वर्ष का स्वीकार्य समय विस्तार[4] भी समाप्त हो चुका था।

---

[1] वर्ष 2016 से वर्ष 2019 की अवधि के दौरान डि-इंकिंग प्लांट (डी.आई.पी.), पेपर मशीन 1 & 2 एवं रासायनिक प्रबंधन तथा प्रसंस्करण संयंत्र और रील रैपिंग मशीन।

[2] ई.पी.सी.जी. प्राधिकरण की तिथियाँ : डी.आई.पी. : दिनांक 27.01.2016, पेपर मशीन 1 & 2 : दिनांक 03.08.2016, रासायनिक प्रबंधन तथा प्रसंस्करण संयंत्र : दिनांक 21.03.2017 और रील रैपिंग मशीन : दिनांक 05.03.2019

[3] रील रैपिंग मशीन के लिये अंतिम ई.पी.सी.जी. प्राधिकरण के विरुद्ध निर्यात दायित्व की पूर्ति की अवधि दिनांक 04.03.2025 को समाप्त हो गई।

[4] धारा 5.01 (सी), जिसे ई.पी.सी.जी. योजना की धारा 5.17 (बी) के साथ पढ़ा जावें।

चूँकि कम्पनी निर्यात दायित्व को पूर्ण नहीं कर सकी, इसलिए कम्पनी पर रुपये 26.20 करोड़ का सीमा शुल्क भुगतान करने का दायित्व था एवं इसलिए एएस 29 (प्रावधान, आकस्मिक देयतायें तथा आकस्मिक परिसंपत्तियाँ) के पैरा 14 की आवश्यकताओं के अनुसार लेखा पुस्तकों में इसका प्रावधान किया जाना चाहिये था।

देयता के लिये प्रावधान न किये जाने के परिणामस्वरूप अन्य चालू देयताओं को रुपये 26.20 करोड़ कम, संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण को रुपये 122.63 करोड़ कम एवं मूल्यह्रास को रुपये 3.57 करोड़ कम दर्शाया गया। परिणामस्वरूप, वर्ष के लिये हानि भी रुपये 3.57 करोड़ कम दर्शाया गया।

ए.2 परिसंपतियाँ

गैर-चालू परिसंपतियाँ

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (नोट क्र.11ए) : रुपये 35,359.32 लाख

प्रक्रियाधीन पूँजीगत कार्य (नोट क्र.11बी) : रुपये 442.10 लाख

प्रक्रियाधीन पूँजीगत कार्यों में रुपये 352.18 लाख की राशि के 'पूँजीगत प्रकृति के अन्य भंडार', रुपये 59.80 लाख की राशि के 'कारखाना सिविल कार्य (भंडार उपभोग के अलावा)' एवं रुपये 30.13 लाख की राशि के 'स्थापना के अधीन/प्रतीक्षित संयंत्र एवं मशीनरी' से संबंधित व्यय सम्मिलित थे। उक्त व्यय/मदें कंपनी की पुनरुद्धार एवं मिल विकास योजना (आर.एम.डी.पी.) के कार्यान्वयन के दौरान किये गये/खरीदे गये। चूँकि आर.एम.डी.पी. दिनांक 23.08.2022 को पूर्ण हो चुकी थी एवं उत्पादन सितंबर 2022 से प्रारंभ हो गया था, इसलिए उपरोक्त व्यय को पूंजीकृत किया जाना चाहिये था।

उक्त व्यय का पूँजीकरण न किये जाने के परिणामस्वरूप, चालू पूँजीगत कार्य को रुपये 442.10 लाख अधिक, संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण को रुपये 385.10 लाख कम एवं मूल्यह्रास को रुपये 57 लाख[5] कम दर्शाया गया। परिणामस्वरूप, वर्ष के लिये हानि भी रुपये 57 लाख कम दर्शाई गई।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
की ओर से और उनके लिये
हस्ता./-
(डॉ. पवन कुमार कोंडा)
ओ.एस.डी.
(उद्योग एवं निगमित मामले)
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 12.08.2025

[5] रुपये 352.18 लाख पर रुपये 48.02 लाख, रुपये 30.13 लाख पर रुपये 4.10 लाख एवं रुपये 59.80 लाख पर रुपये 4.88 लाख (सितम्बर 2022 से दिनांक 31.03.2025 की अवधि के लिये मूल्यह्रास)।

दिनांक 31.03.2025 को समाप्त वर्ष के वित्तीय विवरणों पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ एवं उसका प्रबंधन द्वारा उत्तर

क्र.	सी.ए.जी. की टिप्पणियाँ	प्रबंधन का उत्तर
ए.	**लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ**	
ए.1	**साम्य एवं देयतायें** **वर्तमान देयतायें** **अन्य वर्तमान देयतायें (नोट क्र.9):रुपये 42,338.01 लाख** नेपा लिमिटेड (कम्पनी) ने अपनी पुनरुद्धार एवं मिल विकास योजना के कार्यान्वयन के दौरान चार संयंत्र एवं मशीनरी का आयात किया तथा रुपये 26.20 करोड़ की सीमा शुल्क छूट का लाभ उठाया। यह छूट निर्यात संवर्धन पूँजीगत वस्तु (ई.पी.सी.जी.) योजना के अंतर्गत दी गई थी, जिसके तहत कम्पनी को प्रत्येक संयंत्र/मशीनरी के लिये निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु प्राधिकरण जारी होने की तिथि से छह वर्षों में रुपये 157.21 करोड़ का कुल निर्यात दायित्व पूरा करना था। यद्यपि पुनरुद्धार एवं मिल विकास योजना 23.08.2022 को पूर्ण हो गई थी तथा उत्पादन सितंबर 2022 से शुरू हो गया था, कम्पनी ई.पी.सी.जी. प्राधिकरण से छह वर्ष की अवधि के भीतर किसी भी निर्यात दायित्व को पूर्ण नहीं कर सकी। कम्पनी ने ई.पी.सी.जी. प्राधिकरणों (डी.आई.पी.) में से एक के लिये विस्तार की मांग की (अगस्त 2020), लेकिन विदेश व्यापार महानिदेशालय (डी.जी.एफ.टी.) से कोई जवाब नहीं मिला। इसके अतिरिक्त, शेष तीन ई.पी.सी.जी. प्राधिकरणों के मामले में निर्धारित निर्यात दायित्व अवधि छह वर्ष से आगे दो वर्ष का स्वीकार्य समय विस्तार भी समाप्त हो चुका था। चूँकि कम्पनी निर्यात दायित्व को पूर्ण नहीं कर सकी, इसलिए कम्पनी पर रुपये 26.20 करोड़ का सीमा शुल्क भुगतान करने का दायित्व था एवं इसलिए एएस 29 (प्रावधान, आकस्मिक देयतायें तथा आकस्मिक परिसंपत्तियाँ) के पैरा 14 की आवश्यकताओं के अनुसार लेखा पुस्तकों में इसका प्रावधान किया जाना चाहिये था। देयता के लिये प्रावधान न किये जाने के परिणामस्वरूप अन्य चालू देयताओं को रुपये 26.20 करोड़ कम, संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण को रुपये 122.63 करोड़ कम एवं मूल्यह्रास को रुपये 3.57 करोड़ कम दर्शाया गया। परिणामस्वरूप, वर्ष के लिये हानि भी रुपये 3.57 करोड़ कम दर्शाया गया।	1. ई.पी.सी.जी.) योजना के अंतर्गत सीमा शुल्क के लिये प्रावधान कम्पनी ने वर्ष 2016-2019 के दौरान ई.पी.सी.जी. योजना के तहत पूंजीगत मशीनरी का आयात किया एवं रुपये 157.21 करोड़ के निर्यात दायित्व (ई.ओ.) के विरुद्ध रुपये 26.20 करोड़ की सीमा शुल्क छूट का लाभ उठाया। तथापि, उत्पादन के लंबे समय तक स्थगित रहने तथा पुनरुद्धार गतिविधियों में विलंब के कारण, निर्यात दायित्व निर्धारित समय के भीतर पूर्ण नहीं किया जा सका। आर.एम.डी.पी. योजना के तहत कम्पनी का पुनरुद्धार दिनांक 23.08.2022 को पूर्ण हुआ एवं बाज़ार-स्वीकृत गुणवत्तापूर्ण वाणिज्यिक उत्पादन फरवरी 2023 में पुनः प्रारंभ हुआ। कम्पनी ने डी.जी.एफ.टी. को लिखे एक पत्र में अपनी निर्यात संवर्धन पूँजीगत वस्तु (ई.पी.सी.जी.) योजना के दायित्वों से छूट का अनुरोध किया है। इस अनुरोध में नेपा की पुनरुद्धार योजना में कोविड-19 संबंधी बाधाओं के कारण अनुमानित उत्पादन (वाणिज्यिक उत्पादन 23 फरवरी से प्रारंभ हो सकता है) से चार साल के विलंब का हवाला दिया गया है। कम्पनी इस छूट के संबंध में डी.जी.एफ.टी. के साथ निरंतर पत्राचार कर रही है, जिसमें अप्रत्याशित घटना की स्थिति का हवाला दिया गया है। यह मामला डी.जी.एफ.टी. में विचाराधीन है। चूँकि कम्पनी को आज तक निर्यात दायित्वों के गैर-अनुपालन के विरुद्ध सीमा शुल्क के भुगतान के संबंध में न तो कोई उत्तर मिला है और न ही मांग सूचना की पुष्टि हुई है, इसलिए वित्तीय वर्ष 24-25 के लिये रुपये 26.20 की आकस्मिक देयता को वित्तीय विवरणों में सम्मिलित किया गया है।

ए.2	**परिसंपत्तियाँ** **गैर-चालू परिसंपत्तियाँ** **संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (नोट क्र.11ए) : रुपये 35,359.32 लाख** **प्रक्रियाधीन पूँजीगत कार्य (नोट क्र.11बी) : रुपये 442.10 लाख** प्रक्रियाधीन पूँजीगत कार्यों में रुपये 352.18 लाख की राशि के 'पूँजीगत प्रकृति के अन्य भंडार', रुपये 59.80 लाख की राशि के 'कारखाना सिविल कार्य (भंडार उपभोग के अलावा)' एवं रुपये 30.13 लाख की राशि के 'स्थापना के अधीन/प्रतीक्षित संयंत्र एवं मशीनरी' से संबंधित व्यय सम्मिलित थे। उक्त व्यय/मदें कंपनी की पुनरुद्धार एवं मिल विकास योजना (आर.एम.डी.पी.) के कार्यान्वयन के दौरान किये गये/खरीदे गये। चूँकि आर.एम.डी.पी. दिनांक 23.08.2022 को पूर्ण हो चुकी थी एवं उत्पादन सितंबर 2022 से प्रारंभ हो गया था, इसलिए उपरोक्त व्यय को पूंजीकृत किया जाना चाहिये था। उक्त व्यय का पूँजीकरण न किये जाने के परिणामस्वरूप, चालू पूँजीगत कार्य को रुपये 442.10 लाख अधिक, संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण को रुपये 385.10 लाख कम एवं मूल्यह्रास को रुपये 57 लाख कम दर्शाया गया। परिणामस्वरूप, वर्ष के लिये हानि भी रुपये 57 लाख कम दर्शाई गई।	**(ए) सी.डब्ल्यू.आई.पी. के अंतर्गत दर्शाये गये रुपये 352.18 लाख मूल्य के "पूंजीगत प्रकृति के अन्य भंडार" के संबंध में:** रुपये 352.18 लाख की राशि आर.एम.डी.पी. योजना के तहत संयंत्र एवं मशीनरी सहित क्रय किये गये पूँजीगत भंडारों से संबंधित है। ये भंडार संयंत्र के चालू होने के पश्चात स्थापित एवं उपयोग में लाये गये थे। तथापि, पूँजीगत परिसंपत्ति समूहीकरण के लंबित समाधान तथा अंतिम रूप दिये जाने के कारण यह वर्गीकरण सी.डब्ल्यू.आई.पी. के अंतर्गत ही रहा। कम्पनी अधिनियम, 2013 की एएस-10 एवं अनुसूची III के आधार पर, हम इस बात पर सहमत हैं कि ऐसे भंडार को, एक बार स्थापित होने एवं उपयोग में आने के पश्चात, पूँजीकृत किया जाना चाहिये तथा उनके उपयोग की प्रकृति के आधार पर सी.डब्ल्यू.आई.पी. से अचल संपत्तियों या मालसूची/भंडार एवं पुर्जों में स्थानांतरित किया जाना चाहिये। वर्ष 2025-26 के लिये लेखा पुस्तकों में आवश्यक वर्गीकरण एवं समायोजन किया जायेगा ताकि उचित प्रस्तुति तथा लागू एएस-10 और एएस-2 का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। **(बी) सी.डब्ल्यू.आई.पी. के तहत दर्शाये गये स्थापना हेतु प्रतीक्षारत संयंत्र एवं मशीनरी तथा कारखाना सिविल कार्यों के लिये रुपये 89.93 लाख (रुपये 30.13 लाख + रुपये 59.80 लाख) के संबंध में:** "संयंत्र एवं मशीनरी निर्माणाधीन/स्थापना की प्रतीक्षा में" और "कारखाना सिविल कार्य (भंडार उपभोग के अलावा)" शीर्षकों के अंतर्गत उल्लिखित रुपये 89.93 लाख के आंकड़े, संबंधित उपयोगकर्ता विभागों द्वारा दिनांक 31.03.2025 को या उससे पहले स्वीकृत देनदारियों के लिये प्रस्तुत किये गये चालानों से संबंधित हैं। ये चालान उपयोगकर्ता विभागों को प्राप्त हो गये थे; तथापि, उस तिथि तक कार्य पूर्णता का अंतिम सत्यापन और प्रमाणन अभी भी लंबित था। इसलिए, उस समय इन बिलों का भुगतान करने की अनुशंसा नहीं की गई थी। हमारी पिछली प्रथा एवं निरंतर अपनाई गई लेखा पद्धति के अनुसार, ऐसे चालानों को अस्थायी रूप से बकाया देनदारियों के रूप में दर्ज किया जाता है तथा तदनुसार दिनांक 31.03.2025 तक उन्हें प्रक्रियाधीन पूँजीगत कार्य (सी.डब्ल्यू.आई.पी.) के अंतर्गत दर्शाया जाता है। इस पद्धति का उद्देश्य उस वित्तीय वर्ष में व्ययों का सटीक उपार्जन सुनिश्चित करना है, जिससे वे संबंधित हैं। इसके पश्चात, दिनांक 01.04.2025 को, इन अनंतिम प्रविष्टियों को उलट दिया जायेगा। जब उपयोगकर्ता विभाग उचित सत्यापन पूर्ण कर लेता है एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान भुगतान के लिये इन बिलों की औपचारिक अनुशंसा कर देता है, तो उक्त राशियों को एएस-10 के अनुसार संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के अंतर्गत संबंधित परिसंपत्ति शीर्षों में पूँजीकृत कर दिया जाता है। हमारा मानना है कि उपरोक्त स्पष्टीकरण, अपनाये गये लेखांकन उपचार के पीछे के तर्क को स्पष्ट करता है, जो कि प्रोद्भव-आधारित लेखांकन एवं आंतरिक प्रक्रियाओं के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य पारदर्शिता तथा अनुपालन बनाये रखना है। ये कार्यवाहियाँ संशोधित खातों या वित्त वर्ष 2025-26 की पुस्तकों में चल रही अंतिमीकरण एवं अंकेक्षण अनुपालन प्रक्रिया के भाग के रूप में परिलक्षित होंगी।

नोट :- किसी भी विवाद की स्थिति में वार्षिक प्रतिवेदन का अंग्रेजी रुपांतर ही मान्य होगा।

Cultural Activities on Independence Day

स्वतंत्रता दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम

'Har Ghar Tiranga' rally

हर घर तिरंगा रैली

Celebrated 11th International Yoga Day with the theme "Yoga for One Earth, One Health."

एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य के लिए योग थीम के साथ 11 वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया

Release of the first annual magazine of Vigilance Department "Nepa Viz"

सतर्कता विभाग की प्रथम वार्षिक पत्रिका - नेपा विज़ का विमोचन

Walkathon on 69th Foundation Day of NEPA Ltd.

नेपा लिमिटेड के 69 वें स्थापना दिवस पर वॉकथॉन

Health Camp at NEPA Ltd. Hospital

नेपा लिमिटेड अस्पताल में स्वास्थ्य शिविर

Celebrated Women's Day
महिला दिवस मनाया गया

Nepa Ladies Club Activities
नेपा महिला क्लब द्वारा कार्यक्रम

Plantation Activity by Nepa Ladies Club
नेपा महिला क्लब द्वारा पौधारोपण

BOOK POST

We Recycle.
An Environment Friendly Paper Mill

If Undelivered, Please Return to :

NEPA LIMITED

NEPANAGAR,
Distt. BURHANPUR 450221(M.P.)